लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[दूसरा सत्र
Second Session]

[खंड VI में अंक 31 से 40 तक हैं
Vol. VI contains Nos. 31 to 40]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय–सूची/CONTENTS

अंक 38 गुरुवार, 13 जुलाई, 1967/22 आषाढ, 1889 (शक)

No. 38–Thursday, July 13, 1967/Asadha 22, 1889 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS:

ता.प्र. संख्या/S. Q Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
1111	रोड रोलर्स / Road Rollers	5177-5178
1112	मेहतरों की सेवा की शर्तें / Conditions of Service of Scavengers	5178-5184
1113	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये क्वाटर / Accommodation for Central Government Employees	5184-5188
1114	राजस्थान नहर / Rajasthan Canal	5188-5190
1115	विदेशी बैंक / Foreign Banks	5190-5195
अल्प–सूचना प्रश्न		
29	नागार्जुन सागर बांध / Nagarjunasagar Dam	5196-5202

प्रश्नों के लिखित उत्तर / WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

1116	जीवन बीमा निगम की वार्षिकी बीमा पालिसी / Annuity Policies of Life Insurance Corporation	5203
1117	तट दूर क्षेत्रों में ड्रिलिंग / Drilling in Off Shore Areas	5203 5204
1118	राज सहायता से औद्योगिक कार्यकर्त्ताओं के लिये मकान / Subsidised Industrial Houses	5204
1119	विदेशों से प्राप्त ऋणों की अदायगी के कार्यक्रम में फेर बदल / Re-scheduling of External Debts	5205
1120	अमरीकी शान्ति दल के कर्मचारी / U. S. Peace Corps Personnel	5205-5206

* किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS--Contd.

1121	साउथ ऐवेन्यू (नई दिल्ली) में सफाई की स्थिति	Sanitary Conditions in South Avenue, New Delhi ..	5206–5207
1122	भारतीय मुद्रा प्रणाली	Indian Monetary System	5207–5208
1123	विकासोन्मुख देशों में गैर-सरकारी क्षेत्र का योग-दान	Role of Private Sector in Developing Countries ...	5208
1124	अंश पूंजी का जारी किया जाना	Issue of Capital Shares ..	5208–5209
1125	ठेकेदारों से आयकर शोधन पत्रों की मांग	Demand for I. T. Clerance Certificates from Contractors ...	5209–5210
1126	तट दूर क्षेत्र में तेल की खोज	Off shore Oil Exploration	5210
1127	नदियों के बांधों से पानी	Water from River Dams	5210–5211
1128	स्वेज नहर बन्द होने का भारतीय अर्थ-व्यवस्था पर प्रभाव	Effect of Suez Canal's closure on Indian economy ...	5211
1129	गांवों में मकानों की समस्या	Rural Housing Problem	5211–5212
1131	बाढ़ नियंत्रण	Flood Control ...	5212–5213
1132	बिहार में नान-जुडिशिल स्टाम्पों की कमी	Shortage of Non-Judical stamps in Bihar	5213–5214
1133	अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम के सहयोग से उर्वरक कारखाना	Fertilizer Plant in Collaboration with International Finance Corporation ...	5214–5215
1134	अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम	International Finance Corporation	5216
1135	उड़ीसा में नई सिंचाई परियोजनायें	New Irrigation Projects in Orissa	5216–5217
1137	आन्ध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में पेय जल का अभाव	Scarcity of Drinking water in certain Areas of Andhra Pradesh	5217

ता. प्र. संख्या./ S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.		
1138 द्वितीय श्रेणी के आयकर अधिकारियों के लिये परीक्षा	Class II Income Tax Officers Examination..	5217-5218
1139 ऐडवांस इंश्योरेंस कम्पनी	Advance Insurance Company	5218
1140 भारत का यूनिट ट्रस्ट	Unit Trust of India ..	5219
अतारांकित प्रश्न सं. / U. S. Q. Nos.		
5459 गुजरात में अल्प आय वर्ग गृह-निर्माण योजना	Low Income Group Housing Scheme in Gujarat	5219-5220
5460 1966-67 में गुजरात को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Gujarat during 1966-67	5220
5461 गुजरात में लूप तथा नसबंदी की सफलता	Success of Loop and sterlization in Gujarat ...	5220-5221
5462 गुजरात राज्य की बड़ी सिंचाई परियोजनाओं की योजना	Major Irrigation Projects Plan in Gujarat ...	5221
5463 गुजरात के लिये तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण	Techno-Economic Survey of Gujarat ..	5221
5464 मध्य प्रदेश में उद्योगों की स्थापना	Establishment of Industries in Madhya Pradesh —	5222
5465 फाइन तथा सुपर फाइन और मोटे कपड़े पर लगाया गया उत्पादन शुल्क	Excise duty levied on Fine and Superfine and Coarse Cloth	5222
5466 स्वर्णकारों को सहायता	Assistance to Goldsmithes	5222-5223
5467 सरकारी टेलीफोनों का दुरुपयोग	Misuse of Official Telephones	5223
5468 मंत्रालयों द्वारा टेलीफोनों पर किया गया व्यय	Expenditure Incurred on Telehpones by Ministries	5223
5469 बिहार में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अकाल सूखा भत्ता	Famine/ Drought Allowance to Central Government Employees in Bihar ..	5223-5224

प्रश्नों के लिखित उत्तर- (जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

5470	मेडिकल कालेज तथा सेन्ट्रल अस्पताल पणजी, गोआ के कर्मचारियों के लिये आवास समस्या	Housing Problem for the staff of Medical College and Central Hospital at Panaji, Goa ..	5224
5471	माकसाना–गोआ में कोढ उपचार अस्पताल	Leprosy Hospital at Macasana Goa... ...	5224–5225
5472	आंध्र प्रदेश के अमादावलासा सहकारी चीनी कारखाने को ऋण	Loan to Amadalavalasa Cooperative Sugar Factory, Andhra Pradesh ...	5225
5473	विदेशों में परिवार नियोजन का प्रशिक्षण	Family Planning Training Abroad	5225–5226
5474	मैसूर में परिवार नियोजन योजना	Family Planning Scheme in Mysore	5226
5475	मैसूर में काली नदी परियोजना	Kali River Project in Mysore	5226–5227
5476	महाराष्ट्र में आदिम जातीय लोगों को स्नाकोत्तर छात्रवृत्तियां	Post Graduate Scholarships to Tribal Students in Maharashtra ...	5227
5477	महाराष्ट्र में मेडिकल कालेज	Medical Colleges in Maharashtra ...	5227–5228
5478	महाराष्ट्र में अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियों का	Welfare of S. C. & S. T. in Maharashtra ...	5228
5479	अखिल भारतीय मानव सेवा संघ	Akhil Bhartiya Manav Sewa Sangh	5228
5480	गुजरात राज्य में मेडिकल कालेज	Medical Colleges in Gujarat State	5228–5229
5481	गोआ में लूप तथा नसबंदी आपरेशन	Loop and Vasectomy Operations in Goa ...	5229
5482	नई दिल्ली में रामकृष्णपुरम में खाली सरकारी क्वाटर	Vacant Government Quarters in Ramakrishnapuram, New Delhi	5229–5230

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

5483	मुजफ्फरपुर स्टेशन पर गांजा पकड़ा जाना	Recovery of Ganja at Muzaffarpur Station	5230
5484	कूए खोदने के लिए मशीनों का आयात	Import of Machines to dig Wells ...	5230
5485	जल प्रदाय उपक्रम दिल्ली के कर्मचारी	Employees of Water Supply Undertaking, Delhi	5231
5486	बट्टे खाते में डाली गई आयकर की बकाया रकम	Writing of Income Tax Arrears	5231
5487	अस्पतालों तथा मेडिकल कालेजों में चालक (ड्राइवर्स)	Drivers in Hospitals and Medical Colleges	5231-5232
5488	लेडी हार्डिग अस्पताल, नई दिल्ली के कर्मचारियों को पेंशन सम्बन्धी लाभ	Pensionary Benefits to the Staff of Lady Harding Hospital, New Delhi ...	5232
5489	मैसर्स ओरियन्टल ट्रेडिंग कारपोरेशन	M/s Oriental Trading Corporation	5233
5490	अस्पतालों में ड्राइवरों के वेतनमान	Pay Seale of Drivers in Hospitals ..	5233
5491	मैसर्स जे. पी. एण्ड सन्स	M/s J. p. & Sons	5233-5234
5492	मैसर्स ओरियन्टल टिम्बर ट्रेडिंग कारपोरेशन	M/s Oriental Timber Trading Corporation	5234
5493	एशियाई विकास बैंक	Asian Development Bank	5234-5235
5494	परियोजनाओं की कार्यान्विति	Implementation of Projects	5235
5495	डाकखाने की सावधिक जमा योजना	Cumulative Depoist Scheme of Post Office	5235-5236
5496	कर्मचारी निरीक्षण एकक द्वारा योजना आयोग की जांच	Examination of Planning Commission by Staff Inspection Unit	5236

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

5497	चौथी पंचवर्षीय योजना में हरियाना में सरकारी उपक्रम	Pudlic Undertakings in Haryana in the Fourth Plan	5236
5498	चीनी पर उत्पादन शुल्क	Excise Duty on Sugar	5237
5499	गन्दी बस्तियों को हटाने की योजना के लिये राज्यों को सहायता	Aid to States for Slum clerance Scheme	5237
5500	औद्योगिक शहरों में मकान	Houses in Industrial Cities ...	5237–5238
5501	इण्डिया गेट के निकट किंग जार्ज पंचम की मूर्ति को हटना	Removal of Statue of King George near India Gate	5238–5239
5502	प्रगति के मार्ग में आने-वाली बाधाओं का विश्लेषण	Analysis of Impediments in the way of Progress	5239
5504	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का कल्याण	Welfare of S C. and S. T. ..	5239
5505	दक्षिण भारत में आयुर्वेदिक कालेज	Ayurvedic College in South India	5240
5506	गर्भ निरोधक वस्तुएं	Contraceptives	5240
5507	दिल्ली में रवीन्द्र रंगशाला	Rabindra Rangsala in Delhi ...	5241
5508	प्रतिजीवाणु तथा महत्वपूर्ण औषधियों में आत्म-निर्भरता	Self Sufficiency in Anti biotics and other Vital Drugs	5241- 5242
5509	पूंजी लगाने में संकोच	Shyness of Capital	5242
5510	भिवानी की एक सूती कपड़ा मिल द्वारा उत्पादन शुल्क का अपवचन	Evasion of Excise Duty by a Cotton Textile Mills of Bhiwani	5242–5243
5511	नई दिल्ली में टैगोर रंगशाला	Tagore Theatre in New Delhi	5243

5512	केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना के सेना में प्रति-नियुक्ति पर डाक्टर	C. G. H. S. Doctors on Deputation to Army	5243–5244
5513	मेडिकल कालेजों का प्रबन्ध अपने हाथ में लेना	Taking over of Medical Colleges	5244
5514	केरल में तेल तथा खनिज सर्वेक्षण	Oil and Mineral Survey in Kerala	5245
5515	इलाहाबाद स्टेशन पर सोने का पकड़ा जाना	Gold recovered at Allahabad Railway Station	5245
5516	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये क्वाटरों की व्यवस्था	Provision of residential accommodation for Central Government employees —	5246
5517	कोचीन में पेट्रो-रसायन उद्योग समूह	Petro-chemical complex at Cochin	5246
5518	खाई जाने वाली गर्भ निरोधक औषधियों का निर्माण तथा वितरण	Manufactore and Distribution of Oral contraceptives	5246–5247
5519	नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक यात्री के पास से घड़ियों का पकड़ा जाना	Watches recovered from a Railway Passenger at New Delhi Railway Station	5247
5520	मैसर्स मैकेन्जीज ऐन्ड ओरियन्टल टिम्बर ट्रेडिंग कारपोरेशन लिमिटेड	M/s Mechanzies and Oriental Timber Trading Corporation Ltd.	5247–5248
5521	दलों के नेताओं के लिये आवास की व्यवस्था	Accommodation for Party Leaders	5248
5522	नर्मदा सागर परियोजना	Narmada Sagar Project ...	5248
5524	न्यूयार्क तथा लन्दन में बिड़ला की कम्पनिया	Birlas Companies in New York and London	5248–5249
5525	गुजरात सरकार और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के बीच गैस के मूल्य के बारे में विवाद	Dispute between O. N. G. C. and Gujarat Government reg, price of Gas	5249–5250

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

5526	गवर्नमेंट आफ इण्डिया प्रेस, अलीगढ़	Government of India Press, Aligarh ..	5250
5527	मध्य प्रदेश में सरकारी उपक्रम	Public Undertakings in Madya Prdadesh ...	5250-5251
5528	गन्धक का उत्पादन	Production of Sulphur ...	5251–5252
5529	उद्योगों तथा कृषि की विकास दर	Rate of Growth in Industries and Agriculture	5252
5530	ऐस्बेस्टास का उत्पादन	Production of Asbestos ..	5252–5253
5531	उत्तर प्रदेश में विद्युत विस्तार कार्य	Electricity Extension works in Uttar Pradesh	5253
5532	गवर्नमेंट आफ इंडिया प्रेस, यूनियन (इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट), अलीगढ़	Government of India Press Union (Industrial Department) Aligarh	5253–5254
5533	गवर्नमेन्ट आफ इंडिया प्रेस, अलीगढ़	Government of India Press, Aligarh ...	5254
5534	गवर्नमेंट आफ इण्डिया प्रेस, अलीगढ़	Government of India Press, Aligarh.. ..	5254–5255
5535	मेडिकल कालेजों को अनुदान	Grants to Medical Colleges	5255
5536	कम आय वर्ग के सरकारी कर्मचारियों को उनके कार्यालयों के निकट क्वाटर देना	Allotment of Govt. Accommodation for Low Income Group Employees nearer to their Place of Duty	5255–5256
5537	दूध की प्रति व्यक्ति आवश्यकता तथा उपलब्धता	Per Capita Requirement and availability of Milk ...	5256-5257
5539	मंहगाई भत्ता आयोग के प्रतिवेदन पर विचार विमर्श करने के लिये मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन	C. Ms. Conference to discuss D, A. Commission Report	5557

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

5540	मंत्रियों द्वारा धन कर की अदायगी	Wealth Tax Paid by Minister ..	5257–5258
5541	सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में तकनीकी अधिकारियों की पुनः नियुक्ति	Re-employment of Technical Officers in the Ministry of Irrigation and Power	5258
5542	होमियोपैथी के डाक्टरों का वर्गीकरण	Categorisation of Homeopathic Practitoners	5258
5543	होमियोपैथिक भेषज-संहिता समिति	Homeopathic Pharmacopoeia Committee ...	5259
5544	आयकर की बकाया रकम	Arrears of Income Tax	5259
5547	तीसरी योजना में मध्य प्रदेश में सिंचाई परियोजनाएं	Irrigation Projects in Madhya Pradesh during Fourth Plan ...	5260
5548	मध्य प्रदेश में मकान	Houses in Madhya Pradesh	5260
5549	मध्य प्रदेश में गृह निर्माण के लिये धन	Funds for House buildings in Madhya Pradesh	5261
5550	मध्य प्रदेश में आदिम जातीय खंड	Tribal Blocks in M. P. .. –	52o1
5551	नई दिल्ली में महात्मा गांधी का स्मारक	Gandhi Memorial in New Delhi	5261
5552	कम्पनियों द्वारा विदेशी मुद्रा विनियम का उल्लंघन	Violation of foreign exchange regurlations by companies	5261–5262
5553	केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क विभाग के कलकत्ता स्थित कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन	Demonstration Iaunched by Excise and customs Employees, Calcutta	5262
5554	हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड्स लिमिटेड, दिल्ली	Hindustan Insecticides Ltd,, Delhi	5263
5555	आन्ध्र प्रदेश सहकारी भूमि बन्धक बैंक लिमिटेड, हैदराबाद	Andhra Pradesh Coop. Land Mortgage Bank Ltd. Hyderabad	5263–5264

प्रश्नों के लिखित उत्तर-(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

5556	तेल का पता लगाने के लिये खम्भात की खाड़ी में सर्वेक्षण	Survey of Gulf of Cambay for Oil Exploitation	5264
5557	सरकारी उपक्रमों के संबध में प्रशासनिक सुधार आयोग का प्रतिवेदन	Administrative Reforms Commission's Report on Public Undertakings	5265
5558	कोलार में सोने की खाने	Kolar Gold Fields	5265–5266
5559	अधीनस्थ कार्यालयों को स्वायत्तशासी कार्यालय बनाने की घोषणा	Subordinate Officers Declared Automomous Bodies	5266
5560	प्रकाशकों को घटिया किस्म के कागज की सप्लाई	Supply of Inferior Quality paper to Publishers	5266–5267
5561	वृद्धि के कारण क्वाटरों के किरायों का समायोजन	Adjustment of Rents for Quarters due to inerease in emoluments ...	5267
5562	विभिन्न टाइप के क्वाटरों को लेने का अधिकारी होने के लिए नगर प्रतिकर भत्ते को शामिल किया जाना	Inclusion of city compensatory allowance for Eligibility to various types of Accommodation	5267–5268
5563	रिहान्द बांध जलाशय	Rihand Dam Reservoir	5268
5564	गैर-सरकारी क्षेत्र में छोटे पैमाने पर बिजली तैयार करने की योजनायें	Small Scale Pewer Production Sch.mes in Private Sector	5268–5269
5565	रूस के सहयोग से मद्रास में औषधियां बनाने का कारखाना	Drug Factory at Madras in collaboration with USSR	5269
5566	रात्रि भत्ते का भुगतान	Paymeat of Night Duty Allowance	5269
5567	पिछड़े वर्गों को सुविधाएं	Facilities to Backward Classes	5269–5270
5568	विठ्ठलभाई पटेल हाउस, नई दिल्ली	Vithalbhai Patel House, New Delhi	5270

5569	बौद्ध धर्म अपनाने वाले अनुसूचित जाति के लोगों को सुविधायें	Facilities to Scheduled Castes who have adopted Buddhism	5270
5570	सरकारी उपक्रम	Public Undertakings	5271
5571	चौथी योजना की परियोजनायें तथा लक्ष्य	Projects and Targets of Fourth Plan.. ..	5271
5572	रणजीत होटल, नई–दिल्ली	Ranjit Hotel, New Delhi	5271–5272
5573	दिल्ली में झग्गी–झोपड़ी योजना	Jhuggi-Jhopri Scheme in Delhi	5272–5273
5574	1966-67 में अधिकारियों को दिया गया यात्रा तथा दैनिक भत्ता	T. A. & D. A. to Officers during 1966-67	5273
5575	अवर सचिवों के निवास स्थानों से टेलीफोनों का हटाया जाना	Removal of Telephones from Under Secretaries, Residences	5273–5274
5576	कोटा में गैस टरबाइन	Gas Turbine at Kota	5274
5577	गांधी सागर बांध	Gandhi Sagar Dam .. –	5274
5578	अफीम	Opium	5274–5275
5579	दिल्ली में गन्दी बस्तियां हटाने सम्बन्धी योजनाएं	Slum Clearance Schemes in Delhi	5275
5580	दिल्ली में झुग्गी तथा झोंपड़ी समस्या	Jhuggi-Jhopari Problem in Delhi	5276
5581	श्री राम रतन गुप्त से आयकर की बकाया राशि को बट्टे खाते में डालना	Writing-off of Tax arrears of Shri Ram Ratan Gupta	5276
5582	आन्ध्र प्रदेश में उर्वरक कारखाना	Fertilizer Plant in Andhra Pradesh	5276–5277
5583	महानगर परिवहन दल	Metropolitan Transport Team	5277

5584	नगरों में गन्दी बस्तियों को हटाना	Slum clerance in Cities	5278
5585	दिल्ली मकान मालिक संगठन	Delhi House Owners Association	5278–5279
5586	भारत के रिजर्व बैंक में करंसी नोटों को नष्ट करने की प्रक्रिया	Procedure for Destruction of Currency Notes in the Reserve Bank of India ..	5279–5280
5587	हैजे का उन्मूलन	Eradication of Cholery	5280
5588	तापी घाटी परियोजना	Tapi Valley Project	5280–5281
5589	राज्यों के आयव्ययक सम्बन्धी अनुमान	Budget Estimates of States ..	5281
5590	अमरीकी कृषि समिति	American Agricultural Committee	5281–5282
5591	गोवर्धन नाला	Govardhan Drain	5282
5592	बड़ी सिंचाई परियोजनाओं पर व्यय	Expenditure on Major Irrigation Projects	5283
5593	अफीम का तस्कर व्यापार	Smuggling of Opium	5283–5284
5594	प्रदत्त (पेड अप) बीमा पालिसी वाले लोगों को ब्याज दिया जाना	Payment of Interest to Policy Holders on Paid up Insurance Policies	5285
5595	उत्तर प्रदेश की बिजली की मांग	Requirement of U. P. for Electricity ..	5285–5286
5596	मैसूर में निर्माण कार्य	Construction Work in Mysore	5286
5597	मध्य प्रदेश में पेय जल की कमी	Shortage of Drinking Water in Madhya Pradesh ...	5286
5598	नेपाल सरकार द्वारा जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Life Insurance by Nepal Government	5287
5599	कलिंग फाउंडेशन ट्रस्ट और श्री बीजू पटनायक का आयकर दायित्व	Income-tax Liabilities of Kalinga Foundation Trust and Shri Biju Patnaik	5287–5288
5600	धन कर तथा मृत्यु शुल्क	Wealth Tax and Death Duty	5288

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	Pages
5601	अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिये बनारस और एटा जिलों को विश्व बैंक द्वारा ऋण	World Bank Loans to Banaras and Etah Districts for Development of Food Production	5288
5602	मूल्य सूचकांक	Price Index ...	5289
5603	अखबारी कागज की चोर बाजारी	Black-marketing in Newsprint	5289-5290
5604	विदेशी सहायता	Foreign Aid	5290-5291
5605	सिंचाई और विद्युत के स्रोत्र	Sources of Irrigation and Power — ...	5292-5293
5606	सिंचाई परियोजनाओं का सर्वेक्षण	Survey of Irrigation Projects ...	5293
5607	सिंचाई और विद्युत मंत्रालय के योजना से भिन्न व्यय तथा योजना सम्बन्धी व्यय का अनुपात	Proportion of Non-plan and Plan Expenditure of I & P Ministry	5294
5608	सन्त नगर, दिल्ली	Sant Nagar, Delhi	5294-5295
5609	माही नदी बांध परियोजना	Mahi River Dam Project -- ..	5295
5610	जाखम नदी परियोजना	Jakham River Project	5295-5296
5611	केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के आयुर्वेदिक औषधालयों में आयुर्वेदिक ओषधियां	Ayurvedic Medicines in C. G. H. S. Ayurvedic Dispensaries	5296
5612	केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना के अन्तर्गत दिल्ली में नये आयुर्वेदिक चिकित्सालय खोलना	Opening of New Ayurvedic Dispensaris in Delhi under C. G. H. Scheme	5296-5297
5613	आयुर्वेदिक औषधालयों में औषधियों की कमी	Shortage of Medicines in Ayurvedic Dispensaries ... —	5297
5614	केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के आयुर्वेदिक तथा एलोपैथिक चिकित्सा अधिकारियों के वेतन तथा भत्तों में असमानता	Disparity in the Pay and allowances of Ayurvedic and Allopathic Medical Officers in C. G. H. S.	5297-5298

अता. प्र. संख्या/ U.S.Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/ Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS.-Contd		
5615 शाहदरा क्षेत्र का विकास	Shahadra Zone Development	5298–5299
5616 चंडीगढ़ में एक चिकित्सा कालेज की स्थापना	Setting up of a Medical College at Chandigarh	5299
5617 पंजाब को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Punjab	5299–5300
5618 केरल की योजना के लिये धन का आवंटन	Plan Allocation for Kerala	5300
5619 आयुर्वेदिक अनुसधान एकक	Ayurvedic Research Unit ...	5300
5620 कलकत्ता के आयकर आयुक्तों द्वारा निपटाये गये मामले	Cases disposed-of by Income-tax commissioners. Calcutta	5301
5621 कलकत्ता के आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के सामने अपीलें	Appeals before Income Tax Appellate Tribunal, Calcutta	5301–5303
5622 आयकर निर्धारण सम्बन्धी मामले	Assessment of Income-tax Cases	5303–5304
5623 आयकर की वसूली	Income tax Recoveries	5304
5624 मजूरी नीति सम्बन्धी अध्ययन दल	Study Group on Wage Policy	5305
5625 विदेशी मुद्रा का प्रेषण	Foreign Exchange Remittance	5305
5626 विदेशी ऋण	Foreign Loans	5305–5306
5627 रूस और रूमानिया द्वारा मिट्टी के तेल पर भाड़े की दरों में वृद्धि	Increase in the Freight Charges on Kerosene Oil by USSR and Rumania	5306–5307
5628 विदेशी मुद्रा का प्रेषित किया जाना	Foreign Ezchange Remittances	5307
5629 स्वर्गीय डा. टी. सफुद्दीन के विरुद्ध आरोप	Allegations against the late Dr. T. Saifudin	5307–5308
5630 मैसूर में बाढ़ नियंत्रण कार्यों के लिये वित्तीय सहायता	Financial assistance for flood control works in Mysore	5308
5631 शरावती घाटी परियोजना	Sharavati Valley Project	5308–5309

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

5632	राज्यों में सिंचाई परियोजनाओं की प्रगती के बारे में रिपोर्ट	Progress Report re, Irrigation Projects in States ... —	5309
5633	सेंट मेरी अस्पताल मनारकड, कोट्टयम (केरल) को सहायता	Aid to St. Mary's Hospital Manarkad, Kottayam, (Kerala)	5309-5310
5634	आसाम में बाढ़	Floods in Assam	5310
5635	दियान गढ़ (जम्मू तथा काशमीर में चिनाब पर पन-बिजली परियोजना	Hydro-Electric Project on the Chenab at Dhian Garh (J. & K.)	5310
5636	नई दिल्ली में रीगल के पास भूमिगत पैदल पार-पथ	Sub-way for Pedestrains near Regal, New Delhi	5311
5637	रामकृष्ण पुरम में क्वाटर	Residentail accommodation in Rma-krishna Puram	5311-5312
5638	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त का कार्यक्षेत्र	Jurisdiction of Commissioner for S. C. & S. T.	5312
5639	मकानों की समस्या	Housing Problem — ..	5312-5313
5640	राज्यों में बिजली की दरें	Electricity Rates in Rtates	5313
5641	ग्राम्य बिजली उपभोक्ता सहकारी समितियां	Rural Power Consumer's Co-operative Societies	5313-5314
5642	चौथी योजना में बिजली की खपत	Consumption of Electricity during Fourth Plan	5314
5643	नयी दिल्ली स्थित सरकारी मुद्रणालय के सीनियर रीडर	Senior Readers, of Government Press. New Delhi	5314-5315
5644	उत्तर प्रदेश में गृह निर्माण कार्यक्रम	House Construction Programme in U. P. ...	5315
5646	उत्तर प्रदेश में पेय जल सम्भरण योजनाएं	Drinking Water Supply Schemes in Uttar Pradesh	5315-5316
5647	कृषि के विकास के लिये विदेशी सहायता	Foreign Assistance for Agricultural Development	5316

अता. प्र संख्या/ U.S.Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/ Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd		
5648 घड़ियों पर आयात शुल्क लगाये जाने के फलस्व–रूप प्राप्त राजस्व	Revenue from Import Duty on Watches ...	5317
5650 साउथ एवेन्यु, नई दिल्ली में मल निष्कासन पाइप की मरम्मत	Repair of Sewage Pipe in South Avenue, New Delhi	5317–5318
5651 रिजर्व बैंक द्वारा नोट बदलना	Exchange of Currency Notes by Reserve Bank ...	5318
5652 गोआ में बिजली की सप्लाई	Power Supply in Goa	5318–5319
5653 चौथी वार्षिक विद्युत सर्वेक्षण समिति	Fourth Annual Power Survey Committee	5319
5654 सरकारी उपक्रमों के बोर्डों में निदेशकों की नियुक्ति	Appointment of Directors to Board of Public Undertakings	5319–5320
5655 राज्यों में कृषि फार्मों के लिये बिजली की दरें	Rates of Electricity in States for Agricultural Purposes	5320–5321
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance –	5321–5327
पाकिस्तान द्वारा आसाम में भारतीय क्षेत्र पर बलपूर्वक कब्जा किये जाने के समाचार	Reported forcible Possession of Indian territory in Assam by Pakistan	5321
श्री कंवरलाल गुप्त	Shri Kunwar Lal Gupta	5321
श्री मु. क. चागला	Shri M. C, Chagla	5321
ध्यान दिलाने की सूचना के बारे में	Re. Calling Attention Notice	5321
विशेषाधिकार का प्रश्न	Question of privilege	5328–5334
उड़िया के समाचार पत्र द्वारा लोक सभा की कार्यवाही को गलत रूप मे प्रकाशित करना	Misreporting of Lok Sabha Proceedings by an Oriya Paper	5328
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	5335
तारांकित प्रश्न संख्या 813 के उत्तर में शुद्धि	Correction of Answer to S. Q. No. 813 ...	5336

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी) / WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.

सभा का कार्य	Business of the House	5337
अनुदानों की मांगें	Demands for Grants, 1967–68	5337
खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय	Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation	5337
श्रीमती लक्ष्मी बाई	Shrimati Laxmi Bai	5337
श्री राम सेवक यादव	Shri Ram Sewak Yadav	5338
श्री जी. भा. कृपालानी	Shri J. B. Kripalani .. –	5340
श्री एम. एस. गुरुपदस्वामी	Shri M. S Gurupadswamy	5342
श्री नायनार	Shri E. K. Nayanar	5345
श्री राजशेखरन	Shri Rajasekharan	5347
देशी रियासतों के भूतपूर्व शासकों के विशेषाधिकारों और निजी थैलियों को समाप्त करने के बारे में चर्चा	Discussion Re. Abolition of Special Privileges and Privy Purses of former Rulers	5348
श्री मधुलिमये	Shri Madhu Limaye	5348
श्री दी. चं. शर्मा	Shri D. C. Sharma .. –	5350
श्री च. चु. देसाई	Shri C. C. Desai	5351
श्रीमती सुशीला रोहतगी	Shrimati Sushila Rohatgi ..	5352
श्री बलराज मधोक	Shri Bal Raj Madhok	5353
श्री कंडप्पन	Shri S. Kandappan	5354
श्री शशिभूषण बाजपेयी	Shri Shashibhusan Bajpai	5355
श्री ही ना. मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee	5355
श्री रमानी	Shri K. Ramani	5356
श्री दशरथ राय रेड्डी	Shri R. D. Reddy	5356
श्री स. कुन्डू	Shri S. Kundu	5357
श्री फ्रैंक एन्थनी	Shri Frank Anthony	5357
श्री अमृत नाहाटा	Shri Amrit Nahata	5358
श्री नि चं चटर्जी	Shri N. C. Chatterjee	5359
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	Shri Prakash Vir Shastri	5359
श्री यशवन्त राव चव्हाण	Shri Y. B. Chavan	5360

लोक-सभा वाद-विवाद का अनूदित संस्करण

गुरुवार , 13 जुलाई , 1967 । 22 आषाढ , 1889 (शक)

का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ संख्या	शुद्धि
विषय सूची VI	अतारांकित प्रश्न संख्या 5502 तथा 5504 के बीच में 'अ.प्र. संख्या 5503 राजस्थान नहर से लिफ्ट चैनल 'और उसो के सामने अंग्रेजो में 'Lift Channel from Rajasthan Canal ' पढ़िये ।
विषय सूची IX	अ.प्र.संख्या 5544 और 5547 के बीच में 'अ.प्र.संख्या 5545 त्रिशूली परियोजना और उसो के सामने अंग्रेजो में ' Trisuli Project ' पढ़िये ।
5196	अल्प-सूचना प्रश्न संख्या 29 का पाठ अंग्रेजो में इस प्रकार पढ़िये :- Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state : (a) whether it is a fact that the Governme of Andhra Pradesh have given a suggestion t provide one spillway and 26 radial gates in Nagarjunsagar Dam ; (b) whether it is also a fact that Maharash Govt. have lodged a protest to the said sug tion ; and (c) if so, the reaction of the Government in this regard ?

पृष्ठ संख्या	शुद्धि
5239	अतारांकित प्रश्न संख्या 5502 और 5504 के बीच में अतारांकित प्रश्न संख्या 5503 का पाठ तथा उसका उत्तर इस प्रकार पढ़िये :- राजस्थान नहर से लिफ्ट चैनल डा. कर्णी सिंह श्रीमती निर्मल कौर श्री प.ला. बारुपाल क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) निर्धवाल तथा लुनकरसर के बीच राजस्थान नहर से निकाल कर बनाई जाने वाली लिफ्ट चैनल (प्रथम चरण) का निर्माण कार्य कब से आरम्भ किया जायेगा ; और (ख) इस लिफ्ट चैनल के दूसरे चरण के सम्बन्ध में प्रस्ताव किस अवस्था में है ? सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा.कु.ल.राव) :(क) और (ख) लुनकरसर तथा बीकानेर की 48 मील की लिफ्ट चैनल के प्राक्कलन तैयार किये जा रहे हैं और उनकी मंजूरी के बाद यह कार्य आरम्भ किया जायेगा । इस लिफ्ट चैनल को लुनकरसर तथा बीकानेर जैसे और आगे ले जाने के प्रश्न की जांच की जा रही है ।

पृष्ठ संख्या	शुद्धि
5259-60.	अतारांकित प्रश्न संख्या 5544 और 5547 के बीच में अतारांकित प्रश्न संख्या 5545 का पाठ तथा उसका उत्तर इस प्रकार पढ़िये :-

त्रिशूली परियोजना

श्री रा.बरूआ :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिशूली परियोजना तैयार हो जाने के बाद नेपाल सरकार को सौंप दी गई है ;

(ख) क्या भारत के सहयोग से इसकी बिजली पैदा करने की कुल क्षमता बढ़ाई जा रही है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा.कु.ल.राव) : (क) त्रिशूली पन बिजली परियोजना का प्रथम प्रक्रम जिसमें तीन तीन हजार किलोवाट के तीन जनक एकक , पावर स्टेशन से बलाजू (काठमांडू) तक 66 किलोवाट की एक ट्रांसमीशन लाइन और बलाजू में एक अवरोही उप-बिजली घर शामिल हैं , पूरा हो चुका है और 16 जून , 1967 को उन्हें नेपाल सरकार के सुपुर्द कर दिया गया था ।

(ख) जी , हां ,

(ग) इस परियोजना के दूसरे प्रक्रम का कार्य जिसमें त्रिशूली बिजली घर में तीन तीन हजार किलोवाट के 4 जनक एकक जोड़ने का कार्यक्रम है , निष्पादित हो रहा है ।

5321 पंक्ति 9 में `बलपूर्वक किये ` के स्थान पर `बलपूर्वक कब्जा किये ` पढ़िये ।

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 13 जुलाई, 1967/22 आषाढ़, 1889 (शक)
Thursday, 13 July, 1967/Asadha 22, 1889 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

{ **अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair* }

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

रोड रोलर्स

+

***1111. श्री मधु लिमये :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री कामेश्वर सिंह :
श्री श्रीधरन :
श्री एस० एम० जोशी :
श्री प० मु० सैयद :
श्री सेक्वीरा :
श्री नीतिराज सिंह चौधरी :
श्री काशीनाथ पाण्डे :

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मैसर्स अग्रिन्द फेब्रीकेशन्स लिमिटेड द्वारा निर्मित बहुत से रोड रोलर्स, जिनका क्रयादेश पूर्ति और निपटान महानिदेशक ने मैसर्स युनाइटेड प्रोविन्सेज कॉमर्शियल कारपोरेशन लिमिटेड कलकत्ता को दिया था, समय पर अथवा क्रयादेश में दिये गये विशिष्ट विवरणों के अनुसार नहीं पहुँचे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्रयादेश कुल कितने मूल्य का था ;

(ग) क्या अग्रिम धन के रूप में कोई राशि दी गई थी; और

(घ) इस दोषी फर्म के विरुद्ध यदि कोई कार्यवाही की गई है, तो क्या ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : क्या मैं एक निवेदन कर सकता हूं ?

श्री बूटासिंह : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। इस समय इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता।

अध्यक्ष महोदय : मुझे मालूम है। मैंने मंत्री महोदय को पुकारा है। माननीय सदस्य कृपया बैठ जायें। इस प्रकार का व्यवस्था का प्रश्न सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होते ही कैसे उठाया जा सकता है ?

श्री मी० रू० मसानी : मैं आशा करता हूं कि आप इस बारे में मुझे भी कुछ कहने का अवसर देंगे।

अध्यक्ष महोदय : मैंने मंत्री महोदय को पुकारा है। इसके बाद मैं आपको बुलाऊंगा।

श्री जगन्नाथ राव : क्या आपकी अनुमति से मैं एक निवेदन कर सकता हूँ ? यह मामला लोक लेखा समिति के विचाराधीन है। मैंने लोक सभा सचिवालय को सूचित कर दिया था कि इस मामले में लोक लेखा समिति विचार कर रही है। इसलिये यदि आप मुझे अनुमति देंगे, मैं उत्तर दे दूंगा। अन्यथा नियम 41 के अन्तर्गत इस समय इस प्रश्न का उतर नहीं दिया जा सकता...

श्री मी० रू० मसानी : सभा का नियम है कि जो मामला किसी वित्तीय समिति के विचाराधीन हो, उस पर प्रश्न नहीं पूछा जाना चाहिये। इस मामले पर लोक लेखा समिति विचार कर रही है और वास्तविकता यह है कि हम अपना प्रतिवेदन तैयार कर रहे हैं और सत्र समाप्त होने से पहले प्रतिवेदन आया जायेगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि इसे प्रश्न का इस समय उत्तर न दिया जाये।

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, Sir, I agree. But I have one submission that it may be put down for 3rd August after the presentation of the report of the P. A. C. otherwise it would lapse.

अध्यक्ष महोदय : इस समय मैं कोई वचन नहीं दे रहा हूँ।

मेहतरों की सेवा की शर्तें

\+

***1112. श्री मधु लिमये :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उन राज्यों-नगरपालिकाओं तथा अन्य स्थानीय निकायों को, जो मेहतरों के वेतन क्रम में वृद्धि करने के लिये तैयार हैं, कोई सहायता दी है;

(ख) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को सलाह दी है कि वे मल को टोकरियों में ले जाने की प्रथा बन्द करें और टोकरियों के स्थान पर हाथगाड़ियों, बैल गाड़ियों तथा मोटर गाड़ियों का प्रयोग करवायें; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूल रेणु गुह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) प्रतिक्रिया साधारणतया संतोषजनक रही है ।

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, the hon. Minister has stated in reply to my question that the response of the State Governments is satisfactory. Will the hon. Minister kindly lay a statement on the Table or state the nature of action promised to be taken by the various States ?

श्रीमती फूलरेणु गुह : यदि माननीय सदस्य चाहते हैं, तो मैं राज्यवार सूचना दे सकती हूं ।

आन्ध्र प्रदेश : तीसरी योजना अवधि में नियत की गई राशि से व्यय अधिक था जिससे यह संकेत मिलता है कि राज्य में योजनाओं में काफी प्रगति हुई है ।

आसाम : मल को सिर पर टोकरियों में ले जाने की प्रथा को समाप्त करने की योजना के हेतु राज्य के लिए तीसरी योजना में नियत की गई पूर्ण राशि का उपयोग किया गया ।

बिहार : 1240 रेढ़िया (व्हील बैरो) सप्लाई की जाने पर समूची तीसरी योजना अवधि के लिये नियत की गई 11.08 लाख रुपये की राशि का उपयोग किये जाने की आशा थी ।

गुजरात : उसने 6513 रेढ़िया सप्लाई की हैं ।

केरल : राज्य सरकार ने बताया है कि सिर पर टोकरियों में मल को ले जाने की प्रथा समाप्त कर दी गई है ।

मध्य प्रदेश : सब में तो नहीं परन्तु कुछ नगरपालिकाओं ने मल को सिर पर टोकरियों में ले जाने की प्रथा समाप्त कर दी है । तीसरी योजना अवधि में 93 नगरपालिकाओं ने रेढ़ियों के प्रयोग की योजना क्रियान्वित की है ।

मद्रास : 11,619 रेढ़ी (व्हील बैरो) सप्लाई की गई ।

महाराष्ट्र : राज्य सरकार ने बताया है कि इस योजना का उद्देश्य लगभग पूरा हो गया है । इसका अर्थ यह है कि उन्हें और रेढ़ी (व्हील बैरो) नहीं चाहिये ।

मैसूर : तीसरी योजना अवधि में 3071 रेढ़ी (व्हील बैरो) और 2389 हाथ गाड़ियां दी गई ।

उड़ीसा : उड़ीसा में दी गई रेढ़ियों की ठीक संख्या हमारे पास नहीं है लेकिन आशा की जाती है कि अनेक नगरपालिकाओं में आवास सम्बन्धी सुधार किये गये हैं तथा रेढ़ियो में मल ले जाने की व्यवस्था की गई है ।

कुछ राज्यों में प्रगति धीमी हुई है । पंजाब उनमें से एक है ; राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बारे में राज्य सरकारों ने यह भी बताया है कि नगरपालिका बोर्डों के उप नियमों के अन्तर्गत बन्द बाल्टियों के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से मल को ले जाने पर पाबन्दी है । तीसरी योजना के दौरान पश्चिम बंगाल में सभी नगरपालिकाओं में सिर पर टोकरियों में मल ले जाने की प्रथा को समाप्त करने की योजना क्रियान्वित की गई...

श्री दत्तात्रय कुंटे : मेरा सुझाव है कि इस विवरण को सभा पटल पर रख दिया जाये । इससे सदस्यों को लाभ होगा ।

अध्यक्ष महोदय : समूचे भारत के एक एक राज्य की स्थिति जबानी बताने की अपेक्षा जिसमें काफी समय लगा है, अच्छा होता यदि इसे सभा पटल पर रख दिया जाता ।

Shri Madhu Limaye : Has any deadline been fixed that in a year or two this bad practice of carrying night soil on heads would be done away with and the pay scales of scavangers improved ?

श्रीमती फूलरेणु गुह : जी, नहीं । कोई समय निश्चित नहीं किया गया है । परन्तु सरकार दूसरी और तीसरी योजना के अन्तर्गत, तथा 1966–67 में भी, धन नियत करके सिर पर मल ले जाने की प्रथा बदलने का प्रयास करती रही है ।

इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहती हूँ कि कुछ राज्यों में प्रथागत अधिकार हैं । समय निश्चित करना इतना आसान नहीं है क्योंकि सदस्य को मालूम होगा कि पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के भी कुछ भागों में तथा मध्य प्रदेश में भी प्रथागत अधिकार हैं और मेहतर स्वयं परिवर्तन नहीं चाहते हैं क्योंकि वे प्रथागत अधिकारों को अपनी परम्परागत सम्पत्ति समझते हैं...

अध्यक्ष महोदय : वे अपने सिर पर मल ले जाना चाहते हैं और इसे अपना अधिकार समझते हैं ?

Shri Madhu Limaye : What are you talking ? Customary rights will anybody say that it is his right to practise untouchability ? This country has a democratic constitution.

अध्यक्ष महोदय : क्या आपके कहने का अभिप्राय यह है कि वे प्रथागत अधिकार स्वरूप मल अपने सिर पर ले जाना चाहते हैं ?

श्रीमती फूलरेणु गुह : जी, नहीं...

Shri Shiv Charan Lal : Mr. Speaker, I want to raise a point of order on the statement of hon. Minister.

Mr. Speaker : There is no point of order-

Shri Shiv Charan Lal : Mr. Speaker, I am very much concerned with this question I represent the scavangers-

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें अनुमति दूंगा । The hon. Member can ask a question.

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, no reply is forthcoming. Is it a reply to say that it is a customary right ?

अध्यक्ष महोदय : वास्तव में यह दुर्भाग्य की बात है कि मल को सिर पर टोकरियों में ले जाना एक प्रथागत अधिकार है । वे फिर से प्रश्न पूछ सकते हैं ।

Shri Madhu Limaye : Shri Asoka Mehta is present here, may I know from him if he is prepared to give an assurance that this practice will be stopped altogether within a year or two with the cooperation of the State Governments ?

योजना, पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : माननीय सदस्य ने दो प्रश्न पूछे हैं । पहला प्रश्न है कि इन लोगों के वेतन-क्रमों में सुधार करने के लिये क्या किया जा रहा है । अब हम उनकी बिल्कुल भी सहायता करने की स्थिति में नहीं हैं । हमने तो कहा है कि इन लोगों पर न्यूनतम मजूरी अधिनियम लागू किया जाना चाहिये । इस पर विचार करने के लिये विभिन्न राज्य सरकारों ने कुछ समितियां स्थापित की हैं । मजूरी के प्रश्न पर समाज कल्याण विभाग कोई सहायता नहीं कर सकता क्योंकि यह उसका उत्तरदायित्व नहीं है ।

दूसरा प्रश्न था कि परिवर्तन कितनी जल्दी लाया जायेगा ? इस परिवर्तन को लाने के लिये वित्तीय सहायता और अन्य सब प्रकार से प्रोत्साहन दिया जा रहा है । लेकिन एक कठिनाई है । उदाहरण के लिये इस वर्ष बजट सम्बन्धी सामान्य कठिन स्थिति होने के कारण समाज कल्याण विभाग के लिये नियतन काफी कम कर दिया गया है । गत वर्ष इसके लिये 33 लाख और कुछ हजार रुपये दिये गये थे; इस वर्ष हमें 10 लाख रुपये ही मिले हैं । मेरे लिये यह कहना बहुत कठिन हो जाता है कि इसमें कितना समय लगेगा क्योंकि समाज-कल्याण की कई योजनायें हैं और उनकी पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर हमें सीमित साधनों का उपयोग करना है । यदि धन मिले तो हम इसे यथा शीघ्र करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप मल को केवल सिर पर उठाकर ले जाने के तथा कथित प्रथागत अधिकार पर भी कुछ प्रकाश डाल सकते हैं ?

श्री अशोक मेहता : जहां तक मुझे मालूम है, कुछ लोगों का प्रथागत अधिकार है, चाहे वे सिर पर ले जायें, यह उनका काम है, लेकिन मल ले जाने का अधिकार उन्हीं का है।

अध्यक्ष महोदय : इस पर किसी को आपत्ति नहीं होती।

श्री अशोक मेहता : इन लोगों ने सुझाव दिया है कि यदि उन्हें उचित प्रतिकर दिया जाये, तब ही यह प्रथागत अधिकार समाप्त किया जा सकता है। यह एक ऐसी समस्या है, जिसकी ओर बराबर ध्यान दिलाया गया है और इस विषय पर सावधानी से विचार करना होगा।

श्री स० मो० बनर्जी : प्रश्न का प्रयोजन यह जानने का था कि मेहतरों का सामाजिक और आर्थिक स्तर कहां तक ऊंचा उठाया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि भारत सरकार ने मेहतरों के लिये मकान बनाने के हेतु राज्यों को राज सहायता देने का वचन दिया था, क्या ऐसा किया गया है अथवा नहीं, और क्या यह सच है कि ये सभी मकान, जहां कहीं भी बनाये जा रहे हैं, कार्य स्थान अर्थात-शौचालयों के निकट बनाये जा रहे हैं ? कानपुर, इलाहाबाद और बनारस में ठीक ऐसा ही किया गया है। क्या उनका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया गया है और कितनी राशि दी गई है ?

श्रीमती फूलरेणु गुह : यह नगरपालिकाओं पर निर्भर करता है, केन्द्रीय सरकार पर नहीं।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या केन्द्रीय सरकार ने इन मकानों के निर्माण के हेतु राज सहायता देने के लिये राज्य सरकारों को कोई वित्तीय सहायता दी है, और यदि हां, तो कितनी ?

श्री फूलरेणु गुह : पहले दी गई थी इस समय नहीं।

Shri George Fernandes : So far this has been the occupation of one class only. The hon. Minister has just now stated that they consider it as their constomary right. Do Government intend to formulate a plan to encourage the people of other classes to undertake this work and to solve the issue of wages and houses for scavangers ?

श्रीमती फूलरेणु गुह : यह तो क्रियान्विति के लिये सुझाव है।

Dr. Ram Manohar Lohia : Has the hon. Minister suggested to any State Government or municipality to imporve conditions of service of scavangers with a view to abolishing caste system and to increase their wages to Rs. 250-300 and if so, their reaction thereto and the extent of assistance the Central Government is willing to give ?

Shri Asoka Mehta : I have already stated that as regards the wages, it is not the concern of the Department of Social Welfare. It concerns the Health Ministry. The subject of Local Self Government is their responsibility. I cannot state how far they will be able to help.

Dr. Ram Manohar Lohia : The question of wages was cited by me only as an example. My main question is whether the hon. Minister has given directives to any State Government or municipality that one of the aims of improving the conditions of scavangers should be to abolish the caste system ; this is under his jurisdiction and he can reply to it ; if so, what reply has been received ?

Shri Ashoka Mehta : Despatches to State Governments are sent about certain schemes or basic principles that we can give such and such assistance. As regards this I do not think that we are required to take any action.

श्री देवराज पाटिल : क्या सरकार ने क्षेत्रीय पाबन्दी हटाने के बारे में राज्य सरकारों और लोकूर समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली है और यदि हां, तो विधेयक कब पेश किया जायगा क्योंकि इस समय एक जाति अथवा आदिम जाति को किसी राज्य में अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित आदिम जाति समझी जाता है परन्तु दूसरे राज्य में नहीं, जिसके कारण विषमताएं हैं और लोगों को परेशानी होती है ?

श्री अशोक मेहता : जी, हां ।

Shri Shiv Charan Lal : The hon. Minister has said that they consider it their right to carry night soil on their head. It is absolutely incorrect. They are forced by their poverty to carry the night soil as headload. Had the Central Government recommended to the States to increase the salaries of scavangers under the municipalities, municipal corporations, town area committees etc., who carry night soil as headload ? Have their salaries been increased ?

In the rural areas, the poor scavangers have to depend for water on the mercy of others. They are not allowed to have water from the wells. They have no houses. What steps are being taken by Government to improve their conditions ?

श्रीमती फूलरेणु गुह : मैंने पहले ही कहा है कि कुछ भागों में मेहतर यह अनुभव करते हैं कि उनका प्रथागत अधिकार है क्योंकि उनके विचार से यह सम्पत्ति अधिकार है (अन्तर्वाधाए) सैंसस ऑफ इन्डिया 1961 में नवम्बर, 1966 में मेहतरों के रहन सहन और राय करने की दशा के सम्बन्ध में प्रथागत अधिकार प्रकाशित किये गये हैं । इस रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि मेहतरों के प्रथागत अधिकार सम्पत्ति अधिकारों की तरह हैं, जो बहुत से मेहतरों को पैतृक सम्पत्ति की तरह प्राप्त हुए है । मेहतरों को उनकी इस सम्पत्ति से मोह है । (अन्तर्वाधाधाएं) ।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप कृपया दूसरा भाग पढ़ेगी ? मल को टोकरों में ले जाने के तरीके को अब गाड़ी में ले जाने के तरीके में परिवर्तित किया जाना चाहिये । ऐसी प्रथा हो सकती है । जो मनुष्य इसको सिर पर रखकर ले जाये उससे यह कहा जाये कि वह उसे गाड़ी में ले जाये । ऐसा करने से प्रथागत अधिकार नहीं छिनते ।

श्री अशोक मेहता : मेरे विचार से मेरे सहयोगी का यह अभिप्राय है कि मल को ले जाने का अधिकार प्रथागत अधिकार है परन्तु इसको कैसे ले जाया जाये यह प्रथागत

अधिकार नहीं है.....जैसा कि मेरे सहयोगी ने बताया था कि यह तर्क दिया जाता है कि इन व्यक्तियों के प्रथागत अधिकार हैं। अतः यदि उन अधिकारों को समाप्त करना है... (अन्तर्वाधाएं) सभा मुझे शान्तिपूर्वक सुने.....

Shri Ram Sewak Yadav : You believe in slavery ?

श्री ज्योतिमय बसु : ये सब बातें विदेशी समाचार पत्रों में प्रकाशित होंगी और सारा देश इसे घृणा की दृष्टि से देखेगा।

श्री अशोक मेहता : आपने मुझसे प्रश्न पूछा है। यदि माननीय सदस्य अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं तो मुझे कोइ आपत्ति नहीं। हमने कभी भी यह नहीं कहा कि मल को सिर पर ले जाना उनका प्रथागत अधिकार है। इस समस्या को हल करना है और यह मामला सुलझाया जा रहा है। जैसा कि मैंने कहा है कि इस सम्बन्ध में कुछ आवश्यक कार्यवाही की गई है।

इस सम्बन्ध में बहुत ही कठिनाइयां हैं और यदि सभा उन कठिनाइयों को जानने की इच्छुक है तो मैं यहां विस्तृत से उनका उल्लेख करुंगा। यह प्रश्न का एक भाग है। प्रथागत अधिकारों के प्रश्न को इसलिए लाया गया था क्योंकि कुछ लोगों का विचार यह है कि चाहे मल किसी ही तरह उठाया जाये, वह उनका प्रथागत अधिकार है। इस सम्बन्ध में, मैं समझता हूं एक समिति ने जांच की है और उस समिति की रिपोर्ट राज्य सरकारों और भारत सरकार के विचाराधीन है।

Shri Shiv Charan Lal : My question asked in Hindi has been replied in English, which 1 do not understand.

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए क्वाटर

+

*1113. **श्री ओंकारलाल बेरवा :** **श्री मीठा लाल :**
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : **श्री लीलाधर कटकी :**
श्री स० चं० सामन्त : **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री अ० कु० किस्कू : **श्री मधु लिमये :**
श्री श० ना० माइती : **श्री म० ला० सोंधी :**
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने सरकारी कर्मचारियों को 10 वर्ष की निरन्तर सेवा हो जाने के बाद भी सरकारी क्वाटर नहीं दिये गये हैं ;

(ख) इसके क्या कारण हैं ;

(ग) उन्हें क्वाटर देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

(घ) सामान्य आवास प्राप्त करने का अधिकारी होने के लिये कर्मचारियों को औसतन कितने समय तक प्रतिरक्षा करनी पड़ती है ; और

(ङ) क्या बारी आने से पहले क्वाटर दिये जाने की प्रथा फिर से आरम्भ की जायेगी ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये एल० टी० संख्या 1026/67]**

(ख) सामान्य पूल में रिहायशी वास की कमी के कारण, अधिक संख्या में सरकारी कर्मचारियों को वास देना संभव नहीं हो सका।

(ग) आर्थिक कठिनाई के कारण यह संभव नहीं कि नए रिहायशी यूनिटों को बड़े पैमाने पर बनाना आरम्भ किया जाये। फिर भी, 3612 क्वाटरों का निर्माण कार्य चल रहा है तथा 1967-68 में निधियों की उपलब्धता के आधार पर 3324 रिहायशी यूनिटों का और बनाने का प्रस्ताव है।

(घ) सामान्य पूल से अधिकृत वास के लिये प्रतीक्षा अवधि प्रत्येक टाईप की प्रत्येक शहर में विभिन्न है। विभिन्न स्थानों में 30 जून, 1967 को विभिन्न टाइपों के लिए प्राथमिकता की तारीख का विवरण सभा पटल पर रखा है।

(ङ) आवंटन नियमावली के अनुपूरक नियम 317 बी 9 के अन्तर्गत बगैर पारी के आवंटन होता है तथा यह अत्यन्त वांछनीय मामलों में किया जाता है।

Shri Onkar Lal Berwa : The hon. Minister has just told that the number of the Government employees who have been serving for more than ten years and have yet not been provided with the accommodation is 6919. The number of Government employees in Delhi is 55,000 whereas according to the hon. Minister only 3612 quarters are under construction. I want to know the nature of the plan formulated by Government for providing immediate accommodations to 55,000 employees and according to the waiting list, to which priority date employees have been given accommodation.

Shri Iqbal Singh : An estimate has been given with regard to the employees who have not got accommodation even after serving for ten years. The hon. member has asked about the plan according to which more government employees are expected to get accommodation.

It has already been replied that about 3600 houses are under construction in Delhi and outside Delhi. So far as this question regarding the number of Government employees who have not got accommodation is concerned, I Can give the exact number on receipt of notice for the same.

Shri Onkar Lal Berwa : I have asked something else. My question was about the priority date employees according to the waiting list who have not been provided with accommodation.

Shri Iqbal Singh : The position with regard to allotment of different types of quarters in different cities has been given in the annexure II.

श्री स० चं० सामन्त : वक्तव्य में यह बताया गया है कि दिल्ली में 6919 कर्मचारियों को सरकारी मकान नहीं मिले हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि कितने प्रतिशत कर्म-

चारियों को मकान प्राप्त हुए हैं और चौथी पंचवर्षीय योजना में दिल्ली राज्य के लिये इस सम्बन्ध में क्या व्यवस्था की गई है ?

Shri Iqbal Singh : I have not got the satistics with me at present. We have asked for 54 crores rupees for the Fourth Five Year Plan. I could not say how much we could get out of it. We would try to construct the houses according to the funds received by us.

श्री अ० कु० किस्कु : ऐसा ज्ञात हुआ है कि धनराशि की कमी के कारण, सरकारी कर्मचारियों के मकान का निर्माण नहीं हो सका है। हम यह जानते हैं कि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों से किराया वसूल किया जा रहा है।

क्या मैं यह जान सकता हूं कि मकानों की मरम्मत और उनको ठीक स्थिति में बनाये रखने के लिये इस राशि का कितना औसतन व्यय किया जा रहा है और प्रतिवर्ष जमा होने वाले बकाया रुपये का किया जा रहा है ?

श्री इकबाल सिंह : मरम्मत बिल्कुल भिन्न विषय है। यदि माननीय सदस्य सूचना दें तो मैं आंकडे प्रस्तुत कर सकता हूं।

श्री श० ना० माइती : जिन सरकारी कर्मचारियों को मकान प्राप्त नहीं होते हैं उन्हें उनके वेतन के साथ कुछ मकान किराया दिया जाता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह दी जाने वाली राशि उनके लिये उचित मकान प्राप्त करने के लिये पर्याप्त है। यदि नहीं तो उनको पर्याप्त मकान किराया देने के लिये क्या कोई कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्री इकबाल सिंह : मुख्यालय भत्ता और मकान किराया भत्ता दो विभिन्न बातें हैं। यह भिन्न है और किराया भत्ता मकान की उपलब्धता के अनुसार दिया जाता है।

Shri Madhu Limaye : In reply to the last portion of the question, the hon. Minister has said that there is a rule under which the Minister used to get special or discreminatory rights with regard to out of turn allotment. I want to know whether the attention of the Minister has been drawn to the fact that due to providing them with these discreminatory rights are being misused and several times some big people used to write letters and contact Minister on phone. Hon. Minister is replying in the negative, but had be remembered that the hon. member Dr. Ram Manohar Lohia placed on the Table of the House a letter written by the former Speaker of the Lok Sabha recommending out of turn allotment to a resident of his constituency.

That is why I want to know whether the hon. Minister is prepared to consider to abolish those rules so that this out of turn allotment may not be misused by those big people.

Shri Iqbal Singh : So far as out of turn allotment is concerned it is made under the Rules. There are about 50,000 Government employees in Delhi and we cannot allot accommodations to all of them. Out of them several the cases of several employees are quite genuine and deserving. If this rule is abolished it would be unjustice to all of them. Firstly, out of these quarters, allotment is made on medical grounds. Secondly, out of turn allotment is made to the son of a Government servant if he retires or dies,

provided he is a government employee. Besides this, out of turn allotment is made to the personal staff of the Ministers if they want to reside near their (minister's) residence. There is no question of this rule being misused.

श्री म० ला० सोंधी : मैं अपने प्रश्न के संदर्भ में यह कहना चाहता हूँ कि 'सरकारी कर्मचारी' शब्द सामाजवादियों की देन है। एक कल्याण कारी राज्य में चाहे उच्च पदाधिकारी हो या निम्न पदाधिकारी, उन्हें प्रगति में समान हाथ बटाना चाहिये। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जब भी किसी नये कार्यालय की स्थापना की जाती है तो क्या कार्यालय की स्थापना के साथ साथ मकानों के निर्माण की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। क्या इस सम्बन्ध में कोई नीति निर्णय है ?

श्री इकबाल सिंह : इस सम्बन्ध में कोई नीति निर्णय नहीं है।

श्री दी० चं० शर्मा : मैं कुछ उन स्वायत्त निगमो के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं जो अपने कर्मचारियों के लिये मकान बनवाते हैं। वहां आवंटन समिति केवल नौकर शाही नहीं है परन्तु उसमें जनता के भी कुछ सदस्य हैं। मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि क्या इस मंत्रालय की आवंटन समिति में केवल सचिव, उप-सचिव, सहायक सचिव, अवर सचिव हैं या दोनो सदनो के वे सदस्य भी हैं जो इससे सम्बन्धित हैं।

श्री इकबाल सिंह : यह प्रश्न सरकारी कर्मचारियो को दिये जाने वालो मकानो से सम्बन्धित है। लोक उपक्रम द्वारा एलॉट किये गये मकान इसके अन्तर्गत नहीं आते।

Shri Onkar Lal Berwa : I want to know the number of quarters in Delhi with out taps and electricity. When they were constructed and their categories ?

Shri Iqbal Singh : It is true that there are certain quarters in Rama Krishna Puram which are complete but without electricity. It has not been fitted because inspite of reminding the Municipal Corporation several times for water and electricity they have done nothing. We are trying. We would provide water and electricity as soon as it is received.

Shri Onkar Lal Berwa : I want to know the number of quarters in the capital and since when these have been lying vacant ?

Shri Iqbal Singh : For quite sometime. Some of them have been lying vacant for about one and a half years.

श्री श्रद्धाकर सूपकार : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास उन पदाधिकारियों का रिकार्ड है जिन्हें सेवा निवृत होने तक कोई मकान नहीं मिला ? दूसरे, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के लिये यह सम्भव है कि वह अपने कर्मचारियों को यह सचित कर दे कि एक विशेष अवधि से पहले उन्हें मकान उपलब्ध नहीं होंगे ताकि वह आखिर तक प्रतिक्षा ही न करते रहें ?

श्री इकबाल सिंह : जहां तक सरकारी कर्मचारियों को मकान एलॉट करने का सम्बन्ध है मैंने विभिन्न शहरो के सम्बन्ध में तिथियाँ दी हैं। जहां सरकारी कर्मचारियों को लम्बे

समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। उदाहरणार्थ 20 वर्ष से अधिक समय तक तो हम उनके लिये नये मक.न बनवाने का प्रयास करते हैं। उदाहरणार्थ के तौर पर बम्बई में हम अधिक मकान बनवा रहे है ताकि सरकारी कर्मचारियों का मकान के बिना प्रतीक्षा करने का समय घट सके।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि क्या सरकार उन सरकारी कर्मचारियों का रिकार्ड रखती है जो मकान प्राप्त किये बिना ही सेवा निवृत हो जाते हैं।

श्री इकबाल सिंह : इस सम्बन्ध में इस समय मुझे कोई जानकारी नहीं है। यदि माननीय सदस्य सूचना देते हैं तो मै जानकारी एकत्रित कर सकता हूं।

राजस्थान नहर

\+

*1114. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
डा० कर्णी सिंह :
श्रीमती निर्लेप कौर :
श्री ना० स्व० शर्मा :
श्री राम सिंह अयरवाल :
श्री शारदा नन्द :
श्री बृज भूषण लाल :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि राजस्थान नहर का निर्माणकार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नहीं चल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) अपने हाल के जयपुर के दौरे के बाद राजस्थान नहर के निर्माण कार्य की गति में तेजी लाने के लिये उन्होंने क्या सुझाव दिये हैं ?

सिंचाई और बिजली मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : (क) से (ग) राजस्थान नहर परियोजना का पहला चरण 1970–71 तक पूरा हो जाने की आशा है। अब तक सामान्य तौर से प्रगति कार्यक्रम के अनुसार चल रही है। परियोजना के लिये पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था करने का प्रश्न विचाराधीन है ताकि कार्य निर्धारित समयानुसार पूरा हो सके।

श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या मैं यह जान सकता हूं कि इस परियोजना पर अब तक कितना धन व्यय हुआ हैं और इसके लिये और कितने धन की आवश्यकता होगी ?

डा० कुं० ल० राव : मार्च, 1967 तक इस परियोजना पर 47 करोड़ रुपये व्यय हुए है और इसको पूरा करने के लिये और 28 करोड़ रुपये की आवश्यकता है।

श्री राम कृष्ण गुप्त : यह कार्य किस एजेन्सी द्वारा किया जा रहा है ?

डा० कु० ल० राव: विभिन्न ठेकेदारो और विभागो द्वारा।

Shri Sheo Narain : Mr. Speaker, I have to offer one suggestion. During the question hour you call the first member from the list and after that you call the members who could catch your eye in the House.

अध्यक्ष महोदय : आपका सुझाव मूल्यवान है ।

Shri Sharda Nand : Will the hon. Minister be pleased to state the expenditure estimated to be spent at the time of preparing this plan and whether the estimates have not doubled or tribled since then and whether this has not effected the progress of this place ?

डा० कु० ल० राव : राजस्थान नहर का प्रथम चरण पूरा करने के लिये वर्तमान अनुमान 75 करोड़ रुपये का है और हम इसी अनुमान के अनुसार कार्य कर रहे हैं । अब तक इस योजना पर 47 करोड़ रुपये व्यय हो चुके हैं। खर्च का अधिक अनुमान लगाने से प्रगति की परियोजना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है ।

Shri Onkar Lal Bohra : Former Finance Minister, Shri Krishnamachari had assured the House last time and also the Power and Irrigation Minister while presenting the Budget gave in a note that the Centre is seriously considering to take over this plan. May I know whether the hon. Minister will indicate whether the Central Government is taking steps to undertake this plan as early as possible.

डा० कु० ल० राव० : यह तथ्य है कि किसी समय इस योजना को केन्द्रीय क्षेत्र में लेने का प्रस्ताव था, परन्तु इसके बाद इस सम्बन्ध में और सोच विचार किया गया । मेरे विचार से अब केन्द्र द्वारा इस योजना को अपने हाथ में लेने का इरादा नहीं है ।

श्री स० कुण्डू : क्या मंत्री महोदय को यह विदित है कि विभिन्न राज्यो में सिंचाई के लिये दी जाने वाली भूमि और सिंचाई परियोजनाओं पर किये गये जाने वाले व्यय के सम्बन्ध में कोई संतुलन नहीं है । प्रादेशिक असंतुलनो को समाप्त करने के लिये आप क्या कदम उठायेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न राजस्थान नहर से सम्बन्धित है ।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : चूकि राजस्थान नहर का सिंचाई के लिये प्रयोग किया जायेगा और उस क्षेत्र की उरर्बरता पहले ही सिद्ध हो चुकी है, खाद्य उत्पादन वृद्धि करने के लिये राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक है कि इस नहर परियोजना को प्राथमिकता दी जानी चाहिये । क्या मैं यह जान सकता हूं कि किन कारणों को ध्यान में रख कर सरकार उस परियोजना को केन्द्रीय क्षेत्र में न लेने का निर्णय ले रही है ? क्या सरकार इस निर्णय पर पुन: विचार करेगी ताकि इस योजना का कार्य शीघ्रता से आरम्भ किया जा सके ?

डा० कु० ल० राव : यह स्वीकार किया गया है कि यह एक उपयोगी योजना है और भाग्यवश परियोजना का बहुत अधिक कार्य आरम्भ किया जा चुका है । इस परियोजना के लिये और 28 करोड़ रुपये की मंजूरी की गई है । इसी लिये मैंने अपने उत्तर में बताया था कि इस परियोजना को वित्त सहायता देने की ओर पूरा ध्यान दिया जा रहा है ।

श्री क० ना० तिवारी : माननीय मंत्री ने बताया कि पहले इसको केन्द्रीय परियोजना के रूप में लेने का सुझाव था परन्तु बाद में छोड़ दिया गया। मैं यह जानना चाहता हूं कि यदि राजस्थान या बिहार जैसे राज्य यह चाहते हैं कि उनकी कुछ बड़ी परियोजनाएं केन्द्र सरकार अपने हाथ में ले ले तो केन्द्रीय सरकार को उन परियोजना को अपने हाथ में ले लेने में क्या कठिनाई है ?

डा० कु० ल० राव : जैसा कि मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कार्य अपने हाथ में लेने का अभिप्राय वित्तीय भार लेने से है। अन्यथा इस परियोजना के लिये नियुक्त किये गये इंजीनियर सक्षम व्यक्ति हैं और कार्य में अच्छी प्रगति है। यह मुख्यता वित्त का प्रश्न है। माननीय सदस्य यह कहते हैं कि हमे इसके लिये धन की व्यवस्था करनी चाहिये, जो राज्य की आय से सम्बन्धित न हो। उस सभा के बहुत से सदस्यो का यह निवेदन है। माननीय वित्त मंत्री भी यहां हैं और इस प्रश्न की ओर हमारा ध्यान है। इस प्रश्न पर आगे विचार किया जायेगा।

विदेशी बैंक

+

*1115. **श्री दामानी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार कितने विदेशी बैंक कार्य कर रहे हैं ; और

(ख) सरकार या भारत का रिजर्व बैंक यदि इन बैंकों के काम काज तथा/अथवा कार्य संचालन पर कोई नियंत्रण रखता है तो क्या ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है [**पुस्तकालय में रखा गया : देखिये संख्या एल० टी० 1022-67**]

(ख) भारत में कार्य करने के सम्बन्ध में विदेशी बैंको पर रिजर्व बैंक आफ इण्डिया का उसी सीमा तक नियंत्रण रहता है, जैसा कि भारतीय बैंको पर।

श्री दामानी : पिछले दिनों जब कारोबार काफी तेजी पर था व्यस्त समय में कुछ विदेशी मुद्रा बैंकों ने अपने मुख्य कार्यालयों से, जैसे कि वह पिछले वर्षों में करते आ रहे है, धन मांगने की बजाय बहुत अधिक दर पर रुपया उधार लेने की मांग की। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या उन्होंने यह नीति रिजर्व बैंक प्रतिबन्ध लगाने के परिणाम स्वरूप अपनाई या अन्य कारणो वश ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : मुझे इस विशेष मामले के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करनी होगी।

श्री पीलु मोदी : आप इन बातों को जानने की आशा नहीं रख सकते।

श्री दामानी : मैं यह जानना चाहता हूँ क्या विदेशी मुद्रा बैंकों के लेखा पुस्तिका की भी जांच उसी प्रकार की जाती है जिस प्रकार भारतीय बैंकों की और क्या भारतीय बैंकों पर

लागू होने वाले सब नियम और विनियमन उन पर भी लागू होते हैं, यदि हां तो पिछली जांच कब की गई थी।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : वे विदेशी बैंक है, विदेशी मुद्रा बैंक नहीं। भारतीय बैंकों पर लागू होने वाले सब नियम जिनमें जिनमें रिजर्व बैंक द्वारा रिजर्व द्वारा सब बैंकों की विस्तृत जांच भी शामिल है, इन सब बैंकों पर भी लागू होते है।

श्री कृष्ण मूर्ति : मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूँ कि क्या लाभ को हस्तान्तरित करने के सम्बन्ध में कोई प्रतिबन्ध है क्योंकि देश में एकत्रित की गई पूंजी पर लाभ अर्जित किया जाता है ? क्या ऐसा कोई प्रतिबन्ध है जिसके अनुसार इन बैंकों द्वारा अर्जित किया गया लाभ विदेशों में स्थित इनके मुख्य कार्यालयों को नहीं ले जायेगा और लाभ का उपयोग इसी देश में किया जाएगा ?

श्री कृष्ण चंद्र पंत : जी, नहीं।

श्री मं० रं० कृष्ण : म यह जानना चाहता हूं कि क्या इन विदेशी बैंकों ने देश में उद्योगों में रुपया लगाया है, यदि हां तो किस सीमा तक ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मुझे इस बात की जानकारी प्राप्त करनी होगी कि उन्होंने किस सीमा तक रुपया लगाया है।

श्री रंगा : क्या वह रुपया लगा रहे है ?

Shri Kameshwar Singh : Whether the Government intends to implement the decision of British Institute of Works by giving the facilities and privileges asked by the National Grindlay Bank in its application addressed to the Reserve Bank of India ?

Shri K. C. Pant : I am not aware of every application. I have to look into the matter.

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : यद्यपि यह एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है, सब दिये गये आवेदन पत्रों के सम्बन्ध में मुझे जानकारी नहीं है। उन्होंने प्रश्न उठाया है और मैं अवश्य ही इस सम्बन्ध में जांच करूंगा। यदि वह कोई जानकारी चाहेंगे तो मैं दूंगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह नेशनल ग्रिडले बैंक को सुविधाएं देने का प्रश्न बहुत महत्व-पूर्ण विषय है। इस सम्बन्ध में लन्दन टाइम्स में प्रकाशित हुआ था।

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : वास्तव में यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है, परंतु रिजर्व बैंक अभी ऐसी स्थिति में नही पहुंचा है कि वह इन मामलों को सरकार को सौंप दे। ऐसा कभी नहीं हुआ है अतः इस सम्बन्ध में अभी कुछ पता नहीं है। किसी भी बैंक को कोई विशेषाधिकार नहीं दिये जायेंगे।

श्री चिंतामणि पाणिग्रहि : ये बैंक क्रमशः अपने देशों में कितना धन लाभांश के रूप में प्रति वर्ष भेजते हैं ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : मैं आपको कर लगने के पश्चात् लाभ के आंकड़े दे सकता हूं। 1961 में लाभ 1.99 करोड़ था ; 1962 में 1.71 करोड़ था.....

श्री ज्योतिमय बसु : ये सब जाली हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : 1963 में 1.86 करोड़ रुपये; 1964 में 2.12 करोड़ रुपये और 1965 में 2.08 करोड़ रुपये था।

श्री ज्योतिमय बसु : मैं यह समझता हूं कि यह विवरण औपचारिक रूप से भेजे गये लाभांश के सम्बन्ध में है।

श्री चिंतामणी पाणिग्रही : मैं यह जानना चाहता हूँ कि माननीय मन्त्री ने जो आकड़े सभा पटल पर गये है क्या वे बैंकों ने उन्हें स्वयं ये आंकड़े दिये हैं या ये आंकड़े उन्हें रिजर्व बैंक ने दिये हैं। हम यह जानना चाहते है कि ये आंकड़े उन्हें किसने सप्लाई किये है।

अध्यक्ष महोदय : यह भिन्न प्रश्न है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : ये अवश्य ही बैंक के संतुलन–पत्र से लिये गये हैं। जैसा कि मैंने कहा कि रिजर्व बैंक इन सब बैंकों की जांच करता है।

श्री ज्योतिमय बसु : क्या मैं यह जान सकता हूं कि पिछले दस वर्षों में हमारे देश में कितने विदेशी बैंकों को शाखाएं खोलने की अनुमति दी गई और क्या सरकार को भारतीय बैंकों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं पहले ही इन बैंकों की शाखाओं की कुल संख्या बता चूका हूं। मैं आपको 1961 से आगे के आंकड़े दे सकता हूं। 1961 में उनकी संख्या 71 थी.....

श्री ज्योतिमय बसु : नई शाखाएं। आप मेरे प्रश्न को समझें। आप उनको शाखाएं खोलने की अनुमति दे रहे हैं। आपने अचानक नीति बदल दी है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : क्या आप जानकारी लेना चाहते हैं या जानकारी देना।

श्री ज्योतिमय बसु : वह गलत उतर दे रहें है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यह पथ भ्रष्ट करना नहीं है।

ये आंकड़े हैं। 1961 में 70 कार्यालय; 1962 में 82; 1963 में 86; 1964 में 90; 1965 में 92 और 1966 में 118। विवरण में विस्तृत जानकारी दी गई है।

Shri Prakash Vir Shastri: There had been some foreign banks in India like the China Bank who had been found participating in anti-Indian activities. Shri Morar i Desai, and the other Finance Ministers had also assured that an investigation had been going on in this regard and its report would be placed on the table of the House.

I want to know whether the investigation with regard to China Bank has been completed or not and if it has been completed when would its report be placed on the Table of the House ?

श्री मोरारजी देसाई : मैं वर्तमान स्थिति से अनभिज्ञ हूँ और मैं इस बारे में निश्चय ही पता करूंगा ।

श्री चं० चु० देसाई : बैंक आफ अमरीका को भारत में एक शाखा खोलने की अनुमति क्यों दी गई हैं जब कि अमरीका में कोई भी भारतीय बैंक नहीं है ?

श्री मोरारजी देसाई : चूंकि इससे हमारी अर्थव्यवस्था को लाभ होता है, इसलिये इसे अनुमति दी गई है ।

श्री चं० चु० देसाई : पारस्परिकता के आधार पर क्यों नहीं ?

श्री वासुदेवन नायर : इससे हमारी अर्थव्यवस्था कैसे लाभान्वित होती है ?

Shri Sheo Narain : Will the Finance Minister reply to Shri Shastri's question and when that report will be presented before the House ?

श्री ही० ना० मुकर्जी : सरकार कहती है कि वह बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण की संकल्पना पर विचार कर रही है । चाहे सामाजिक नियंत्रण राष्ट्रीयकरण से भिन्न ही क्यों न हो फिर भी सरकार का इन विदेशी बैंकों को कौन सा दर्जा देने का विचार है जिन्हें भारत में प्राथमिकता दी जा रही है ।

श्री मोरारजी देसाई : इसमें प्राथमिकता का तो कोई प्रश्न ही नहीं है । प्राथमिकता इस आधार पर मानी जा सकती है कि हम विदेशी बैंकों को यहां शाखा खोलने की अनुमति दे देते हैं जब कि वे ऐसा नहीं करते । हम अनुमति इसलिये देते हैं कि हमें इससे लाभ हैं । विदेशी बैंकों के लिए क्या विनियम हो, इस बात पर भी विचार किया जा रहा है ।

श्री हेम बरूआ : सरकार ने कई बार वायदा किया कि प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा जायेगा, परन्तु ऐसा नहीं किया गया । दूसरी ओर कुछ भारतीयों पर इस प्रकार के आरोप लगाये जा रहे हैं कि वे बैंक आफ चाइना के साथ मिले हैं । ऐसी स्थिति क्या सरकार शीघ्र से शीघ्र प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखेगी ?

श्री मोरारजी देसाई : मै इस बारे में देखूंगा ओर प्रतिवेदन सभा पटल पर रखूंगा ।

श्री रंगा : क्या ये विदेशी बैंक भारत में अपनी पूंजी लाते हैं या केवल विशेषज्ञों की सेवाएं हमें देते हैं और भारतीय धन से ही लेन देन करते हैं ?

श्री मोरारजी देसाई : मुझे पता नहीं हैं कि इन विदेशी बैंकों के पास कितनी विदेशी पूंजी हैं और कितनी देशी। इसकी जानकारी माननीय सदस्य को बाद में दे दी जायगी। परन्तु इतना कह सकता हूं कि आजकल धीरे धीरे विदेशी बैंकों की अपेक्षा भारतीय बैंकों में अधिक धन जमा किया जा रहा है।

श्री बलराज मधोक : क्या यह सच है कि इन बैंकों की शर्तें बहुत उदार है और अधिकतर भारतीय उनमें धन जमा करते हैं और ये बैंक उन कम्पनियों को अधिक उधार देते हैं जो विदेशी सहयोग से चलती हैं ?

श्री मोरारजी देसाई : इसका उत्तर पहले ही दे चुका हूं। दूसरे ये बैंक भारतीय कम्पनियों को भी ऋण देते हैं और विदेशी सहयोग वाली कम्पनियों को भी।

श्री राममूर्ति : गृह-कार्य मंत्री ने दो वर्ष पूर्व कुछ साम्यवादियों पर यह आरोप लगाया था कि वे बैंक आफ चाइना से धन प्राप्त करते हैं। इस बैंक के बारे में पिछले पांच वर्षों से जांच की जा रही हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए क्या यह उचित समय नहीं है जब कि प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा जाये ?

श्री मोरारजी देसाई : मैं इसका उत्तर पहले ही दे चूका हूं।

श्री द्वा० ना० तिवारी : विदेशी बैंकों को जो लाभ होता है उसका कितना भाग विदेशों को जाता है ? इन बैंकों के उच्च प्रबन्धकर्ता विदेशी है या भारतीय ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : लाभ को विदेश भेजने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। दूसरे विदेशी बैंकों में भारतीय प्रबन्धक अधिकारियों की संख्या बढ़ती जा रही हैं।

श्री नाथ पाई : वित्तमंत्री ने यह बताया है कि बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। क्या यह सामाजिक नियंत्रण भारतीय बैंकों के साथ विदेशी बैंकों पर भी लागू होगा ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : अध्ययन के क्षेत्र में विदेशी बैंक भी आ जाते हैं।

श्री दी० चं० शर्मा : यह कहा जा रहा था कि एक राजनैतिक दल, कुछ सांस्कृतिक संस्थाओं, कुछ शिक्षा सस्थाओं का बैंक आफ चाइना से सम्बन्ध था। इस बात को ध्यान में रखते हुए सम्पूर्ण प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखना क्या देश हित में नहीं है, ताकि उस पर संसद में विचार किया जा सके ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : इसका उत्तर पहले दिया जा चुका है।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : विदेशी बैंक भारतीय हित को ध्यान में रखकर यहां व्यापार करते हैं या विदेशी हित को ध्यान में रखकर।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : पारस्परिक हितों को ध्यान में रखकर।

Shri Hukam Chand Kachwai : May I know whether the Government have enquired into the fact that these banks spend money in giving to those who involve in anti-national activities or proselytism ?

Shri K. C. Pant : The Reserve Bank supervises the affairs of these foreign banks and it sees that no such thing, as mentioned by hon. member, happens.

श्री म० ला० सौंधी : मंत्रियों के वक्तव्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि भारत सरकार एशियाई साझा बाजार के विचार पर ध्यान दे रही है। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या वित्त मंत्री महोदय भारत में एशियाई देशों के बैंकों की स्थापना को प्रोत्साहन देंगे ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : इन विदेशी बैंकों में कुछ ऐशियाई देशों के बैंक भी हैं, जैसे टोक्यो का बैंक आदि।

श्री म० ला० सोंधी : आप और क्या प्रोत्साहन देंगे ?

Shri O. P. Tyagi : May I know the reason why the Indian settlers in Africa deposit their money in the banks of England and not in the banks of India ; and whether the Government will make arrangement to save this foreign exchange, which flows into the British Banks ?

Shri K. C. Pant : There are branches of Indian banks in those areas of Africa where Indians live and they deposit their money in these banks too.

श्री नायनार : क्या सरकार विदेशी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर दिया जा चुका है।

श्री क० नारायण राव : बैंक एक उद्योग माना जाता है। विदेशी उद्योग स्थापित करने के लिये प्रायः यह शर्त रखी जाती है कि उद्योग में 51 प्रतिशत भाग भारतीय होंगे। क्या विदेशी बैंकों पर भी यह शर्त लागू होगी ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : विदेशी बैंक कहलाता वही है जिसमें अधिकांश भाग विदेशी होते है। जिस बैंक में भारतीयों के भागों की संख्या अधिक होती है, वह भारतीय बैंक कहलायेगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या आप अगला प्रश्न ले रहे हैं ? अभी 12 नहीं बजे हैं।

अध्यक्ष महोदय : अब अगले प्रश्न का समय नहीं है। मुझे सभा में लगी घड़ी तो दिखाई नहीं दे रही है परन्तु जो घड़ी मेरे पास रखी है उसमें बारह बज चुके हैं। अतः प्रश्नों का समय समाप्त हो गया है।

———

अल्प सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTION

नागार्जुन सागर बांध

+

अ०स०प्र० 29. श्री मधु लिमये :
श्री रवि राय :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री जे० एच० पटेल :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री क० नारायण राव :
श्री तेन्नेटि विश्वनाथम :
डा० सूर्य प्रकाश पुरी :
श्री राम गोपाल शालवाले :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री आत्म दास :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री शिव कुमार शास्त्री :
श्री से० ब० पाटिल :

क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश सरकार ने नागार्जुनसागर बांध में एक उमड़ मार्ग (स्पिलवे) तथा 26 रेडिअल फाटक बनाने का सुझाव दिया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि महाराष्ट्र सरकार ने इस सुझाव के विरोध में एक पत्र भेजा है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और बिजली मंत्री (डा० कु० ल० राव०) : (क) जी, हां

(ख) महाराष्ट्र सरकार ने इस मंत्रालय को एक पत्र लिखा है जिसमें इस प्रस्ताव का प्रतिरोध किया गया है ।

(ग) प्रस्ताव के विविध पक्षों पर विचार किया जा रहा है ।

Shri Madhu Limaye : There have been disputes with regard to distribution of water between the different States for a long time. So far as the question of distributing of the water of Krishna river, is concerned, Mysore and Maharashtra are also related to it. Question of Narmada valley has been raised. The question of Gujrat, Madhy pradesh and Maharashtra has also been raised in it- I want to know whether you will make some law under section 262 of the Constitution so that the provincialism and regionalism may be finished and the matter of distribution of water may be solved once for all ?

डा० कु० ल० राव : भारत में बहुत सी नदियां है, परन्तु उनके सम्बन्ध में बहुत कम झगड़े होते हैं । वास्तव में इस समय हमारे सामने नर्मदा, कृष्णा-गोदावरी नदी के इस प्रकार के दो मामले हैं ।

माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित धारा के अन्तर्गत भी हमने एक कानून पास किया है । जिसका नाम अन्तर्राज्य नदी विवाद अधिनियम है, परन्तु उसका प्रयोग कृष्णा-गोदावरी विवाद

के मामले में नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे विचार से यह वांछनीय होगा यदि यह विवाद दोनों पक्षों में विचार पारामर्श में हल हो जाये ।

अध्यक्ष महोदय : अभी परसों ही हमने सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय की मांगों पर विचार किया था । मैंने सब पार्टियों महाराष्ट्र और मैसूर की सब पार्टियों के तीन तीन सदस्यों को बोलने का अवसर दिया था ।

Shri Madhu Limaye : I am Speaking on behalf of the country, I am not speaking on behalf of any particular province. I have no connection with any province.

अध्यक्ष महोदय : मैं तो केवल सूचना दे रहा हूँ । मैं आपको प्रश्न पूछने से नहीं रोक रहा ।

Shri Madhu Limaye : There is a question of Krishna's and Narmada's water. Thousands and crores of rupees have been spent on it and it is expected that lakhs of acres of land would be irrigated through them, whether the Government are aware that we are already short of foodgrains and raw materials ?

डा० कु० ल० राव : जहां तक नर्मदा परियोजना का सम्बन्ध है, गुजरात और मध्यप्रदेश के मुख्य मंत्रियों के बीच इस मामले में मैत्रीपूर्ण वातावरण में बातचीत हो रही है । आशा है कुछ महीनों में उनमे समझौता हो जायेगा । हमें आशा है कि अगस्त में वे इस सम्बन्ध में कुछ कार्य करेंगे । अतः यह आशा की जाती है कि आने वाले दो या तीन महीनों में कोई समझौता हो जायेगा ।

श्री गा० शं० मिश्र : आपने इस सम्बन्ध में क्या अंशदान किया है ? केवल विलम्ब ही किया है ।

डा० कु० ल० राव : हमारा अंशदान यह है कि इस विवाद को हल करने के हमने कुछ सुझाव दिये हैं ।

श्री गा० शं० मिश्र : इसके लिये आपको कितने वर्षों की आवश्यकता है ।

डा० कु० ल० राव : मैं आपको विस्तृत जानकारी दूंगा । मैं तो केवल इतना ही कह सकता हूं दोनों देशों के मंत्रियों को सूत्र का सुझाव दिया गया हैं जिसके आधार पर उनमे विचार विर्मश किया जा सकता है । मुझे पता लगा है कि इस सम्बन्ध में अच्छी प्रगति हो रही है और जैसे ही हमें उनसे पता लगेगा कि उनमें समझौता हुआ है अथवा नहीं हुआ है तो, जैसा कि सदस्य महोदय ने सुझाव दिया हम अन्तर्राज्य नदी विवाद अधिनियम की सहायता लेंगे । जहां तक कृष्णा-गोदावरी का सम्बन्ध है, राज्यों में बहुत सी बड़ी योजनाओं को मंजूरी दी गई है । मैं यह स्वीकार करता हूं कि नर्मदा के मामले में परियोजना का कार्य आरम्भ न होने के कारण कुछ धीमी प्रगति हुई है परन्तु कृष्णा-गोदावरी के मामले में बहुत सी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है यदि माननीय वित्त मंत्री तथा उप प्रधान मंत्री धन दे भी तो भी इनको पूरा होने में अभी भी कम से कम दस वर्ष लगेंगे । मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि हमें प्रर्याप्त वित्तीय सहायता प्राप्त भी हो जाती है तो भी मंजूर किये गये कार्य इतने अधिक हैं कि उनको पूरा

होने में इतना समय लग जायेगा। मैं इस बात से सहमत हूं कि हमें इस विवाद को हल करने का प्रयास करना चाहिये ताकि देश में शान्ति का वातावरण उत्पन्न हो सके।

Shri Rabi Ray ; Infact this dispute regarding Krishna's water has been going on since 1951. In 1951 a Committee was appointed by the planning Commission. It could not be solved.

Afterwards, Gulati Commission was appointed in 1961. Maharashtra and Mysore stated did not accept the dicision taken by the Committee. The raised objections against the decision. I want to know whether the Govrnment would slove this dispute with the help of River Dispute Act so that the water may be utilised fully and the fartility may be increased ?

डा० कु० ल० राव : यह तथ्य नहीं है कि यह विवाद 1951 में आरम्भ हुआ 1951 में कोई विवाद नहीं था। यह विवाद राज्यों के भाषायी पुनर्गठन के बाद 1960 के अन्त में आरम्भ हुआ। इससे पहले मेरे पूर्वज श्री हाफिज मोहम्मद इब्राहीम ने इसे हल करने का ईमानदारी से प्रयत्न किया। इसके पश्चात गुलाटी आयोग की नियुक्ति की गई। सभा पटल पर मार्च 1963 में रखा गया विवरण इसी पर आधारित था। उसके पश्चात सम्बद्ध राज्यों ने फिर से असंतोष प्रकट किया। अतः इस सम्बन्ध में हम आगे कार्यवाही कर रहे हैं।

Shri George Fernandes : Firstly, I want to say that if a member of Lok Sabha goes to see Nagargun Sagar Dam and stays at the Government Guest House, he has to pay rupees twelve to fifteen per day. I want to say that this amount should not be charged from the members of Lok Sabha by the Andhra Pradesh State as it is not be fitting on the part of that State. It has clearly been mentioned in the Inter-State water Deposits Act :

"If it appears to the Government of any State that a water dispute with the Government of another State has arisen or is likely to arisen by reason of the fact that the interests of the State, or of any of the inhabitants there of, in the waters of an inter-State river of river valley have been or are likely to be, affected prejudicially....."

It can be demanded that a Tribunal be appointed under this Act. It has further been mentioned under Section 4 :-

"Constitution of Tribunal. when any request under Section 3 is received from any State Government in respect of any water dispute and the central Government is of opinion that the water dispute cannot be settled by negotations, the Central Government shall by notification in the official Gazette constitudte a water Dispute Tribunal for the adjudication of the water dispute."

Whether any State has co nplaint that it has any dispute with Andhra State with regard to this matter and whether it has also demanded that a Tribunal be constituted to settle that dispute ? I want to know whether the Central still hopes that the disputes between Mysore, Maharashtra and Andhra would be settlsd by mutual negotiations ? All these three methods have been adopted and when it has been proved that this matter could not be solved by negotiations whether Government would announce the immediate appointment of the Commission under the law. The law clearly says that the Government shall appoint the Commission. It does not give more right than this to the Government.

डा० कु० ल० राव० : जिसे माननीय सदस्य ने पढ़ा है उसमें भी यही कहा गया कि न्याधिकरण की नियुक्ति तभी की जा सकती है जब कि सरकार इस परिणाम पर पहुँच जाये कि विचार विमर्श से समझौता होने की की कोई सम्भावना नहीं है। मामले पर उच्च स्तर पर बातचीत चल रही है और आपसी बातचीत द्वारा समझौते पर पहूँचने का पूरा प्रयत्न किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : दूसरा प्रश्न नागार्जुन बांध और वहां पर सदस्यों के ठहरने के सम्बन्ध में है।

डा० कु० ल० राव : मैं माननीय सदस्य के वक्तव्य से सहमत हूं कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिये। मैं उनको लिखूंगा ताकि जब कि अगली बार सदस्य वहां जाये तो ऐसा न हो।

श्री मुत्याल राव : महाराष्ट्र में प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन के 40 रुपये देने पड़ते हैं।

श्री जे० एच० पटेल : पिछले पांच या छः वर्षों से इस विभाग का कार्यभार माननीय मंत्री के हाथ में रहा है। वह आन्ध्र को पानी सप्लाई करते थे महाराष्ट्र या मैसूर को नहीं। मैसूर राज्य की पिछड़ी हुई सिंचाई सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए क्या भारत सरकार मैसूर राज्य के दावे की ओर विशेष ध्यान देगी। अन्तर्राज्य जल विवाद अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्र न्याधिकरण की नियुक्ति करने का अधिकार है। डसने अभी तक ऐसा नहीं किया है। क्या केन्द्र सरकार कम से कम अब मैसूर राज्य की मांग पर विचार करेगी और मैसूरको और पानी देगी और नार्गाजुन बांध के दूसरे चरण का कार्य रोक देगी :

डा० कु० राव० : मैं माननीय सदस्य को यह बता देना चाहता हूं कि जब से मैंने कार्य भार सम्भाला है महाराष्ट्र परियोजनायों के लिये दिये जाने वाले पानी की मात्रा 161 टी० एम० सी० है; मैसूर को दिये जाने वाले पानी की मात्रा 130 टी० एम० सी० है और अन्ध्र को दी जाने वाले पानी की मात्रा 7 टी० एम० सी० है। यह 70 टी० एम० सी० नहीं है जैसा कि कुछ लोगों का अनुमान है। इन आंकड़ों से माननीय सदस्यों को यह विदित हो जायेगा कि क्या इन परियोजनाओं के सम्बन्ध में पक्षपात किया गया है।

श्री जे० एच० पटेल : 1951 में आंध्र को 800 टी० एम० सी०; महाराष्ट्र को 600 टी० एम० सी० और मैसूर को 400 टी० एम० सी० अलाट किया गया है। इस निर्धारण का क्या हुआ ?

डा० कु०ल० राव : यह मेरे पूर्वज इब्राहिम साहब ने किया था। यह उनके सामने रखे गये विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रख कर तदर्थ आधार पर किया गया था। जहां तक मैसूर का सम्बन्ध है, मैं यह कह सकता हूं कि 600 टी० एम० सी० के इस परियोजना के लिये 450 टी० एम० सी० की मंजूरी हो चुकी है। अभी भी 0.150 टी० एम० सी० की कमी है।

श्री क० नारायण राव :–नागार्जुन परियोजना के निर्माण को भारत सरकार ने कब मंजूरी दी थी। क्या इन चरणों पर पहले भी विचार किया गया था और क्या सम्पूर्ण निर्माण के लिये मंजूरी नहीं दी गई थी हालांकि आपने इसको प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण की संज्ञा दी है। क्या नागार्जुन सागर परियोजना के पूरे निर्माण पर विचार कर लिया गया था यदि हां, तो क्या आंध्र को दिये गये वचन के अनुसार महाराष्ट्र और मैसूर के सम्बन्ध में निर्माण किये गये दूसरे चरण के सम्बन्ध में की गई आपत्ति पर विचार किया जायेगा ?

डा० कु० ल०राव : माननीय इब्राहिम साहब ने यह कहा था कि नागार्जुन सागर परियोजना का द्वितीय चरण को दी गई शर्तों के अनुसार ही मंजूरी दी जायेगी।

अतः गोदावरी के मुड़ने के बाद, लैवल की जांच की जायेगी और उसी के आधार पर नागार्जुन सागर के दूसरे चरण को मंजूरी नहीं दी जायेगी, जब तक कि यह शर्त पूरी न हो जाये।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : क्या यह सच है कि नागार्जुन सागर बांध का प्रारूप 1954 में तैयार किया गया था और 1958 में इसे अन्तिम रूप दिया गया और इसको 1960 में मंजूरी प्राप्त हुई। यह सब पानी का स्तर 590 फिट बनाये रखने के लिये किया गया और आज भी वही स्तर बनाया जाना है और आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा बनाये गये प्रारूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

(ख) क्या यह सच नहीं है कि नागार्जुन सागर बांध के लिये 264 टी० एम० सी० पानी विशेष रूप से अलाट किया गया ताकि 22 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई की जा सके और यदि रेडिता दरवाजे नहीं लगाये जाते तो 22 लाख एकड़ की बजाये केवल 10 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई के लिये पानी प्राप्त हो सकता। अतः यह 'रेडियता गेट्स' बहुत आवश्यक हैं और यह परियोजना के प्रथम चरण का एक भाग है ?

डा० कु० ल० राव : प्रश्न के प्रथम तथा द्वितीय भाग का अन्तर हां में है। तीसरे भाग कि क्या ये दरवाजे 264 टी० एम० सी० पाने का प्रयोग करने के लिये आवश्यक है, विचाराधीन हैं।

Shri Prakash Vir Shastri : Whether it is not a fact that inspite of the five rivers Narmada, Krishna, Godavari, Tapti and Mahanadi flowing in Maharashtra, no large projects have been constructed in Maharashtra during the last three five year plans. Therefore it has always been the complaint of Maharashtra and Madhya Pradesh that in the matter of power and electricity these provinces have been very backward and it is why Maharashtra has sent this demand with regard to Nagarjun Sagar dam ?

I want to know the main demands of the Maharashtra Government and the reaction of the Central Government with regard to them and whether it is under consideration to give some projects to them.

डा० कु०ल० राव : जहां तक विद्युत का सम्बन्ध है महाराष्ट्र का पहला नम्बर आता है और मैसूर की भी इस सम्बन्ध में काफी अच्छी स्थिति है। साबरमती परियोजना के पूरे हो

जाने पर इनकी स्थिति और भी अच्छी हो जायेगी। जहां तक सिंचाई योजना का सम्बन्ध है तीसरी योजना के लिये महाराष्ट्र सरकार द्वारा दी गई सब परियोजनायें मंजूर हो गई है और महाराष्ट्र और मैसूर के लिये बहुत बड़ी संख्या में योजनाएं स्वीकार की गई हैं। अब केवल उन योजनाओं को यथाशीघ्र क्रियान्वित करना बाकी है इनके क्रियान्वित होने पर दोनों राज्यों की सिंचाई स्थिति बहुत अच्छी हो जायेगी।

Shri Yasawant Singh Kushwah : Hon. Minister has expressed the hope of settlement of dispute with regard to Narmada river between the Chief Ministers of Gujrat and Madhya Pradesh on the basis of discussion by August. I want to know if there could not be any settlement between them whether the hon. Minister would call a meeting of both the Chief Minister under his own Chairmanship during September or he would establish some Tribunal.

डा० कु० ल० राव : मैं पहले ही बता चुका हूं कि यदि मुख्य मंत्रीयों की रिपोंट में से यह पता लगा कि वे किसी समझौते पर नहीं पहुंचे हैं तो माननीय सदस्य द्वारा दिये गये सुझावों पर विचार किया जायेगा।

श्री नायपाई : मैं माननीय मंत्री की आशावादी भावना की प्रशंसा करता हूं। उस समय जो भी व्यक्ति उनके सम्पर्क में रहे हैं उन्हें ज्ञात होगा कि वह यह दिखावटी आश्वासन देते रहे हैं कि वे समझौते के निकट पहुंचने वाले हैं। अध्यक्ष महोदय आप इससे सहमत होंगे कि राज्य के बीच सीमा विवाद की तरह राज्यों के बीच पानी का विवाद भी भ्रष्टता का घाव है और हम इसकी अनुमति नहीं देंगे। मेरे विचार से इसे अनावश्यक रूप से काफी समय दिया गया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उन्हें समझौते के हल के लिये पहले ही काफी समय दिया जा चुका।

संकर्णता और कांग्रेस के कुछ नेताओं की स्थानीय राजनीति के परिणाम स्वरुप समझौते की प्रगति में बाधा आई हैं। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह इस विचार विर्मश की कोई समय सीमा नियत करेंगे ? मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या इस विचार की कोई समय सीमा है जिसके बाद संवैधानिक अनुमोदित अधिनियम लागू हो जायेगा ? या यह कार्यवाही जब तक चलती रहेगी तब तक उनकी संकीर्ण मांगे पूरी नहीं हो जाती।

डा० कु० ल० राव : मैं माननीय सदस्य के इस विचार से सहमत हूं कि हमें इस समस्या का यथा शीघ्र हल निकालना चाहिये। हम समय सीमा निर्धारिण करना चाहेंगे परन्तु मैं यह अभी नही कर पाऊंगा। मुझे इस विषय पर अपने वरिष्ठ सहयोगियों से विचार करना होगा और फिर मैं यह देखूंगा कि इस दिशा में क्या किया जा सकता है।

श्री हनुमन्तय्या : महाराष्ट्र के माननीय सदस्य ने जो कहा है और मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है उसको ध्यान में रखते हुए मुझे यह कहना है कि माननीय मंत्री तीस वर्ष से अधिक समय से नागरिक सेवा में हैं अतः उनसे यह आशा की जाती है कि वह इस सम्बन्ध में निष्पक्ष रवैया अपनायेंगे। अतः मैं यह जानना चाहता हूँ कि सम्बद्ध राज्यों अधिकारों के

समन्वय को ध्यान में रखते हुए क्या यह कि नागार्जुन परियोजना का स्तर निश्चित किया जा सके ।

डा० कु० ल० राव : दरवाजों से पानी के स्तर में वृद्धि नहीं होगी । दरवाजों के बिना भी पानी के स्तर में वृद्धि हो सकती है । यदि दरवाजा नहीं होता, तो पानी समुद्र में चला जायेगा । यदि दरवाजा होगा तो वह सारा पानी नहीं रोक सकेगा, उससे कुछ ही रोका जा सकेगा । जिस प्रश्न पर हम विचार कर रहे हैं वह यह है कि क्या नागार्जुन सागर के लिये निर्धारित 264 टी० एम० सी० के लिये दरवाजों की आवश्यकता होगी या नहीं । दरवाजों को लगाया जाये अथवा नहीं यह इसी पर आधारित है ।

श्री चेंगल राया नायडू : क्या मैं यह जान सकता हूँ कि महाराष्ट्र की पानी जमा करने कितनी क्षमता है, और क्या वह जमा करने की सीमा से अधिक हो गई है अथवा नहीं ? दूसरे, नागार्जुन सागर योजना के विषय में यह कहा जाता है कि वहां दरवाजों की व्यवस्था के लिये अभी तक मंजूरी नहीं दी गई है । क्या इन्जीनियर के नाते वह यह ठीक समझते हैं कि दरवाजों की व्यवस्था न करना उचित है और यदि दरवाजों की व्यवस्था नहीं की गई तो बाढ़ आने पर सारी परियोजना बह जायेगी ।

अध्यक्ष महोदय : मैं यह नहीं समझता कि यदि दरवाजों की व्यवस्था नहीं की गई तो सारी परियोजना बह जायेगी ।

डा० कु० ल० राव : यह परियोजना बाढ़ से बहेगी नहीं । महाराष्ट्र के लिये नियत 400 टी० एम० सी० में से अब तक 367 टी० एम० सी० की मंजूरी दी जा चुकी है । वह उसके बहुत निकट है ।

श्री ही० ना० मुकर्जी - खाद्य उत्पादन में शीघ्रातिशीघ्र वृद्धि करने और इसको उच्चतम प्राथमिकता देने के लिये नागार्जुन सागर बांध को अधिकतम सुविधाओं के देने की बात को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों को छोटे मोटे मामले उठा कर बाधा डालने की अनुमति क्यों दी जाती है और क्या कारण है कि माननीय मंत्री ने खाद्य उत्पादन को उच्चतम प्राथमिकता देने के लिये इस बांध को उच्चतम सीमा तक पहुंचाने के लिये समस्त प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने में तथा सुविधाएं देने के बारे में क्षमा याचना का रवैया अपनाया है ।

डा० कु० ल० राव : यह केवल खाद्य उत्पादन का ही प्रश्न नहीं हैं, हमें देश में शान्ति का वातावरण उत्पन्न करना है । हम उसकी ऊंचाई नहीं बढ़ रहे हैं । हमारे लिये यह बात जाननी बहुत आवश्यक है कि दरवाजे लगा कर हम पानी की ऊंचाई नहीं बढ़ा रहे हैं, परन्तु 264 टी० एम० सी० का सुविधा पूर्वक प्रयोग करने के लिये बहते पानी को जमा किया जा सकता है, यही हमारा विचार है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

जीवन बीमा निगम की वार्षिक बीमा पालिसी

*1116. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री उमानाथ :
श्री वि० कु० मोडक :
श्री चक्रपाणि :
श्री भगवान दास :

क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में जीवन बीमा निगम की तात्कालिक वार्षिकी बीमा पालिसियों का समर्पण किये जाने से विदेशी मुद्रा देश से बाहर जा रही है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जीवन बीमा निगम के कारोबार की लेखा परीक्षा करने और उसकी प्रशासन सम्बन्धी नीति एवं उसके प्रवर्तन पर नियंत्रण करने के लिये कोई स्वतन्त्र निकाय है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, नहीं। तात्कालिक वार्षिक बीमा पालिसी समर्पण योग्य होती ही नहीं।

(ख) सवाल ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) निगम के खातों की लेखा-परीक्षा केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति से निगम द्वारा नियुक्त किये गए चार्टर्ड लेखाकारों द्वारा की जाती है। लेखाकारों की रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में पेश की जाती है। निगम के कारोबार की वित्तीय स्थिति तथा निगम की देनदारियों के मूल्यांकन के बारे में बीमा विज्ञों की रिपोर्ट भी संसद के दोनों सदनों की मेजों पर रखी जाती है।

बीमा अधिनियम को जीवन बीमा निगम पर भी लागू कर देने से उस अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के कारण भारत का जीवन बीमा निगम भी बीमा नियंत्रक से सांविधिक नियन्त्रण में है।

तट दूर क्षेत्रों में ड्रिलिंग

*1117. **श्री कामेश्वर सिंह :**
श्री श्रीधरन :
श्री निहाल सिंह :
श्री शिवपूजन शास्त्री :
श्री जि० व० सिंह :
श्री रा० बरूआ :
श्री म० सुदर्शनम् :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पैट्रोल के लिये तट दूर क्षेत्रों में ड्रिलिंग कार्य में असफलता मिली है;

(ख) यदि हां, तो क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) इस परियोजना पर अब तक कितनी राशि खर्च की गई है; और

(घ) चालू वर्ष के लिए कितनी धन-राशि नियत की गई है ?

योजना, पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री अशोक मेहता) : (क) और (ख) शायद प्रश्न का तात्पर्य तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा अन्य साझेदारों के साथ खम्भात की खाड़ी में किये जा रहे व्ययघन कार्यों से है। यदि ऐसा है, तो तेल और प्राकृतिक गैस आयोग और दूसरी पार्टियों के बीच हुए साझेदारी करार की शर्तों के अनुसार पूछी जा रही सूचना इस समय नहीं बताई जा सकती।

(ग) लगभग 11 करोड़ रुपये।

(घ) 3.05 करोड़ रुपये।

राज-सहायता से औद्योगिक कार्यकर्त्ताओं के लिये मकान

***1118. श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री मधु लिमये :

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में जिन कर्मचारियों के पास राज-सहायता से बने हुए औद्योगिक मकान हैं उन्हें केवल इसलिए बेदखल किया जा रहा है कि उनकी मासिक आय अब 600 रुपये से अधिक हो गई है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है और क्या यह भी सच है कि कारखाना अधिनियम की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये मंजूरी-सीमा 350 रुपये से बढ़ा कर 500 रुपये करदी गई थी; और

(ग) इन बेदखलियों को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी, हां। सभी कर्मचारियों को जिन्हें सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत बने मकान आवंटित किये गये हैं, 500 रुपये प्रति माह की वेतन सीमा पार कर लेने पर मकान छोड़ने पड़ते हैं।

(ख) तीन। यह ठीक नहीं है कि फेक्ट्रीयएक्ट की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये वेतन-सीमा 350 रुपये से बढ़ा कर 500 रुपये कर दी है। यह इसलिये किया गया था कि वे कर्मचारी जो 350 रुपये प्रति माह की वेतन सीमा को पार कर जाते हैं, 500 रुपये प्रति माह की वेतन सीमा तक पहुँचने पर मकान को अपने पास बनाए रख सकें।

(ग) कोई कार्यवाही करने का प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि 500 रुपये प्रति माह की वेतन सीमा पार कर लेने के बाद वह कर्मचारी सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत मकान रखने का पात्र नहीं रहता।

विदेशों से प्राप्त ऋणों की अदायगी के कार्यक्रम में फेर बदल

***1119. श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री रा० बरूआ :

क्या **वित्त मन्त्री** 25 मई, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 74 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सहायता सार्थसमूह द्वारा उन देशों से प्राप्त ऋणों की अदायगी के कार्यक्रम में फेर बदल सम्बन्धी भारत की प्रार्थना पर विचार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

उप-प्रधान मन्त्री और वित्त मन्त्री (श्री मोरार जी देसाई) (क) और (ख) : सहायता देने वाले देश अभी इस विषय पर विचार कर रहे हैं। पर कनाडा ने यह घोषणा कर दी है भारत को 1958, के गेहूँ-ऋण के सम्बन्ध में, 1967-68 में 12 लाख अमरीकी डालर की जो रकम कनाडा को चुकानी है उसे उसने छोड़ दिया है। इसके अलावा, कनाडा ने, भारत द्वारा उसे चुकाये जाने वाले लगभग 7 लाख अमरीकी डालर के मूलधन की वापसी को 31 मार्च, 1968 तक स्थगित करना भी मान लिया है। ब्रिटेन ने, भारत द्वारा इस समय ब्रिटेन को देय 115 लाख पौण्ड के ऋण की वापसी से उसे छूट देना मन्जूर कर लिया है। सहायता संघ के दूसरे देशों का निश्चय अभी मालूम नहीं हुआ है।

अमरीकी शान्ति दल के कर्मचारी

***1120. श्री राममूर्ति :**
श्री अ० क० गोपालन :
श्री नम्बियार :
श्री चक्रपाणि :
श्री विश्व नाथ मेनन :
श्री अनिरुद्धन :
श्री वासुदेव नायर :

क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल राज्य सरकार की प्रार्थना पर केरल में से अमरीकी शान्ति दल को हटाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं. तो कब तक निर्णय किये जाने की सम्भावना है; और

(घ) क्या विभिन्न राज्यों में अमरीकी शान्ति दल के कर्मचारियों के कार्यों के बारे में नियम बनाने का सरकार का विचार है ?

उप-प्रधान मन्त्री और वित्त मन्त्री (श्री मोरार जी देसाई) (क) से (ग) : सभा को प्रश्न संख्या 239 के उत्तर में 1 जून, 1967 को यह सूचित किया गया था कि केरल सरकार ने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि वह राज्य में मुर्गी-पालन (पौल्ट्री) के विकास क्षेत्र में

काम करने वाले अमरीकी शान्ति दल के 28 स्वयंसेवकों को वापस बुलाने का प्रबन्ध करे, क्योंकि राज्य सरकार उनकी सेवाओं को अधिक उपयोगी नहीं समझती । इसके बाद केरल सरकार ने भारत सरकार को सूचित किया कि इन स्वयंसेवकों में से 13 स्वयंसेवक, जिनकी सेवा की अवधि 1967 में समाप्त हो जायगी, पूरी अवधि तक काम कर सकते हैं, और बाकी 15 स्वयंसेवकों को, जिनकी सेवा की अवधि जुलाई, 1968 में समाप्त होगी, राज्य में रखना आवश्यक नहीं है । उपर्युक्त 13 स्वयंसेवकों में से 12 स्वयंसेवक जो अपनी सामान्य सेवा की अवधी पूरी कर चुके हैं, केरल से जा चुके हैं और तेरहवां स्वयंसेवक सितम्बर, 1967 में वापस आ जायगा । भारत सरकार बाकी 15 स्वयंसेवकों को राज्य से वापस बुलाने का उपयुक्त प्रबन्ध कर रही है ।

केरल सरकार ने ग्राम लोक स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले शान्ति दल के 22 स्वयंसेवकों को भी वापस बुला लेने को कहा है । राज्य सरकार को सूचित कर दिया गया है कि ये स्वयंसेवक अपनी सेवा की सामान्य अवधि पूरी करने पर अगस्त, 1967 में राज्य से हर हालत में चले जायेंगे ।

केरल सरकार ने भारत सरकार से यह भी कहा है कि उद्योगों के क्षेत्र में काम करने वाले, शान्ति दल के 19 स्वयंसेवकों को उनकी सेवा की पूरी अवधि तक अर्थात जुलाई, 1968 तक कार्य करने की अनुमति दे दी जाय ।

(घ) भारत सरकार ने शान्ति दल के स्वयंसेवकों के भारत में काम करने के सम्बन्ध में, राज्य सरकारों के परामर्श से कुछ मार्ग-दर्शक सिद्धान्त निर्धारित किये हैं । विभिन्न राज्य सरकारों की आवश्यकताओं के आधार पर भारत सरकार द्वारा अनुरोध किये जाने पर, शान्ति दल के स्वयंसेवक भारत आते हैं । आम तौर पर ये लोग तकनीकी प्रायोजनाओं और कार्यक्रमों के अन्तर्गत, जिनके लिये राज्य सरकार को इनकी सेवाओं की आवश्यकता होती है, 2 वर्ष तक काम करते हैं । ये अपना रोजमर्रा का काम भारतीय अधिकारियों की प्रत्यक्ष देख रेख और मार्ग दर्शन में करते हैं और भारतीय अधिकारी समय-समय पर, प्रत्येक स्वयं सेवक से काम की रिपोर्ट भी भेजते हैं । इन स्वयंसेवकों को भारत में प्रवेश करने के लिए आवश्यक प्रवेश पत्र (वीजा) प्राप्त करना पड़ता है और भारत में प्रवेश करने पर विदेशी पंजीकरण अधिनियम (फारेनर्स रजिस्ट्रेशन ऐक्ट) के अन्तर्गत अपने आप को रजिस्टर भी कराना पड़ता है ।

साउथ ऐवेन्यू (नई दिल्ली) में सफाई की स्थिति

*1121. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें साउथ एवेन्यू (नई दिल्ली) में संसद सदस्यों के फ्लेटों में सफाई की वर्तमान स्थिति तथा अन्य हालातों की जानकारी है;

(ख) क्या उन्हें वहां पर दिये गये पुराने और बेआराम फर्नीचर की दशा की भी जानकारी है;

(ग) क्या उन्हें घास वाले मैदानों की स्थिति की भी जानकारी है, जिनमें कई स्थानों पर घास बिल्कुल नहीं है और वहां पर बच्चों के लिये कोई भी सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं;

(घ) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों का संसद् सदस्य के प्रति व्यवहार उपेक्षापूर्ण है; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी, हां। स्थिति खराब नहीं है, किन्तु उसके सुधार के बराबर प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(ख) फर्नीचर कुछ वर्षों पूर्व उस समय की प्रचलित डिजाइनों तथा मानकों के अनुसार बनाया गया था। निधियों की उपलब्धता के आधार पर पुराने फर्नीचर को बदलने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(ग) विशेष रूप से गर्मियों में बगैर साफ किये गए पानी की अत्यधिक कमी हो जाने के कारण घास के मैदानों तथा हौजों की स्थिति खराब हो जाती हैं। वर्षा के आरम्भ होते ही औधानिक कार्यों को तेज किया जा रहा है तथा घास के मैदानों एवं होजों की स्थिति सुधर ज येगी।

बच्चों के लिए कुछ सुविधाओं की व्यवस्था पहले की जा चुकी है। यदि इन्हें अपर्याप्त समझा जाता है तो रेजीडैन्टस् कमेटी इन्हें बढ़ाने के लिए संसद के दोनों भवनों की हाउस कमेटी से अनुरोध करे।

(घ) और (ङ) उपेक्षापूर्ण व्यवहार का यदि कोई विशेष मामला सरकार के नोटिस में लाया जाये तो सम्बन्धित व्यक्तियों के प्रति समुचित कार्यवाई की जायेगी। संसद सदस्यों की शिकायतों को शीघ्र निपटाने में सुधार के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

भारतीय मुद्रा प्रणाली

*1122. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय मुद्रा प्रणाली अभी तक कुछ हद तक अनिवार्यतः स्वर्ण रिजर्व पर आधारित है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) तीसरी योजना में यह स्वर्ण रिजर्व कितना था ओर चौथी योजना अवधि में वर्तमान मुद्रा स्फीति को ध्यान से रख कर ये कितना होगा ?

उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री (श्री मोरार जी देसाई) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में यह निर्धारित किया गया है कि रिजर्व बैंक के निर्गम विभाग (इश्यू डिपार्टमेन्ट) में कुल मिला कर कम से कम 200 करोड़ रुपये के मूल्य के सोने के सिक्के, सोना और विदेशी प्रतिभूतियां (सिक्योरिटीज) होनी चाहिए और इसमें से कम से कम 115 करोड़ रुपये के मूल्य के सोने के सिक्के और सोना होना चाहिए।

(ख) सोने की कुछ न्यूनतम राशि रखना आकस्मिक व्यय के लिए व्यवस्था करने की दृष्टि से बुद्धिमता का काम समझा जाता है।

(ग) पहली आयोजना के प्रारम्भ में रिजर्व बैंक के निर्गम विभाग में 40,02 करोड़ रुपये और दूसरी आयोजना के प्रारम्भ के तुरन्त बाद 117. 76 करोड़ रुपये के सोने के सिक्के और सोना था, यह वृद्धि सोने के मूल्यांकन की दर में वृद्धि होने के कारण हुई थी। तीसरी आयोजना के प्रारम्भ में निर्गम विभाग में इतनी ही रकम के सोने के सिक्के और सोना था और चौथी आयोजना के शुरू में 115.89 करोड़ रुपये था।

23 जून, 1957 को रिजर्व बैंक के निर्गम विभाग के पास 115.89 करोड़ रुपये के मूल्य के सोने के सिक्के और सोना था।

विकासोन्मुख देशों में गैर-सरकारी क्षेत्र का योगदान

***1123. श्री प० गोपालन :**
श्री चक्रपाणि :
श्रीमती सुशीला गोपालन :

क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र संघ आर्थिक तथा सामाजिक परिषद ने विकासोन्मुख देशों की विकास योजनाओं में गैर सरकारी क्षेत्र के अधिक योगदान की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो इसके बरे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना, पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

अंश पूंजी का जारी किया जाना

***1124. श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :**
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1965 की तुलना में वर्ष 1966 में पूंजी (बोनस शेयरों के अतिरिक्त) जारी करने के लिये सम्मति के मामलों में कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो कितनी; और

(ग) इसके क्या कारण हैं और इस प्रवृत्ति में परिवर्तन करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) :(क) से (ग) एक विवरण संलग्न हैं।

विवरण

पूंजी के हिस्सों का जारी किया जाना

यह बात सत्य है कि 1966 में 137.64 करोड़ रुपये की जिस रकम की पूंजी (बौनस को छोड़ कर) जारी करने के लिए मंजूरी दी गई थी वह 1965 की 161.57 करोड़ रुपये की इसी प्रकार की रकम के मुकाबले 23.93 करोड़ रुपये कम थी। पर यह कहा जा सकता है कि 1966 में हुई 23,93 करोड़ रुपये की कमी 1964 की तुलना में 1965 में हुई 59 करोड़ रुपये की कमी के मुकाबले कम है। पूंजी जारी करने की मंजूरी में होने वाली कमी पूंजी बाजार में 1963 के शुरू से चली आ रही सामान्य मन्दी का ही एक भाग है। यह मंदी 1962 से हुई कई ऐसी घटनाओं का परिणाम है जैसे चीनी आक्रमण, 1965 का भारत-पाक संघर्ष, इसके बाद कुछ श्रोतों से विदेशी सहायता का मिलना रुक जाना, देश की रक्षा-व्यवस्था को सुदृढ़ बढ़ाने के लिए साधनों का जुटाया जाना, प्रतिकूल मौसम और सम्बद्ध कारणों से आर्थिक विकास काफी न होना, और ब्याज की दरों का आम-तौर से बढ़ जाना और परिणामतः अन्य पूंजी-निवेशों से होने वाली प्राप्तियों में वृद्धि हो जाना।

2. राजस्व के क्षेत्र में, 1966-67 के बजट में किये गये उपायों के अलाबा सरकार ने निवेश कि ह्रासोन्मुख प्रवृत्ति को पलटने के लिए 1966-67 के बजट में कुछ और प्रस्ताव भी किये हैं। ये उपाय इस प्रकार हैं : (1) अनर्जित आय पर अधिभार (सरवार्ज) लगाने के लिए छूट की सीमा को 15,000 रुपये से वढ़ा कर 30,000 रुपये करना; (2) भारतीय कम्पनियों से प्राप्त 500 रुपये तक की लाभांश आय को आयकर से मुक्त करना; (3) वार्षिकी जमा-योजना के सम्बन्ध में कुछ छोटे मोटे परिवर्तन करना जिनसे वार्षिकी की रकम जमा करने के सम्बन्ध में जो छूट, अब तक 70 वर्षों से अधिक अवस्था के व्यक्तियों को दी जाती थी वह 60 वर्ष से अधिक अवस्था वाले सभी कराताओं को भी दी जा सकेगी।

3. सरकार ने औद्योगिक लाइसेंस देने तथा आयात और पूंजी निर्गम के नियन्त्रण के के सम्बन्ध में 1966 में कुछ रियायतों की घोषणा की थी।

4. सरकार निवेश की ह्रासोन्मुख प्रवृत्ति को रोकने के लिए स्थिति पर बराबर नजर रख रही है। आशा है कि जैसे ही कृषि और उद्योग दोनों क्षेत्रों में उत्पादन फिर से पहले जैसा होने लगेगा, बचत और निवेश की स्थिति, दोनों में सुधार हो जायगा।

ठेकेदारों से आय कर शोधन पत्रों की मांग

***1125. श्री प० ला० बारूपाल** : क्या **निर्माण आवास तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के स्थायी आदेशों के अन्तर्गत सभी सरकारी तथा अर्ध-सरकारी विभागों के लिये, जैसे केन्द्रीय क्रय संगठन (पूर्ति तथा निपटान महा निदेशालय) रेलवे केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग तथा अन्य विभाग किसी ठेकेदार को माल सप्लाई करने का कोई आर्डर देने से पहले आयकर शोधन पत्र मांगना आवश्यक है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस आशय की कोई जानकारी पब्लिक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ हैं कि पूर्ति तथा निपटान महा निदेशालय ने सरकार के इन स्थायी आदेशों का उल्लंघन करते हुए कई बड़ी फर्मों को पिछले 2:3 वर्षों में कई करोड़ रुपये के तम्बू सप्लाई करने के आर्डर दिये हैं; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी, हां।

(ख) कौर (ग) ऐसा अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था, परन्तु जांच से पता चला है कि ये आरोप निराधार थे।

तट दूर क्षेत्र में तेल की खोज

***1126. श्री देवकीनंदन पाटोदिया :**
श्री रा० बरूआ :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खम्भात की खाड़ी में तट दूर क्षेत्र में तेल की खोज के लिये एसलैंड के साथ चल रही बातचीत टूट जाने के कारण चौथी योजना के तेल कार्यक्रम पर बुरा प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि पिछले चार वर्षों से तेल की खोज का कार्यक्रम वस्तुत; का हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति का सामना करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ताकि चालू वर्ष में निर्धारित कार्यक्रम को क्रियान्वित किया जा सके ?

योजना, पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री अशोक मेहता) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता :

नदियों के बांधों से पानी

***1127. श्री बाबू राव पटेल** : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न नदियों के बांधों का पानी किसानों को सिंचाई के लिये बहुत मंहगा पड़ता है और वे इनका उपयोग नहीं करते हैं;

(ख) देश में विभिन्न बाधों का कितना जल अप्रयुक्त रहता है तथा इससे कितने क्षेत्र में सिंचाई हो सकती थी; और

(ग) समूचे उपलब्ध पानी का प्रयोग करने के लिये किसानों को सहमत कराने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है, ताकि नदियों के बांधों का पूर्ण उपयोग किया जा सके ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा कु० ल० राव) : (क) जी, नहीं ।

(ख) किसी भी बांध में पानी अप्रयुक्त नहीं रहता है ।

(ग) जल के शीघ्र प्रयोग के लिये किसानों को प्रोत्साहित करने के लिये पहले एक या दो वर्षों में उनसे कोई पैसा नहीं लिया जाता और बाद के वर्षों के लिये उत्तरोत्तर दरें निर्धारित की जाती हैं ।

स्वेज नहर बन्द होने का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

*1128. **श्री हेम बरूआ** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नहर स्वेज के बन्द होने के फलस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था तथा विदेशी व्यापार पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में कोई अनुमान लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

उप-प्रधान मन्त्री और वित्त मन्त्री (श्री मोरार जी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) स्वेज नहर के बन्द हो जाने से जहाजों द्वारा बाहर से आने वाली वस्तुओं के भारत पहुंचने में कुछ अधिक समय लग जाता है और भाड़े की दरें भी बढ़ गयी हैं । मार्ग लम्बा हो जाने के कारण जहाजों में उपलब्ध सामान की आम तौर पर कमी हो गयी है । इन बातों का प्रभाव, अन्न के साथ-साथ, आयात की जाने वाली ऐसी वस्तुओं पर पड़ता है जो सामान्यत: इस मार्ग से लायी जाती हैं ।

गांवों में मकानों की समस्या

1129. **श्री क० लक्कप्पा :**
श्री हुचे गौडा :

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ग्राम्य आवास समस्या को हल करने के लिये इस समय क्या क्या योजनाएं बनाई गई हैं ;

(ख) क्या इन योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न राज्यों को कोई प्रस्ताव भेजा है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

निर्माण, आवास, तथा पूर्ति मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) से (ग) वांछित सूचना का विवरण संलग्न है ।

विवरण

ग्रामीण आवास

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के आरम्भ होने पर यह अनुमान लगाया गया है कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 627 लाख मकानों की कमी थी जिसमें 527 लाख कच्चे मकान शामिल हैं । अतएव यह समस्या केवल सरकारी स्तर पर सुलझाने के लिए बहुत व्यापक हैं । फिर भी, ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की स्थिति को सुधारने के लिए, इस मन्त्रालय ने 1957 में 'ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम' बनायी जो कि विभिन्न राज्य सरकारों के द्वारा क्रियान्वित की जा रही है । इस योजना में अन्य बातों के साथ साथ निम्नांकितों के लिए व्यवस्था है:-

(क) नये मकानों के निर्माण अथवा वर्तमान मकानों के सुधार के लिए, लागत का 80 प्रतिशत तक अधिकतम प्रति मकान 3,000 रुपये तक ग्रामीणों को ऋण

(ख) (i) भूमिहीन खेतीहर कर्मचारियों के लिए मकान के स्थानों, तथा

(ii) चुने हुए ग्रामों में सड़कों तथा नालियों की व्यवस्था के लिए राज्य सरकारों को 100 प्रतिशत अनुदान ।

(ग) स्टेट रूरल हाउसिंग सेल्स, जिसके कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों के मूल्य का 50 प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान से पूरा किया जाता है, के माध्यम से ग्रामीणों तथा स्थानीय अधिकारियों को तकनीकी सहायता एवं संमदर्शन, जिसमें ले आउट प्लानों, डिज़ाइनों, विशिष्टियों आदि की व्यवस्था शामिल है ।

यह एक अनवरत योजना है । फिलहाल, इस योजना में सारे देश में फैले हुए लगभग 5,000 ग्रामों का प्रगतिशीलात्मक विकास करने की संभावना है । आर्थिक तथा अन्य सीमाओं के कारण यह सम्भव नहीं हो सका कि इस योजना का अधिक विस्तार किया जाये ।

Flood Control

***1131. Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Raghuvir Singh Shastri :
ShriY. S. Kushwah
Shri Atam Das :
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that reports regarding floods and damage caused thereby have started pauring in from various parts of the country ;

(b) if so, whether in view of the past experiences and damage caused by floods, Government have taken any precautionary measures this year ;

(c) if so, the details thereof and the expenditure incurred thereon ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : Reports of floods have so far been received from Assam, Bihar, Madhya Pradesh and West Bengal. Some breaches in embankments in Assam have been reported, but it is too early to know the extent of damage caused,

(b) to (d) The State Governments of Assam, Bihar and U. P., which experienced severe floods during 1966, have taken measures to raise and strengthen the embankments, to construct river training works and town protection works in the areas affected. The important works executed are:--

(i) Raising and strengthening of embakments on the Brahmaputra, Barak and their tributaries in Assam.

(ii) Raising and strengthening of Kamla Balan embankments upstream of the Jhanjharpur railway bridge in Bihar and improvement of flow conditions through the railway bridge,

(iii) Protection works to Muzaffarpur town in Bihar

(iv) Construction of spurs for the protection of Chitauni bund on the right bank of the Great Gandak river in Uttar Pradesh.

The anticipated expenditure during 1966-67 on the above works, as well as other flood control works in hand in the States, is about Rs. 12 crores.

बिहार में नान-जुडिशल स्टाम्पों की कमी

1132. श्री भोगेन्द्र झा :
श्री चन्द्र शेखर सिंह :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में कम मूल्य के नान-जुडिशल स्टाम्पों की अत्यधिक कमी है ;

(ख) क्या बोर्ड आफ रेवन्यू, बिहार तथा अनेक जिला अधिकारियों अर्थात् दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सहरसा, मुघेर आदि के जिला अधिकारियों द्वारा बार बार की गयी प्रार्थनाओं तथा याद दिलाये जाने पर भी स्टाम्प नियंत्रक, नासिक रोड ने इस बात की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है तथा इस कमी के क्या कारण हैं ?

उप प्रधान मन्त्री और वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) :(क) सरकार को हाल ही में बिहार की राज्य सरकार से उस राज्य के राजकोषों में गैर-अदालती (नान-जुडीशल) स्टाम्पों की भारी कमी की सूचना मिली है ।

(ख) जी नहीं । स्टाम्प-नियंत्रक (कंट्रोलर आफ स्टाम्प), प्रेस की क्षमता के अनुसार और अन्य राज्यों की आवश्यकताओं को देखते हुए, स्टाम्प सप्लाई करने के अनुरोधों को भर सक पूरा कर रहे हैं ।

(ग) बिहार राज्य द्वारा जून, 1967 में की गयी आपातिक (इमर्जेण्ट) मांग को पूरा करने के लिए इंडिया सिक्योरिटी प्रेस में बिहार राज्य के लिए कम और अधिक मूल्यों वाले गैर-अदालती स्टाम्प छापने का काम प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। इसके अलावा, राज्य सरकार के सामने यह सुझाव भी रखा गया है कि स्टाम्पों के अखिल भारतीय डिजाइन पर 'बिहार' शब्द का छापा जाना जो बिहार राज्य की सप्लाई किये जाने वाले स्टाम्पों पर अभी छापा जाता है, उस पर कर दिया जाय, ताकि एक राज्य को सप्लाई किये जाने वाले स्टाम्प दूसरे राज्य को दिये जा सकें। यह सुझाव भी दिया गया है कि गैर-अदालती स्टाम्पों की जगह चिपकाये जाने वाले विशेष स्टाम्प इस्तेमाल किये जाये। चालू वर्ष में इस राज्य में गैर-अदालती स्टाम्पों की आवश्यकता में असाधारण वृद्धि होने का कारण, राज्य के कई हिस्सों में तंगी की स्थिति का होना है। 1965 में विदेशी मुद्रा की कमी के कारण विदेशों से आने वाले कागज मिलने में कठिनाई होने से, राज्यों को गैर-अदालती स्टाम्प सप्लाई करने की स्थिति कठिन हो जाने के कारण, बिहार राज्य की इस बढ़ी हुई मांग को पूरा करना और भी मुश्किल हो गया हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम के सहयोग से उर्वरक कारखाना

*1133. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :**
श्री मरंडी :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री मधु लिमये :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री श्रद्धाकर सूपकार :
श्री सरजू पाण्डेय :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम भारत में 8 करोड़ 25 लाख की लागत क्षमता का एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने के लिए सहमत हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो यह कारखाना कहां स्थापित किया जायेगा तथा इस परियोजना में कौन कौन भारतीय तथा विदेशी उपक्रमी सहयोग दे रहे हैं ;

(ग) उनके कितने कितने अंश हैं तथा उनके द्वारा उपकरणों की सप्लाई, भूमि की व्यवस्था तथा भूमि के सुधार और इंजीनियरिंग तथा तकनीकी सेवाओं की व्यवस्था किये जाने के एवज में उनके कितने अंश रखे जायेंगे ; और

(घ) इस परियोजना की अन्य मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना, पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री अशोक मेहता) : (क) से (घ) एक विवरण पत्र संलग्न है।

विवरण

मैसर्स इण्डियन एक्सप्लोसिवज लि० को जिसमें इस समय सरकार का 17.5 प्रतिशत साम्य शेयर है, प्रतिवर्ष 450,000 मीटर टन यूरिया के उत्पादन के लिए कानपुर में एक

उर्वरक कारखाने की स्थापना के लिए एकलाइपैंस मंजूर किया गया है। उक्त दल ने 26 जून, 1967 को इण्टरनेशनल फाइनेन्स कारपोरेशन के साथ एक निवेश करार किया। इस करार के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय निगम 10 रुपये प्रति शेयर के बराबर मूल्य वाले 2,150,000 साम्य शेयरों को खरीदेगा और कम्पनी को 6.45 करोड़ रुपये का ऋण देगा। यह धनराशि अमरीकी डालर के रूप में अदा की जायेगी और उक्त रकम उर्वरक प्लांट के निर्माण के लिये इस्तेमाल की जायगी।

आई० एफ० सी० और आई० सी० आई० (इण्डिया) प्राइवेट लि० तथा इंडियन एक्सप्लोस्विज लि० के बीच 26 जून, 1967 को एक प्रोजेक्ट फण्ड्स एग्रीमैंट हुआ ; जिसके अनुसार उक्त परियोजना को यथा समय पूरा करने के लिए यदि अधिक समय भी लगाना पड़ा तो आई० सी० आई (इण्डिया) प्राइवेट लि० अपेक्षित अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था करेगा।

परियोजना की लागत का वित्तीय प्रबन्ध निम्न प्रकार होगा :—

		रुपये 00०		
(क)	साम्य शेयर	विदेशी	स्थानीय	कुल
1.	आई० सी० आई० लन्दन द्वारा	76,000	—	76,000
2.	भारत के राष्ट्रपति द्वारा	—	19,000	19,000
3.	भारत की जनता द्वारा	—	50,300	50,300
4.	इस करार के अन्तर्गत आई० एफ० सी द्वारा भी पूरा करना।	21,500	—	21,500
		97,500	69,300	166,800
(ख)	दीर्घकालीन ऋण			
1.	इण्डियन लोन कान्सारटिम द्वारा	—	190,000	190,000
2.	सप्लायरज कैडिट द्वारा	79,800	—	79,800
3.	इस करार के अन्तर्गत आई० एफ० सी० द्वारा भी पूरा करना	64,500	—	64,500
		144,300	190,000	334,300
(ग)	ओवर ड्राफट सुविधाएं	—	30,000	30,000
(घ)	इण्टरनल कैश जैनरेशन	—	87,500	87,500
	कुल वित्त :	241,800	376,800	618,600

यह अनुमान है कि प्लांट का निर्माण कार्य दिसम्बर, 1969 के अन्त तक पूरा हो जायेगा।

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम

*1134. **श्री भारत सिंह चौहान** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक भारतीय अर्थशास्त्री श्री जेम्स एस० राज को अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम का उप प्रधान नियुक्त किया गया है ;

(ख) क्या यह निगम अल्प-विकसित देशों में गैर-सरकारी क्षेत्र के विकास के लिये सहायता देता है ;

(ग) यदि हां, तो हमारे देश में गैर-सरकारी क्षेत्र के विकास के लिए इस निगम से किस प्रकार की सहायता मिली है ;

(घ) क्या अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के अर्थशास्त्री श्री जेम्स एम० राज की योग्यता का लाभ उठाने के लिये सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई है ;

(ङ) यदि नहीं, तो क्या कोई योजना विचाराधीन है ;

(च) अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम के, जो अल्प विकसित देशों के गैर-सरकारी क्षेत्र के विकास के लिए सहायता देता है, उप प्रधान के रुप में श्री जेम्स एम० राज से सरकार किस विशेष सहयोग की आशा करती है ; और

(छ) क्या भारत में गैर-सरकारी क्षेत्र के विकास कार्य में उनका सहयोग प्राप्त करने के लिए सरकार का विचार उन्हें निमंत्रित करने का है ?

उप-प्रधान मन्त्री और वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) श्री जेम्स एस० राज को अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम का कार्यकारी उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) भारत में कई गैर सरकारी फर्मों ने अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम के सीधे ऋण के रूप में और सामान्य हिस्सा पूंजी में उनके सहयोग के रूप में कुल 2 करोड़ 61 हजार डालर की आर्थिक सहायता प्राप्त की है ।

(घ) से (छ) अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम के वर्तमान कार्यकारी उपाध्यक्ष के रूप में श्री राज से यही आशा की जाती है कि वे अपनी जिम्मेदारियां उसी खूबी से निभायेंगे जो इस संस्था के अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप के अनुरूप हो । निगम और उसके कार्यकारी उपाध्यक्ष के साथ हमारा सम्बन्ध निगम के एक सदस्य की स्थिति के अनुसार ही होगा ।

उड़ीसा में नई सिंचाई परियोजनायें

*1135. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने जब वह भुवनेश्वर के दौरे पर गये थे, उन नई सिंचाई परियोजनाओं के बारे में उड़ीसा सरकार से बातचीत की थी, जिनको चालू वर्ष में शीघ्र उत्पादन के लिए आरम्भ करने का प्रस्ताव था ;

(ख) क्या एक नई सिंचाई योजना जो वर्तमान डेल्टा-सिंचाई योजना का विस्तार होगी बनाने की सम्भावना की भी जांच की गई थी जिसके द्वारा बाढ़ से प्रभावित महानदी छित्रोतपाल-बजुना दोआब क्षेत्र की लगभग 70,000 एकड़ भूमि में सिंचाई हो सकेगी ; और

(ग) क्या यह परियोजना इस वर्ष आरम्भ की जायेगी और क्या केन्द्रीय सरकार इस परियोजना के लिए वित्त की व्यवस्था कर रही है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव०) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) एक परियोजना प्रतिवेदन और अनुमान तैयार करने के लिये राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है।

आन्ध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में पेय जल का अभाव

***1137. श्री पें० वेंकटासुब्बया :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के करनूल जिले के अलूर तालुके के लगभग 40 गांवों में पेय जल का अत्याधिक अभाव है ;

(ख) क्या राज्य सरकार ने केन्द्रीय सहायता से इन गांवों में पेय जल की व्यवस्था करने की कोई योजना तैयार की है तथा भारत सरकार को भेजी है ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस योजना को मंजूर कराने में अत्यधिक विलम्ब हुआ है ; और

(घ) क्या इस योजना को शीघ्र क्रियान्वित करने के लिए प्रधान मन्त्री तथा सरकार को कोई अभ्यावेदन भेजे गये हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री (डा० चन्द्र शेखर) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं।

(घ) जी हां। तथापि इस योजना की, जिसे भारत सरकार पहले ही मंजूर कर चुकी है, क्रियान्विति की जिम्मेदारी राज्य सरकार की ही है।

द्वितीय श्रेणी के आयकर अधिकारियों के लिये परीक्षा

***1138. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :**
श्री रा० कृ० सिंह :
श्री गणेश :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिसम्बर, 1966 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयकर अधिकारियों के लिये आयोजित परीक्षा का पीक्षाफल अब तक घोषित नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इतना अधिक विलम्ब होने के क्या कारण हैं ; और

(ग) परीक्षाफल कब तक घोषित हो जाने की संभावना है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) (क) जी, हां ।

(ख) आयकर विभाग के एक उच्च श्रेणी लिपिक ने आयकर अफसर, श्रेणी II, के ग्रेड में सीधी एतदर्थ भर्ती के विरुद्ध कलकत्ता उच्च न्यायालय में दिसम्बर 1966 में एक रिट दरख्वास्त दायर की है । उच्च न्यायालय द्वारा अगला आदेश नहीं दिये जाने तक आयकर अफसर श्रेणी II के पद पर भर्ती के लिये संघ लोक सेवा आयोग के परिणाम प्रकाशित करने पर रोक लगाते हुए एक अन्तरिम आदेश जारी किया गया है । उच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई निषेधाज्ञा को दृष्टि में रखते हुए परीक्षा के परिणाम, आयोग के पास लगभग तैयार होते हुए भी, प्रकाशित नहीं किये जा सकते ।

(ग) यह कहना कठिन है कि परिणाम कब घोषित किये जायेंगे क्योंकि यह उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश वापस लेने पर निर्भर करता है और इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जा चुकी है ।

ऐडवांस इंश्योरेंस कम्पनी

***1139. श्री मधु लिमये :**
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :

क्या वित्त मन्त्री 1 दिसम्बर, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 610 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीमा नियंत्रक ने बीमा अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत ऐडवान्स इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड के कामकाज की जांच इस बीच पूरी कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो बीमा नियंत्रक की क्या उपपत्तियां हैं ; और

(ग) इस बीमा कम्पनी के विरुद्ध सरकार का यदि कोई कानूनी कार्यवाही करने का विचार है, तो क्या ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) (क) जी, नहीं ।

(ख) सवाल ही नहीं उठता ।

(ग) जांच-पड़ताल की रिपोर्ट उपलब्ध होने पर ही कम्पनी के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही करने का प्रश्न उठेगा ।

भारत का यूनिट ट्रस्ट

*1140. श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री वि० कु० मोदक :
श्री उमानाथ :
श्री भगवान दास :
श्री प० गोपालन :
श्री चक्रपाणि :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्य देशों की तुलना में भ रत का यूनिट ट्रस्ट किस प्रकार काम कर रहा है ;

(ख) क्या निकट भविष्य में यूनिट होल्डरों को अधिक अर्थ लाभ दिये जाने की कोई सम्भावना है ;

(ग) क्या जीवन बीमा निगम के विक्रय संगठन के जरिये यूनिट बेचने के लिये जीवन बीमा निगम से बातचीत की जा रही है अथवा बातचीत करने का विचार किया जा रहा है ;

(घ) क्या जीवन बीमा निगम ने कोई यूनिट खरीदे हैं (यूनिट ट्रस्ट से) ;

(ङ) यदि हां तो उनका ब्यौरा क्या है ; और

(च) क्या यूनिटों के आधार पर इक्विटी पालिसी देना आरम्भ करने के लिये जीवन बीमा निगम के समक्ष प्रस्ताव रखने का कोई प्रस्ताव यूनिट ट्रस्ट के अधिकारियों के विचाराधीन है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) भारतीय यूनिट ट्रस्ट का निर्माण, मोटे तौर पर, ब्रिटेन में काम करने वाले इसी प्रकार के ट्रस्टों के अनुरूप किया गया है. लेकिन काम के पैमाने के सम्बन्ध में इस की तुलना उन्नत देशों में काम कर रहे ट्रस्टों से नहीं की जा सकती ।

(ख) और (च) बचत और बीमा सम्बन्धी एक योजना को क्रियान्वित करने के एक प्रस्ताव पर, जीवन बीमा निगम के साथ परामर्श करते हुए, विचार किया जा रहा है ।

(ग) और (घ) जी नहीं ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

गुजरात में अल्प आय वर्ग गृह-निर्माण योजना

5459. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी योजना में अल्प आय वर्ग गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत गुजरात के लिये कितनी राशि नियत की गई है और उसमें से कितनी राशि खर्च की जा चुकी है ;

(ख) कहां कहां तथा कितने मकान बनाये गये हैं ; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए 1966-67 और 1967-68 में कितनी राशि नियत की गई है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) नियत की गयी राशि 285.00 लाख रुपये थी तथा 113.70 लाख रुपये की राशि खर्च की गयी।

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात सरकार ने 786 मकान बनाये। उनके स्थान की सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) 1966-67 के लिए नियत की गयी राशि 7.00 लाख रुपये थी। 1967-68 में 11.00 लाख रुपये की राशि का नियतन का प्रस्ताव है।

1966-67 में गुजरात को वित्तीय सहायता

5460. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात राज्य को 1966-67 में दी जाने वाली सहायता में कमी कर दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो वह राशि देने के लिए, जिसका वचन दिया गया है, सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) गुजरात राज्य सरकार को उसकी 1966-67 की वार्षिक योजना के लिए मूलतः जितनी केन्द्रीय सहायता का वचन दिया गया था उससे लगभग 2 करोड़ रुपये कम की केन्द्रीय सहायता दी गई है, जिसका मुख्य कारण यह है कि राज्य के कृषि-कार्यक्रमों पर कम व्यय होने का अनुमान है।

(ख) अब तक की गयी अदायगियां अनन्तिम किस्म की हैं। वास्तविक व्यय के आंकड़े प्राप्त होने के तथा व्यय की मंजूर शुदा रकमों को कृषि कार्यक्रमों से हटा कर योजना के दूसरे क्षेत्रों में लगाने के लिए पर्याप्त औचित्य बताये जाने के बाद, जिसके लिए भारत सरकार राज्य सरकार के साथ लिखा पढ़ी कर रही है यह निर्णय किया जायगा कि राज्य सरकार को कितनी केन्द्रीय सहायता और दी जानी चाहिये।

गुजरात में लूप तथा नसबन्दी की सफलता

5461. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गुजरात के कुछ जिलों में लूप तथा नसबन्दी की सफलता के समाचार मिले हैं ; और

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम के संचालन का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री (डा० श्री० चन्द्र शेखर) : (क) जी हां।

(ख) 1966-67 के दौरान गुजरात राज्य के जिलों में लूप तथा नसबन्दी कार्यक्रम को सचालन का विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1023/67**]

गुजरात राज्य की बड़ी सिंचाई परियोजनाओं की योजना

5462. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के सम्बन्ध में गुजरात की राज्य योजना का ब्यौरा प्राप्त हो चुका है ;

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं के नाम तथा उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) वर्ष 1967-68 में बड़े तथा मझले सिंचाई कार्यों के लिये गुजरात को कितना धन (योजनावार) नियत किया गया ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न हैं । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1024/67**]

(ग) 1967-68 की वार्षिक योजना अभी अन्तिम रूप से तैयार नहीं हुई है ।

गुजरात के लिये तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण

5463. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के लिये कोई तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार ऐसा सर्वेक्षण करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो कब ?

योजना, पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री अशोक मेहता) : (क) व्यावहारिक आर्थिक अनुसन्धान की राष्ट्रीय परिषद द्वारा गुजरात के लिये औद्योगिकीय आर्थिक सर्वेक्षण किया गया था ।

(ख) इस सम्बन्ध में प्रकाशित प्रतिवेदन की ओर ध्यान आकर्षित कराया जाता है जो कि एक प्रकाशित दस्तावेज के रूप में उपलब्ध है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Establishment of Industries in Madhya Pradesh

5464. Shri J. Sundar Lal: Will the Minister of Planning be pleased to state :

(a) the amount of money provided by the Central Goverment during 1966-67 to the Madhya Pradesh Government for the establishment of industries; and

(b) the amount spent by the State Government during the above period ?

The Minister of Planning, Petroleum and Chimecals and Social Welfare (Shri Asoka Mehta): (a) Against an approved outlay of Rs. 188 lakhs under the State Annual Plan 1966-67 for Industries (Large, Medium and Small), Central assistance of about Rs. 57 lakhs was allocated for Village & Small Industries, The entire amount of Rs. 106 lakhs for Large & Medium Industries has been approved against the loan allotment of Rs. 16.69 crores made by the Centre for Miscellaneous Development Schemes. Besides, Rs. 20 lakhs was allocated for Centrally Sponsored Schemes.

(b) The information is being collected and will be placed on the Table of the House as soon as available.

"Excise Duty Levied on Fine and Superfine and Coarse Cloth"

5465. Shri K. M. Madhukar :
Shri Ramavtar Shastri :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that because of the irregularities in the taxation department of the Central Government, lesser excise duty is levied on fine and superfine cloth and proportionately more excise duty is levied on coarse cloth;

(b) whether this policy of the Central Government has and adverse effect on the general public and similar industries; and

(c) if so, the action Government propose to take to remove this irregularity ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

Assistance to Goldsmiths

5466. Shri Nihal Singh :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the State-wise amount of assistance given to the goldsmiths in various States after the introduction of the Gold Control Order and the Gold Control (4th Amendment) Order since the 2nd September, 1966;

(b) the number of students related to goldsmiths who were given scholarships and the number of those who were given employment;

(c) whether Government have received a representation from the Swarankar Workers Union of Indore, Madhya Pradesh in May, 1967; and

(d) if so, the action taken thereon ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) and (b) The information is being collected from the Gold Control Officers of the various State and Union Territory Governments and will be laid on the Table of the House.

(c) A representation from Madhya Pradesh Swarankar Shramik Sangh of Indore was received in June, 1967.

(d) The representation is under consideration in consultation with the State Government.

Misuse of Official Telephones

5467. Shri Ram Charan : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn towards the press report that the annual expenditure on telephones of the Central Government has gone up from rupees 5 lakhs to rupees 35 lakhs; and

(b) if so, the steps proposed to be taken by Government to limit this expenditure around Rs. 5 lakhs ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) No such report has come to the notice of Government.

(b) Does not arise.

Expenditure Incurred on Telephones by Ministries

5468. Shri Ram Charan : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the total amount spent in respect of telephone service by the various Ministries of the Government of India during 1966-67;

(b) the extent to which this expenditure is more than the last year i. e. 1965-66; and

(c) the amount provided in the Budget under this item for the year 1967-68 ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) and (b) The information is being collected from the Ministries/Departments and wi l be laid on the Table as soon as available.

Famine/Drought Allowance to Central Government Employees in Bihar

5469. Shri Ramavatar Shastri :
Shri K. M. Madhukar :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the drought-stricken Central Government employees in Bihar have been paid famine or drought allowance equal to their three months pay;

(e) whether it is also a fact that the said allowance has not been paid so far to the Central Government employees working in the Information and Broadcasting Department at Patna; and

(c) if so, the reasons for this discrimination and whether Government would make arrangements for an early payment of the said allowance to them ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) No famine or drought allowance as such has been sanctioned. However, an advance of three months, pay, subject to a maximum of Rs. 500/-, recoverable in twenty four equal monthly instalments, has been granted to non-gazetted Central Government employees affected by drought in seventeen districts of Bihar.

(b) and (c) The required information is being collected from the offices concerned and will be laid on the Table as soon as available.

मेडीकल कालेज तथा सेन्ट्रल अस्पताल, पणजी, गोआ के कर्मचारियों के लिये आवास समस्या

5470. श्री शिंकरे : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि मेडिकल कालेज और सेन्ट्रल अस्पताल, पणजी-गोआ के कर्मचारियों को, जिनमें आर० एम० ओ० और रजिस्ट्रार भी शामिल हैं क्वार्टर देने में गोआ, दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र की सरकार को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या सरकार पाण्डिचेरी स्थित अस्पताल की तरह ही उक्त मेडिकल कालेज और सेन्ट्रल अस्पताल का सीधा नियन्त्रण करये के लिये कोई योजना बना रही है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक हो, तो क्या सरकार का विचार कर्मचारियों की आवास सम्बन्धी कठिनाइयों को दूर करने के लिये स्थानीय सरकार को एक विशेष सहायक अनुदान देने का है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्री० चन्द्र शेखर) : (क) कुछ क्वार्टरों के निर्माण की स्वीकृति पहले ही दी गई है और इस कालेज के लिए एक दीर्घकालीन भवन परियोजना विचाराधीन है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) गोवा मेडिकल कालेज के खर्च की पूर्ति संघ क्षेत्र की बजट व्यवस्था में से की जाती है । अतः सहाय्यानुदान देने का प्रश्न नहीं उठता है । जैसाकि इस प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में बतलाया गया है, इस कालेज के लिए एक दीर्घकालीन भवन परियोजना विचाराधीन है ।

माकसाना-गोआ में कोढ़ उपचार अस्पताल

5471. श्री शिंकरे : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि गोआ संघ राज्य क्षेत्र की सरकार को माकसाना-गोआ स्थित कोढ़ उपचार अस्पताल के लिये पर्याप्त धन देने में कठिनाई अनुभव हो रही है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि इस अस्पताल के अधिकारियों को खर्च के लिये सीमित धन होने के कारण रोजाना का काम-काज चलाने में कठिनाई अनुभव होती है; और

(ग) क्या इस अस्पताल को सुचारु रूप से चलाने तथा इनके विस्तार कार्यक्रम के लिये सरकार का विचार इस अस्पताल को विशेष सहायक अनुदान देने का है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्री चन्द्र शेखर) : (क) और (ख) गोआ के मकाखान स्थान पर स्थित कुष्ठ रोग अस्पताल को चलाने के लिये 1967–68 में पर्याप्त धन उपलब्ध है तथा अर्थाभाव के कारण इस अस्पताल का दैनिक कार्यक्रम चलाने में कोई कठिनाई अनुभव नहीं की जा रही है ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

आंध्र प्रदेश में अमादावलासा सहकारी चीनी कारखाने को ऋण

5472. श्री वी० नरसिम्हा राव : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के श्री काकुलम जिले में अमादावलासा सहकारी चीनी कारखाने को वित्तीय निगम अथवा रिजर्व बैंक अथवा किसी अन्य सार्वजनिक वित्त संस्थाओं द्वारा कोई ऋण दिया गया था;

(ख) क्या सरकार को इस बात का पता है कि इस कारखाने को उस समय भारी हानि हुई थी जब एक भूतपूर्व संसद् सदस्य इसके प्रधान थे; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने वित्त सम्बन्धी पेशगियों की सुरक्षा के लिए कोई कार्यवाही की थी ?

उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हां । भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने अमादालवालसा सहकारी कृषि और औद्योगिक समिति लिमिटेड को अमादालवालसा में चीनी का कारखाना खोलने की उसकी योजना का वित्त–प्रबन्ध करने के लिए 90 लाख रुपये का ऋण दिया था ।

(ख) अक्टूबर, 1964 में निदेशक बोर्ड का कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद भी, जिसका प्रधान एक भूतपूर्व संसद् सदस्य था, समिति घाटे में चल रही है । फिर भी समिति ने निगम के प्रति अपने दायित्व को अब तक पूरा किया है ।

(ग) निगम को समिति की स्थिति का पता है और वह उसके कार्य संचालन में सुधार करने तथा 72 लाख रुपये के अपने बकाया ऋण को सुरक्षित रखने के लिए कदम उठा रहा है ।

Family Planning Training Abroad

5473. Shri Ramchandra Veerappa : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) the number of persons sent abroad for higher training in Family Planning during 1965-66; and

(b) the total amount spent thereon ?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. S. Chandrashekhar) : (a) 19 persons were sent abroad for higher trainning in Family Planning during 1965-66.

(b) No amount was spent by the Government of India. The expenditure on their fellowship abroad was met by the Ford Foundation/Population Council, New York who offered the fellowships.

Family Planning Scheme in Mysore

5474. **Shri Ramchandra Veerappa :** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) the amount of assistance provided to the Mysore State by the Centrel for implementing different Schemes under the Family Planning Programme during 1965-66.

(b) the number of voluntary organisations functioning in Mysore State under the said programme;

(c) the locations therefor; and

(d) the annual expenditure incurred thereon ?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. S. Chandrasekhar) : (a) Rs. 27.97 akhs consisting of Rs. 18.64 lakhs as provisional payment for the year 1965-66 and Rs. 9.33 lakhs as arrears payment for 1964-65.

(b) Voluntary Organisation	–	17
Local Bodies	–	2

(c) A list showing their location is placed on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-1205/67]**

(d) Grants-in-aid amounting to Rs. 5,00,603 were sanctioned to them during 1965-66.

Kali River Project in Mysore

5475. **Shri Ramchandra Veerappa :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Mysore Government have completed the survey of Kali River Project and sent the same to the Central Government for approval;

(b) if so, the salient features thereof;

(c) the estimated expenditure likely to be incurred thereon; and

(d) when the work is likely to be started and the time likely to be taken in its completion ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) to (d) Two alternative proposals for the development of Kalinadi basin were submitted by the Government of Mysore in October, 1966, as per details below :

(i) The "Nagjhari" scheme which envisages construction, in the initial stage, of two power stations with a total installed capacity of 942 MW affording gene-

ration of 4783 million units annually at an estimated cost of Rs. 148 crores. Ultimately, six more power stations are proposed to be constructed to afford a total generation of about 6700 million units.

(ii) The "Kadra" scheme which envisages/construction, in the initial stage of 3 power stations with an aggregate installation of 932 MW affording generation of 5218 million units annually at an estimated cost of Rs. 183.6 crores. Ultimately, it is proposed to construct 4 more power stations to increase the potential of all the 7 stations to about 6940 million unit.

As a result of the scrutiny of the proposals carried out by the CW & PC, the State Government have been requested to carry further detailed investigations and studies before a decision regarding the implementation of the project could be taken.

Post-Graduate Scholarships to Tribal Students in Maharastra

5476. Shri D. S. Patil : Will Minister of **Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government of Maharashtra have decided to award Central Government Post-Graduate Scholarships to tribal students living outside the specified area and whether these schoalrships have been awarded with effect from the academic year commencing from 1st January, 1966;

(b) if so, the number of students who were awarded such scholarships and the total amount paid;

(c) the amount given by the Central Government to the Government of Maharastra under this scheme; and

(d) if no contribution was made by the Central, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Shrimati Phulrenu Guha): (a) and (b) It is understood that the Government of Maharastra have been giving post-matric scholarship (which covers post-graduate studies also) to tribal students living outside the specified areas commencing from the year 1966 from their non-Plan Budget. The information regarding number of students who were awarded such a sholarships and the total expenditure incurred thereon is not readily available with the Government of India.

(c) Nil.

(d) Central assistance is admissible only to those tribal communities who are recognised by law as Scheduled tribes.

Medical Colleges in Maharastra

5477. Shri G. C. Dixit :
Shri R. D. Bhandare :

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state ;

(a) whether the Government of Maharashtra have submitted a proposal to the Central for the opening of four Medical Colleges during the Fourth Five year Plan period; and

(b) if so, when and where these Colleges would be set up and the details in respect of each of these medical colleges ?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. S. Chandrashekhar) : (a) and (b) The Government of Maharashtra had proposed to start three new medical colleges in the State during the Fourth Plan period. However, the Working Group on Health set up by the Planning Commission did not favour the proposal, There has been no subsequent development.

Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Maharashtra

5478. **Shri D. S. Patil :**
Shri R. D. Bhandare :

Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state ;

(a) the number of new programmes prepared for the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes of Maharashtra in the Fourth Plan and the broad outlines of each of them; and

(b) the amount sanctioned for the implementation of the same ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Shrimati Fhulrenu Guha): (a) and (b) The Fourth Five Year Plan has not yet been finalised. No new programmes have been included under the State sector schemes during the years 1966-67 and the current year.

A new scheme has been included under the Central sector for Sweeper's Cooperatives. A sum of Rs. 3.90 lakhs was allocated during 1966.67. Cooperative Societies for the Sweepers are designed to encourage thrift, and meet credit, consumer goods, and service needs.

Akhil Bhartiya Manav Sewa Sangh

5479. **Shri Ram Sevak Yadav :**
Shri Molahu Prasad :
Shri George Fernandes :
Snri Rabi Ray :
Shri Maharaj Singh Bharati :

Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state :

(a) the total amount of grants paid by Government to the Akhil Bhartiya Manav Sewa Sangh so far;

(b) whether it is also a fact that almost all the office bearers of the Akhil Bhartiya Manav Sewa Sangh belong to one family; and

(c) whether the said Sangh has contacts with foreign Embassies also ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Shrimati Phulrenu Guha) (a) Nil.

(b) and (c) Government have no information.

गुजरात राज्य में मेडिकल कालेज

5480. श्री रा० की अमीन : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना में गुजरात राज्य में नये मेडिकल कालेज खोलने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) : (क) और (ख) चौथी योजना में, गुजरात में कोई नया मेडिकल कालेज खोलने का प्रस्ताव नहीं है। पांचवी योजना में एक नया मेडिकल कालेज खोलने के संबंध में संभवतः कोई आरम्भिक कार्यवाही की जाय।

गोआ में लूप तथा नसबन्दी आपरेशन

5481. श्री शिंकरे : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1966 से अप्रेल, 1967 तक और अप्रेल, 1967 से जून, 1967 तक गोआ में नसबन्दी के समुदाय-वार कितने आपरेशन किये गये हैं;

(ख) समुदाय-वार कितनी महिलाओं ने लूप पहनने की सरकारी सुविधा का लाभ उठाया है;

(ग) क्या सरकार को पता है कि गोआ के सरकारी अथवा अर्ध-सरकारी अस्पतालों में रोमन कैथोलिक डाक्टरों ने धार्मिक आधार पर नसबन्दी आपरेशन करने से इन्कार कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो कैथोलिक डाक्टरों, जो कि गोआ में परिवार नियोजन की सफलता को सीमित रखने के जिम्मेदार हैं, द्वारा उत्पन्न की गई असुविधा को कम करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) : (क) से (घ) सूचना इक्ट्ठी की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Vacant Government Quarters in Ramakrishanapuram New Delhi

5482. Shri Jagannath Rao Joshi : **Shri Ram Singh Ayarwal :**
Shri Hukam Chand Kachwai : **Shri M. L. Sondhi :**

Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) the number of quarters lying vacant in Ramakrishnapuram at present;

(b) when those quarters were constructed;

(c) the reasons for not allotting these quarters when Government employees are facing considerable hardship as a result of non-availability of quarters; and

(d) when these quarters will be allotted ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) : (a) to (c) The following categories of quarters have been constructed in Ramakrishanapuram :

Type	No. of residences
II	736
III	28
IV	60

Water and electricity have not been provided in the premises so far. Without these services the question of allotting these quarters to Government employees does not arise.

(b) As soon as the services have been provided, these quarters will be allotted by the Directorate of Estates.

Recovery of Ganja at Muzaffarpur Station

5483. Shri Ram Singh Ayarwal :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is fact that 6 munds of Nepali ganja worth Rs. 60.000 has been recovered by the public at Muzaffarpur Railway Station during tke second week of February, 1967; and

(b) if so, the number of persons involved in this and the action taken against them ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Import of Machines to Dig Wells

5484. Shri Bharat Singh Chauhan :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have imported machines for public sector organisations for boring 150 feet deep holes, by which drinking water wells can be dug in a few hours' time;

(b) if so, the number of machines imported in 1966-67; and

(c) the amount of foreign exchange involved ?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. S. Chandrasekhar) : (a) to (c) The Government of India have not imported any such machine. The State Government who were consulted in the matter have intimated that no machine for drilling wells has been imported by them during 1966-67, involving expenditure in foreign exchange. However, some international agencies and voluntary organisations like UNICEF and Action for Food Production Organisation (AFPRO) have improted powerful drilling rigs which are being used in the drought-affected areas of Bihar, U. P., and Madhya Pradesh The import of these rigs did not involve any expenditure in foreign exchange of Government.

Employees of Water Supply Undertaking, Delhi

5485. **Shri Bharat Singh Chauhan:**
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether employees of the Water Supply Undertaking, Delhi have decided to go on strike as a protest against appointments, promotions and transfers made by its Chairman;

(b) whether it is also a fact that a discrimination has been shown by the Chairman towards some employees; and

(c) if so, whether any inquiry committee has been appointed by Government for going into the matter and, if so, the findings thereof ?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. S. Chandrashekhar) : (a) No.

(b) No.

(c) Does not arise.

Writing off of Income Tax Arrears

5486. **Shri Kanwar Lal Gupta :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that tax arrears amounting to Rupees one lakh or more due from certain companies, firms and individuals separately have been written off, during the last four years;

(b) whether it is also a fact that those persons have shown their assets in the names of their relatives;

(c) if so, whether Government made any enquiry into the matter; and

(d) whether it is a fact thet no penal action was taken against such persons despite their failure to pay the arrears ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) Before any demand is written off, enquiries are invariably made to ascertain if the defaulter owned any assests in the names of benamidars, whether relatives or not, from which recoveries could be made. In some cases, assets were found in the name of the assessee's relatives and due enquiry was made with regard thereto.

(d) No, Sir. Penal action was duly taken in case wherever considered necessary.

अस्पतालों तथा मेडिकल कालेजों में चालक (ड्राइवर्स)

5487. **श्री हुकमचन्द कछवाय :**
श्री राम सिंह अयरवाल :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों तथा मेडिकल कालेजों में ड्राइवरों को भारी बसें तथा विभिन्न किस्म की मोटर गाड़ियां चलानी पड़ती हैं;

(ख) यदि हां, तो इन ड्राइवरों को 110–180 रुपये का वेतन क्रम क्यों नहीं दिया जाता जो कि मंत्रालय के ड्राइवरों को दिया जाता है;

(ग) दिल्ली में ऐसे कितने ड्राइवरों को इस लाभ से वंचित रखा गया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) : (क) से (घ) दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण में तीन अस्पताल हैं। सफदरजंग अस्पताल में एक भारी गाड़ी है और उसका ड्राइवर 110–180 रुपये के वेतनमान में है जो कि भारी गाड़ियों के ड्राइवरों को दिया जाता है। विलिंगटन अस्पताल में कोई भारी गाड़ी नहीं है। जहां तक लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज अस्पताल का सम्बन्ध है वहां आठ गाड़ियां हैं जिनमें तीन भारी है। इन सभी गाड़ियों के ड्राइवर 110–180 रुपये के वेतनमान में अपना वेतन पाते हैं यह वेतनमान छोटी गाड़ियों के ड्राइवरों के लिये है। तीन भारी गाड़ियों के ड्राइवरों के वेतनमान को बढ़ाने के प्रस्ताव पर वेतनमानों में संशोधन पर लगे प्रतिबन्ध के कारण विचार नहीं किया जा सका।

लेडी हार्डिंग, अस्पताल, नई-दिल्ली के कर्मचारियों को पेंशन संबंधी लाभ

5488. श्री राम सिंह अयरवाल :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि लेडी हार्डिंग अस्पताल नई दिल्ली के सब डाक्टर केन्द्रीय सरकार के अधीन है और उन्हें सेवानिवृति होने पर पेंशन आदि दी जाती है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उस अस्पताल के तीन श्रेणी और श्रेणी चार के कर्मचारियों को वे लाभ प्राप्त नहीं हैं जो डाक्टरों को प्राप्त हैं तथा उन्हें सेवानिवृति होने पर पेंशन नहीं दी जाती हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) : (न) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा वर्ग के डाक्टर ही केवल केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी हैं तथा उन्हें मिलने वाली पेंशन तथा दूसरी अवकाशोपरान्त सुविधाओं के हकदार हैं। कालिज के नियमानुसार दूसरे डाक्टरों को अंशदायी प्राविडेंट फण्ड की सुविधायें उपलब्ध हैं। परन्तु वह पेंशन तथा दूसरी विभिन्न सुविधाओं के हकदार नहीं है।

(ख) से (घ) तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी नान सी० एच० एस० डाक्टरों की भांति लेडी हार्डिंग मेडिकल कालिज तथा अस्पताल के नियमों के अधीन आते हैं। उन्हें पेंशन के स्थान पर अंशदायी प्राविडैण्ट फण्ड की सुविधायें भी उपलब्ध हैं।

M/s Oriental Trading Corporation

5489. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 26 on the 23rd March, 1967 and state :

(a) whether delay in the investigation concerning M/s Oriental Timber Trading Corporation (P) Ltd., Bombay is being caused;

(b) if so, the reasons therefor and the time likely to be taken in its completion; and

(c) the details of the findings in case the investigation has since been completed ?

The Deputy Prime Minister and the Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) No, Sir.

(b) The case requires detailed investigations which will take some time.

(c) Does not arise.

Pay Scale of Drivers in Hospitals

5490. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) the number of ex-Army drivers employed in the hospitals of the Central Government in the pay scale of Rs. 60-75;

(b) whether it is also a fact that the pay-scale of Drivers is Rs. 100-180; and

(c) if so, the reasons for not giving them the new scale of pay ?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. S. Chandrashekhar) : (a) There are two ex-Army drivers, one each in the Willingdon and Safdarjang Hospitals.

(b) There are two scales of pay, one for drivers of light duty vehicles and the other for drivers of heavy duty vehicles viz. Rs. 110–139 and Rs. 110–180, respectively,

(c) The pay of an ex-Army person who joined civil service prior to 1.7.1959 is regulated by the Central Civil Service (Revised Pay) Rules, 1960.

These Rules do not give the benefit of revised pay scales in respect of re-employed pensioners who retired on superannuation or retiring pension. However, if the ex-Army person had been released or retired prematurely he can be given the benefit of the revised pay scales. One of the drivers in the Willingdon Hospital was not entitled to the revised scale of pay while the case of the other driver in the Safdarjang Hospital is under examination.

M/s J. P. & Sons.

5491. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 196 on the 30th March, 1967 and state :

(a) whether the enquiry being conducted in connection with the non-payment of Income-tax by M/s. J. P. & Sons is being delayed because of some Government officials being in league with the firm;

(b) whether it is also a fact the similarly some officials have a hand in delaying the examination of the accounts of M/s. Oriental Timber Trading Corporation (Pvt.) Ltd. and M/s Mekenzie Ltd., Bombay; and

(c) the details of the findings, if enquiries have since been completed ?

The Deputy Prime Mininster & Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) & (b) No, Sir.

(c) The enquiries have not yet been completed.

M/s Oriental Timber Trading Corporation

5492. Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of **Finance** be plea ed to refer to the reply given to Unstarred Question No. 197 on the 30th March, 1967 and state :

(a) whether the enquiry in connection with the profits earned by M/s Oriental Timber Trading Corporation in two contracts obtained from the Heavy Engineering Corporation, Ranchi and the Hindustan Photo Films Corporation, Ootacamunda has since been completed; and

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons for the delay and the time by which it is likely to be completed ?

The Deputy Prime Minister & Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) Detailed and intensive investigations necessarily take time. Every effort is being made to complete the investigations as early as possible.

एशियाई विकास बैंक

5493. श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस बात का ब्यौरा तैयार कर लिया गया है कि एशियाई विकास बैंक द्वारा दी गई राशि का उपयोग किस तरह किया जायेगा; और

(ख) यदि हां तो क्या इस धन का परियोजना-वार नियतन किया जायेगा ?

उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) एशियाई विकास बैंक ने अभी उन मार्गदर्शक सिद्धान्तों को अन्तिम रूप नहीं दिया है, जिनके अनुसार इस का कामकाज चलाया जायेगा । इसी कारण अभी तक इसकी रकमों का निर्धारण नहीं किया गया है । जब रकमें, इस्तेमाल के लिए उपलब्ध हो जायंगी, तब खास-खास प्रायो-

जाओं के लिए और तकनीकी सहायता सम्बन्धी प्रयोजनों के लिए उनका बंटवारा कर दिया जायगा ।

परियोजनाओं की कार्यान्विति

5494. श्री यशपाल सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस आशय के कोई अनुदेश जारी किये हैं कि भविष्य में जिन परियोजनाओं के पुनरिक्षित प्राक्कलन उनके मूल प्राक्कलनों से निर्धारित प्रतिशत से अधिक हो जायेंगे तो उनके बारे में आम तौर पर मंजूरी प्राप्त करने के पश्चात् ही आगे कार्य किया जायेगा; और

(ग) यदि हां, तो क्या उनकी प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) ऐसे आदेश पहले से ही वर्तमान हैं कि जिन मामलों में अधिक व्यय के औचित्य को सिद्ध करने वाली विशेष परिस्थितियों के बारे में मंत्रालय का समाधान हो जाता है जनमें प्रशासनिक मंत्रालय मूल अनुमानों से 10 प्रतिशत तक की अधिक रकम अथवा एक करोड़ रुपये की अधिक रकम में से जो भी कम हो उसकी मंजूरी दे सकता है (संदर्भ वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं० एफ 10(4)–ई (कोआर्ड) / 62, दिनांक 1 जून, 1962 के अनुबन्ध I की मद सं० 7(ii) । अन्य जिन मामलों में अधिक व्यय की रकम स्वीकृत मूल अनुमानों से उपर्युक्त सीमा से अधिक हो जाय अथवा जहां वित्त मंत्रालय द्वारा पूर्व स्वीकृत योजना के विस्तार में महत्वपूर्ण परिवर्तन किये जांय, उनमें वित्त मंत्रालय की स्वीकृति आवश्यक होती है ।

(ख) वित्त मंत्रालय का 1 जून 1962 का कार्यालय ज्ञापन वित्तीय अधिकार-प्रत्यायोजन नियमावली, 1958 (तृतीय संस्करण) के भाग II में उद्धृत किया गया है जिसकी प्रतियां संसद के पुस्तकालय में रख दी गई हैं ।

डाकखाने की सावधिक जमा योजना

5495. श्री यशपाल सिंह :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि बैंकों द्वारा आरम्भ की गई योजनाओं की अपेक्षा डाकघरों की सावधिक जमा योजनाएं कम लाभदायक हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इस योजना में परिवर्तन करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव विचारधीन है जिससे इसको भारतीय बैंकों के आवर्ती जमा खातों की तरह लाभदायक बनाया जा सके ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) डाक घर सावधिक विक्षेप योजना और वाणिज्यिक बैंकों की आवर्ती निक्षेप योजनाओं में तुलना नहीं की जा सकती। डाकघर सावधिक निक्षेप लेखों पर दिये जाने वाला ब्याज पर आयकर से मुक्त होता है जबकि वाणिज्यिक बैंकों के आवर्ती निक्षेप लेखों पर ब्याज आयकर से मुक्त नहीं होता और सम्पूर्ण करारोपण आज की गणना के समय 10 और 15 वर्षों के सावधिक निक्षेप लेखों की भी, आय से अनुज्ञेय कटौतियों में गणना की जाती है। सावधिक निक्षेप लेखों में निक्षेपों की सीमित हद तक कम ब्याज पर पैसा निकालने की भी सुविधा उपलब्ध है। इन परिस्थितियों में सावधिक योजना को आवर्ती निक्षेप योजनाओं से कम आकर्षक नहीं कहा जा सकता।

कर्मचारी निरीक्षण एकक द्वारा योजना आयोग की जांच

5496. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मंत्रालय के कर्मचारी निरीक्षण एकक ने योजना आयोग के प्रशासनिक तथा तकनीकी विभागों की जांच की है; और

(ख) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) कर्मचारी निरीक्षण एकक ने योजना आयोग में केवल प्रशासनिक तथा प्रबन्ध-कर्ता अनुभागों की जांच की है जिनमें योजना सम्बन्धी प्रयोजनाओं पर समिति एवं कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन भी शामिल हैं।

(ख) एकक द्वारा कुल 254 पदों की जांच की गई है जिनमें से 83 पद सम्बन्धित अफसरों की सहमति से आवश्यकता से अधिक घोषित किये गये।

चौथी पंचवर्षीय योजना में हरियाना में सरकारी उपक्रम

5497. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में हरियाना में सरकारी क्षेत्र में कोई बड़ा उपक्रम स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो वह उपक्रम कौनसा है ?

योजना, पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र में हिन्दुस्तान मशीनी औजार परियोजना, पिंजोर के के विस्तार करने की ही केन्द्र की एक परियोजना है जिसे चतुर्थ योजनावधि के दौरान हरियाणा में स्थापित करने का प्रस्ताव है।

चीनी पर उत्पादन शुल्क

5498. श्री ना० स्व० शर्मा :
श्री अटल बिहारी बाजपेयी :
श्री शारदा नन्द :
श्री बृज भूषण लाल :
श्री राम सिंह अहीरवाल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी उत्पादकों ने सरकार से चीनी पर उत्पादन शुल्क कम करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार ने मामले पर विचार किया है परन्तु चीनी पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क को कम करना सम्भव नहीं पाया है ।

गन्दी बस्तियों को हटाने की योजना के लिए राज्यों को सहायता

5499. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री मधु लिमये :

क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गन्दी बस्तियों को हटाने की योजना के सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों को कुछ वित्तीय सहायता दी जा रही है, और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1966-67 में प्रत्येक राज्य को कुल कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (सरदार इकबाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) इसकी सूचना का विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1026/67)

औद्योगिक शहरों में मकान

5500. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री मधु लिमये :

क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कानपुर, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, इन्दौर तथा अन्य औद्योगिक शहरों में केन्द्रीय सहायता से कर्मचारियों के लिये कुछ और मकान बनाये जायेंगे; और

(ख) यदि हां, तो चौथी पंचवर्षीय योजना में प्रत्येक राज्य के लिये राज सहायता की कुल कितनी राशि मंजूर करने का प्रस्ताव है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (सरदार इकबाल सिंह) : (क) और (ख) सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना के अंतर्गत निम्नांकित एजेंसियों, जिन्हें कि राज्यों के अनुसार उनके सामने उल्लिखित केन्द्रीय वित्तीय सहायता मिलती है, के द्वारा मकान बनाये जा सकते हैं :—

	एजेंसी	ऋण	सहायता
1.	राज्य सरकारें, वैधता प्राप्त हाउसिंग बोर्ड तथा नगर निगम निकाय ।	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत
2.	पात्र कर्मचारियों की रजिस्टर्ड कोआपरेटिव सुसाइटियां ।	65 प्रतिशत	25 प्रतिशत
3.	उद्योग मालिक ।	50 प्रतिशत	25 प्रतिशत

ये एजेंसियां विभिन्न क्षेत्रों में मकानों की आवश्यकता का अनुमान लगाकर औद्योगिक कर्मचारियों के लिए मकान बनाने की परियोजनाएं बनाती हैं तथा फिर मंजूरी के लिए राज्य सरकारों को प्रस्तुत करती हैं । उनके द्वारा अथवा उनके राज्यों में अन्य निर्माण एजेंसियों के द्वारा बनायी गई परियोजनाओं को मंजूर करने में राज्य सरकारें समक्ष हैं । राज्य सरकारों को, उपर्युक्त उल्लिखित आधार पर तथा उनके द्वारा किये गये खर्चे को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक वर्ष केन्द्रीय वित्तीय सहायता दी जाती है । चौथी योजना के लिए सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना का अस्थाई नियतन 34.00 करोड़ रुपये है, इसमें 50 प्रतिशत सहायता होगी ।

इण्डिया गेट के निकट किंग जार्ज पंचम की मूर्ति का हटाया जाना

5501. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री मधु लिमये :
श्री कामेश्वर सिंह :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रपति भवन के सामने इण्डिया गेट के निकट लगी हुई सम्राट जार्ज पंचम की मूर्ति को हटाने का है;

(ख) क्या उनका विचार राष्ट्रपति भवन में से ब्रिटिश वायसरायों की मूर्तियां हटाने का भी है; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसा न करने के क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (सरदार इकबाल सिंह) : (क) फ़िलहाल नहीं ।

(ख) इस मामले पर अभी तक सरकार ने विचार नहीं किया है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Analysis of Impediments in the way of Progress

5502. Shri Sidheshwar Prasad : Will the Minister of Planning be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the Convocation Address by Dr. Vikram Sarabhai delivered at the Institute of Industrial Management on 9th April, 1967 in which he has referred to the major impediments in the way of development and progress;

(b) if so, the details of his analysis as well as suggestions; and

(c) whether the Planning Commission has considered them ?

The Minister of Planning (Shri Asoka Mehta) : (a) Yes, Sir.

(b) Copy of the Address in available in the Parliament Library.

(c) The suggestions are under examination.

Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes

5504. Shri Onkar Singh :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of Social Welfare be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 220 on the 30th March, 1967 and state :

(a) whether the reasons for not spending the full amount allotted for the welfare of the Schuduled Castes and Scheduled Tribes in the Third Five Year Plan have been ascertained from the State Governments;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the steps taken to ensure full utilisation of the allotted money in future in the light of the reasons given by and State Governments ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Smt Phulrenu Guha) : (a) Yes.

(b) The reasons vary from State to State and from scheme to scheme. The short falls are, however, generally attributable to the following main causes :

(i) Diversion of funds towards defence needs during the emergency.

(ii) Inability of the State Governments to provide their matching contribution in respect of certain State Plan schemes.

(c) Full utilisation of outlays earmarked in the Plans in contingent mainly on an improvement of the State of the economy, particularly the resources position in the State. However, with effect from the current year. the scale of Central assistance for State plan schemes has been increased from 50% to 60%.

दक्षिण भारत में आयुर्वेदिक कालेज

5505. श्री ह० प० चटर्जी :
श्री दत्तात्रय कुन्टे :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री यशपाल सिंह :
श्री मि० सू० मूर्ति :

क्या स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण भारत में एक आयुर्वेदिक कालेज खोलने का कोई विचार है;

(ख) यदि हां, तो कब और कहां;

(ग) क्या इस संस्था में अनुसन्धान सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी; और

(घ) क्या सरकार ने इस बारे में पक्का निर्णय ले लिया है कि आयुर्वेदिक शिक्षा देने में किस प्रणाली का अनुसरण किया जायेगा ?

स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर) : (क), (ख) और (ग) दक्षिण भारत में उपस्नातक आयुर्वेदिक कालिज खोलने का भारत सरकार का कोई विचार नहीं है । तथापि त्रिवेन्द्रम में काया-चिकित्सा की स्नातकोत्तर शिक्षा तथा अनुसधान की एक परियोजना चलाने पर विचार किया जा रहा है ।

(घ) भारत सरकार के विचार से आयुर्वेदिक शिक्षा 'शुद्ध' पद्धति के अनुसार दी जानी चाहिये, परन्तु इस विषय में निर्णय लेने का अधिकार राज्य सरकारों को है ।

Contraceptives

5506. Shri S. C. Samanta :
Shri A. K. Kisku :
Shri Tridib Kumar Chaudhuri :
Shri Yashpal Singh :
Shri S. N. Maiti :

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether contraceptive tablets are considered more effective than loop by the Government;

(b) if so, basis on which this conclusion has been arrived at; and

(c) the per capita extra expenses on the use of tablets in lieu of loop and the decision the Central Government have taken to subsidice this expenditure ?

The Minister for Health and Family Planning (Dr. S. Chandrasekhar) : (a) Taking into account factors like effectiveness, side-effects etc; the question of introduction of pills on an experimental measure and in a limited manner to supplement the other methods presently in use in the Family Planning Programme is under consideration in consultation with the Indian Council of Medical Research and the Technical Committee of this Ministry.

(b) and (c) Do not arise.

दिल्ली में रवीन्द्र रंगशाला

5507. **श्री अब्राहम :**
श्री एस्थोस :
श्री विश्वनाथ मेनन :
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री रा० स्व० विद्यार्थी :
श्री उमानाथ :
श्री अनिरुद्धन :
श्री अटल बिहारी बाजपेयी :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में रवीन्द्र रंगशाला (एक खुली रंगशाला) के निर्माण कार्य में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) यह निर्माण कार्य कब आरम्भ किया गया था और इस पर अब तक कुल कितनी राशि खर्च की जा चुकी है; और

(ग) इस परियोजना के कब तक पूरी हो जाने की संभावना है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (सरदार इकबाल सिंह) : (क) (ख) और (ग) रवीन्द्र रंगशाला का निर्माण कार्य रवीन्द्रनाथ टैगोर शताब्दी समिति के तत्वावधान में मार्च, 1961 से आरम्भ हुआ था। समिति ने 31 मार्च, 1967 तक 35.89 लाख रुपया खर्च किया था तथा आडीटोरियम और स्टेज ब्लाक तैयार हो गया है। सरकार ने 1 अप्रैल, 1967 को रंगशाला अपने अधिकार में ले ली तथा शेष कार्य के लिए 11 लाख रुपये का खर्चा स्वीकार किया। सम्पूर्ण कार्य की फरवरी, 1968 तक पूरे हो जाने की संभावना है।

प्रति जीवाणु तथा महत्वपूर्ण औषधियों में आत्मनिर्भरता

5508. **श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत सी प्रति जीवाणु तथा अन्य महत्वपूर्ण औषधियों के सम्बन्ध में लगभग आत्म-निर्भरता है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी प्रति जीवाणु तथा अन्य औषधियां कौन-कौन सी हैं; और

(ग) इन प्रति जीवाणु तथा अन्य औषधियों के आयात में कितनी कमी हुई है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और योजना एवं समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० रघु रमैया) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण पत्र सभा-पटल पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 1027/67]**

(ग) 1965–66 की तुलना में 1966–67 (अप्रैल-फरवरी) के दौरान निम्न औषधियों की आयात में कमी हुई।

मद का नाम	कमी किलोग्राम में
स्ट्रैपटोमाइसिन	36300.75
सलफा ड्रग्ज	78595.46
विटामिन बी० 1	19000.36
विटामिन बी० 12	174.00
एस्प्रीन	1590.00
फीनासीटिन	66729.30
टोलबूटामाइड	731.40
इंसूलिन	487.416
परिडनीसोलोन	1.70
कैफीन	43695.00
थायासैटाजोन	135.00

पूंजी लगाने में संकोच

5509. **श्री वामानी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बारे में कोई अध्ययन किया गया है कि देश में पूंजी लगाने में कितना संकोच किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इस अध्ययन के क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) यद्यपि इस बात की विशेष छानबीन नहीं की गयी है कि देश में पूंजी लगाने में किस सीमा तक संकोच किया जाता है, फिर भी इस बात का पता है कि अनेक घटनाओं के कारण, जैसे चीनी आक्रमण, 1965 के भारत-पाकिस्तान संघर्ष और उसके बाद कुछ स्रोतों से विदेशी सहायता का मिलना रुक जाने, आय की कम वृद्धि होने के परिणामस्वरूप बचत पर बुरा असर पड़ने और पिछले पांच वर्षों में ब्याज की दरों में वृद्धि होने के कारण हाल के वर्षों में सामान्य हिस्सा पूंजी में रुपया लगाने वालों की दिलचस्पी कम हो गयी है ।

Evasion of Excise Duty by Cotton Textile Mills, Bhiwani

5510. **Shri Sidheshwar Prasad :** Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a cotton textile mill of Bhiwani evaded excise duty to the tune of Rs. 2 lakhs by producing dhotis measuring three and a quarter metres instead of four and a half metres; and

(b) if so, the name of that mill and the action taken against that so far ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) and (b) No case of a cotton textile mill of Bhiwani evading excise duty to the tune of Rs. 2 lakhs by producing dhotis measuring 3¼ metres instead of 4½ metres has comet o notice.

There is, at present, under investigation a case in which the Technological Institute of Textile Mills Bhiwani, is inter alia alleged to have manufactured saris of less than the prescribed length and evaded payment of Central Excise duty due. The matter is under careful investigation and necessary action will be taken in the light of the conclusions reached.

नई दिल्ली में टैगोर रंगशाला

5511. श्री बाबू राव पटेल : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में रवीन्द्र रंगशाला अथवा टैगोर थियेटर को, जो भारत की केवल एक ही खुली रंगशाला है और जिस पर अब तक 36 लाख रुपये खर्च किये जा चुके हैं, पूरा करने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ख) इसको पूरा करने के लिये कितना धन लगने की संभावना है;

(ग) क्या यह सच है कि रवीन्द्र रंगशाला की दस आदमियों द्वारा निगरानी किये जाने के बावजूद ऐसे समाचार मिले हैं कि कुछ चोर वहां से सफ़ाई उपकरणों (सैनिटरी फिटिंग्स) उड़ा ले गये हैं; और

(घ) क्या इस कीमती रंगशाला को पूरा करने में विलम्ब तथा उपेक्षा के लिये उत्तर-दायी व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार कार्यवाही करने का विचार कर रही है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (सरदार इकबाल सिंह) : (क) से (घ) एक ग़ैर सरकारी रजिस्टर्ड सोसाइटी "दी रवीन्द्रनाथ टैगोर सैन्टेनरी कमेटी" ने 1961 में रवीन्द्र रंगशाला का निर्माण आरम्भ किया था। कमेटी ने इस कार्य के लिए सरकार से 17 लाख रुपये का ऋण लिया था। सरकार ने 1 अप्रैल, 1967 को थियेटर अपने अधिकार में कर लिया तथा इसके शेष कार्य को पूरा करने के लिए 11 लाख रुपये स्वीकृत किये। इस कार्य को फरवरी, 1968 तक पूरे हो जाने की संभावना है। 4 अप्रेल, 1967 को कुछ लोग भवन में घुस आये तथा सफाई-उपकरणों (सैनेट्री फिटिंग्ज) को उखाड़ लिया। आठ चौकीदारों ने जो कि ड्यूटी पर थे, चोरों को भगा दिया। कोई भी चीज चुराई नहीं गयी। पुलिस में एक शिकायत तुरन्त लिखा दी गयी थी।

केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना के सेना में प्रतिनियुक्ति पर डाक्टर

5512. श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री ओंकार सिंह :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना के कितने डाक्टर अब तक सेना में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किये गये हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्री० चन्द्रशेखर) : केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना के पांच डाक्टरों का आर्मी मैडिकल कोर में आपातकालीन कमीशन अफसरों के रूप में भेजे जाने के लिये अनुमोदन किया गया है ।

मैडिकल कालेजों का प्रबन्ध अपने हाथ में लेना

5513. **श्री ओंकार सिंह :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वायत्त रूप से काम कर रहे सभी मैडीकल कालेजों को अपने हाथ में लेने की किसी योजना पर सरकार विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्री० चन्द्रशेखर) : (क) केन्द्रीय सरकार ने, केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् की सिफारिश पर राज्य सरकारों को सलाह दी है कि वे चौथी योजनावधि में प्राइवेट मैडिकल कालेजों को अपने हाथ में लेने के लिये कार्यवाही शुरु कर दें ।

(ख) केन्द्रीय सरकार की उक्त सलाह के प्रत्युत्तर में उड़ीसा, गुजरात, नागालैण्ड, असम, हरियाणा, जम्मू व कश्मीर तथा मध्य प्रदेश की सरकारों ने सूचित किया है कि उनके राज्यों में कोई प्राइवेट मैडिकल कालेज नहीं है ।

पश्चिम बंगाल में एक प्राइवेट मैडिकल कालेज का प्रबन्ध उस राज्य सरकार ने हाल ही में अपने हाथ में ले लिया है ।

केरल और मद्रास में एक-एक प्राइवेट मैडिकल कालेज है और आन्ध्र प्रदेश में दो ।

आर्थिक कठिनाई के कारण वे इनमें से किसी को भी अपने हाथ में लेने का विचार नहीं रखते ।

बिहार में दो प्राइवेट मैडिकल कालेज हैं । राज्य सरकार शीघ्र ही इन्हें अपने हाथ में ले सकेगी ऐसी कोई सम्भावना उन्हें नहीं दिखाई देती ।

पंजाब, लुधियाना में स्थित दो प्राइवेट मैडिकल कालेजों में से राज्य सरकार का किसी भी कालेज को अपने हाथ में लेने का विचार नहीं है ।

मैसूर में पांच प्राइवेट मैडिकल कालिज हैं । चौथी योजना अवधि में राज्य सरकार दो प्राइवेट कालेजों को अपने हाथ में लेने का विचार रखती है ।

उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की राज्य सरकारों से प्राइवेट मैडिकल कालेजों को अपने हाथ में लेने के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं मिली हैं ।

केरल में तेल तथा खनिज सर्वेक्षण

5514. **श्री श्रीधरन :**
श्री विश्वम्भरम :
श्री कामेश्वर सिंह :
श्री मंगलाथुमाडोम :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में कोई तेल और खनिज सर्वेक्षण किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन और योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघु रमैया) : (क) जी हां ।

(ख) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने केरल राज्य के भूमि-क्षेत्र के लगभग 1500 वर्ग मील क्षेत्र में प्रारम्भिक भूगर्भीय सर्वेक्षण और लगभग 1,000 वर्ग मील क्षेत्र में आकर्षक सर्वेक्षण किया है । तट से दूर क्षेत्रों में भूकम्पीय सर्वेक्षण भी किया गया है । अभी तक कोई आशाजनक परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं ।

भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग के लगभग प्रारम्भ से ही केरल राज्य के कुछ भाग में भूगर्भीय मानचित्रण और प्रारम्भिक अन्वेषण कार्य किये गये हैं और पहले के इन सर्वेक्षणों में कच्चा लोहा, सोना, इलीमीनाइट-मोनाजाइट और ग्रेफाइट मिला है । 1961 से चूना पत्थर, सीशा-रेत (glass sands) सोना और लिगनाइट के लिए विस्तृत अन्वेषण किये गये ।

इलाहाबाद स्टेशन पर सोने का पकड़ा जाना

5515. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क विभाग ने 23 मई, 1967 को इलाहाबाद रेलवे जंकशन पर एक यात्री के पास से लन्दन की एक फर्म के चिन्ह वाला लगभग 54,000 रुपये के मूल्य का सोना पकड़ा था; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों ने 22 मई, 1967 को इलाहाबाद जंकशन रेलवे स्टेशन पर एक यात्री के पास से 270 तोला सोना पकड़ा जिस पर "जानसन मेथे 9990 लंदन" की मौहर लगी हुई थी । इस सोने का मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय दर पर 26,573 रुपये है ।

(ख) यात्री को गिरफ्तार किया गया और बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया । मामले में विभागीय न्याय निर्णय की कार्यवाही चल रही है ।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों की व्यवस्था

5516. **श्री श्रद्धाकर सूपकार :** क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के सरकारी क्वार्टरों के कितने आवेदन-पत्र (1) एक वर्ष और (2) पांच वर्ष से अधिक समय से अनिर्णीत पड़े ?

निर्वाण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : पात्र कार्यालयों में कार्य कर रहे कर्मचारियों से सामान्य पूल में वास के आवंटन के लिए प्रत्येक वर्ष आवेदन मांगे जाते हैं। सामान्य पूल में विभिन्न प्रकार के वास का आवंटन टाईप में प्राथमिकता की तारीख के अनुसार किया जाता है न कि आवेदन प्राप्त होने की तारीख से। वे कर्मचारी जिन्हें आवंटन नहीं दिया जाता वे अगले आवंटन वर्ष में नए सिरे से पुनः आवेदन करते हैं। आवंटन के लिए कोई भी आवेदन एक से अधिक वर्ष पड़ा नहीं रहता।

कोचीन में पैट्रो-रसायन उद्योग-समूह

5517. **श्री नायनार :** क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना में कोचीन में तेल शोधक कारखाने के पास अनेक पैट्रो-रसायन उद्योग खोलने के बारे में केरल सरकार के प्रस्ताव पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघु रमैया) : (क) और (ख) चौथी योजना के दौरान में इस क्षेत्र के लिए सुनिश्चित परिव्यय को दृष्टि में रखते हुए कोचीन में पैट्रो-रसायन उद्योग-समूह को शुरू करने के लिए केरल सरकार के प्रार्थना-पत्र पर विचार करना है। ऐसी दशा में नेफ्था के उपयोग पर आधारित उर्वरक कारखानों के अलावा, चौथी योजना में किसी नई पैट्रो-रसायन परियोजना को स्थापित करना सम्भव नहीं होगा।

खाई जाने वाली गर्भ निरोधक औषधियों का निर्माण तथा वितरण

5518. **श्री श्रद्धाकर सूपकार :** क्या स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाये जाने वाली गर्भ निरोधक औषधियों का देश में बड़े पैमाने पर निर्माण करने तथा उन्हें मुफ्त अथवा कम दामों पर बांटने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) इस पर कुल कितना धन व्यय होगा ?

स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्री० चन्द्रशेखर) : (क) जी नहीं। परिवार नियोजन कार्यक्रम में फिलहाल प्रयोग में लाये जाने वाले अन्य साधनों की कमी को पूरा करने

के लिए खाये जाने वाले गर्भ रोधकों को परीक्षणात्मक आधार पर और सीमित रूप में अपनाने के प्रश्न पर भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद् और मंत्रालय की तकनीकी समिति के परामर्श से विचार किया जा रहा है ।

(ख) इस स्थिति में यह प्रश्न नहीं उठता ।

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक यात्री के पास से घड़ियों का पकड़ा जाना

5519. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 25 मई, 1967 को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बम्बई से आने वाले एक यात्री को हिरासत में लिया गया था और उसके पास से लगभग 40,000 रुपये के मूल्य की कलाई घड़ियां पकड़ी गई थी; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) 25 मई, 1967 को केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क अधिकारियों ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बम्बई से आने वाले दो यात्रियों को पकड़ा और उनमें से एक के पास से लगभग 40,000.00 रुपये मूल्य की 430 कलाई घड़ियां बरामद की । दोनों यात्रियों को पकड़ लिया गया था तथा बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया ।

(ख) मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है ।

M/s Mechanzies and Oriental Timber Trading Corporation Ltd.

5520. Shri Hardayal Devgun :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 396 on the 25th May, 1967 and state :

(a) the time by which the work of tax assessment in respect of M/s. Mechanzies Ltd. and M/s. Oriental Timber Trading Corporation would be completed;

(b) since how long Government have been scrutinising the same;

(c) the time by which the work is likely to be completed; and

(d) the reasons for so much delay in the matter ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) The following assessments have since been completed :

M/s. Mckenzies Ltd.	Assessment year 1962–63
M/s. Oriental Timber Trading Corporation.	Assessment year 1963–65

Scrutiny of accounts for subsequent years are in progress.

(b) The enquiries into this group of cases were started in the middle of 1966.

(c) and (d) The transactions to be verified are numerous. Since the completion of enquiries depends on the co-operation of witnesses it will take some more time, Every effort is being made to complete the assessments expeditiously.

दलों के नेताओं के लिये आवास की व्यवस्था

5521. श्री सु० कु० तापड़िया : क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दलों के उन नेताओं के, जिन्हें सरकारी मकान तथा फ्लैट दिये गये हैं, नाम क्या है;

(ख) क्या ये किराये वाणिज्यिक दरों पर लिये जाते हैं अथवा विशेष दरों पर; और

(ग) बकाया किरायों की राशि कितनी है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 1028/67]**

Narmada Sagar Project

5522. Shri Brambanandji :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ram Singh Ayarwal :
Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Narmada Sagar Scheme under the Indo-Russian Trade Agreement has been finalised;

(b) whether the Chief Minister has been sent to Russia for talks on behalf of the Central Government;

(c) if so, the results thereof;

(d) when the said work is likely to be commenced; and

(e) the amount likely to be incurred by both the countries separately ?

The Minister for Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) and (b) No.

(c) Does not arise.

(d) The work on the Project will commence after it is approved for implementation. The revised Narmada Sagar Power Project Report is awaited from the Government of Madhya Pradesh.

(e) Does not arise.

न्यूयार्क तथा लन्दन में बिड़ला की कम्पनियां

5524. श्री भोगेन्द्र झा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केवल बीजकों का गोलमाल करने के लिए ही बिड़ला समूह ने एक-एक कम्पनी लन्दन तथा न्यूयार्क में बनाई हुई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है अथवा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) सरकार को यह तो पता है कि बिड़ला समूह की कुछ कम्पनियां लन्दन तथा न्यूयार्क में हैं, परन्तु यह पता नहीं है कि इन कम्पनियों का अस्तित्व जाली बिलों का व्यूह चलाने के निमित्त है ।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

गुजरात सरकार और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के बीच गैस के मूल्य के बारे में विचार

5525. **श्री रा० की० अमीन :**
श्री रामचन्द्र ज० अमीन :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री द० रा० परमार :
श्री म० अमरसे :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात सरकार और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के बीच गुजरात में गैस के मूल्य के बारे में विवाद सबसे पहले कब उत्पन्न हुआ था;

(ख) यह विवाद मध्यस्थ निर्णय के लिये योजना आयोग के तत्कालीन सदस्य डा० वी. के. आर. वी. राव को कब सौंपा गया था;

(ग) मध्यस्थ निर्णायक को क्या विचारणीय विषय सौंपा गया था;

(घ) अपना पंचाट देने में मध्यस्थ निर्णायक अब और कितना समय लेंगे;

(ङ) इस बात का विचार करते हुये कि इस मामले में पहले ही अत्यधिक विलम्ब हो चुका है जिसके परिणामस्वरूप गुजरात के औद्योगिक विकास के लिये गैस का उपयोग नहीं हो रहा है, क्या मध्यस्थ निर्णायक से किसी निर्धारित अवधि के अन्दर पंचाट देने को कहा गया है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघु रमैया) : (क) 1963 में विवाद शुरू हुआ ।

(ख) फरवरी, 1964 में ।

(ग) विषय के मद निम्न प्रकार हैं :—

1. किसी विशेष पार्टी की सप्लाई की गई गैस की मात्रा एवं दाब और दूरी जहां पर गैस को ले जाने आदि तथ्यों को विचारने के बाद सप्लाई की जाने वाले गैस के लिए तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा लिये जाने वाला मूल्य : तथा

2. मालूम करना कि क्या निम्न को गैस की सप्लाई करने में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की दरों में, भिन्नता पेश करनी चाहिए :

1. विद्युत जनन के लिए उपक्रमों;

2. उर्वरक संयन्त्रों;

3. राज्य परियोजनाएं;

4. गैर-सरकारी उद्योग समूह; और

5. घरेलू ईंधन ।

(घ), (ङ) और (च) अगस्त, 1967 के अन्त तक मध्यस्थ निर्णायक के पंजाट देने की आशा है । पंचाट के देने में देरी होने से औद्योगिक उद्देश्यों के लिए गैस के प्रयोग में बाधा नहीं पड़ी है ।

Government of India Press, Aligarh

5526. **Shri Arjun Singh Bhadoria :**
Shri Hukam Chand Kachwai :
Dr. Surya Prakash Puri :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Ram Gopal Shalwale :

Will the Minister of Works, Housing and Supply be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some charges have been levelled against a local overseer of the Industrial Section of the Government of India Press, Aligarh;

(b) whether the Special Police of the Central Government has investigated into the matter;

(c) whether order for the transfer of this overseer had been issued following the investigation but this order was cancelled after the Chief Controller intervened in the matter; and

(d) if so, the action proposed to be taken by Government in this connection ?

The Deputy Minister of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) : (a) Yes.

(b) Enquiries have been made through an officer of the Special Police Establishment attached to this Ministry.

(c) Yes.

(d) The punishing authority has already issued a warning to the official. No further action in this matter is contemplated.

Public Undertakings in Madhya Pradesh

5527. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of Planning be pleased to state :

(a) whether any major public sector undertaking is proposed to be set up in Madhya Pradesh during the Fourth Five Year Plan; and

(b) if so, the nature of the industry and the venue thereof ?

The Minister for Planning (Shri Asoka Mehta) : (a) and (b) The Central public sector projects proposed to be set up in Madhya Pradesh during the Fourth Five Year Plan period along with their location are mentioned below :

	Name of the Project	Location
1.	Expansion of Bhilai Steel Plant	Bhilai
2.	Expansion of Heavy Electrical Project	Bhopal
3.	Expansion of Nepa Mills	Nepanagar
4.	Security Paper Mills	Hoshangabad
5.	Korba Aluminium Project	Korba
6.	New Alkaloid Factory	Neemuch
7.	Cement Factory	Mandhar

In addition, the possibility of establishing a paper/pulp factory in Dandakaranya area is under consideration.

गन्धक का उत्पादन

5528. श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय गन्धक की मांग/उत्पादन कितना है और 10 वर्ष बाद मांग/उत्पादन कितना होने का अनुमान है;

(ख) क्या यह कमी बनी रहेगी; और

(ग) यदि हां, तो इसको किस तरह पूरी करने का विचार है, और यदि आयात करके कमी पूरी करने का विचार है, तो किस मूल्य पर ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघु रमैया) : (क) विभिन्न उद्योगों के लिए गंधक की वर्तमान आवश्यकताएं प्रति वर्ष 0.6 मिलियन मीटरी टन अनुमानित है । इस समय के अनुमान के अनुसार 10 वर्ष के बाद आवश्यकताएं, 1.5 मिलियन मीटरी टन हो सकती है ।

इस समय देश में तात्विक गंधक (elemental sulphur) नहीं बनता है । किन्तु मद्रास शोधनशाला में लगभग 18,000 मीटरी टन उत्पादन होने की आशा है । इसके अतिरिक्त, गंधक अम्ल को तैयार करने के लिये लौह पाइराइट्स तथा जस्ता से द्रावक गैसों एवं तांबा द्रावकों के इस्तेमाल की योजनाएं विचार और कार्यान्विति के विभिन्न चरणों में हैं । यदि ये सारी योजनाएं पूरी हो जाएं, तो प्रति वर्ष लगभग 30,00,000 मीटरी टन गंधक अम्ल जो लगभग एक मिलियन मीटरी टन गंधक के बराबर है, के उत्पादन होने की आशा है । इस हद तक आयातित गंधक की आवश्यकताएं कम हो जायेंगी ।

(ख) विश्व बाजार में गंधक की प्रदाय-स्थिति तंग है और निकट भविष्य में विशेष सुधरने की आशा नहीं है ।

(ग) दीर्घ-अवधि क्रय-प्रबन्धों से यदि ये अनुकूल शर्तों पर सम्भव होंगे, और पाइराइट्स और अलौह धातु द्रावकों से सल्फ्यूरिक गैसों जैसे वैकल्पिक कच्चे माल के इस्तेमाल से गन्धक की कमी पर काबू पाने के यत्न किये जा रहे हैं।

इस समय आयात किये जाने वाले अपेक्षित गंधक का मूल्य लगभग 30 करोड़ रुपये है। जैसे-जैसे मांग बढ़ेगी कीमत में भी वृद्धि होगी, सिवाये उस हद तक जब उपर्युक्त तरीकों में सफलता प्राप्त हो।

उद्योगों तथा कृषि की विकास दर

5529. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारी तथा उपभोक्ता उद्योगों की वार्षिक विकास-दर का क्रमशः अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो 1947 से 1965 के बीच यह दर क्या थी; और

(ग) इस अवधि में कृषि की वार्षिक विकास-दर क्या थी ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) पूंजीगत वस्तुओं के उद्योगों के, जो आम तौर पर भारी उद्योग होते हैं, उत्पादन में, 1951 से 1966 तक की अवधि में, जिसके सम्बन्ध में तुलनात्मक आंकड़े उपलब्ध है, 10.5 प्रतिशत की वार्षिक दर से वृद्धि हुई। मध्यवर्ती वस्तुओं के उद्योगों के, जिनमें से कुछ उद्योग भारी होते हें, उत्पादन में भी 8.5 प्रतिशत की वार्षिक दर से वृद्धि हुई। उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योगों के, जो हलके उद्योग माने जा सकते हैं, उत्पादन में इस अवधि में 3.7 प्रतिशत की वार्षिक दर से वृद्धि हुई।

(ग) 1949–50 और 1966–67 के बीच की अवधि में कृषि-उत्पादन की वृद्धि का औसत लगभग 3 प्रतिशत प्रति वर्ष (चक्रवृद्धि) बैठता है।

ऐस्बेस्टास का उत्पादन

5530. **श्री रमानी :**
श्री चक्रपाणि :
श्री प० गोपालन :

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऐस्बेस्टास का उत्पादन करने वाले कारखानों से ऐस्बेस्टास की सीधी खरीद बन्द कर दी है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) ऐस्बेस्टास का पूरा उत्पादन बनाये रखने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय ऐस्बेस्टास नहीं खरीदता। वह एस्बेस्टास सीमेंट शीट और संबद्ध उत्पाद खरीदता है। ये सीधे ही निर्माताओं से खरीदी जाती है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) मांग को पूरा करने के लिये क्षमता का उपयोग करने हेतु एस्बेस्टास सीमेंट शीट और सम्बद्ध के उत्पादन में लगे हुए उद्योगों को पर्याप्त विदेशी मुद्रा का आवंटन किया गया है।

उत्तर प्रदेश में विद्युत विस्तार कार्य

5531. श्री विश्वनाथ पांण्डेय : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने चालू वर्ष में अपने और अधिक क्षेत्रों में बिजली लगाने वाले कई अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिये केन्द्रीय सरकार से विशेष निधि मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी धन राशि दी गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Government of India Press Union (industrial Department), Aligarh

5532. Shri Shiv Kumar Shastri ;
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Ram Avtar Sharma :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Onkar Lal Berwa :
Dr. Surya Prakash Puri :
Shri Arjun Singh Bhadoria :
Shri Y. S. Kushwah :

Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is a Union in the Industrial Department of the Government of India Press, Aligarh which is neither recognised by Government nor affiliated to any Union recognised by Government;

(b) whether it is also a fact that the Vice-President of the said Union receives large sums of money from the foreign countries and that he had frequent travels abroad;

(c) whether Government are aware that the said person has an account in foreign banks and whether he had obtained Government's permission for the same;

(d) whether it is also a fact that in 1960 the said person was apprehended at Palam aerodrome on his return from abroad and many departmental charges are also pending against him;

(e) whether it is also a fact that the said person has been found guilty by the High Court for embezzlement of money in the Printing Press Canteen; and

(f) if so, the action proposed to be taken against the said person ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) : (a) There are two Union of Industrial employees in the Government of India Press, Aligarh. One is called the 'Government of India Press Workers' Union, Aligarh, and the other 'the Rajkiya Press, Aligarh.' The former is an unrecognised Union, but is affiliated to the Federation of Workers of the Government of India Presses which is recognised by the Government of India,

(b) and (c) The Vice-President of the Government of India Press Worker's Union has gone abroad many times. The allegation that he received large sums of money from foreign countries could not be substantiated. Government are not aware that he has any account in foreign banks.

(d) A search was made at Palam airport on his return to India in 1961. Adjudication proceedings under the Foreign Exchange Regulation Act were held by the Director of Enforcement. There are no departmental charges pending against him.

(e) No, Sir.

(f) Does not arise.

Government of India Press, Aligarh

5533. **Shri Ram Gopal Shalwale :**
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Atam Das :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Ram Avtar Sharma :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Onkar Lal Berwa :
Dr. Surya Prakash Puri :
Shri Arjun Singh Bhadoria :

Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some serious charges have been levelled against the Head Mechanic of the Mechanical Department of the Government of India Press, Aligarh;

(b) whether it is also a fact that there is a heavy loss in production as a result of his inefficiency; and

(c) if so, the action taken against him ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) : (a) Some allegations have been made against the Head Mechanic of the Government of India Press, Aligarh.

(b) and (c) The allegations are still under examination.

Government of India Press, Aligarh

5534. **Shri Ram Gopal Shalwale :**
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Ram Avtar Sharma :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Dr. Surya Prakash Puri :
Shri Arjun Singh Bhadoria :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Y. S. Kushwah :

Will the Minister of **Works, of Housing and Supply** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that serious charges of adulteration in medicines and forged cash memos had been leveiled against the former Manager of the Government of India Press, Aligarh;

(b) whether it is also a fact that the case against the said person has been pending in the Office of the Chief Controller for a long time; and

(c) If so, the reasons for the delay and the action Government propose to take in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) : (a) Allegations have been made against the former Manager, Government of India Press, Aligarh, regarding irregularities in the submission of medical claims. No allegations regarding adulteration in medicines have, however, been made.

(b) and (c) Enquiries into the allegation are nearing completion. Some delay was unavoidable as the medical authorities of the U. P. State Government had to be consulted.

मडिकल कालेजों को अनुदान

5535. **श्री अगाड़ी** : क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैडिकल कालेजों की स्थापना के लिये दिये जाने वाले सहायक अनुदान के अतिरिक्त राज्यों की इन संस्थाओं को अनुदान अथवा सहायता दी जाती है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1950 से लेकर आज तक इस तरह राज्यवार कितनी राशि दी गई और इन कालेजों में राज्यवार कितने विद्यार्थी दाखिला पा सकते हैं ?

स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्री० चन्द्रशेखर) : (क) नये मैडिकल कालेजों की स्थापना तथा विस्तार के लिए राज्य सरकारों को आवर्ती तथा अनावर्ती खर्चों के लिए केन्द्रीय सहायता एक निश्चित नियम के अनुसार प्रत्येक शीट की एक यूनिट मानते हुए दी जाती है। कालेज खोलने के लिए आवश्यक भवन निर्माण और उपकरणों की लागत तथा स्टाफ की प्रत्येक सीट के लिए आवर्ती अनुदान और अन्य आवर्ती खर्च इसी में आ जाते हैं।

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, 1956–57 से नये मैडिकल कालेजों की स्थापना विषयक योजना शुरू की गई थी। प्रथम दो वर्षों के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार की नियोजित योजनाओं के साथ ग्रुपों के आधार पर नये मैडिकल कालेजों के लिए अनुदान दिया जा रहा है। अतः 1950 और उससे आगे विभिन्न राज्य सरकारों को इस प्रकार की कितनी सहायता दी गई है इस बारे में इस समय सूचना नहीं दी जा सकती है।

1966–67 में देश के विभिन्न कालेजों की प्रवेश क्षमता के बारे में एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 1029/67**]

Allotment of Government Accommodation for Low Income Group Employees Nearer to their Place of Duty

5536. **Shri Molahu Prasad :**
Shri Rabi Ray :
Shri Maharaj Singh Bharati :

Will the Minister of Works, Housing and Supply be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government propose to allot Government accommodation to its low-income group employees in the vicinity of their places of duty;

(b) whether it is a fact that Government allots accommodation to these employees miles away from their places of duty; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) : (a) and (b) No. This is not a practical proposition as general pool accommodation is often located at some distance away from the places of duty. Where this arrangement is possible, as in case of R. K. Puram, or in the area between Red Fort and the Old Secretariat, option already exists for getting residential accommodation in close proximity to the place of work.

(c) In a growing city it is not possible to provide residential accommodation close to the place of work. After the initial allotment, option for transfer of accommodation in same type is provided with a view to shifting to a more convenient area.

Per Capita Requirement and Availability of Milk

5537. **Shri Molahu Prasad :**
Shri Rabi Ray :
Shri Maharaj Singh Bharati :

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) the per capita quantity of milk required from health point of view according to health experts;

(b) the per capita quantity of milk available in the country; and

(c) the steps taken to increase this quantity during the last five years ?

The Minister for Health and Family Planning (Dr. S. Chandrasekhar) : (a) The daily per capita requirement of 248 gms. of milk and milk products has been suggested for a balanced diet suitable for a normal adult male. A daily per capita consumption of 170 gms. of milk has, however, been suggested as one of the constituents of an improved diet which may be a desirable goal in the context of availability of different foods in the country.

(b) The daily per capita availability of milk and milk products is estimated to be 126 gms. including goat milk.

(c) Several cattle development and dairy development schemes have been undertaken by the State Governments to suit their respective areas. The Central Government have also sponsored a number of cattle development schemes with a view to supplementing the efforts of the State Governments. The names of the important schemes having a direct bearing on milk production sponsored by the Government of India during the past five years are indicated below :

1. Intensive Cattle Development Scheme.
2. Cross Breeding Scheme.
3. Co-ordinated cattle breeding programme.
4. Setting up of exotic cattle breeding farms.
5. Import and distribution of exotic cattle.

In addition, the following cattle development schemes started during the earlier five year plans also continue to function :

1. Key village scheme.
2. Feeds and fodder development scheme.
3. Gaushala development scheme.
4. Calf rearing scheme.
5. Bull rearing farms.
6. Expansion and establishment of State cattle breeding farms.
7. Milk yield competition.
8. Nomadic cattle breeders' scheme.
9. Wild and stray cattle catching scheme.

Increasing attention is being devoted to Animal Husbandry and dairy development programmes during the Fourth Five Year Plan A provision of Rs. 160 crores has been tentatively approved by the Planning Commission for these sectors for the Fourth Plan as against Rs. 15.53 crores in the first plan, Rs. 33.47 crores in the Second Plan and Rs 78.25 crores in the Third Plan.

महंगाई भत्ता आयोग के प्रतिवेदन पर विचार विमर्श करने के लिये मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन

5539. **श्री मधु लिमये :**
श्री रवि राय :
श्री मोलहू प्रसाद :
श्री राम सेवक यादव :
श्री जे० एच० पटेल :
श्री अचल सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय महंगाई भत्ता आयोग की प्रतिवेदन की सिफारिशों की क्रियान्विति के प्रश्न पर विचार करने के लिये मुख्य मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाने का विचार है; और

(ख) क्या उस सम्मेलन में राज्य सरकारों के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिये जाने के तथा केन्द्रीय सहायता के प्रश्न पर भी विचार किया जायेगा ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) इस मामले पर 7 जुलाई, 1967 को मुख्य मंत्रियों के साथ विचार-विमर्श किया गया था ।

मंत्रियों द्वारा धन कर की अदायगी

5540. **श्री मधु लिमये :**
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री रवि राय -
श्री मोलहू प्रसाद :
श्री जे० एच० पटेल :
श्री राम सेवक यादव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रिमंडल के सदस्य कितने मंत्रियों ने अपने कार्यकाल में धन कर के प्रवर्तन की अवधि में आभूषणों, हीरों, सोने आदि सहित अपनी सम्पत्ति घोषित की तथा धन कर दिया; और

(ख) इन मंत्रियों को प्रत्येक वर्ष में कितना धन कर दिया ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है । वह इकट्ठी की जा रही है और यथा सम्भव शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

Re-Employment of Technical Officers in the Ministry of Irrigation and Power

*5541. **Shri Ram Charan** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the number of Class I Technical Officers in his Ministry and the Attached and Subordinate offices thereof during the last ten years who were re-employed after retirement or granted extension; and

(b) the reasons therefor ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) Fortyseven,

(b) In the public interest, due to non-availability of officers with the requisite specialised knowledge and experience.

होमियोपैथी के डाक्टरों का वर्गीकरण

5542. **श्री उमानाथ :**
श्री गणेश घोष :
श्री चक्रपाणि :
श्री नम्बियार :

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या होमियोपैथी के डाक्टरों के अखिल भारतीय आधार पर वर्गीकरण तथा होमियोपैथी की शिक्षा के मानवीकरण का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) : (क) और (ख) भारतीय चिकित्सा परिषद् की ही तरह की भारतीय चिकित्सा पद्धतियों की जिनमें होम्योपैथी भी सम्मिलित है, एक परिषद् खोलने का विचार है । यह प्रस्तावित परिषद् जब खुल जायेगी तो वह चिकित्सकों का वर्गीकरण तथा होम्योपैथी शिक्षा के स्तर सम्बन्धी मामलों को देखेगी । इस बीच सरकार ने राज्यों को होम्योपैथी में एक डिग्री कोर्स और एक डिप्लोमा कोर्स की पाठ्य-चर्चायें भेजी हैं जो होम्योपैथी सलाहकार समिति ने तैयार की थी ।

होमियोपैथिक भेषज-संहिता समिति

5543. **श्री उमानाथ :** **श्री गणेश घोष :**
श्री नाम्बियार : **श्री चक्रपाणि :**

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने एक होमियोपैथिक भेषज संहिता समिति नियुक्त की है;

(ख) यदि हां, तो यह समिति कब नियुक्त की गई थी;

(ग) इसके निर्देश-पद क्या हैं; और

(घ) कब तक आशा है कि वे अपना काम पूरा कर लेंगे ?

स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्री० चन्द्रशेखर) : (क) जी हां ।

(ख) सितम्बर 1962 ।

(ग) इस समिति के कार्य इस प्रकार हैं :

1. होम्योपैथिक औषधियों की भेषज-संहिता तैयार करना जिसकी चिकित्सकीय उपयोगिता अमरीकी, जर्मनी और ब्रिटिश फार्मेकोपिया के आधार पर सिद्ध हो चुकी है ।
2. होम्योपैथिक औषधियों को तैयार कराने के लिए सिद्धान्तों और मानकों का निर्धारण करना ।
3. पहचान, गुण और शुद्धता सम्बन्धी परीक्षणों का निर्धारण करना और
4. होम्योपैथिक भेषज-संहिता को तैयार करने में ऐसी अन्य सामग्री की जो आकस्मिक और आवश्यक हो, व्यवस्था करना ।

(घ) आशा है कि तीन वर्षों की अवधि में यह समिति पांच सो औषधियों के होम्योपैथिक भेषज-संहिता के प्रथम खण्ड का प्रकाशन कर लेगी ।

आयकर की बकाया रकम

5544. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनके विरुद्ध 1 लाख रुपये से अधिक आयकर की बकाया रकम है;

(ख) इनमें से कितने व्यक्तियों ने दस लाख रुपये से अधिक, पच्चीस लाख रुपये, पचास लाख रुपये और इससे अधिक बकाया रकम देनी है; और

(ग) कितने व्यक्तियों को बकाया आयकर की पचास लाख रुपये से अधिक रकम देनी है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) (ख) और (ग) अपेक्षितसूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा सम्भव शीघ्र सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

Irrigation Projects in Madhya Pradesh During Fourth Plan

*5547. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the number of irrigation projects undertaken during the Third Five Year Plan in Madhya Pradesh;

(b) whether it is a fact that all the projects could not be implemented fully due to paucity of funds;

(c) the amount estimated to be spent further on the projects which are still incomplete;

(d) the total amount of expenditure incurred till the end of Third Five Year Plan; and

(e) when these projects would be completed ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) Four major and 41 medium projects were included in the Third Five Year Plan of Madhya Pradesh, Three medium schemes were subsequently dropped by the State Government being uneconomical.

(b) Yes.

(c) Rs. 5452 lakhs.

(d) Rs. 2871 lakhs.

(e) Except for 2 major and 4 medium schemes, the remaining schemes are expected to be completed during the Fourth Plan Period

Houses in Madhya Pradesh

5548. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) the number of houses constructed so far in Madhya Pradesh under the Subsidised Industrial House Building Scheme and the total amount so far allocated to Madhya Pradesh for the purpose;

(b) whether there is any proposal of constructing more houses in Madhya Pradesh under thc Scheme during 1967–68; and

(c) if so, the details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) : (a) 10,508 houses were built under the Subsidised Industrial Housing Scheme in Madhya Pradesh since its inception in September, 1952 upto the 31st March, 1967. The amount given to the Government of Madhya Pradesh under the Scheme upto the 31st March, 1967, is Rs. 345.01 lakhs.

(b) and (c) The Subsidised Industrial Housing Scheme is a continuing Scheme and the State Governments have been authorised to sanction projects for construction of houses for industrial workers under this Scheme. The details of the projects sanctioned during 1967-68 will become available after the report for this period has been received from the Government of Madhya Pradesh.

Funds for House Buildings in Madhya Pradesh

5549. Fhri G. C. Dixit : Will the Minister of Works, Housing and Supply be pleased to state :

(a) the amount sanctioned by the Central Government for the House Building Schemes in rural areas of Madhya Pradesh during 1966-67; and

(b) the amount proposed to be sanctioned to the State for the purpose during the year 1967-68 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) : (a) Central assistance of Rs. 1.64 lakhs was sanctioned to the Government of Madhya Pradesh during 1966-67 but an amount of Rs. 1.13 lakhs was actually released after adjusting an excess payment of Rs. 0.51 lakhs made to the State Government during 1964-65.

(b) The allocation for the year 1967-68 has not yet been finalised.

Tribal Blocks in Madhya Pradesh

5550. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of Social Welfare be pleased to state :

(a) the number of tribal blocks in Madhya Pradesh at present;

(b) the number of blocks proposed to be set up in the State during the years 1967-68; and

(c) the number of such blocks proposed to be opened in the Hoshangabad and East Nimar Districts during the said period ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Shrimati Phulrenu Guha) : (a) 127.

(b) Nil.

(c) Nil.

Gandhi Memorial in New Delhi

5551. Shri Ramachandra Veerappa : Will the Minister of Works, Housing and Supply be pleased to state :

(a) whether there is any proposal to build a memorial in New Delhi at the place where Mahatma Gandhi was assassinated;

(b) if so, when the work would be started in that regard; and

(c) the amount of expenditure to be incurred on it ?

The Deputy Minister of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh): (a) No. But a portion of the garden of the Birla House, where Gandhiji was assassinated, has been fenced off and separated from the main house to ensure proper facilities for people to visit the spot.

(b) and (c) Do not arise.

कम्पनियों द्वारा विदेशी मुद्रा विनियम का उल्लंघन

5552. श्री मं० रं० कृष्ण : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सामान्य बीमा का काम करने वाली बहुत सी कम्पनियों ने विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन किया है; और

(ख) यदि हां, तो इन कम्पनियों के नाम क्या हैं और उन पर कुल कितना जुर्माना किया गया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) यह पाया गया कि दी होम इन्श्योरेन्स कम्पनी, बम्बई, ने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 के उपबन्धों का उल्लंघन किया था। न्यायनिर्णय की कार्यवाही हो जाने पर प्रवर्तन निदेशक ने फर्म पर 30,000 रुपये का दण्ड लगाया।

केवल एण्डवान्स इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, बम्बई ही ऐसी दूसरी बीमा कम्पनी है जिसके विरुद्ध विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन अधिनियम के संदिग्ध उल्लंघन के बारे में पूछ-ताछ चल रही है।

केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा सीमा-शुल्क विभाग के कलकत्ता स्थित कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन

5553. **श्री नम्बियार :**
श्री ज्योतिर्मयबसू :
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री गणेश घोष :
श्री चक्रपाणि :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा सीमा-शुल्क विभाग के कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में 25 मई, 1967 को कलकत्ता में प्रदर्शन किया था;

(ख) यदि हां तो उनकी मांगें क्या हैं; और

(ग) उनको पूरी करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) मुख्य मांगें निम्नलिखित थी :

1. सेवा में उन्नति-हीनता को दूर करना;
2. विभिन्न पदों को उन्नत करना;
3. वेतन मानों का संशोधन करना।

(ग) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग में अनेक पद पहले ही उन्नत किये जा चुके हैं।

हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड्स लिमिटेड, दिल्ली

5554. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री नम्बियार :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री नायनार :
श्री चक्रपाणि :
श्री विश्वनाथ मेनन :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री डी० डी० टी० फैक्टरी, दिल्ली के बारे में 8 जून, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1823 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली क्लाथ मिल्स से उसके कास्टिक सोडा संयंत्र का विस्तार करने तथा आशय पत्र जारी किये जाने के लिये आवेदन पत्र किस तारीख को प्राप्त हुआ था;

(ख) क्या यह सच है कि दिल्ली क्लाथ मिल्स ने अपने कास्टिक सोडा संयंत्र की क्षमता बढ़ाने के औचित्य के लिये हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड्स लिमिटेड द्वारा अपने दिल्ली के कारखाने के विस्तार के लिये क्लोरिन की अतिरिक्त सप्लाई के बारे में की गई प्रार्थना का उल्लेख किया था;

(ग) क्या यह भी सच है कि दिल्ली क्लाथ मिल्स को मुख्यतः हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड्स लिमिटेड के दिल्ली स्थित कारखाने के विस्तार के लिये अपेक्षित क्लोरिन की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये अपने कास्टिक सोडा संयंत्र का विस्तार करने के निमित्त आशय पत्र जारी किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड्स लिमिटेड को इस बात के लिये न मानने के क्या कारण है कि वह उन वर्तमान कास्टिक सोडा कारखानों से क्लोरीन जिन्हें क्लोरीन बेचने में कठिनाई हो रही है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और योजना तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० रघु रमैया) : (क) विस्तार के लिये प्रार्थना-पत्र की पावती की तारीख 31-10-1964 थी और 24 फरवरी, 1965 को आशय-पत्र जारी किया गया था ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) मैसर्स हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड्स लि० दिल्ली को क्लोरीन की सप्लाई के लिये कोई अन्य उचित साधन उपलब्ध नहीं हैं । मुख्य कठिनाई क्लोरीन को अन्य सोडा और क्लोरिन कारखानों से सिलिन्डरों में लाने की है, जो दिल्ली से 500–800 मीलों की दूरी पर है । अतः डी० डी० टी० फैक्टरी को अपने निकट के दिल्ली क्लाथ मिल्स के कास्टीक सोडा/क्लोरीन संयंत्र पर निर्भर रहने का विचार है ।

आन्ध्र प्रदेश सहकारी भूमि बन्धक बैंक लिमिटेड, हैदराबाद

5555. **श्री उमानाथ :**
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री सत्य नारायण सिंह :
श्री अनिरुद्धन :
श्री चक्रपाणि :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि पुनर्वित्त निगम ने आन्ध्र प्रदेश सहकारी भूमि बन्धक बैंक लिमिटेड, हैदराबाद के कार्यों की जांच के लिये दो महीने की अवधि निश्चित की है;

(ख) क्या यह सच है कि अवधि समाप्त हो गई है और जांच अभी पूरी नहीं हुई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) जांच कब तक पूरी हो जाने की सम्भावना है ?

उप प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) कृषि पुनर्वित्त निगम (एग्रिकल्चरल रिफाइनेंस कारपोरेशन) आन्ध्र प्रदेश में नागार्जुनसागर योजना के लिए आन्ध्र प्रदेश सहकारी भूमि बन्धक बैंक के माध्यम से धन की व्यवस्था कर रहा है। निगम ने, इस योजना के अन्तर्गत भूमि को खेती योग्य बनाने के काम की प्रगति की जांच की और चूंकि काम की प्रगति असन्तोषजनक पायी गई, इसलिये निगम ने नवम्बर 1966 में यह निश्चय किया कि उक्त बैंक द्वारा बनाई गई और कोई योजना न ली जाय। निगम के बोर्ड ने 8 मार्च 1967 को स्थिति की फिर से जांच की और बदली हुई परिस्थितियों तथा राज्य सरकार द्वारा किये गये विभिन्न उपायों को देखते हुए यह निश्चय किया गया है कि अब निगम नयी योजनाओं पर प्रत्येक मामले के गुण-दोषों के आधार पर विचार किया करेगा। बैंक की स्थिति की जांच करते समय, निगम ने समय की कोई सीमा निर्धारित नहीं की थी ।

(ख), (ग) और (घ) ये सवाल पैदा ही नहीं होते ।

तेल का पता लगाने के लिए खम्भात की खाड़ी में सर्वेक्षण

5556. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री रा० बरूआ :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खम्भात की खाड़ी में तेल निक्षेपों का पता लगाने के सम्बन्ध में रूसी विशेषज्ञों द्वारा हाल में किये गये भूकम्पीय सर्वेक्षणों के निष्कर्षों पर सरकार ने विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इन क्षेत्रों से यथा सम्भव अधिक तेल निकालने के लिये क्या अनुवर्ती उपाय किये गये हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघु रमैया) : (क) अन्तिम रिपोर्ट अभी रूसी विशेषज्ञों द्वारा तैयार की जा रही है। फिर भी सरकार को कई पूर्वक्षित संरचनाओं की मालूमात का पता है ।

(ख) तेल कम्पनियों के साथ अन्वेषण सम्बन्धी कार्यों, जिसमें व्यधन कार्य भी शामिल है, को करने के लिए बातचीत चल रही है ।

सरकारी उपक्रमों के सम्बन्ध में प्रशासनिक सुधार आयोग का प्रतिवेदन

5557. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग के सरकारी उपक्रम सम्बन्धी अध्ययन दल ने इन उपक्रमों में कार्यकुशलता के सुधार के लिये विस्तृत सिफारिशें की हैं;

(ख) क्या सरकार ने आयोग द्वारा किये गये विभिन्न सुझावों पर विचार किया है;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने किन-किन सुझावों को स्वीकार किया है और उन्हें कब तक क्रियान्वित किया जायेगा;

(घ) यदि अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है, तो सरकार इन सिफारिशों के सम्बन्ध में कब तक निर्णय कर सकेगी; और

(ङ) अपेक्स निगम की स्थापना सरकारी उपक्रमों का वाणिज्यिक आधार पर कार्य-संचालन और सरकारी हस्तक्षेप को दूर करने जैसे कुछ महत्वपूर्ण सुझावों के बारे में सरकार के क्या विचार हैं ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) 'अध्ययन दल' की नियुक्ति प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा की गयी थी। इस दल द्वारा की गयी सिफारिशों के विचाराधीन हैं, जो विभिन्न मामलों पर अपने विचारों को अन्तिम रूप देने के बाद, यथा समय अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश कर देगा।

(ग), (घ) और (ङ) ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

कोलार में सोने की खानें

5558. **श्री कृष्णन** :
श्री तुलसीदास दासप्पा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कोलार की सोने की खानों में कर्मचारियों तथा मजदूरों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या राष्ट्रीयकरण से पूर्व की स्थिति की अपेक्षा अब जन-शक्ति का अधिक उचित ढंग से उपयोग हो रहा है;

(ग) क्या प्रबन्ध के बारे में जन-साधारण तथा श्रमिकों में असन्तोष की भावना उत्पन्न हुई है; और

(घ) यदि हां तो वह असन्तोष क्या है और उसके समाधान के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

उप प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) कोलार स्वर्ण खान प्रतिष्ठान में पहली जून 1967 को कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार थी :

कर्मचारी (मासिक वेतन पाने वाले)	:	2544
मजदूर (दैनिक वेतन पाने वाले)	:	10439

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा इन खानों को अपने हाथ में ले लिये जाने के बाद से, चट्टानों के फटने और आग लगने आदि की घटनाओं को देखते हुए और खानों के पुरानी हो जाने के कारण राष्ट्रीयकरण से पहले और राष्ट्रीयकरण के बाद की अवधियों में मजदूरों की संख्या की दृष्टि से इन खानों के उत्पादन की प्रत्यक्ष रूप से तुलना नहीं की जा सकती । लेकिन खानों के केन्द्रीय सरकार के हाथ में आने के बाद एक वर्ष से कम की सेवा की अवधि वाले कर्मचारियों की छंटनी कर दी गई थी और एच्छिक सेवा निवृत्ति (वालंटरी रिटायरमेण्ट) की एक योजना भी शुरू की गयी थी । कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने या उनकी मृत्यु होने आदि से भी कर्मचारियों की संख्या कम हो गई है । फालतू कर्मचारियों का पता लगाने और ऐसे कर्मचारियों को और जगहों में खपाने के लिए बराबर प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

(ग) और (घ) सरकार को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि जनता ने इस सम्बन्ध में किसी तरह का असन्तोष प्रकट किया है । लेकिन मजदूरों ने अपने संघों द्वारा, 1-12-1962 से 31-3-1964 तक की अवधि का बोनस न मिलने पर कभी-कभी अपना असन्तोष अवश्य प्रकट किया है । इस अवधि के बोनस से सम्बद्ध मामले को फैसले के लिए सौंप दिया गया है ।

Subordinate Offices Declared Autonomous Bodies

5559. Shri Molahu Prasad :
Shri J. H. Patel :
Shri Maharaj Singh Bharati :
Shri Ram Sewak Yadav :

Will the **Minister of Finance** be pleased to state :

(a) the number of subordinate offices under the various Ministries of the Government of India declared autonomous during the last ten years;

(b) the amount of additional expenditure incurred by Government as a result thereof; and

(c) the extent to which the control exercised by Government on these offices has been affected as a result thereof ?

Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House as early as possible.

Supply of Inferior Quality Paper to Publishers

5560. Shri Molahu Prasad :
Shri Maharaj Singh Bharati :
Shri J. H. Patel :

Will the **Minister of Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that private publishers and writers are supplied inferior quality of paper for publishing their books, whereas most of the publications of the Government of India like, Vigyan Pragati etc. are published on very fine paper;

(b) if so, the reasons for supplying fine paper for Government publications; and

(c) when this discrominatory traetment will end ?

Deputy Minister of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) : (a) The Directorate General of Supplies and Disposals not make any supplies of paper to private publishers and writers. There is no control on the distribution of paper, and its trade is quite free. The private publishers and writers can by paper of any quality of their choice and in any quantity they required.

(b) and (c) Do not arise.

Adjustment of Rents for Quarters Due to Increase in Emoluments.

5561. Shri Molahu Prasad : **Shri Mahraj Singh Bharati :**
Shri J. H. Patel : **Shri Ram Sewak Yadav :**

Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) where it is a fact that when a Government servant gets his annual increments, the rent of Government quarter allotted to him is not charged on his revised pay and the arrears go on accumulating;

(b) if so, whether it is also a fact that the arrears of rent are realized from the employees in 2-3 instalments which adversely affect their monthly family budget;

(c) whether some representations have been received in this regard; and

(d) if so, whether Government propose to ensure that in future the increased house rent as a result of annual increment, is realized regularly as and when the pay increases ?

The Deputy Minister of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) (a) To cut down paper work, monthly bills are prepared on the basis of standard rent bills and adjustments due to grant of increments or other reasons are made once a year September in the case of gazetted officers and March in the case of non-gazetted officers.

(b) and (c) No. Where considered necessary, recovery of arrears is suitably spread over so as not to cause undue financial hardship.

It has also been decided that payment of arrears of rent in the case of employees drawing Rs. 500/- per month and less should not be more than Rs 10/- per month.

(d) For reasons mentioned above, there is no proposal to change the present arrangement

Inclusion of City Compensatory Allowances for Eligibility to Various Types of Accommodation

5562. Shri Maharaj Singh Bharati : **Shri J. H. Patel :**
Shri Molahu Prasad : **Shri Ram Sewak Yadav :**

Will the Minister of Work, Housing and Supply be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 10 per cent of the pay and city compensatory allowance is deducted as house rent from the emoluments of the employees to whom Government accommodation has been allotted, whereas city compensatory allowance is not included while determining the eligibility for the type of quarter;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether Government propose to include the city compensatory allowance also for derermining the eligibility for the types of accommodation in future; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) (a) Yes, in case of employees drawing emoluments less than Rs. 150/- per mensem house rent is charged only at the rate of $7\frac{1}{2}\%$ of the rate of emoluments.

(b) Emoluments cover city compensatory allowance and other allowances. The Second Pay Commission also went into this matter and felt that rent should continue to be calculated on the basis of pay plus city compensatory allowance.

(c) No.

(d) City Compensatory Allowance is not payable at all station in India. At other places it is a variable factor. Administratively, it will not be desirable to have different categorisation for different cities.

Rihand Dam Reservoir

*5563. **Shri Bansh Narain Singh : Shri Nihal Singh : Shri Kedar Paswan : Shri Satya Narain Singh :**

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the water in Rihand Dam reservoir in Uttar Pradesh is drying up as a result of which there is fear of reduction in electic production; and

(b) if so, whether Government are formulating any plan to improve the situation ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) Yes. The water level in the Rihand reservoir has been depleted due to poor monsoon last year. This has adversely affected the electricity generation in Rihand power system.

(b) Substantial relief has already been arranged from the neighbouring DVC power system which has been exporting about 1·5 million units on the average of the Rihand system since the first week December 1966. Efforts have also been made to generate the maximum output at existing small thermal stations and to expedite commissioning of new thermal installations at Obra and Panki.

Small Scale Power Production Schemes in Private Sector

*5564. **Shri Bharat Singh Chauhan : Shri Hukam Chand Kachwai : Shri S.S. Kothari : Shri Srichand Goel : Shri Ram Singh Ayarwal :**

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether Government have any proposal under consideration to accord premission to the private enter preneurs to undertake small-scale power production schemes; and

(b) if so, the deiails thereof ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) No.

(b) Does not arise.

Drug Factory at Madras in Collaboration with the U. S. S. R.

5565. **Shri Y. S. Kushwah :**
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Nihal Singh :

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1125 on the 1st June, 1967, and state :

(a) whether an offer has since been received from U.S.S.R. in regard to the establishment of a factoy in Madras to manufacture medicines for the treatment of cancer, gastro-enteritis and eye diseases;

(b) if so, the details thereof; and

(c) when this work is likely to be completed ?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. S. Chandrasekhar) (a) No.

(b) and (c) Do not arise.

Payment of Night Duty Allowance

5566. **Shri Nihal Singh :**
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Y. S Kushwah :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether any night duty allowance is paid to those Government employees who attend their duty at night; and

(b) if so, the category-wise details thereof and the actual hours of work they have to put in while on duty ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) and(b) The practice in this respect in the various Ministries is not uniform. The information is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as it becomes available.

Facilities to Backward Classes

5567. **Shri Y. S. Kushwah :**
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Nihal Singh :

Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that other Backward Classes are not given any facility in comparison to those given to the Scheduled Castes;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether it is a fact that Government have refused to give monetry assistance to the other Backward Classes; and

(d) if so, whether there is any proposal to abolish the other Backward Classes and to include them in other castes ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Smt. Phul Renu Guha) :

(a) and (b) More facilities are given to the Scheduled Castes because they are subject to more severe disabilities.

(c) and (d) No.

विट्ठलभाई पटेल हाउस, नई दिल्ली

5568. श्री शिव चण्डिका प्रसाद : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नार्थ ऐवेन्यू तथा साउथ ऐवेन्यू के 'ए' टाइप के फ्लैटों की तुलना में विट्ठलभाई पटेल हाउस में एक कमरे वाले फ्लैटों में स्थान कम है तथा सुविधायें भी कम हैं और उनका किराया अधिक है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार संसद सदस्यों के लिये इसका किराया तुरन्त 30 प्रतिशत घटाकर नार्थ ऐवेन्यू तथा साउथ ऐवेन्यू के 'ए' टाइप फ्लैट के किराये बराबर करने का है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (सरदार इकबाल सिंह) : (क) विट्ठल भाई पटेल हाउस तथा नार्थ एवं साउथ ऐवेन्यू के 'ए' टाईप के फ्लैटों में दी गई सुविधाओं तथा उनके लिए वसूल किए जाने वाले किराये का विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी 1030/67]** विट्ठलभाई पटेल हाउस की बनावट अधिक साफ तथा अधिक आधुनिक है यद्यपि अधिक लागत को ध्यान में रखते हुए फ़र्श का क्षेत्रफल कम कर दिया गया है।

(ख) जी नहीं।

Facilities to Scheduled Castes who have Adopted Buddhism

5569. Shri D. S. Patil : Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether Government have taken a decision to extend the same educational and financial facilities to those members of the Scheduled Castes who have adopted Buddhism, as are extended to members of the Scheduled Castes at present; and

(b) if so, when the said facilities of the likely to be extended to them ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Smt. Phulreneu Guha) :

(a) No.

(b) Does not arise.

सरकारी उपक्रम

5570. श्री मि० सू० मूर्ति : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में भर्ती, वेतन-मान और सेवा की शर्तों आदि में कोई एक रूपता नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में एक रूपता लाने के लिए कोई योजना लागू करने का है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) (क) और (ख) सरकारी उपक्रमों में जिन प्रबन्धकीय उच्च पदों पर सरकार द्वारा नियुक्तियां की जाती हैं, उनके सम्बन्ध में भर्ती की विधि, वेतन और सेवा की अन्य शर्तों के मान निश्चित कर दिये गये हैं। उपक्रमों के अधिकार से बाहर वाले पदों पर नियुक्तियों की स्वीकृति देते समय भी सरकार द्वारा वेतन आदि के मामलों में भी किसी हद तक एकरूपता रखने की आवश्यकता का ध्यान रखा जाता है। जहां तक उपक्रमों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले पदों का सवाल है प्रत्येक उद्योग की भिन्न-भिन्न परिस्थितियों को देखते हुए वेतनमानों आदि में पूर्ण एकरूपता लाना सम्भव नहीं है, तथापि इन मामलों में सरकार ने मार्ग-दर्शन के कुछ सिद्धान्त निर्धारित कर दिये हैं।

चौथी योजना की परियोजनायें तथा लक्ष्य

5571. श्री बाबूराव पटेल : क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना की परियोजनाओं और लक्ष्यों के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो किन महत्वपूर्ण परियोजनाओं को निकाल अथवा कांट-छांट दिया गया है तथा योजना विनियोजन को कितना कम कर दिया गया है ?

योजना, पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री अशोक मेहता) : (क) और (ख) चतुर्थ योजना की प्रारूप रेखा के प्रकाशित होने से अब तक, आर्थिक स्थिति में हुए परिवर्तनों के प्रकाश में उसका पुनर्विलोकन किया जा रहा है और पुनर्विलोकन के पूरा होने के बाद ही आवश्यक पुनरीक्षण की हद का पता लगेगा।

रणजीत होटल, नई दिल्ली

5572. श्री बाबूराव पटेल : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रणजीत होटल का जिसमें 242 लोगों के ठहरने की व्यवस्था की गई है और जिसे वर्ष 1965 के नवम्बर मास में ही आरम्भ किया गया था निर्माण कार्य निम्न स्तर का पाया गया है और उसके कुछ भाग तो ऐसे हैं जिनमें रहना खतरनाक है;

(ख) इसे बनाने का काम किन-किन ठेकेदारों को सौंपा गया था और उन्हें कितनी कितनी राशि दी गई थी;

(ग) जिन सरकारी अधिकारियों ने इसके निर्माण-कार्य की देखभाल तथा निरीक्षण किया और बिलों के भुगतान की मंजूरी दी उनके नाम तथा पद क्या हैं; और

(घ) क्या इस रणजीत होटल काण्ड की पूरी तरह जांच करने के लिये सरकार का विचार एक उच्च शक्ति-प्राप्त समिति नियुक्ति करने का है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (घ) जी नहीं। न तो रणजीत होटल का निर्माण कार्य निम्न स्तर का है और न उसके कुछ भाग ऐसे हैं जिनमें रहना ख़तरनाक है। केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सैन्ट्रल विर्जीलेंस कमीशन) के मुख्य तकनीकी परीक्षक (चीफ टैक्नीकल एग्ज़ामिनर) के द्वारा भवन की परीक्षा की गयीं है तथा उन्होंने कुछ मामूली कमियां बताई थीं जिनसे भवन की संरचनात्मक सुरक्षा पर किसी प्रकार के प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है। इसे दूर करने की कार्यवाई की जा रही है। जांच के लिए किसी समिति की नियुक्ति की कोई आवश्यकता नहीं।

(ख) और (ग) विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 1031/67]**

दिल्ली में झुग्गी-झोपड़ी योजना

5573. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस दृष्टि से कि स्थानापन्न स्थानों में जब तक न्यूनतम नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था नहीं की जाती किसी भी गन्दी बस्ती को न हटाया जाये, दिल्ली में झुग्गी-झोंपड़ी योजना का कोई पुनरीक्षण लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पुनरीक्षण का ब्यौरा क्या है और नये स्थानों में न्यूनतम नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख) जी हां। निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्री ने 11 जुलाई, 1967 को दिल्ली के उप-राज्यपाल, दिल्ली प्रशासन के मुख्य कार्यकारी पार्षद, दिल्ली नगर निगम के मेयर, नई दिल्ली नगरपालिका के अध्यक्ष तथा अन्य सम्बन्धित व्यक्तियों के साथ एक बैठक की थी जिसमें झुग्गी-झोंपड़ी हटाने की योजना की समस्याओं पर विचार किया गया था। इस बैठक में यह सुझाव दिया गया था कि क्योंकि जुलाई, 1960 से पूर्व तथा जुलाई, 1960 के पश्चात के अनधिवासी आपस में मिल गये हैं तथा यह क्षेत्र तब तक साफ नहीं हो सकता जब तक कि दोनों श्रेणियों के अनधिवासी न हटा दिये जायें, अतएव जुलाई, 1960 के बाद के अनधिवासियों

को भी दिल्ली के परिसर में मितोपभोगता के आधार पर विकसित बस्तियों में प्लाट आवंटित किये जायें । इस सुझाव की परीक्षा की जायेगी । इस योजना में पहले ही यह व्यवस्था है कि इस योजना के अन्तर्गत जिन बस्तियों में पात्र अनधिवासी हटाये जायें, उनमें सड़क, पानी की सप्लाई, सामुदायिक शौचालय, सड़क की बत्तियों जैसी मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था हो ।

T. A. and D. A. to O ficers during 1966-67

5574. **Shri Ram Charan** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the amount of Travelling Allowance and Daily Allowance drawn by Class I and Class II Officers in the various Ministries of the Government of India during 1966-67;

(b) how this figure compares with that of 1965 66; and

(c) the steps Government propose to take to reduce expenditure under these heads ?

The Deputy Prime Minister and Minist r of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) and (b) Information is not readily available. It is being collected from the various Ministries and will be laid on the Table of the House as early as possible.

(c) During 1966-67, certain measures for achieving economy in T.A. expenditure were introduced. The scale of allowance for incidentals for journeys on tour by air was reduced from Rs. 30 to Rs. 20 per journey; the incidentals for rail journeys on tour were restricted to one daily allowance for journeys of duration of 24 hours or a part thereof; the Ministries were instructed that officers while going on tour should not be permitted to take with them their personal or other staff except in very special circumstances; and air travel outside India was restricted to Economy Class except in the ceses of Ministers, M. Ps., Secretaries and Heads of Missions. The directions in which further economy can be effected, however, continue to be under examination.

Removal of Telephones From Under Secretaries Residences

5575. **Shri Ram Charan** : Will the Minister of Finance be pleased to state ;

(a) whether it is a fact that sometime back his Ministry decided to remove telephones from the residences of Under Secretaries and officers holding equivalent posts in his Ministry;

(b) if so, whether it is also a fact that this decision was cancelled due to certain reasons;

(c) if so, what are those reasons;

(d) whether Government propose to remove all telephones from the residences of these officers and employees except those who have been assigned very important jobs in view of present financial difficulties and heavy demand of the public for telephones; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) As one of the several measures to achive a 3% reduction in the administrative budget, one of the Departments of the Ministry of Finance decided in August, 1966 to discontinue residential telephones allotted to Under Secretaries and officers holding equivalent posts.

(b) and (c) Withdrawal of residential telephones from Under Secretaries was not considered feasible in respect of the Ministry of Finance alone and hence the question was examined as a general issue. A decision was then taken that the status quo should continue in this matter, and expenditure on telephones should be controlled in other ways.

(d) The matter is receiving attention.

(e) Does not arise.

कोटा में गैस टरबाइन

5576. श्री ओंकार लाल बेरवा : क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लागत अधिक होने के कारण राजस्थान सरकार कोटा में लगाये गये गैस टरबाइन को बेचने का विचार कर रही है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार से भी इसे खरीदने का अनुरोध किया गया था और यदि हां, तो क्या उसका विचार इसे खरीदने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसका क्या कारण है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : (क) राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड गैस टरबाइन यूनिट को गुजरात बिजली बोर्ड को देने के लिये सहमत हो गई है क्योंकि इसमें हाई स्पीड डीजल तेल के प्रयोग के कारण पैदा की गई बिजली बहुत महंगी पड़ती है ।

Gandhi Sagar Dam

5577. Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Onkar Singh :
Shri N. S. Sharma :
Shri Beni Shankar Sharma :

Will the **Minister of Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the quantity of water in the Gandhi Sagar Dam at present;

(b) whether it would be sufficient to generate full quantum of electricity; and

(c) if not, the steps taken to augment the supply of water and estimated amount to be spent by Government thereon ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) 0.674 maft RL 1249.97 on the 7th July, 1967.

(b) No.

(c) Augmentation of water supply iu the reservoir depends on adequate rains in the catchment.

Opium

5578. Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Onkar Singh :
Shri N. S. Sharma :
Shri Beni Shankar Sharma :

Will the **Minister of Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that opium is extensively produced in some parts of Rajasthan which is a foreign exchange earner;

(b) if so, the steps taken by Government to provide incentives for greater cultivation of opium; and

(c) the amount of foreign exchange earned during 1966-67 through the export thereof ?

The Deputy Prime Minister and the Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) and (b) During 1966--67 season opium was produced in the districts of Kotah, Bundi, Jhalawar, Chittorgarh and Bhilwara of Rajasthan. The quantity produced in Rajasthan and in the other. two poppy growing States of Uttar Pradesh and Madhya Pradesh as well as the area licensed for poppy cultivation in these States vary from year to year depending mainly on the requirement of opium for export outside India. The quantity of opium produced during the last three years in Rajasthan is indicated below:-

Year	Quantity produced at 90 consistence. (tons)
1964—65	166
1965—66	110
1966—67	117

There is usually no difficulty in securing the area required to be brought under poppy cultivation. In order to provide incentive to the cultivators to increase the yield and to tender to the Government all the opium produced, the purchase price is fixed on a sliding scale, with higher prices for higher yield per hectare and a cash prize is awarded to cultivators whose average yield is above a prescribed limit.

(c) About Rs. 428 lakhs.

Slum Clearance Schemes in Delhi

5579. **Shri Eswara Reddy** : Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) whether Government have reviewed the progress of the Slum Clearance Schemes in Delhi;

(b) if so, the results thereof;

(c) what is the total amount so far spent by the Centre in this respect;

(d) whether Government propose to revise the schemes; and

(e) if so, the details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) : (a) to (c) The progress of the schemes is being watched through the periodical progress reports received from the Delhi Administration. So far 11,329 houses have been sanctioned for construction, out of which 6683 houses have been completed and 3872 are under construction. In addition, improvements have been carried out in a large number of katras and bastees. A sum of Rs. 714.73 lakhs has been spent upto 1966-67, for the implementation of the Scheme.

(d) There is no such proposal at present.

(e) Does not arise.

Jhuggi-Jhopari Problem in Delhi

5580. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Arjun Singh Bhadoria :
Shri Atam Das :
Shri Ram Avtar Sharma:
Shri Y. S. Kushwah :
Shri J. Sundar Lal :
Shri Ramji Ram :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) whether the Chief Executive Councillor of the Delhi Metropolitan Council has requested the Prime Minister to call a meeting for solving the problem of Jhuggi-Jhoparis; and

(b) if so, Government's reaction in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) : (a) and (b) Yes. A meeting was held on the 11th July, 1967, by the Minister of Works, Housing and Supply with the Lt. Governor, Chief Executive Councillor, Mayor of Delhi Municipal Corporation and Vice-Chairman, Delhi Development Authority etc. in which the problems relating to the removal of Jhuggis and Jhonpris were discussed.

श्री राम रतन गुप्त से आयकर की बकाया राशि को बट्टे खाते में डालना

5581. श्री बाबूराम पटेल : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्री राम रतन गुप्त के मामले में 30 लाख 41 हजार रुपये की आयकर की बकाया राशि को सरकार ने किन कारणों से बट्टे खाते डाला था; और

(ख) इस करदाता द्वारा क्या सारभूत तथ्य छिपाये गये जिनसे आयकर विभाग पूर्णतया धोखा खा गया और इस राशि को बट्टे खाते में डाले जाने की सिफारिश करने के लिये मजबूर हो गया ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) कर-निर्धारितियों द्वारा दी गई परिसम्पत्तियों की सूची के अनुसार परिसम्पत्तियों का मूल्य बकाया कर की बकाया रकम से बहुत कम था, अतः उस सूची के आधार पर यह समझौता किया गया कि यदि वे 22 लाख रुपये अदा कर दें तो 30.41 लाख रुपये की रकम बट्टे खाते डाल दी जायगी। उन्होंने यह रकम अदा कर दी।

(ख) अब यह पता चला है कि समझौते के समय कर-निर्धारितियों ने अपनी सारी परिसम्पत्तियां प्रकट नहीं की थी। इसलिये बट्टे खाते डाली गई रकम को वसूल करने के लिये कार्यवाही की गई है।

आन्ध्र प्रदेश में उर्वरक कारखाना

5582. **श्री क० प्र० सिंह देव :**
श्री प्र० के० देव :
श्री म० मांझी :
श्री क० नारायण राव :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश के तेलगाना क्षेत्र में एक गैर सरकारी फर्म, बेरियम केमिकल्स लिमिटेड ने अमरीकी सहयोग से एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और योजना तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघु रमैया) : (क), (ख) और (ग) मैसर्ज बेरियन केमिकल्स लि० ने आन्ध्र प्रदेश में उर्वरक सन्यन्त्र की स्थापना के लिये दिलचस्पी प्रकट की है। प्राप्त प्रारम्भिक ब्यौरों के अनुसार कारखाने में 30,000 मीटरी टन यूरिया तैयार होगा और इस पर लगभग 35 करोड़ रुपये खर्च होंगे। स्थल का निर्णय नहीं हुआ है। सरकार प्रस्ताव पर तभी विचार करेगी जब इन मामलों में आवश्यक तमाम ब्यौरें उपलब्ध होंगे।

महानगर परिवहन दल

5583. श्री शिवचंद्र झा :
श्री मरंडी :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने दिल्ली, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में परिवहन सम्बन्धी वर्तमान सुविधाओं का अनुमान लगाने तथा स्थिति में सुधार करने के उपाय सुझाने के लिये मध्य रेलवे के भूतपूर्व मुख्य इंजीनियर, श्री ए० वी० डी० कास्टा की अध्यक्षता में नौ-सदस्यीय महानगर परिवहन दल बनाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उस दल का प्रतिवेदन छप गया है;

(ग) यदि हां, तो उसकी उपपत्तियां तथा सिफारिश क्या हैं ?

योजना, पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री अशोक मेहता) : (क) से (ग) जी हां।

महानगरीय परिवहन दल ने हाल ही में एक अन्तरिम प्रतिवेदन निकाला है जिसे सभी सम्बन्धित राज्य सरकारों को, उनके विचार जानने के लिये परिचालित किया गया है। प्रतिवेदन की प्रतियां पहले ही संसद् पुस्तकालय में रख दी गई हैं और अध्ययन दल की मुख्य सिफारिशें और निष्कर्ष पृष्ठ 241-262 पर दिये गये हैं।

(घ) प्रतिवेदन अभी सम्बन्धित राज्य सरकारों के विचाराधीन है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

नगरों में गंदी बस्तियों का हटाना

5584. **श्री शिवचन्द्र झा :** क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता जैसे नगरों तथा राज्यों की अन्य राजधानियों में अभी गन्दी बस्तियां हैं;

(ख) यदि हां, तो इन बड़े नगरों में तथा समस्त भारत में इन गन्दी बस्तियों में कुल कितने लोग रहते हैं; और

(ग) गन्दी बस्तियों को हटाने के लिये चौथी योजना अवधि में क्या नीति अपनाई जायेगी तथा इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये कितना धन खर्च किया जायेगा ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालयमें उपमंत्री, (सरदार इकबाल सिंह) : (क), (ख) और (ग) जी हां, यह ठीक है कि दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता आदि नगरों में बड़ी गन्दी बस्तियां (स्लम्स) हैं। किन्तु, भारत के बड़े नगरों में गंदी बस्तियों (स्लम्स) में रहने वालों की संख्या उपलब्ध नहीं है। गन्दी बस्तियों की सफाई तथा सुधार के लिए सरकार एक योजना बना चुकी है, जिसके अन्तर्गत मकान की लागत का $87\frac{1}{2}$ प्रतिशत–50 प्रतिशत ऋण के रूप में तथा $37\frac{1}{2}$ प्रतिशत अनुदान के रूप में केन्द्रीय वित्तीय सहायता दी जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत अभी तक लगभग 29 करोड़ रुपया खर्च हुआ है तथा लगभग 58,500 मकान बनाये गये हैं। यह योजना चौथी योजना की अवधि में बराबर क्रियान्वित होती रहेगी तथा इस पर 58 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है। यह एक जटिल समस्या है जिसे बिल्कुल समाप्त करने में बड़ा समय लगेगा।

दिल्ली मकान मालिक संगठन

5585. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शासन को दिल्ली प्रदेश मकान मालिक संगठन से दिनांक 18 मई, 1967 को अभ्यावेदन मिला है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) एसोसियेशन ने यह अभ्यावेदन किया है कि:–

(i) किरायेदारों से मकान मालिकों को देय बकाया किराये की वसूली के लिए सरकार समुचित व्यवस्था करे।

(ii) जो किरायेदार लगातार तीन महीने तक किराया देने में असफल रहें उन्हें किसी भी प्रकार की सुरक्षा न दी जाये।

(iii) मूल्य सूचांक के अनुपातानुसार किराया बढ़ाया जाये।

उन्होंने यह धमकी दी है कि यदि तीन महीने के भीतर इन मांगों को नहीं माना गया तो वे राजधानी में 'घेरा आन्दोलन' आरम्भ कर देंगे।

(ग) इस अनुरोध पर इकतरफा कार्यवाही नहीं की जा सकती किन्तु अन्य सम्बन्धित पक्षों को लेकर ही कार्यवाई की जा सकती है। यदि विभिन्न पक्षों पर विचार के बाद सरकार इस निर्णय पर पहुंचे कि एक्ट में किसी संशोधन की आवश्यकता है तो यथासमय कार्यवाई की जायेगी।

भारत के रिजर्व बैंक में करंसी नोटों को नष्ट करने की प्रक्रिया

5586. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री मधु लिमये :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के रिजर्व बैंक में करंसी नोटों को नष्ट करने के लिये एक विशेष और आपातकालीन प्रक्रिया लागू की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रक्रिया के अन्तर्गत नष्ट किये जाने वाले नोटों को नष्ट करने से पहले जांच नहीं की जाती;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप नोट बिना उचित जांच के नष्ट कर दिये जाते हैं;

(घ) यदि हां, तो ऐसे दोषपूर्ण तरीके को अपनाने का क्या कारण है; और

(ङ) सरकार ने इस क्रिया में सुधार करने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

उप-प्रधान मन्त्री और वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ङ) : पिछले महायुद्ध के दौरान और उसके बाद जब भी जरुरत पड़ी एक विशेष 'आपातकालीन प्रणाली' समय समय पर किसी न किसी रूप में लागू की गयी है। यह प्रणाली सिर्फ खास-खास मामलों में ही अपनायी जाती है; आम तौर से लागू नहीं की जाती। नोटों का चलन बढ़ जाने के कारण, और इस बात की जरूरत के कारण कि चलन से वापस आये गन्दे नोटों को शीघ्रता के साथ नष्ट कर दिया जाय और इस प्रकार के नोटों का ज्यादा इकट्ठा होना रोका जाय, इस प्रणाली को अपनाना आवश्यक हो गया है। इस आपातकालीन प्रणाली के अन्तर्गत चौकसी की किसी भी आवश्यक कार्रवाई को छोड़े बिना, विभिन्न प्रकार की परीक्षणात्मक पड़तालें निर्धारित कर दी गयी हैं। यहां यह बताया जाना भी उचित है कि आपातकालीन प्रणाली, एक विशेष अधिकारी और बैंक की कोषाध्यक्षशाखा के एक वरिष्ठ अधिकारी की देखरेख में काम लायी जाती है। प्रेषण कार्यालय का प्रतिनिधि भी नोटों के नष्ट किये जाने

से पहले सुरक्षित कक्षों (वाल्टों) से उनके बाहर निकाले जाने और उनकी पड़ताल की कार्रवाई को देखने के लिए उपस्थित रहता है।

Eradication of Cholera

5587. **Shri Ramavatar Shastri :**
Shri Bhogendra Jha :
Shri K. M. Madhukar :
Shri K. P. Singh Deo :
Shri D. N. Deb :

Will the **Minister of Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) the number of Districts in the country which are affected by Cholera every year;

(b) the States where the attack of cholera is the severest;

(c) the number of persons who lose their lives as a result of cholera every year and the States where the number of victims is the highest;

(d) the causes of cholera epidemic; and

(e) the measures being adopted by Gevernment to eradicate Cholera epidemic for good from the country and the time by which this object is expected to be achieved ?

The Minister for Health & Famity Planning (Dr. S. Chandrasekhar) : (a) 29 Districts were affected by Cholera every year during the period 1960 to 1966.

(b) The States of Bihar, West Bengal, Andhra Pradesh, Maharashtra, Madras, Orissa and Mysore are highly endemic in respect of Cholera.

(c) The average number of deaths from cholera every year is 14,571. The above mentioned States accounted for 88.68% of the total deaths during the last ten years.

(d) The various factors responsible for cholera endimicity are poor environmental sanitation (especially water supply and disposal of excreta), over-crowding and low level of personal hygiene. It is carried from the endemic to other areas by population movements.

(e) The eradication of cholera depends upon the improvement of environmental sanitation and the provision of protected water supply. These are long term measures and are being developed under the National Water Supply and Sanitation schemes included in the successive Five Year Plans. Besides, a Cholera Control Scheme has been drawn up for the Fourth Plan. The scheme envisages (i) the setting up of a Central and three Regional organisations, (ii) the establishment of an Epidemiological cell and a Field Mobile Unit in all the endemic States, and (iii) the appointment of Basic Health Workers (Cholera) in the hyper-endemic States, so that any focal outbreaks may be controlled as soon as they occur.

तापी घाटी परियोजना

5588. **श्री राने :** क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्यान्न नीति समिति ने, जिसके अध्यक्ष सर पुरूषोत्तमदास ठाकुरदास थे, 1948 में हतनूर नामक तापी घाटी परियोजना की सिफारिश की थी;

(ख) यदि हां, तो केन्द्राय जल तथा विद्युत आयोग द्वारा तुरन्त उसे आरम्भ न किये जाने के क्या कारण थे;

(ग) क्या यह सच है कि एक संसद् सदस्य 1953 से इस परियोजना के लिये जोर देते रहे हैं; और

(घ) क्या महाराष्ट्र सरकार ने चौथी योजना में अपर तापी घाटी परियोजना को क्रियान्वित करना स्वीकार कर लिया है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (ड० कु० ल० राव) : (क) जी, हां।

(ख) सिंचाई परियोजनाएं सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा निष्पादित की जाती हैं।

(ग) जी हां।

(घ) महाराष्ट्र सरकार के ऊपरी तापी घाटी परियोजना को चतुर्थ योजना में शामिल करने की सिफारिश की है।

राज्यों के आय-व्ययक सम्बन्धी अनुमान

5589. श्री राने : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों के वर्ष 1967–68 के आय–व्ययक अनुमानों में केन्द्रीय सरकार के ऋण को चुकाने की व्यवस्था की गई है; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य ने इसके लिये कितनी राशि की व्यवस्था की है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जिन राज्यों के 1967–68 के बजट अब तक प्रस्तुत हो चुके हैं उनमें भारत सरकार को देय बकाया रकमों की अदायगी के लिए उचित व्यवस्था की गयी है, केवल जम्मू तथा कश्मीर के अन्तरिम बजट में इस निमित्त कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। जम्मू तथा कश्मीर राज्य का अन्तिम बजट अभी प्रस्तुत किया जाना है।

(ख) सभा पटल पर एक विवरण रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1032/67]**

अमरीकी कृषि समिति

5590. श्री नायनार : क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दिसम्बर में अमरीकी कृषि समिति के अध्यक्ष, श्री पोगे भारत आये थे;

(ख) यदि हां, तो क्या चौथी पंचवर्षीय योजना की योजनाओं के बारे में उन्होंने कोई सुझाव दिये हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सुझाव दिये हैं ?

योजना, पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री अशोक मेहता) : (क) जी, हां ।

(ख) जी. नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

गोवर्धन नाला

5591. श्री मरंडी : क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हरयाना, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश राज्यों के सिंचाई मन्त्रियों ने गोवर्धन नाले से सम्बन्धित समस्याओं के बारे में उनके साथ विचार-विमर्श किया था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या विचार-विमर्श किया गया था; और

(ग) क्या निर्णय किये गये ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) इस बैठक में, गोवर्धन नाले से सम्बन्धित समस्याओं की जांच करने के लिये सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर चर्चा की गई थी । मन्त्रियों में चर्चा के बाद निम्न निर्णय किये गये थे:—

(1) फिलहाल इन नालों से हरियाणा को 400 क्यूसेक्स, राजस्थान को 640 क्यूसेक्स और उत्तर प्रदेश को 1000 क्यूसेक्स पानी दिया जाये और दो वर्ष तक इस कार्य को देखा जाये ।

(2) हरियाणा सरकार को तुरन्त ही उज्जीना नाले के मुहाने पर एक रेगुलेटर का निर्माण करना चाहिये बाढ़ को नियन्त्रित किया जा सके ।

(3) सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा नालों के परीक्षण तीन स्थानों पर किये जाने चाहिये, अर्थात्, उज्जीना नाले के मुहाने पर रेगुलेटर; हरियाणा-राजस्थान सीमा पर रेगुलेटर तथा राजस्थान-उत्तर प्रदेश सीमा पर रेगुलेटर । उन्हें एक दूसरे को तथा केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग को सूचना देनी चाहिये ।

(4) जहां पर यह नाला रारस्थान से गुजरता है या उसका एक किनारा राजस्थान में और दूसरा उत्तर प्रदेश में है उन स्थानों पर नाले की देखरेख के संबंध में क्या प्रणाली अपनाई जाये इस पर उत्तर प्रदेश और राजस्थान के मुख्य इंजीनियर चर्चा करेंगे ।

बड़ी सिंचाई परियोजनाओं पर व्यय

5592. श्री सिक्वेरा :
डा० सूर्य प्रकाश पुरी :
श्री कामेश्वर सिंह :

क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहली, दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं में पृथक-पृथक बड़ी सिंचाई परियोजनाओं पर कुल कितने क्षेत्र (हैक्टेयरों में सिंचाई हुई; और

(ख) उक्त योजनाओं में से प्रत्येक में कुओं तथा नलकूपों पर कुल कितनी राशि खर्च की गई और उनसे हैक्टेयर भूमि में सिंचाई हुई ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : (क) प्रथम, द्वितीय और तृतीय पंचयर्षीय योजनाओं की मुख्य सिंचाई परियोजनाओं पर व्यय की गई कुल राशि इस प्रकार है:-

प्रथम योजना (योजना पूर्व व्यय सहित)	318.05	करोड़ रु०
द्वीतीय योजना	109.45	करोड़ रु०
तृतीय योजना	338.22	करोड़ रु०

इन परियोजनाओं द्वारा तीनों योजनाओं के दौरान कुल 39.1 लाख हैक्टेयर भूमि में सिंचाई की गई ।

(ख) कुंओं और नलकूपों के बारे में जानकारी खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय से प्राप्त की जा रही है ।

अफीम का तस्कर व्यापार

5593. श्री शिवचन्द्र झा : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा गरेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय पत्तनों पर अफीम का तस्कर व्यापार बड़ी मात्रा में चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो किस–किस देश को चोरी छिपे अफीम ले जायी जाती है और अफीम के इस तस्कर व्यापार से सरकार को सीमा-शुल्क के रूप में कितनी वार्षिक हानि होती है;

(ग) तीन पंचवर्षीय योजनाओं में अफीम के तस्कर व्यापार को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है और चोरी छिपे लाये जाने वाली कितने मूल्य की अफीम अब तक पत्तनों पर पकड़ी गई है; और

(घ) अफ़ीम के इस व्यापार के सम्बन्ध में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की कालावधि में सरकार क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) भारतीय बन्दरगाहों पर अफ़ीम का तस्कर व्यापार नगण्य है ।

(ख) पिछले तीन वर्षों में पाकिस्तान, हांगकांग, सुदूर पूर्व, सिंगापुर तथा फारस की खाड़ी में स्थित बन्दरगाहों को चोरी छिपे अफ़ीम ले जाने के प्रयत्न किये गये हैं । अफीम के निर्यात पर कोई सीमाशुल्क नहीं है ।

(ग) और (घ) अफीम के तस्कर व्यापार को रोकने से सम्बन्धित प्रवर्तन कार्य में नियुक्त सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क, पुलिस तथा नारकोटिक्स आयुक्त कार्यालय जैसे सभी विभागों द्वारा देश के भीतरी भागों तथा निर्यात के लिए सुगम-स्थानों पर सतर्कता बरती जाती है और अफ़ीम के तस्कर व्यापार को रोकने के लिये उचित कार्यवाही की जाती है । निम्नलिखित उपाय भी इस की कार्यवाही में शामिल हैं:—

(i) सभी सुगम पार करने योग्य स्थानों पर रोक थाम की यथेष्ट कार्यवाही करना;

(ii) समुद्री यात्रा पर जाने वाले सभी संदिग्ध जलयानों की तलाशी लेना;

(iii) मादक पदार्थों से सम्बन्धित अपराधों के लिये दोषी ठहराये गये नाविकों के रजिस्ट्री प्रमाणपत्रों को रद करना;

(iV) जहां आवश्यक हो सड़क तथा रेल यातायात की जांच-पड़ताल करना;

(v) नारकोटिक्स आयुक्त के कर्मचारियों द्वारा इन्टरपोल तथा अन्य देशों में प्रवर्तन कार्य में नियुक्त विभागों से सम्पर्क रखना;

(vi) अधिक अच्छा नियन्त्रण रखने की दृष्टि से पोस्त की खेती को समीपस्थ क्षेत्रों में सीमित रखना;

(vii) लाइसेंस देने की प्रणाली लागू करके अनुत्पादक क्षेत्रों को समाप्त करना तथा अवांछनीय किसानों को हटाना;

(viii) लाइसेंस देने के सिद्धान्तों के अन्तर्गत उत्पादक की जांच करने के लिये उसके द्वारा दी जाने वाली अपेक्षित औसत उपज को वर्ष प्रति वर्ष उत्तरोत्तर बढ़ाते रहना;

(ix) 1-4-1959 से अफ़ीम की निजी दुकानों को समाप्त करना;

इन उपायों को जारी रखा जायगा तथा भविष्य में इन्हें यथासम्भव जोरदार तरीके से लागू किया जायगा । पिछले तीन वर्षों में तथा 1967 में अभी तक बहार भेजने का प्रयत्न करने के अपराध में पकड़ी गई अफीम की मात्रा इस प्रकार है-—

वर्ष	पकड़ी गई मात्रा (किलोग्राम)
1964	23
1965	96
1966	36
1967	1

Payments of Interest to Policy holders on Paid-UP Insurance Policies.

5594. Dr. Ram Manohar Lohia :
Shri Gunanand Thakur :
Shri Rabi Ray :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the procedure in regard to the payment of interest on the amount of policies after their maturity in respect of those policy-holders who get their Life Insurance Policies paid-up ; and

(b) whether Government would consider the desirability of introducing such a procedure in the public interest in case no such procedure exists at present ?

Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) The Life Insurance Corporation has decided as a temporary measure to pay interest on an **ex gratia** basis at a rate of 3% prr annum on policy moneys in respect of claims arising by death or maturity the settlement of which is delayed for more than three months from the date of compliance by the claimant with all the requirements of the Corporation, provided (i) such delay is not on account of an investigation launched by the Corporation into the bonafides of a death claim, or (ii) on account of compliance with the Exchange Control Regulations of India, or any other country or (iii) on account of reasons beyond the control of the Corporation, such as Courts orders interdicting payment. This decision applies to paid up policies also.

(b) Does not arise.

उत्तर प्रदेश की बिजली की मांग

5595. श्री सरजू पाण्डेय : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश की बिजली की वार्षिक मांग कितनी है ;

(ख) उस राज्य में प्रतिवर्ष कितनी बिजली उपलब्ध होती है ;

(ग) क्या यह सच है कि उस राज्य में बहुत से उद्योग बिजली की कमी के कारण बन्द हो गये हैं ; और

(घ) इस कमी को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) (क) और (ख) वर्ष 1966-67 के दौरान उत्तर प्रदेश में लगभग 390 करोड़ यूनिट बिजली की आवश्यकता थी और उस समय लगभग 355 करोड़ यूनिट बिजली उपलब्ध थी, जिसमें दामोदर घाटी निगम पद्धति से प्राप्त 43,5 करोड़ यूनिट बिजली भी शामिल थी ।

(ग) चूंकि पिछले वर्ष वर्षा की कमी के कारण रिहंद बांध के बिजली घर से सीमित बिजली उपलब्ध थी, इसलिये पूर्वी उत्तर प्रदेश में उद्योगों पर 30 प्रतिशत बिजली की कटौती लागू की गई थी ।

(घ) पूर्वी उत्तर प्रदेश पद्धति में बिजली की कमी को कम करने के लिये दिसम्बर के पहले सप्ताह से 15 लाख यूनिट बिजली तक प्रति दिन दूसरे राज्यों से लेने का प्रबन्ध किया गया था। वर्तमान बिजली घरों में अधिक बिजली पैदा करने और ओबरा और पनकी में नये तापीय बीजली घरों को शीघ्र चलाने के लिये प्रयत्न किये गये थे।

Construction Work in Mysore

5596. Shir Ramachandra Veerappa : Will the Minister of Works, Housing and Supply be pleased to state :

(a) the amount provided for the Mysore State in the Fourth Plan for construction works ; and

(b) the actual amount requested by the Mysore State in this regard ?

Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Sardar Iqbal Singh) (a) and (b) : The Fourth Five Year Plan has not yet been finalised An allocation o Rs. 6 crores is, however, likely to be made for Housing Schemes, as proposed by the Mysore Government.

मध्य प्रदेश में पेय जल की कमी

5597. श्री आत्मदास : स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में विशेषकर जबलपुर डिवीजन में सागर में पीने के पानी की अत्याधिक कमी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कोई सहायता देने का अनुरोध किया है ; और

यदि हां, तो इस के बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्री चन्द्र शेखर) (क) मध्य प्रदेश में अभावग्रस्त स्थिति के अध्ययन करने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त एक टीम ने मई, 1967 में बतलाया कि इस राज्य के 43 जिलों में से 38 जिले अभावग्रस्त हैं। संभवतया सागर भी इन सूखा ग्रस्त जिलों में से एक है।

(ख) जिला सागर में पानी की व्यवस्था करने के लिये आर्थिक सहायता के हेतु कोई खास अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) आलोच्य वित्तीय वर्ष में सहायता खर्च के लिये भारत सरकार ने अभी तक मध्य प्रदेश सरकार को 6 करोड़ रुपये (ऋण) स्वीकृत किये हैं। इस रकम में से 30 लाख रुपये पीने के पानी की व्यवस्था करने में खर्च किये जा सकते हैं। राज्य सरकार को शीघ्र ही वास्तविक खर्च के आंकड़े देने हैं जिनके आधार पर इस धन राशि का हिसाब किताब ऋण और अनुदानों के रूप में, जैसा भी सहायता के नियम के अनुसार व्यवस्था होगी, बैठाया जायेगा।

नेपाल सरकार द्वारा जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण

5598. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री राम गोपाल शालवाले :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नेपाल सरकार द्वारा जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण किये जाने के फलस्वरूप उत्पान्न होने वाली जटिलताओं का अध्ययन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका भारत के जीवन बीमा निगम पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : नेपाल में जीवन बीमा व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में कोई अधिकृत घोषणा नहीं की गई है। इसलिये ऐसी किसी बात के परिणामों का तथा जीवन बीमा निगम पर उसके प्रभाव का अध्ययन करना असामयिक होगा ।

कलिंग फांउडेशन ट्रस्ट और श्री बीजू पटनायक का आयकर दायित्व

5599. **श्री रवि राय :** **श्री जार्ज फरनेन्डीज :**
श्री मधु लिमये : **श्री शिवचरण राव :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने 9 नवम्बर 1966 को कहा था कि कलिंग फांउडेशन ट्रस्ट और श्री बीजू पटनायक के आयकर दायित्व के बारे में अन्तिम निष्कर्ष उनके उत्तरों पर विचार करने के बाद किये जायेगे तथा यह जांच आम चुनाओं के काफी पहले पूरी हो जायेगी ;

(ख) क्या इस बचन को निभाया गया था ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण थे ; और

(घ) निष्कर्षों को कब तक अन्तिम रूप दे दिया जायेगा और उन्हें कब तक प्रकाशित कर दिया जायेगा ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) श्री बीजू पटनायक के सम्बन्ध में 1961–62 के वर्ष के तथा उससे पूर्व के वर्षों के कर-निर्धारण आम चुनाओं से पूर्व इसलिये नहीं समाप्त किये जा सके कि कर-निर्धारितियों ने इस मामले में विभाग द्वारा की जा रही कार्यवाही को आगे बढ़ने से रोकने के लिये उच्च-न्यायालय से व्यादेश प्राप्त कर लिये थे। ये व्यादेश अभी भी कायम हैं। श्री बीजू पटनायक के कर निर्धारण की कार्यवाही 27–3–1967 को पूरी हुई है, क्योंकि वह समय-समय पर कानूनी तथा अन्य बातों के आधार पर स्थगन आदेश लेते रहे ।

(घ) उच्च न्यायालय द्वारा व्यादेश हटा लेने के पश्चात्, आवश्यक जांच करके कर निर्धारण की कार्यवाही मुकम्मल कर दी जायगी ।

Wealth Tax and Death Duty

Shri Nathu Ram Ahirwar : Will the **Minister of Finance** be pleased to state :

(a) the names of the persons and the amount of wealth-tax and death-duty realized from them separately during the last 15 years ;

(b) the names of the persons against whom arrears of the said taxes are outstanding along with the amount thereof ; and

(c) the steps taken by Government for its recovery ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) and (b) The information is not available. The Estate Duty Act came into force from 15th october, 1953 and the Wealth-tax Act from 1st April. 1957. The collection of the information regarding the names of the persons and the amount of Estate Duty and wealth-tax realized from them individually from15-10-53 and 1-4-57 onwards will have to be made from the Assistant Controllers of Estate Duty and Wealth-tax Officers all over the country and would consequently involve tremendous amount of time and labour. However, information about the number of assessments completed each year since the inception of these Acts, the demand raised and the collection made, and the amount outstanding at the end of thd year is given in the statements placed on the Table of the House [**Placed in Library, See No. LT--1033/67**]

(c) The various steps for recovery as provided in law and as warranted in the facts and circumstances of each case are being taken to effect the realization of outstanding demand.

World Bank Loans to Banaras and Etah Districts for Development of Food Production

5601. Shri Sarjoo Pandey :
Shri Ram Kishan Gupta :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether the world Bank has sanctioned any loan to increase irrigation facilities and food production in Banaras and Etah districts (U. P) ; and

(b) if so, the total amount thereof and the reason for its use exclusively for these two districts ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance, (Shri Morarji Desai) : (a) No, Sir. A proposal is presently under consideration of International Development Association, which is an affiliate of the World Bank.

(b) The amount of credit has not yet been decided. The selection of the two districts for the purposes of the scheme has been made on technical and economic considerations, on the basis of their providing a representative cross-section of a wide variety of problems, the experience in tackling which will be useful for the agricultural development in the rest of the U. P. Such Problems pertain to development and operation of tubewells in the private and State sectors, the problems of drilling in various types of rock conditions, relationship of different types of credit structures, viz, cooperative, governmental and commercial banking, problems of soil conditions and salinity etc.

Price Index

5602. **Shri Brambanandji :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the monthly price index during the period from February. 1967 to June, 1967 and the average price index for the last 12 months ;

(b) whether Governmant propose to broadcast the price index from All India Radio ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance, (Shri Morarji Desai) : (a) The required information is tabulated below :

The General Index of Wholesale Prices

(Base: 1952-53=100)

February	1967	203.0
March	1967	203.4
April	1967	204.3
May	1967	208.3
June	1967	214.1
Average for July	1966	
to June	1967	198.1

(b) No, Sir.

(c) The index is regularly published by the Office of the Economic Adviser, Ministry of Industrial Development and Company Affairs and is also reported by the economic journals, daily newspapers etc.

अखबारी कागज की चोरबाजारी

5603. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :**
श्री मधु लिमये :
श्री कंवर लाल गुप्त :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान न्यू प्रभात पब्लिकेशंज, अहमदाबाद द्वारा चौर-बाजारी में अखबारी कागज के किये गये सौदों की ओर दिलाया गया है जो इस कारण हो सके हैं क्योंकि उनको बोगस समाचारपत्रों तथा अखबारों के परिचालन के झूठे आंकड़ों के आधार पर अखबारी कागज का बड़ा भारी कोटा मिलता है ;

(ख) गत दस वर्षों में अथवा इसके कार्य न होने से लेकर जो भी अवधि कम हो इस फर्म द्वारा कितना आयकर दिया गया ;

(ग) चोरबाजारी में किये गये इन सौदों तथा लेखा पुस्तकों आदि में हेर फेर की जानकारी मिलने की बात को ध्यान में रखते हुए क्या अनकी आय का पुनर्निर्धारण किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो कितनी आय निर्धारित की गई है तथा उस पर कितना आय-कर लगाया गया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) अदा किये गये कर के वर्ष वार आंकड़े निम्नलिखित हैं:—

1955–56	1,871 रुपये
1957–58	1,853 रुपये
1958–59	1,573 रुपये
1960-61	2,990 रुपये
1961–62	11,004 रुपये

कर निर्धारण वर्ष 1962–63 का कर–निर्धारण 1,65,300 रुपये की कुल आमदनी पर किया गया है जबकि विवरणी में आमदनी 26,257 रुपये की दिखायी गयी थी । निर्धारिती में अपीलीय सहायक आयुक्त के सामने अपील दायर की है । बाद के वर्षों के कर-निर्धारण की कार्यवाही अभी होनी है ।

(ग) पुनःकर–निर्धारण की कोई कार्यवाही अभी नहीं की गयी है । जांच-पड़ताल अभी भी चल रही है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विदेशी सहायता

5604. श्री गा० शं० मिश्र :
श्री गं० च० दीक्षित :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966–67 की वार्षिक योजना को पुरी करने के लिये कुल कितनी सहायता की आवश्यकता थी ;

(ख) इन स्रोतों से कुल कितनी रकम प्राप्त हुई ;

(1) भारत सहायता क्लब ;

(2) आंग्ल–भारतीय कन्सोर्शियम ;

(3) अमरीकी सहायता ;

(4) विश्व बैंक ;

(5) पूर्वी यूरोप के देश ;

(6) रूस; और

(7) अन्य स्रोत; और

(ग) क्या यह सहायता कुल आवश्यकता को पूरी करने के लिये पर्याप्त थी ?

उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क), (ख) और (ग): जहां तक 1966-67 की वार्षिक आयोजना में शामिल प्रायोजनाओं। कार्यक्रमों के लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा सम्बन्धी वचनों का सम्बन्ध है, मोटे तौर पर ये वचन मिल गये थे। (इस वर्ष जितनी वास्तविक सहायता प्राप्त हुई, वह आयात की, जिसमें गैर-सरकारी क्षेत्र से किया जाने वाला आयात भी शामिल है, गति की द्योतक है, जो औद्योगिक विकास की गति आंशिक रूप से धीमी हो जाने के कारण, कुछ हद तक कम हो गयी थी) ।

बजट सम्बन्धी प्रयोजनों के लिए, 1966-67 की वार्षिक आयोजना में विदेशी सहायता (पी० एल० 480 सम्बन्धी आयात से प्राप्त होने वाले साधनों को छोड़ कर) अवमूल्यन पूर्व की दरों पर 351 करोड़ रुपये की वास्तविक प्राप्ति होने का अनुमान लगाया गया था (देखिये 1966-67 की वार्षिक आयोजना, मार्च, 1966 का पृष्ठ 30)

वास्तव में जो प्राप्तियां हुई, वे इस प्रकार हैं :

(करोड़ रुपयों में)

जिनसे प्राप्तियां हुईः —	
1. भारत सहायता संघ के सदस्य देशः	541.36
2. जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से 172.05 करोड़ रुपये	
विश्व बैंक अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से 134.60 करोड़ रुपये	
2. पूर्वी यूरोप के देशः	50.87
जिसमें सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ से 33.46 करोड़ कपये	
3. अन्य	11.08
कुल सकल (ग्रास) प्राप्तियां,	603.31
कुल सकल प्राप्तियां, अवमूल्यन से पहले की दर से	404.72
घटाइये-अवमूल्यन से पहले की दर से वापसी	118.71
शुद्ध (नेट प्राप्तियां 351 करोड़ रुपये के अनुमान के अनुसार)	286.01

हालांकि बजट-प्राप्तियों में विदेशी सहायता के अन्तर्गत कमी हुई है, लेकिन जहां तक कुल साधनों का सम्बन्ध है, अन्य शीर्षकों के अन्तर्गत वृद्धि होने से यह कमी पूरी हो गयी है, जैसा कि केन्द्रीय सरकार के 1967-68 के बजट (मई, 1967) के व्याख्यात्मक जापन के परिशिष्ट के पृष्ठ 5 में बताया गया है ।

सिंचाई और विद्युत के स्रोत

5605. **श्री गा० शं० मिश्र :**
श्री गं० च० दीक्षित :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सिंचाई और विद्युत के नये स्रोतों का पता लगाने के लिए सरकार कोई सर्वेक्षण कर रही है;

(ख) मझली तथा बड़ी सिंचाई परियोजनाओं का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है और इन परियोजनाओं से सरकार कितना धन प्राप्त करना चाहती है ?

(ग) देश में पिछली तीन पंचवर्षीय योजनाओं को अवधि में कितनी मझली तथा बड़ी (नामवार) सिंचाई परियोजनाएं पूरी की गई जिनसे प्रत्याशित राजस्व प्राप्त नहीं हो सका और जिन पर खर्च अधिक हुआ और लाभ कम; और

(घ) इनके अलाभप्रद होने के क्या कारण हैं और उन्हें लाभप्रद बनाने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां ।

(ख) परियोजना को मझली या बड़ी श्रेणी में रखने के लिये परियोजना की लागत को आधार रखा जाता है । 15 लाख से 5 करोड़ की लागत की परियोजनाओं को मझली परियोजनाओं की श्रेणी में रखा जाता है और 5 करोड़ से अधिक लागत की परियोजनाओं को बड़ी परियोजनाओं की श्रेणी में रखा जाता है । इन परियोजनाओं के सम्बन्ध में कोई लाभ निर्धारित नहीं किया गगा है, परन्तु अनुमोदन के समय लाभ लागत अनुपात को ध्यान में रखा जाना है । 1.5 या अधिक के लाभ लागत अनुपात को सामान्यतः स्वीकार्य समझा जाता है ।

(ग) पिछली तीन योजनाओं के दौरान 295 बड़ी और मझली परियोजनाएं पर्याप्त रूप से पूरी कर ली गई थीं । इनमें से अधिकांश से अभी प्रत्याशित आमदनी नहीं होने लगी है । तथापि, उनको अलाभप्रद नहीं समझा जाता है, क्योंकि उनसे खाद्यान्न के उत्पादन में विशेष रूप से पर्याप्त वृद्धि होती है और अनेक अप्रत्यक्ष लाभ भी होते हैं ।

(घ) उनसे निम्न आमदनी का कारण यह है कि निर्माण लागत बढ़ती जा रही है और देश के अधिकांश भागों में पानी की दरें बहुत कम है ।

इस प्रश्न पर श्री एस० निजलंगप्पा के नेतृत्व में एक समिति ने जांच की थी। समिति ने सिफारिश की थी कि किसानों को होने वाले अतिरिक्त लाभ के आधार पर पानी की दरों निर्धारित होनी चाहिये। उसने यह भी सिफारिश की थी कि जिन राज्यों में सिंचाई शुल्क देना ऐच्छिक है इस पर संधारण और संचालन के व्यय को पूरा करने के लिये एक शुल्क होना चाहिये। ये सिफारिशें क्रियान्विति के लिये राज्य सरकारों को भेज दी गई हैं। इस विषय पर 12 और 13 मई, 1967 को नई दिल्ली में राज्यों के सिंचाई और विद्युत मंत्रियों के हुए सम्मेलन में भी चर्चा की गई थी और राज्य सरकारों को सलाह दी गई थी कि वे सिंचाई परियोजनाओं से होने वाली आमदनी में सुधार करने के लिये उपयुक्त कदम उठायें।

सिंचाई परियोजनाओं का सर्वेक्षण

5606. **श्री गा० शं० मिश्र :**
श्री गं० च० दीक्षित :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(ल) क्या यह सच है कि छोटी और मझली सिंचाई परियोजनाओं का सर्वेक्षण पहले केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग द्वारा किया गया था और अब अधिकतर राज्य अपनी ओर से उनका सर्वेक्षण करा रहे हैं और परियोजना रिपोर्ट तैयार करा कर अनुमोदनार्थ केन्द्र को भेज रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग द्वारा 1952 से 1967 तक किये गये कार्य का वर्षवार ब्योरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग द्वारा परियोजनाओं की रिपोर्ट तैयार कर लिये जाने के बाद भी वह उन्हें प्रस्तुत नहीं कर सका है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग के कार्य भार को वर्तमान परिस्थितियों में हल्का करने और उसको नये रूप से व्यवस्थित करने के बारे में क्या उपाय किये गये हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) राज्य सरकारें, संघ राज्य क्षेत्र आदि जब भी परियोजनाओं की जांच के लिये अनुरोध करती है केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग उनकी जांच करता है और उसने जांच की हैं। जिन राज्य सरकारों के पास अपेक्षित कर्मचारी उपकरण आदि हैं वे अपनी परियोजनाओं की जांच सामान्यतः स्वयं ही करती हैं।

(ख) एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल टी० 1034/67]**

(ग) जी, नहीं। जांच के पूरा होने, डिजाइनों को अन्तिम रूप देने और परियोजना प्रतिवेदनों के तैयार होने के तुरन्त बाद सभी योजनाओं के परियोजना प्रतिवेदन राज्य सरकारों को भेज दिये गये थे।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय के योजना से भिन्न व्यय तथा योजना सम्बन्धी व्यय का अनुपात

5607. श्री गा० शं० मिश्र :
श्री गं० च० दीक्षित :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय की मांगों में 1967-68 के लिये आय-व्ययक प्राक्कलनों में योजना से भिन्न व्यय योजना सम्बन्धी व्यय की तुलना में अधिक है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और योजना से भिन्न व्यय एवं योजना सम्बन्धी व्यय के अनुपात पर क्या पड़ताल रखी जाती है तथा क्या इसके लिए योजना आयोग ने कोई मार्गदर्शक सिद्धान्त निर्धारित किये हैं;

(ग) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय की मांगों में योजना से भिन्न व्यय में वृद्धि की दर 1966-67 के पुनरीक्षित प्राक्कलनों में वृद्धि की दर से 48 प्रतिशत अधिक है और योजना सम्बन्धी व्यय में वृद्धि की दर 1966-67 के पुनरीक्षित प्राक्कलनों में वृद्धि की दर की तुलना में 1.8 प्रतिशत अधिक है; और

(घ) यदि हां, तो योजना सम्बन्धी व्यय तथा योजना से भिन्न व्यय के इस अनुपात के ओर कम होने को रोकने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) से (घ) सिंचाई और विद्युत मंत्रालय की पांच अनुदानों की मांगें बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1035/67]**

Sant Nagar Delhi

5608. **Shri Shiv Shiv Kumar Shastri :** **Shri Atam Das :**
Shri Prakash Vir Shastri : **Shri Arjun Singh Bhadoria :**
Shri Y. S. Kushwah :

Will the **Minister of Works, Housing and Supply** be pleased to state:

(a) the steps Government propose to take to declare Sant Nagar colony adjacent to Kailash Nagar, Delhi, as an approved colony;

(b) whether it is also a fact that the Delhi Development Authority and the Delhi Municipal Corporation differ on the question of approving this colony as a result of which the residents of the said colony are facing a great difficulty; and

(c) the details of the points on which they differ and the steps proposed to be taken by Governmet to resolve these differences ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqba lSingh): (a) to (c) Sant Nagar is a private unauthorised colony near Kailash. This area had been declared to be a development Area under Delhi Development Act 1957 on the 19th

November, 1958 and as such Delhi Development Authority is the competent authority to prepare/approve its development plans. The Delhi Municipal Corporation by a Resolution dated the 17th August, 1960 drew up a regularisation plan for this colony. This plan was adopted and integrated into the development plan prepared by the Delhi Development Authority for its residential scheme known as "East of Kailash". The integrated layout plan was approved by the Delhi Development Authority vide resolution No. 272 dated the 16th August, 1961. Some representations have been received against this plan, which are under the consideration of the Delhi Development Authority. There are however no differences between the Delhi Development Authority and the Delhi Municipal Corporation about the layout plan of Sant Nagar.

Mahi River Dam Project

5609. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri R. K. Amin :

Will the **Minister of Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that river Mahi is the life-line of 'Bagad' region and the construction work of the proposed dam on it has not been commenced so far;

(b) whether it is also a fact that an agreements in regard to the said scheme was concluded between the Gujarat and Rajasthan Government and if so, the details there of ; and

(c) whether it is also a fact that work on the said scheme has been interrupted many a time for want of funds ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) The Bajaj Sagar Dam near Banswara and the Kadana Dam are proposed for the optimum utilisation of the Mahi waters in Rajasthan and Gujarat. Work on the Bajaj Sagar Dam has been kept in abeyance in view of the limited outlays which can be provided by the Government of Rajasthan during the Fourth Plan.

(b) Yes. A statement is placed on the Table of the House, **[Placed in Library See No. L. T. 1036/67]**

(c) The original Banswara Project was sanctioned in 1958. Work on it was not however started earlier as a larger multipurpose project was considered desirable and agreement between the Governments of Gujarat and Rajasthan was finalised only n 1966.

Jakham River Project

*5610. **Shri Onkar Lal Bohra :** Will the **Minister of Irrigation and Power** be pleased to state

(c) whether the Rajasthan Government have submitted a proposal regarding the Jakham River Project;

(b) if so, when and the stage at which it stands at present;

(c) whether it is a fact that the said project could not be implemented for want of adequate resources with the Rajasthan Government; and

(d) whether it is also a fact that in spite of a pick-up-weir having been constructed under the proposed dam, the said pick-up-weir is not of any use as the flow of water is not constant ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) to (c) The Jakham River Project submitted by the Government of Rajasthan was approved for execution in 1962. Work on pick up weir and a shorter canal of 14 miles on the left bank has almost been completed. Work on the masonry dam and the balance portion of canal system is held up for want of adequate outlays.

(d) The pick-up weir and the short canal will benefit about 4000 acres.

केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के आयुर्वेदिक औषधालयों में आयुर्वेदिक औषधियां

5611. **श्री म० ला० सौंधी :**
श्री वेणी शंकर शर्मा :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री कामेश्वर सिंह :
श्री क० मि० मधुकर :
श्री प्र० न० सोलंकी :
श्री धीरेश्वर कलिता :
श्री ना० स्व० शर्मा :
श्री रामसिंह अयरवाल :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि स्वास कासचिन्तामणि, मकरध्वज, योगेन्द्र रस, स्वर्ण वसन्त मालती आदि जैसी अत्यावश्यक तथा प्रभावी कुछ आयुर्वेदिक औषधियों की केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा आयुर्वेदिक औषधालयों के लिये औषधियों की स्वीकृत सूची से निकाल दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री (डा० श्री० चन्द्रशेखर) : (क) और (ख) ये कीमती दवाइयां हैं और इन्हें साधारण दवाइयों की सूची से निकाल दिया गया है तथापि इनमें से कोई भी दवाई यदि किसी मामले में अनिवार्य समझी जाये तो आयुर्वेदिक सलाहकार की सलाह से ये दी जा सकती है। यह पद्धति इसलिये अपनाई गई है ताकि उन मामलों में कीमती दवाइयां न दी जायं जिनमें समान चिकित्सीय महत्व की कम कीमती दवाइयों से काम चल सकता है।

केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना के अन्तर्गत दिल्ली में नये आयुर्वेदिक चिकित्सालय खोलना

5612. **श्री म० ला० सौंधी :**
श्री वेणी शंकर शर्मा :
श्री ना० स्व० शर्मा :
श्री रामसिंह अयरवाल :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री प्र० न० सोलंकी :
श्री कामेश्वर सिंह :
श्री क० मि० मधुकर :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उत्तर दिल्ली में रहने वाले बहुत बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारियों से इस आशय का कोई अभ्यावेदन मिला है कि उस क्षेत्र में केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत एक आयुर्वेदिक चिकित्सालय खोला जाये; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसा चिकित्सालय खोलने का है तथा कब ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्री० चन्द्रशेखर) : (क) जी हां ।

(ख) चालु वित्तीय वर्ष में कोई नई आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी खोलने का प्रस्ताव नहीं है ।

आयुर्वेदिक औषधालयों में औषधियों की कमी

5613, **श्री म० ला० सौंधी :**
श्री वेणी शंकर शर्मा :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री कामेश्वर सिंह :
श्री क० मि० मधुकर :
श्री प्र० न० सौलंकी :
श्री धीरेश्वर कलिता :
श्री ना० स्व० शर्मा :
श्री राम सिंह अयरवाल :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या यह सच है कि गोल मर्केट तथा किदवई नगर स्थित केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के आयुर्वेदिक औषधालयों में औषधियों की अत्यधिक कमी है;

(ख) क्या यह भी सच है कि रोगियों की संख्या की तुलना में दवाइयां तैयार करने वाले कर्मचारियों की संख्या कम है और वे कुशल भी नहीं हैं; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा से लाभ उठाने वाले लोगों में इससे उत्पन्न असन्तोष को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्री० चन्द्रशेखर) : (क) मांग में समय समय पर घट-बढ़ होने के कारण कुछ अभाव रहा है ।

(ख) गोल मार्किट डिस्पेंसरी में दो फार्मेसिस्ट हैं ।-सह-क्लर्क तथा दो फार्मेसिस्ट हैं और किदवई नगर डिस्पेंसरी में तीन फार्मेसिस्ट हैं उनकी संख्या तथा कार्य-कुशलता इन डिस्पेंसरियों के काम के लिये पर्याप्त समझी जाती है ।

(ग) दवाइयों की पूर्ति की स्थिति पर पुनर्विचार किया जा रहा है ।

केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के आयुर्वेदिक तथा एलोपेथिक चिकित्सा अधिकारियों के वेतन तथा भत्तों में असमानता

5614. **श्री म० ला सोंधी :**
श्री प्र० न० सौलंकी :
श्री वेणी शंकर शर्मा :
श्री कामेश्वर सिंह :
श्री क० मि० मधुकर :
श्री क० प्र० सिंह देव
श्री ना० स्व० शर्मा :
श्री राम सिंह अयरवाल :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अधीन काम कर रहे आयुर्वेदिक चिकित्सकों तथा एलोपेथिक चिकित्सा अधिकारियों के वेतन-क्रमों तथा व्यवसाय न करने के भत्तों में असमानता है;

(ख) क्या यह सच है कि केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में एलोपैथिक चिकित्सा अधिकारियों तथा आयुर्वेदिक चिकित्सकों का काम एक ही जैसा है और अभी हाल में उनको एक जैसे वेतन क्रम तथा व्यवसाय न करने का भत्ता दिये जा रहे थे, और

(ग) यदि हां, तो इस असमानता के क्या कारण हैं और क्या इस असमानता को दूर करने के किसी प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है ?

(क) **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्री० चन्द्रशेखर)** : (क) जी हां ।

(ख) दो विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सकों द्वारा किये जाने वाले कामों की तुलना नहीं की जा सकती तथापि केन्द्रीय सेवा योजना के बनने से पहिले आयुर्वेदिक चिकित्सकों को कुल वेतन उतना ही मिलता था जितना कि ऐलोपैथिक डाक्टरों को ।

(ग) केन्द्रीय सेवा योजना के अधीन काम करने वाले डाक्टरों के कर्त्तव्यों, उनकी योग्यताओं तथा उसकी सेवा शर्तों को ध्यान में रखते हुए उनके वेतनमानों में सुधार किया गया है । यह प्रश्न है कि क्या आयुर्वेदिक चिकित्सकों के वेतनमान में भी संशोधन किया जाय, विचाराधीन है ।

शाहदरा क्षेत्र का विकास

5615. **श्री हरदयाल देवगुण :**
श्री ब्रज भूषण लाल :
श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री वेणी शंकर शर्मा :
श्री रामसिंह अयरवाल :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने दिल्ली के शाहदरा क्षेत्र में मल निकास व्यवस्था के लिये कोई योजना मंजूर की है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार तथा नगर निगम इसके लिये कितना कितना धन देंगे;

(ग) इस वर्ष केन्द्रीय सरकार ने नगर निगम को कितना धन दिया है तथा इस संबंध में अब तक कितना कार्य हुआ है; और

(घ) यदि नहीं, तो अनुदान कब तक दिये जाने की सम्भावना है तथा यह अनुदान न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्री० चन्द्रशेखर) : (क) जी नहीं । शाहदरा क्षेत्र के एक भाग में ट्रन्क सीवर उपलब्ध करने संबन्धी एक योजना केन्द्रीय जन स्वास्थ्य इंजीनियरी संगठन को तकनीकी जांच तथा अनुमोदन के लिये प्राप्त हुई थी । केन्द्रीय जन स्वास्थ्य इंजीनियरी संगठन द्वारा की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए इसमें संशोधन करने के लिये यह योजना दिल्ली नगर निगम को वापिस भेज दी गई है । नगर निगम से अभी संशोधित योजना प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) इस योजना का सारा खर्च नगर निगम उठायेगा जो कि भारत सरकार से ऋण सहायता लेने का हकदार होगा ।

(ग) और (घ) सीवरेज योजनाओं के लिये भारत सरकार कोई अनुदान नहीं देती है । केवल ऋण सहायता ही उपलब्ध की जाती है ।

चन्डीगढ़ में एक चिकित्सा कालेज की स्थापना

5616. **श्री मरंडी :**
श्री यज्ञदत्त शर्मा :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पंजाब सरकार ने चण्डीगढ़ में एक चिकित्सा कालेज खोलने के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्री० चन्द्रशेखर) : (क) से (ग) चण्डीगढ़ में एक नया मेडिकल कालिज खोले जाने का एक प्रस्ताव चण्डीगढ़ प्रशासन से हाल ही में प्राप्त हुआ है । इस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ।

पंजाब को वित्तीय सहायता

5617. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :** **श्री आत्मदास :**
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह : **डा० सूर्य प्रकाश पुरी :**
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री : **श्री शिव कुमार शास्त्री :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री : **श्री रामगोपाल शालवाले :**
श्री रामाग्रवतार शास्त्री : **श्री महन्त दिग्विजय नाथ :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंजाब सरकार ने चौथी योजना के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता पर पुनर्विचार करने के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) चतुर्थ पंच-वर्षीय योजना को तथा भिन्न भिन्न राज्यों को चतुर्थ पंच-वर्षीय योजना के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता के प्रस्तावों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। तथापि पंजाब सरकार ने, उस राज्य को मिलने वाली अस्थायी तौर पर निर्धारित 95 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता में वृद्धि की जाने के लिए प्रार्थना की थी। यह प्रार्थना स्वीकार नहीं की जा सकी, क्योंकि अस्थायी रूप से प्रस्तावित सहायता की जिस कुल रकम का हिसाब लगाया था, वह राज्यों में पहले ही वितरित की जा चुकी थी।

केरल की योजना के लिये धन का आगंटन

5618. श्री नायनार : क्या वित मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केरल के वित्त मंत्री आय-व्ययक भाषण का पता है जिसमें उन्होंने यह कहा है कि योजना में केरल राज्य के लिए धन की जो व्यवस्था की गई है वह अपर्याप्त है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) केरल के वित्त मंत्री द्वारा बजट भाषण में, दिये गये इस वक्तव्य का सरकार को पता है कि राज्य के चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के लिए राज्य के साधनों का अनुमान लगाने में राज्य की विशेष स्थितियों तथा उसकी आर्थिक रचना को उपयुक्त ढंग से नहीं समझा गया है।

(ख) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप देते समय उपलब्ध साधनों का पुन-निर्धारण किया जायगा।

आयुर्वेदिक अनुसंधान एकक

5619. श्री० अ० त्रि० शर्मा : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में कितने आयुर्वेदिक अनुसंधान एकक स्थापित किये जाने थे;

(ख) क्या इस अवधि में ये सभी एकक स्थापित किये गये थे; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण थे ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्री० चन्द्रशेखर) : (क) और (ख) तीसरी योजनावधि में कितने आयुर्वेदिक अनुसन्धान एकक स्थापित किये जायेंगे इसका कोई खास लक्ष्य नहीं रखा गया था। तीसरी योजनावधि में 22 एकक आरम्भ किये गये थे।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

कलकत्ता के आयकर आयुक्तों द्वारा निपटाये गये मामले

5620. श्री वेणी शंकर शर्मा : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1965-66 और 1966-67 में कलकत्ता के आयकर आयुक्तों के क्षेत्राधिकार में निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत कुल कितने आय कर मामलों का निपटारा किया गया;

(1) कर निर्धारण वर्ष 1962-63 के 1966–67 में और 1961-62 के 1965-66 में कितने मामलों का निपटारा किया गया ;

(2) कर निर्धारण वर्ष 1963-64 के कितने मामलों को निपटाया गया;

(3) कर निर्धारण वर्ष 1994-65 के कितने मामलों को निपटाया गया;

(4) कर निर्धारण वर्ष 1965-66 के कितने मामलों को निपटाया गया; और

(5) कर निर्धारण वर्ष 1966-67 के कितने मामलों को निपटाया गया ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क), (1), (2), (3), (4) और (5) अपेक्षित सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र ही सभा पटल पर रख दी जायगी।

कलकत्ता के आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के सामने अपीलें

5621. श्री वेणी शंकर शर्मा : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965-66 में और 1966-67 में अपीलीय सहायक आयुक्तों के निर्णयों के विरूद्ध आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के कलकत्ता बैंच में करदाताओं तथा आयकर आयुक्तों ने क्रमश: कितनी अपीलें दायर की तथा प्रत्येक को कितनी प्रतिशत सफलता मिली;

(ख) इस न्यायाधिकरण के निर्णयों के विरुद्ध कलकत्ता उच्च न्ययालय को पश्चिम बंगाल के करदाताओं तथा आयकर आयुक्तों ने कितने मामले सौंपे तथा प्रत्येक श्रेणी के अन्तर्गत कितनी प्रतिशत सफलता मिली; और

(ग) 5000 रुपये तथा विवादास्पद राशि के बारे में आयकर आयुक्तों ने न्यायाधिकरण में कितनी अपीलें की तथा उच्च न्यायालय को कितने मामले सौंपे ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) अपेक्षित सूचना इस प्रकार है:—

(i) आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के सामने निम्नलिखित द्वारा दायर की गई अपीलों की संख्या:—

		1965–66	1966-67
कर निर्धारितियों द्वारा	–	3092	3814
विभाग द्वारा	–	1034	1248

+(ii) निपटायी गई अपीलों की संख्या:-			
कर निर्धारितीयों की	–	1821	1932
विभाग की	–	294	549
(iii) उपर्युक्त(i) में से सफल अपीलों की संख्या तथा उनका प्रतिशत:–			
कर निर्धारितीयों की	–	570	603
		31 प्रतिशत	31 प्रतिशत
विभाग की		36	63
		12.2 प्रतिशत	11.5 प्रतिशत
(iv) उपर्युक्त (i) में से आंशिक रूप से सफल अपीलों की संख्या तथा उनका प्रतिशत :–			
कर निर्धारितियों की	–	712	795
		39 प्रतिशत	41 प्रतिशत
विभाग की	–	32	91
		11 प्रतिशत	16.6 प्रतिशत
(ख)		1965–66	1966–67
(i) उच्च न्यायालय के सामने निम्नलिखित द्वारा दायर किये गये अपीली-निवेदनों की संख्या:–			
कर निर्धारितियों द्वारा	–	130	74
विभाग द्वारा	–	194	296
+(ii) निपटाये गये निवेदनों की संख्या :–		1965-66	1966-67
कर निर्धारितियों के	–	16	26
विभाग के	–	–	3
(iii) उपर्युक्त (ii) में से सफल निवेदनों की संख्या तथा उनका प्रतिशत कर निर्धारितियों के	–	3	22

		18.7 प्रतिशत	84.6 प्रतिशत
विभाग के	–	–	3
			100 प्रतिशत

(ग) यह सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है । यह इकट्ठी की जा रही है और शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

+ निपटाये गये सभी मामले क (i) तथा (ख) (i) में से ही नहीं हैं ।

आयकर निर्धारण सम्बन्धी मामले

5622. श्री वेणी शंकर शर्मा : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1965–66 और 1966-1967 के कर दाताओं की कुल संख्या कितनी थी तथा निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत उन दो वर्षों में करदाताओं का ब्यौरा क्या था;

(1) वेतन भोगी करदाताओं की संख्या ;

(2) वेतन भोगियों से भिन्न ऐसे करदाताओं की संख्या जिनकी वार्षिक आय 10,000 रुपये से कम है;

(3) वेतन भोगियों से भिन्न ऐसे करदाताओं की संख्या जिनकी वार्षिक आय 10,000 रुपये और 25,000 रुपये के बीच है;

(4) वेतन भोगियों से भिन्न ऐसे करदाताओं की संख्या जिनकी वार्षिक आय 25,000 रुपये और 50,000 रुपये के बीच है; और

(5) वेतन भोगियों से भिन्न ऐसे करदाताओं की संख्या जिनकी वार्षिक आय 50,000 रुपये से अधिक है; और

(ख) वर्ष 1963–64 से लेकर 1966-67 तक श्रेणी वार तथा वर्षवार उनके कर निर्धारण के कितने मामलों में अभी फैसला नहीं किया गया है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) :

वर्ष	**आयकर विभाग के सामान्य सूचकांक रजिस्टर में कर निर्धारितियों की कुल संख्या**
1965–66	23,31,536
1966–67	67,01,733

कर-निर्धारितियों के भिन्न भिन्न वर्गों में संस्थाओं सम्बन्धी सूचना अनुबन्ध 'क' में दी गई है ।

(ख) यह सूचना अनुबन्ध 'ख' में उपरि-उल्लिखित श्रेणीयों के सामने दी गई है। जो सभा पटल पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1037/67]**

आयकर की वसूली

5623. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **वित मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1965-66 तथा 1966-67 में अग्रिम भुगतान, स्वयं निर्धारण तथा अस्थायी निर्धारण सम्बन्धी उपबन्धों के अन्तर्गत आयकरों की कितनी रकम वसूल की गई थी;

(ख) वर्ष 1962-63 से1966-67 तक की अवधि में संबन्ध में वर्षवार अन्तिम रूप से किये गये कर निर्धारण के आधार पर करदाताओं द्वारा देय निर्धारित की गई कर की ओर राशि का ब्यौरा क्या है ;

(ग) अन्तिम रूप से निर्धारित की गई कर की रकम में से कितनी रकम निर्धारित समय के अन्दर वसूली की गई और कितनी राशि अभी वसूल की जानी है;

(घ) कितने मामलों में करदाताओं ने आयकर अधिनियम की धारा 220(6) के अन्तर्गत पहली अपील का निर्णय होने तक कर विवादास्पद राशि की अदायगी को रोक देने के लिये आवेदन दिये गये थे तथा कितने मामलों में उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली गई; और

(ङ) जिन मामलों में प्रार्थना स्वीकार नहीं की गई उनमें अब तक कितना जुर्माना किया गया है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) अग्रिम भुगतान, स्वयं कर-निर्धारण तथा अनन्तिम कर-निर्धारण सम्बन्धी उपबन्धों के अन्तर्गत वर्ष 1965-66 तथा 1966-67 में आयकर की निम्नलिखित रकमें वसूल हुई थीं :

(करोड़ रुपयों में)

	1965-66	1966-67
अग्रिम भुगतान (सकल)	316.24	359.65
स्वयं कर निर्धारण	46.19	67.78
अनन्तिम कर-निर्धारण	30.27	25.35

(ख) और (ग) नियमित कर-निर्धारण के आधार पर जारी की गई कर की मांग, उस में से वसूल की गई कर की रकम तथा प्रत्येक वर्ष के अन्त में बकाया रही रकम का विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया : देखिये संख्या एल० टी० 1038/67]**

(घ) और (ङ) सूचना उपलब्ध नहीं है। यह सूचना इकट्ठी करने के लिए 27 लाख निर्धारितियों में से प्रत्येक के कागजों की जांच करनी पड़ेगी। इसमें पर्याप्त समय तथा श्रम लगेगा।

मजूरी नीति सम्बन्धी अध्ययन दल

5624. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग द्वारा स्थापित किये गये मजूरी नीति सम्बन्धी अध्ययन दल द्वारा प्रत्येक श्रमजीवी व्यक्ति के लिये एक राष्ट्रीय न्यूनतम मजूरी के सम्बन्ध में दिये गये सुझाव पर विचार किया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

योजना, पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) (क) से (ग) एक निम्नतम राष्ट्रीय मजूरी की आवश्यकता पर मजूरी नीति सम्बन्धी अध्ययन दल के कई सदस्यों तथा श्रम सम्बन्धी योजना आयोग की तालिका द्वारा स्थापित सात अध्ययन दलों के अध्यक्ष द्वारा जोर दिया गया था। श्रम सम्बन्धी राष्ट्रीय आयोग के निर्देश पदों में यह भी शामिल है कि वह मजदूरों की आय के स्तरों, मजूरी सम्बन्धी उपबन्धों, एक राष्ट्रीय निम्नतम मजूरी सहित निम्नतम मजूरी निर्धारित करने की आवश्यकता, उत्पादिता को बढ़ाने के साधनों और मजदूरों के लिये प्रोत्साहन के उपबन्ध का अध्ययन करें और प्रतिवेदन दे।

विदेशी मुद्रा का प्रेषण

5625. **श्री हो० ना० मुकर्जी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में रहने वाले भारतीय मूलक राष्ट्रजनों तथा/अथवा भारतीय मूलक नागरिकों ने कुछ मामलों में विदेशी मुद्रा भेजकर भारत सरकार की सहायता करने की इच्छा व्यक्त की है;

(ख) क्या दिसम्बर, 1965 से अब तक इस प्रकार भारत में कोई विदेशी मुद्रा भेजी गई है; और यदि हां, तो कितनी; और

(ग) क्या विदेशों में रहने वाले भारतीय राष्ट्रजनों को इस दिशा में भारत की सहायता करने के लिये प्रेरित करने हेतु सरकार का विचार कोई विशेष प्रयत्न करने का है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय प्रतिरक्षा प्रेषण योजना 26 अक्टूबर, 1965 से 31 मई, 1966 तक लागू थी और इस योजना के अन्त तक 69·89 लाख रु० का कुल प्रेषण प्राप्त हुआ था।

(ग) भारत में विनियोजन के लिये विदेशी मुद्रा लाने के लिये भारत आने वाले भारत मूलक विदेशी नागरिकों को सभी उपयुक्त सुविधाएं दी जाती हैं।

विदेशी ऋण

5626. **श्री हो० ना० मुकर्जी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूपये का अवमूल्यन करने के समय विदेशी ऋणों की कुल कितनी राशि थी, जिसे अलग अलग वर्गों के अन्तर्गत दिलाया जायेगा, यथा (एक) रूपयों में लौटाये जाने वाले ऋण, (दो) विदेशी मुद्रा में लौटाये जाने वाले ऋण और तीन) ऋणदाता देशों को निर्यात के माध्यम से लौटाये जाने वाले ऋण;

(ख) इस समय विदेशी ऋणों की कुल कितनी राशि लौटानि है; और

(ग) इन ऋणों की राशि किस आधार पर, किस तरीके से और कितने वर्षों में चुका दी जानी है ?

उप–प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : सरकार द्वारा लिये गये और बकाया पड़े तीनों प्रकार के विदेशी ऋणों की रकमें अवमूल्यन से ठीक पहले और मार्च 1967 के अन्त में ये थी :–

(करोड़ रूपयों में)

	अवमूल्यन से ठीक पहले	मार्च 1967 के अन्त में	
	अवमूल्यन से पूर्व की दरों के अनुसार	अवमूल्यन के बाद की दरों के अनुसार	(अवमूल्यन के बाद की दरों के अनुसार)
(1) रूपयों में चुकाये जाने वाले ऋण	743·40	967·54	1308·42
(2) विदेशी मुद्रा में चुकाये जाने वाले ऋण	1708·13	2690·12	3033·12
(3) माल के निर्यात द्वारा चुकाये जाने वाले ऋण	267·96	422·04	456·23

(ग) ये ऋण, तत्सम्बन्धी करारों के साथ संलग्न परिशोधन सम्बन्धी समय–सूचियों के अनुसार चुकाये जाते हैं। जितने वर्षों में ऋण चुकाये जायेंगे उनकी संख्या प्रत्येक ऋण के लिये अलग होगी। 31 मार्च 1967 को बकाया पड़े ऋणों की आखिरी किश्त वर्ष 2017 तक चुका दी जायगी। ये अदायगियां, स्थिति के अनुसार, हमारी रुपया राशियों से या विदेशी मुद्रा की प्राप्तियों से या निर्यात द्वारा की जायगी।

Increase in the Freight Charges on Kerosene OIL by USSR and Rumania.

5627. Shri Yashpal Singh :
Shri Madhu Limaye :
Shri D, C. Sharma :
Shri George Fernandes :
Shri J. H. Patel. :
Shri S. M. Banerjee :
Shri Kameshwar Singh :
Shri M. Amersey :

Will the Minister of Petroleum and Chemicals be pleased to state :

a) whether it is a fact that due to the closure of the Suez canal, the U.S.S.R. Government have demanded an increase of 112 per cent in the freight charges on Kerosene oil

(b) whether it is also a fact that Rumania has also demanded an increase in the freight charges at the same rate.

(c) whether Government's attention has been drawn to the fact that it has affected retail price of kerosene oil and the general price index; and

(d) if so, the reaction of Government thereto.

The Minister of State in The Ministery of Petroleum and Chemicals and of Planning and Sociae Welfare (Shri K. Raghuramaiah)

(a) The Soviet Trade organisation has asked the Indian oil Corporation Limited to bear an increase of 4·20 per tonne in freight on the import of kerosene consequent on the closure of Suez Canal. This is stated to be 2/3rd of the extra freight autually payable.Earlier the freight rates were 4·60 for single port dishcharge on the west coast to 6·00 per tonne for two ports dishcharge on the East Coast. The matter is under negotiation with USSR authorities.

(b) The contract with Rumania is on a CIF basis. No official request for any incrsase in freight has been made so far.

(c) No, Sir. There is no increase on the ratail price of kerosene on this account.

(d) Does not arise.

विदेशी मुद्रा का प्रेषित किया जाना

5628. श्री सम्बन्धन :
श्री अंजाजागन :
श्री क० कृ० नायर :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में रहने वाले भारतीयों द्वारा भारत में अपने आश्रितों को 1955 में तथा 1963 से 1967 में अब तक प्रत्येक देश से कितनी विदेशी मुद्रा प्रेषित की गई है; और

(ख) इन वर्षों में ऐसी राशियां वसूल करने वाले आश्रितों अथवा परिवारों की संख्या कितनी है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) उपलब्ध भुगतान संतुलन आंकड़ों से यह जानकारी अलग से इकट्ठी करना संभव नहीं है कि विदेशों में रहने वाले भारतीयों द्वारा भारत में अपने आश्रितों को कितनी विदेशी मुद्रा प्रेषित की गई ।

स्वर्गीय डा० टी० सैफुद्दीन के विरुद्ध आरोप

5629. श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री मधु लिमये :
श्री जे० एच० पटेल :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **वित्त** मंत्री 18 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2623 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दाऊदी बोहरा जाति के प्रधान स्वर्गीय डा० टी ० सैफुद्दीन के परिवार के सदस्यों पर विदेशी मुद्रा सम्बन्धी नियम भंग करने आदि के लगाये गये आरोपों की जांच इस बीच पूरी कर ली गई है;

(ख) क्या यह सच है कि स्वर्गीय डा० सैफुद्दीन ने कर तथा विदेशी मुद्रा विनियमों को भंग करके अपनी करोड़ों रुपयों के मूल्य की सम्पत्ति को भारत, पाकिस्तान, श्री लंका, पूर्वी अफ्रीका तथा कुछ अन्य यूरोपीय, देशों में रह रहे अपने परिवार के सदस्यों के नाम कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उप–प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) तथा (ख) : जहां आय कर विभाग का सम्बन्ध है, जांच पड़ताल अभी भी जारी है ।

स्वर्गीय डा० टी० सैफुद्दीन के परिवार के सदस्यों द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमों के उल्लंघन के बारे में कोई जांच–पड़ताल नहीं की जा रही है ।

(ग) : जांच पड़ताल पूरी होने के बाद आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जाएगी ।

मैसूर में बाढ़ नियंत्रण कार्यों के लिये वित्तीय सहायता

5630. श्री क० लकप्पा : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के बाढ़ नियंत्रण बोर्ड के अधीन अब तक मैसूर राज्य में बाढ़ नियंत्रण कार्यों के लिये कुल कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ; और

(ख) क्या इस कार्य के लिये मैसूर सरकार को दी गई पूरी सहायता-राशि खर्च कर दी गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) बाढ़ नियंत्रण कार्यो के लिये मैसूर राज्य सरकार ने अभी तक किसी ऋण सहायता के लिये नहीं कहा है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

शरावती घाटी परियोजना

5631. श्री क० लकप्पा : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शरावती घाटी परियोजना के तीसरे चरण में नवें और दसवें यूनिट लगाने के लिये मैसूर राज्य से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) रुपये के अवमूल्यन के पश्चात इस पर अनुमानतः कितनी लागत आयेगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख) शरावती पन बिजली परियोजना को क्रियान्वित करने के लिये पहले ही अनुमोदित कर लिया गया है।

(ग) मैसूर सरकार से प्राप्त नवीनतम जानकारी के अनुसार अवमूल्यन के कारण तीसरे चरण की अनुमानित लागत 7·5 करोड़ रुपये होगी।

राज्यों में सिंचाई परियोजनाओं प्रगति के बारे में रिपोर्ट

5632. श्री क० लकप्पा : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को सिंचाई परियोजनाओं के बारे में, जो चालू हो गई है, राज्यों से समय समय पर रिपोर्टें मिलती रहती हैं ; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में हुई गति का आंकड़ों सहित पूरा विवरण क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1039/67]**

सेंट मेरी अस्पताल मनारकड, कोट्टयम (केरल) को सहायता

5633. श्री अब्राहम : क्या स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में सेंट मेरी अस्पताल मनाकड, कोट्टयम को केन्द्रीय सरकार कोई सहायता दे रही है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले दस वर्षों में इसे कितनी सहायता दी गई ,

(ग) क्या इस वर्ष सरकार का विचार इस अस्पताल को कोई सहायता देने का है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मंत्री : (डा० श्री चन्द्र शेखर) (क) जी हां।

(ख) "क्षयरोग, कुष्ठ, कैंसर और अन्य चिकित्सा जैसी स्वेच्छिक संस्थाओं को अनुदान" विषयक योजना के अन्तर्गत इस संस्था को विगत दस वर्षों में निम्नलिखित अनावर्ती अनुदान दिये गये।

वर्ष	धन-राशि	उद्देश्य
1964–65	20,000 रुपये	एम्बूलैंस गाड़ी की खरीद के लिये।
1966–67	16,250 रुपये	एम्बूलैंस गाड़ी के ढांचे के निर्माण तथा सर्जिकल औजारों की खरीद के लिये।

	16,500 रुपये	शिशु वार्ड, सर्जिकल ब्लाक और वाटर टैंक के निर्माण तथा औजार और उपस्करणों की खरीद के लिये ।
1967–68	3,750 रुपये	सर्जिकल औजारों की खरीद के लिये ।

(ग) जी हां ।

(घ) बच्चों के वार्ड सर्जिकल ब्लाक और वाटर टैंक तथा औजारों एवं उपस्करणों की खरीद के लिये अनुमोदित कुल अनुदान की दूसरी किश्त पर इस संस्था को 16,500 रुपये की रकम दी जा सकती है वशर्ते कि यह संस्था ने भी इन कार्यों पर इतनी ही रकम खर्च करें ।

आसाम में बाढ़

5634. श्री हेम बरुआ : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम राज्य में हाल में बाढ़ आ रही है ; और

(ख) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आसाम में बाढ़ बार-बार आती रहती हैं सरकार का विचार खतरे को सदा के लिये समाप्त करने के उद्देश्य से क्या कार्यवाही करने का है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां ।

(ख) 1954 से राज्य में बाढ़ नियन्त्रण कार्यों को एक सुव्यवस्थित ढंग से आरम्भ किया गया है और उपलब्ध साधनों के अनुसार इनको जारी रखा जा रहा है । तृतीय योजना के अन्त तक ब्रह्मपुत्र, बैरक और उनकी सहायक नदियों के किनारों पर 2000 मील लम्बे तटबन्ध और 450 मील लम्बी निकास नालियां बनाई गई हैं और 29 नगर संरक्षण योजनाओं को निष्पादित किया गया । नये तटबन्धों के निर्माण और वर्तमान तटबन्धों को ऊंचा और मजबूत करने के अतिरिक्त भविष्य में बाढ़ नियन्त्रण के लिये ब्रह्मपुत्र और बैरक की सहायता नदियों पर जलदायों के निर्माण और नदी प्रशिक्षण तथा मूशरण विरोधी कार्यो तटबन्धों के पीछे नालियों और चुने हुए स्थानों पर प्रयोगात्मक खुदाई पर जोर दिया जायेगा ।

दियान गढ़ (जम्मू तथा काश्मीर) में चिनाब पर पन बिजली परियोजना

5635. श्री दी० चं० शर्मा : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दियान गढ़ (जम्मू तथा कश्मीर) में चिनाब नदी पर पन बिजली परियोजना बनाने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी हां । दियालगढ़ के पास चिनाव नदी पर सलाल पन बिजली परियोजना की विस्तृत जांच जम्मू तथा काश्मीर सरकार द्वारा की जा रही है ।

(ख) चालू जांच के पूरा होने के बाद ही परियोजना के ब्यौरों का पता चल सकेगा ।

नई दिल्ली में रीगल के पास भूमिगत पैदल पारपथ

5636. **श्री आत्म दास :** क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाट प्लेस, नई दिल्ली में रीगल सिनेमा के निकट भूमिगत पैदल पारपथ बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख यदि हां, तो ऐसे भूमिगत पारपथ किन-किन क्षेत्रों में बनाये जायेंगे ;

(ग) इन भूमिगत पारपथों से यातायात में कहां तक सुविधा होगी ; और

(घ) इस योजना पर कितनी राशि खर्च होगी ।

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) : (क) जोनल विकास योजना के अन्तर्गत डी–1 जोन (कनाट प्लेस तथा उसके निकटवर्ती क्षेत्र) में ऐसे मार्ग बनाने का प्रस्ताव है । पार्लियामेन्ट स्ट्रीट के जंकशन और रीगल सिनेमा के निकट कनाट प्लेस के बाहरी सर्किल पर एक भूमिगत पारपथ बनाने सम्बन्धी इस प्रस्ताव को सरकार ने मंज़ूर कर लिया है ।

(ख) पार्लियामेन्ट स्ट्रीट और कनाट प्लेस (रेडियम रोड नं० 1) की बाहरी परिधि ।

(ग) यह भूमिगत पारपथ पैदल चलने वाले तथा साइकिल चालकों को तेज यातायात से पृथक कर देगा ।

(घ) इस योजना की प्रारम्भिक अनुमानित लागत 12·75 लाख रुपये है ।

रामकृष्ण पुरम में क्वार्टर

5637. **श्री बलराज मधोक :** **श्री म० ला० सोंधी :**
श्री श्रीचन्द्र गोयल : **श्री जगन्नाथ जोशी :**

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ती मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1300 रुपए तक मूल वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों को सरकारी क्वार्टर देने के लिये सरकारी कर्मचारियों की पांच श्रेणियां बनाई गई हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि रामकृष्णपुरम में अत तक बने और आवंटित सात सैक्टरों में श्रेणी एक और दो के तो बहुत से क्वार्टर बनाये गये हैं परन्तु तीन, चार और पांच श्रेणियों के बहुत कम क्वार्टर बनाये गये हैं ; और

(घ) यदि हां. तो तीन चार और पांच श्रेणियों के क्वार्टर पर्याप्त संख्या में नहीं बनाने के क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सरदार इकबाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) : जी नहीं। टाईप III तथा IV के 1908 क्वार्टर तथा टाईप पंचम के 138 क्वार्टर बनाये गये हैं तथा रामकृष्णपुरम में टाईप III तथा IV के 576 और क्वार्टर निर्माणाधीन हैं।

इस समय टाईप I से V तक की मांग के पूरा हो जाने की कुल प्रतिशत निम्नांकित है :–

टाईप	i	—	52
टाईप	ii	—	33
टाईप	iii	—	32
टाईप	iv	—	50
टाईप	v	—	47

सरकारी कर्मचारियों के निम्नतम स्तर के लिये क्वार्टरों की व्यवस्था करने पर ठीक ढंग से अधिक ध्यान दिया गया है। टाईप iii से v तक के आवंटन की प्रतिशत ii–i की अपेक्षा अधिक अनुकूल है।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त का कार्यक्षेत्र

5638. श्री प्र० रं० ठाकुर :
श्री अ० कु० किस्कु :

क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जाति तथा आदिम जाति आयुक्त की शक्तियों के संवैधानिक कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत, जहां तक उनके विशेष उत्तरदायित्वों का सम्बन्ध है, केन्द्र तथा राज्य दोनों ही आते हैं;

(ख) यदि हां तो अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिये राज्य सरकारों द्वारा उन्हें आवश्यक जानकारी देने से बराबर इन्कार किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस स्थिति को ठीक करने के लिये कोई कार्यवाही करने का है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) हां।

(ख) इन्कार किये जाने के किसी मामले की सूचना सरकार को नहीं मिली है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मकानों की समस्या

5639. श्री दी० चं० शर्मा : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे।

(क) क्या देश में मकानों की समस्या हल करने के बारे में भारत स्थित विदेशी मिशनों से परामर्श किया गया है ;

(ख) यनि हां, तो इस सम्बन्ध में दिये गये आंकड़ों की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई व्यापक योजना बनाई गई है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) इस मंत्रालय के द्वारा अनेक आवास योजनायें बनाई जा चुकी हैं जो कि राज्य सरकारों तथा संघ क्षेत्रों के द्वारा अपने क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही हैं। ये योजनायें मुख्य रूप से निम्न आय वर्ग तथा मध्यम आय वर्ग के लोगों को मकानों की व्यवस्था करने के लिए हैं।

Electricity Rates in States

***5640. Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state :

(a) whether Government have formulated a policy to supply power in all parts of the country at 12 paise per unit for irrigation purpose and the charges in excess thereof would be paid by the Centre and the State Government by matching grants ;

(b) whether there are still such places in the country where farmers have to pay more than 12 paise per unit and if so, the reason therefor ;

(c) whether it is also a fact that farmers of Palamau District in Bihar, which is the worst hit by famine, have to pay more than 12 paise per unit for the power supplied to them for irrigation purposes ; and

(d) if so, the reason therefor ?

Minister for Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) & (b) : In order to extend the benefits of pump irrigation on a large scale, it was felt that the rate for power supply to agriculturists in the different State should not exceed 12 paise per unit. Accordingly, a proposal to provide subsidy on electicity rates for agricultural purposes in excess of 12 paise per unit, to be shared equally by the Centre and the State concerned, was agreed to by the Government of India initially for a period of 3 years from 1966-67.

At present the rate for agricultural power supply is higher than 12 paise per unit in Assam, Bihar. Gujarat, Maharashtra, Rajasthan, Uttar Pradesh and in areas which are being served by diesel sets in Madhya Pradesh and Orissa.

(c) & (d) : The power tariff is fixed by the state Electricity Boards. As per information available the tariff for agricltural purposes is 15 paise per unit throughout Bihar State. The State authorities have reported that the tariff fixed by them is considered reasonable.

Rural Power Consumer's Co-operative Societies

***5641. Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state :

(a) whether Governmet propose to form Rural power Consumer's Co-operative Societies on an experimental basis during the Fourth Plan period ; and

(b) If so, the details of the said scheme, the placss where those Societies would be formed and the financial aspects of the scheme ?

Minister for Irrigation and Power (Dr. K. L, Rao) : (a) & (b): The position is that on the basis of a preliminary survey conduced with the assistance of Experts deputed by the Usaid in areas recommended by states interested in the setting up of rural pilot electric co-operatives, it has been decided to take up detailed studies in respect of an area each in the States of Andhra Pradesh, Gujarat, Maharashtra, Mysore and U. P. These detailed studies in regard to the organisational aspect and technical feasibility are proposed to be taken up as phases II and III of the project with the assistance of experts to be nominated by US AID. A decision on the setting up of such experimental rural electric co-operatives will be taken after the report on the detailed studies is received and considered by Government.

Consumption of Electricity During Fourth Plan

*5642. **Shri Maharaj Singh Bharti** : Will the **Minister of Irrigation and Power** be pleased to state ;

(a) the details of the targets of power consumption fixed for the Fourth Plan period ;

(b) the wattage of power to be utilized for the purpose of agriculture and the esti mated wattage, out of the above, that would be utilized for irrigation; and

(c) the targets of power consumption in the public sector and printer sector irriga tion schems separate'y out o. the total wattage that would be utilised for irrigation ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) No target in respect of electricity consumption are set.

(b) & (c) The electricity required for agriculure is all for irrigation only as mechanised agriculture in this country is negligible at present. The anticipated consumption of electricity for agriculture by end of the Fourth Plan, according to the Fourth Annual Power Survey is 4135 million kwh. Of this 3 45 million kwh is expected to be consumed in the Private Sector and the balance 190 million kwh in the Public Sector.

नई दिल्ली स्थित सरकारी मुद्रणालय के सीनियर रीडर

5543. **श्री स० कू०डू :**
श्री डा० सूर्यप्रकाश पुरी :
श्री दिनकर देसाई :

क्या निर्माण, आवास, तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नयी दिल्ली स्थित सरकारी मुद्रणालय में मई 1967 में सीनियर रीडरों की कुछ पदोन्नतियाँ की गई थी :

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी थी ;

(ग) इनमें से हिन्दी जानने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी थी ;

(घ) क्या यह भी सच है कि इन पदों पर केवल हिन्दी जानने वाले कर्मचारियों की पदोन्नति की जानी थी , और

(ङ) यदि हां, तो ऐसे कितने कर्मचारियों की पदोन्नति की है जो हिन्दी प्रूफरीडिंग कार्य नहीं करते ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री इकबाल सिंह) (क) जी हां ।

(ख) छः ।

(ग) पांच ।

(घ) छः पदों में से चार के लिए हिन्दी का ज्ञान आवश्यक था ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

House Construction Programme in U. P.

5644. Shri Sarjoo Pandey : Will the **Minister of works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) the amount allocated for house construction programmes under the various housing schemes in U. P, in Third Plan ;

(b) the amount spent so far ;

(c) in case the full amount has not been utilised, the reasons therefor;

(d) the amount allocated for U. P. in 1966–67 and 1967–68 ; and

(e) the amount utilised in 1966-67 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) (a), (b), (d) and (e) A statement giving the required information is laid on the Table of the House. **[Placed in librarery See No. L. T.–1040/67]**

(c) the sh rtfall is mainly due to the lower priority given by State Government to housing schemes, vis-a-vis projects like Power, Irrigation, Agriculture etc.

Drinking Water Supply Schemes in Uttar Pradesh

5646. Shri Sarjoo Pandey : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state ;

(a) whether any drinking water supply schemes subbmitted by the Government of Utter Pradesh for the rural as well as urban areas of Uttar Pradesh are under the consideration of the Central Government at present ;

(b) whether it is a fact that the Uttar Pradesh Government have requested for the expeditious Completion of certain water supply schemes in the backward areas; and

(c) if so, the steps being taken for their completion ?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. S. Chandra Shekhar) (a) all rural and 3 urban water supply schemes relating to Uttar Pradesh which were received on 23,6,67 are under examination of the Central Public Health Engineering Organisation.

(b) and (c) : No specific reference in regard to water supply schemes to be executed in the backward areas in Uttar Pradesh under the National Water supply and Sanitation Programme with which the Ministry of Health and Family Planning is concerned has been received. Moreover, the execution of the Schemes is the responsibility of the state Government.

कृषि के विकास के लिये विदेशी सहायता

5647. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने भारतीय कृषि के विकास के लिए विश्व बैंक तथा इस से सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था से सहायता मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो यह सहायता किन परियोजनाओं को दी जायेगी ; और

(ग) कितनी सहायता दी जायेगी तथा उसका प्रयोग किस प्रकार किया जायेगा ?

उप-प्रधान मंत्री और वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : विश्व बैंक और उससे सम्बद्ध संगठनों ने, भारत में कृषि के विकास के लिए, पिछले वर्षों में कई ऋण/उधार की रकमें दी हैं। कुछ नयी प्रयोजनाओं/प्रस्तावों पर विभिन्न स्तरों पर विचार किया जा रहा है ताकि विश्व बैंक/अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के ऋणों के सम्बन्ध में बातचीत की जा सके। इन प्रयोजनाओं/प्रस्तावों का ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है।

1. **उत्तर प्रदेश नलकूप प्रायोजना-दूसरा दौर** : इसका उद्देश्य, उत्तर प्रदेश के वाराणसी और एटा जिलों में नलकूपों, कूओं और कृषि के काम आने वाली अन्य वस्तुओं की सहायता से कृषि-विकास के काम को जोरदार बनाना है।

2. **पंजाब जल-निकासी प्रायोजना-दूसरा दौर** : इसका उद्देश्य, बाढ़-नियंत्रण और जल-निकासी की व्यापक योजनाओं के द्वारा पंजाब में कृषि-विकास के कार्य को तेज करना है। यह पंजाब जल-निकासी प्रायोजना के पहले दौर का अगला भाग है।

3. **उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र की बीज विकास प्रायोजना।**

4. **मीन क्षेत्रों का विकास**: इसका उद्देश्य, बड़े बड़े जहाजों के बेड़े का उपयोग करके मछली पकड़ने के काम का विस्तार करना और उसमें सुधार करना है।

(ग) : विश्व बैंक/अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से मिलने वाला धन प्रायोजनाओं के लिए तभी उपलब्ध होता है जब प्रायोजनाएं तैयार करने, उन्हें पेश करने, उनकी जांच करने और उन्हें स्वीकृति मिलने का काम पूरा हो जाता है। अभी यह नहीं बताया जा सकता कि इन प्रायोजनाओं के लिए कितनी सहायता उपलब्ध होगी और उसका उपयोग किस तरह किया जायगा, क्योंकि अभी इस बात का पता नहीं है कि विश्व बैंक/अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से प्राप्त होने वाली रकम किस आधार पर निर्धारित की जाएगी।

घड़ियों पर आयात-शुल्क लगाये जाने के फलस्वरूप प्राप्त राजस्व

5648. **श्री अगाड़ी:** क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1925-26, 1935-36, 1945-46, 1955-56 तथा 1965-66 के दौरान घड़ियों पर लगाये गये आयात-शुल्क के फलस्वरूप कुल कितना राजस्व प्राप्त हुआ ;

(ख) क्या यह सच है कि चोरी छिपे घड़ियों को लाने पर रोक लगाने के लिए आयात लाइसेंसों को रद्द किए जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) सूचना इकट्ठी करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं तथा जितनी सूचना उपलब्ध हो सकेगी सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) तथा (ग) : अप्रैल 1965 से लेकर मार्च 1966 तक की आयात व्यापार नियंत्रण नीति-अवधि के सभा से सम्पूर्ण घड़ियों के आयात पर रोक लगी हुई है । इसलिए घड़ियों के आयात लाइसेंसों को रद्द करने सम्बन्धी किसी प्रस्ताव का सवाल ही नहीं उठता।

साउथ एवेन्यू, नई दिल्ली में मल-निष्कासन पाइप की मरम्मत

5650 **श्री रा० बरुआ :** क्या **निर्माण. आवास तथा पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सी० पी० डब्ल्यू० डी०) तथा साउथ एवेन्यू स्थित पूछताछ कार्यालय को यह आदेश दिया है कि साउथ एवेन्यू में संसद सदस्यों के लिए बने फ्लेटों में मल-निष्कासन पाइप की मरम्मत न की जाये ;

(ख) यदि हां, तो यह आदेश कब तक लागू रहेगा ;

(ग) क्या सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/साउथ एवेन्यू स्थिति पूछताछ कार्यालय में कार्यकुशलता दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है और ये संसद सदस्यों की किरायेदारों के नाते भी ठीक से सेवा नहीं कर रहा है ; और

(घ) क्या सरकार संसद सदस्यों को, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/पूछताछ कार्यालय के ठीक सेवा करने में असफल रहने के कारण कोई प्रतिकर देगी ?

निर्माण. आवास, तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) और (घ) : पिछले निर्वाचन में, अनेक नये सदस्य संसद में आये हैं जिसके फलस्वरूप साउथ एवेन्यू में अनेक मकानों को नए सिरे से आवंटित किया गया है । इन मकानों

की मरम्मत तथा इनकी प्रत्येक की आवश्यकता तथा रुचि के अनुसार पुताई/डिस्टैम्पर करने के अतिरिक्त सभी शिकायतों पर तुरन्त कार्यवाही करने में साउथ एवेन्यू पूछताछ कार्यालय/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग कठिनाई का अनुभव करता है। संसद सदस्यों को शीघ्र तथा संतोषजनक सेवा देने के उद्देश्य से साउथ एवेन्यू के पूछताछ कार्यालय के कर्मचारियों की संख्या अब बढ़ा दी गयी है तथा अब सेवा की त्वरितता एवं स्तर में पर्याप्त सुधार हुआ है। किसी भी संसद सदस्य को मुआवजा देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

Exchange of Currency Notes by reserve Bank

5651. **Shri Ram Gopal Shalwale** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that torn and old currency-notes are changed only in the Reserve Bank of India.

(b) whether it is olso a fact that during the pre-Independence era. this facility was availble at every Bank ;

(c) whether it is also a fact that there are long queues at the Reserve Bank for getting such notes exchanged resulting in great inconvenience to the public ;

(d) whether Government would extend the facility of exchanging notes at all the Banks in the country, keeping in view the inconvenience of the public; and

(e) if so, by when and if not, the reasons therefor ?

The Deputy Prime Minister and Ministry of Finance (Shri Morarji D. sai) (a) under the Reserve Bank of India (Note Refund) Rules, 1935 any claim for a lost,stolen, mutilated or imperfect note can be entertained only at the ofiices of the Issue Department of the Reserve Bank. However, notes which are slightly mutilated or disfigured by oil or other substances, but which can be identified as genuine, are exchangeable at treasuries, Sub-treasuries and branches of the State Bank of India and its subsidiaries.

(b), (d), and (e) : Commercial Banks, other than the State Bank of India and its subsidiaries, were never required to provide facilities for exchange of currency notes, nor is there any such proposal at present.

(c) Reasonable facilities are provided at all the Issue offices of the Reserve Bank for exchange of notes and for dealing with claims on defective notes. and there are no reports of any serious inconvenience experienced by members of public.

गोआ में बिजली की सप्लाई

5652. **श्री शिंकरे** :क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि राधा नगरी तथा सरस्वती ग्रिडी के माध्यम से गोआ को बिजली की सप्लाई बार बार बन्द हो जाती है ;

(ख) क्या सरकार को इस बात का भी पता है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा ली जाने वाली प्रति यूनिट दर बहुत अधिक है जिस पर गोआ सरकार ने क्षोभ व्यक्त किया है;

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार तथा मैसूर सरकार द्वारा ली जाने वाली दरों में काफी अन्तर है ; और

(घ) क्या इन विवादों को दृष्टि में रखते हुए गोआ को बिजली के मामले में आत्म-निर्भर बनाने के लिए सरकार का विचार किसी अविलम्बनीय योजना को अन्तिम रूप देने का है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : (क) महाराष्ट्र और मैसूर से दी जाने वाली बिजली के बार बार बन्द हो जाने के सम्बन्ध में गोआ सरकार से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि गोआ के एक उपभोक्ता ने हाल ही में शिकायत की थी। इस शिकायत के प्राप्त होने पर केन्द्रीय जल नथा विद्युत आयोग के इंजीनियर गोआ गये, उन्होंने बिजली के अधिष्ठापनों का निरीक्षण किया और उपचारीय उपाय सुझाये।

(ख) और (ग) गोआ सरकार ने शिकायत की है कि 110 के० पर मैसूर द्वारा बिजली संभरण के लिये जो प्रशुल्क दर दी जा रही है वह बहुत अधिक हैं। केन्द्र के कहने पर मैसूर सरकार बिजली संभरण के आरम्भ की तिथि से पुनर्विलोकन करने के लिए तैयार हो गई है।

(घ) गोआ को मोटी मात्रा में बिजली देने के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। चतुर्थ योजना के दौरान गोआ की बिजली की आवश्यकता सरस्वती पद्धति के अतिरिक्त बिजली लेकर पूरी की जायेगी। इस बीच गोआ की दूध सागर परियोजना की विस्तृत जांच चालू है।

चौथी वार्षिक विद्युत् सर्वेक्षण समिति

5653. श्री चिन्तामणी पाणिग्रहि : क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी वार्षिक विद्युत समिति ने इस बात का अनुमान लगा लिया है कि वर्ष 1970-71 तक देश में बिजली की कितनी आवश्यकता होगी ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य को कितनी बिजली की आवश्यकता होगी ; और

(ग) इस समय बिजली की कितनी कमी है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी हाँ,

(ख) अपेक्षित जानकारी बताने वाला तक विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया है। देखिए संख्या एल० टी० 1045/67**]

(ग) वर्तमान कमी लगभग 61.5 मेगावाट की है।

सरकारी उपक्रमों के बोर्डों में निदेशकों की नियुक्ति

5654. श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :
श्री बृजराज सिंह कोटा :
श्री क० कु० नायर :
श्री रणजीत सिंह :
श्री प्र० न० सोंलकी
श्री भारतसिंह चौहान
श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या वित्त मन्त्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) किन मुख्य सिद्धान्तों के आधार पर सरकारी उपक्रमों के बोर्डों में निदेशक नियुक्त किये जाते हैं ;

(ख) क्या सरकार के मतानुसार बोर्ड सन्तोषजनक रूप में काम कर रहे हैं ; और

(ग) सरकारी उपक्रमों की कार्य-कुशलता और कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के सम्बन्ध में बोर्डों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) सरकारी उपक्रमों के कार्य संचालन पर कृष्ण मैनन समिति रिपोर्ट तथा अन्य रिपोर्टों एवं अध्ययनों में की गई सिफारिशों के आधार पर सरकार ने जो कुछ स्थूल निर्णय किये हैं, उनका एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया देखिए संख्या एल०टी० 1042/67**] ये निर्णय 24 नवम्बर 1961को लोकसभा की मेज पर रखे गये एक विवरण-पत्र में दिये गये थे।

(ख) और (ग) सरकार की नीति यह है कि सरकारी उपक्रमों के बोर्डों के निदेशकों का चुनाव करते समय, उद्योग विशेष के बारे में उनके ज्ञान का सरकार में अथवा सार्वजनिक जीवन में उनके स्थान का, तथा बोर्डों के सदस्यों के रूप में उपक्रमों के सफल संचालन में उनकी क्षमता का ध्यान रखा जाता है। सरकारी उपक्रमों के कार्य-निष्पादन में सुधार करने के उपायों की ओर सरकार का ध्यान बराबर लगा हुआ है।

राज्यों में कृषि फार्मों के लिए बिजली की दरें

5655. श्री चिन्तामणी पाणिग्रही क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि कार्यों के लिए बिजली की सप्लाई दर सभी राज्यों में घटाकर 12 पैसे प्रति किलोवाट कर दी गई है ;

(ख) यदि नहीं, तो किन-किन राज्यों में यह दर अधिक है ;

(ग) क्या इस योजना के अन्तर्गत उड़ीसा सरकार को अब तक कोई राज सहायता मिली है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) (क) और (ख) : बड़े पैमाने पर पम्प सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार करने के लिए यह महसूस किया गया था कि विभिन्न राज्यों में कृषकों को दी जाने वाली बिजली की दर 12 पैसे प्रति यूनिट से अधिक नहीं होनी चाहिये। अतः भारत सरकार आरम्भ में 1966-67 से तीन वर्षों के लिए इस प्रस्ताव पर सहमत हो गई कि कृषि प्रयोजनों के लिये प्रति यूनिट 12 पैसे से जितने पैसे अधिक दिये जाये उसका आधा आधा भाग केन्द्र और राज्य सरकारें समान रुप से दें।

इस समय कृषि बिजली सप्लाई की दर, आसाम, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और उड़ीसा के उन क्षेत्रों में डीजल सेंटों से बिजली पैदा की जाती है। 12 पैसे प्रति यूनिट से अधिक है।

(ग) राज-सहायता के लिए उड़ीसा सरकार से अभी तक कोई प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

———

अविलम्बनोय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

पाकिस्तान द्वारा आसाम में भारतीय क्षेत्र पर बलपूर्वक किये जाने के समाचार

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) श्रीमान मैं वैदेशिक-कार्यमंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह उस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

पाकिस्तान द्वारा आसाम के लाठीटीला-दुमाबाड़ी क्षेत्र में 948 बीघा भारतीय क्षेत्र पर बलपूर्वक कब्जा किये जाने के बारे में आसाम के मुख्य मन्त्री के वक्तव्य का समाचार।"

वैदेशिक कार्य-मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : 6-7-1967 को असम की विधान सभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए वहां के मुख्य मन्त्री ने कहा था कि पाकिस्तान ने असम के लाठीटीला-डूमाबाड़ी क्षेत्र में लगभग 748 बीघा जमीन पर कब्जा किया हुआ है (948 नहीं' जैसा कि नोटिस में कहा गया है) मुख्यमन्त्री लाठीटीला-डुमाबाड़ी क्षेत्र में भारत और पाकिस्तान के बीच हुये एक काम चलाऊ प्रबन्ध की चर्चा कर रहे थे। जिन परिस्थितियों में यह कास-चलाऊ प्रबन्ध तय हुआ, वे नीचे बताई गई है :—

यह झगड़ा असम-पूर्व पाकिस्तान सीमा के कछार-सिलहट सैक्टर में पूतनीगांव. कारखानापूतनी गांव, बोर पूतनीगांव, लाठीटीला और डूमाबाड़ी. इन पांच गांवों के विषय में रैडक्लिफ के फैसले की व्याख्या से संबंध रखता है। इन पांचों गांवों का कुल क्षेत्रफल 1.84 वर्गमील है। यह झगड़ा रैडक्लीफ के फैसले में वर्णित सीमा रेखा और इस वर्णन के साथ संलग्न उनके नक्शे की रेखा में अन्तर के कारण खड़ा हुआ है। पाकिस्तान का कहना है कि यह वर्णन और नक्शा आपस में मिलते हैं जबकि भारत का कहना है कि फैसले का वर्णन नक्शे पर दिखाई गई रेखा से नहीं मिलता और इसलिए, स्वयं सर रैडक्लीफ की विशेष व्यवस्था की शर्तों के अनुसार यह स्वीकार्य नहीं है। उनकी व्यवस्था यह है कि "नक्शे पर दिखाई गई रेखा में और वर्णन में बताई गई रेखा में अन्तर होने की स्थिति में लिखित वर्णन ही सही माना जाएगा।

रैडक्लिफ के फैसले की व्याख्या के इस अन्तर के परिणाम स्वरुप, इस क्षेत्र में विगत में कई अवसरों पर गोलाबारी हुई है। कुछ बातचीत के बाद 1959 में दोनों देश इस क्षेत्र में यथास्थिति बनाए रखने पर सहमत हुए। इस बात पर सहमती हुई कि जब तक सीमांकन का काम पूरा न हो जाए तब यह क्षेत्र असम सरकार के सीविल अधिकार-क्षेत्र में रहेगा। लेकिन, पाकिस्तान ने 1962 से इस यथास्थिति का उल्लंघन करना आरम्भ कर दिया और इन गांवों में उसने जबर्दस्ती घुसपैठ की तथा जबरन कब्जा करने की कोशिशें की। नवम्बर 1962 तक पाकिस्तान ने समूचे लाठीटीला गांव पर कब्जा कर लिया और जुलाई 1963 तक उसने डूमा-बाड़ी गांव के कुछ हिस्से पर भी जबर्दस्ती कब्जा कर लिया था।

इस क्षेत्र में शांति स्थापित करने की सारी कोशिशें विफल हुई और समय-समय पर गोलीबारी करके पाकिस्तान ने तनाव बनाए रखा।

इस क्षेत्र में तनाव कम करने के इरादे से अगस्त 1963 में राजनयिक सूत्रों के जरिए पाकिस्तान के सामने भारत और पाकिस्तान के केंद्रीय सर्वेक्षण विभागों द्वारा इस क्षेत्र का तत्काल सीमांकन कराने की पेशकश की गई। दिसम्बर 1963 और जनवरी 1964 में ढाका और नई दिल्ली में भारत और पाकिस्तान के सर्वेक्षण महानिदेशकों की दो बार बैठक हुई। लेकिन, ये बैठकें बेफायदा सिद्ध हुई और पाकिस्तान ने इन बैठकों की कार्यवाही के लिखित ब्यौरे पर हस्ताक्षर करना भी स्वीकार नहीं किया।

हमारी कोशिशों के बावजूद, इस झगड़े को निपटाने की दिशा में कुछ भी प्रगति नहीं हो सकी। बीच-बीच में गोलाबारी भी होती रही। इसी बीच सितम्बर 1965 की लड़ाई हो गई। ताशकंद घोषणा पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद, भारत की पूर्वी कमान के जनरल आफिसर कमान्डिग-इन-चीफ और पाकिस्तान की 14 वीं इनफैंट्री डिवीजन के जनरल आफिसर ने कमान्डिग की। फरवरी 1966 को बैठक हुई। उवकी इस बैठक का उद्देश्य था पाकिस्तान के साथ लगने वाली पूर्वी सिमाओं पर तनाव कम कम करने के उपाय और तरीके खोजना। इस बैठक के समझौते के अनुसार, 8 फरवरी 1966 को लाठीटीला में भारत और पाकिस्तान के सेक्टर कमाण्डरों की बैठक हुई जिसमें इन पांच गांवों के बारे में सैनिक काम चलाऊ सीमा पर सहमति हुई। इस काम चलाऊ प्रबन्ध के अनुसार उल्लिखित पांच गांवों में से चार गांवों की कोई 249 एकड़ (लगभग 748) बीघा जमीन पर. जोकि तरह-तरह की है, पाकिस्तान का कब्जा रहा। पूतनीगांव का इस काम चलाऊ प्रबन्ध से कोई सरोकार नहीं था।

सेक्टर कमांडरों के बीच तयशुदा यह काम चलाऊ प्रबन्ध सिर्फ एक अस्थायी प्रबन्ध ही है। और इमसे किसी भी पक्ष को स्याई अधिकार नहीं मिल जाते। यह तथ्य स्वयं इस समझौते में स्पष्ट बताया गया है। यह तभी तक माना जायेगा जब तक कि दोनों पक्षों के सर्वेक्षण अधिकारियों द्वारा इस क्षेत्र में सीमा स्थायी रूप से अंकित नहीं कर दी जाती।

यहां मैं यह बतला दूं कि असम और पूर्व पाकिस्तान के भू अभिलेख और सर्वेक्षण निदेशकों की समय-समय पर बैठकें होती रहती हैं जिनमें वे असम-पूर्व पाकिस्तान सीमा का अंकन करने के बारे में कार्यक्रम बनाते है। इस क्षेत्र में अभी सम्मिलित रूप से सीमांकन किया

जाना है और उससे मामला अंतिम रूप से तय हो जायेगा तथा जो इलाके एक-दूसरे के इलाके में पड़ते होंगे उनकी सम्बन्द्ध राज्यों को बाकायदा बदली कर दी जाएगी ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Sir, I rise on a point of order. All the Members of Parliament including the Ministers have taken a pledge here in this House that they will not allow the territorial integrity of the country to be violated. Now in this statement which the hon. Minister just now made, he has admitted that according to a sectoral agreement with Pakistan, the Government has voluntarily given four villages to Pakistan. I would like the Gove nment to explain how far it is in its power to alienate Indian territory.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : श्रीमान्, मेरा भी एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

माननीय मन्त्री ने अपने वक्तव्य में कहा है कि पाकिस्तान ने लाठीटीला तथा दुमाबाड़ी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है, मैं समझता हूँ कि या तो पहले एक प्रश्न के उत्तर में उस समय के प्रधान मन्त्री स्वर्गीय, श्री जवाहरलाल नेहरू तथा प्रतिरक्षा मन्त्री श्री चव्हाण ने सभा को गुमराह किया था या अब मन्त्री महोदय ने सभा को गलत सूचना देना चाहते हैं ।

21 सितम्बर, 1964 की डा० स्वैल के एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में श्री चव्हाण ने कहा था कि पाकिस्तान अब भी लाठीटीला तथा दुमाबाड़ी क्षेत्रों में अपनी प्रतिरक्षा स्थिति को सुधारने का प्रयत्न कर रहा है । यह नहीं कहा गया था कि पाकिस्तान ने उस पर कब्जा कर लिया है । अब 1967 में बताया जा रहा है कि इस पर पाकिस्तान का कब्ज़ा 1962 में हो गया था ।

जब 1963 में पाकिस्तान द्वारा लाठीटीला क्षेत्र में झण्डा फहराया गया था, तब मेरे द्वारा पेश किए गये ध्यान दिलाने वाले प्रस्ताव के उत्तर में स्वर्गीय प्रधान मन्त्री श्री नेहरू ने कहा था कि यह एक विवादास्पद क्षेत्र है और इसका सम्बन्ध रैडक्लिफ पंचाट से निर्वाचन से है ।

उसी समय श्री हरि विष्णु कामत द्वारा पूछे गये एक प्रश्न के उत्तर में पंडित जी ने कहा था कि पाकिस्तान से कुछ लोग चोरी छिपे आकर वहां छोटे पाकिस्तानी झण्डे लगा कर चले गये हैं ।

27 अगस्त, 1963 को भी किसी ने सभा को यह नहीं बताया कि पाकिस्तान ने इन दोनों ग्रामों पर कब्जा कर लिया है । दिसम्बर, 1963 में मैंने लाठीटीला में पाकिस्तान द्वारा गोली चलाये जाने के समाचार के बारे में ध्यान दिलाने की सूचना दी थी उसके उत्तर में श्रीमती लक्ष्मी मेनन ने एक वक्तव्य दिया था । तभी श्री प्र० चं० बरुआ के एक प्रश्न के उत्तर में पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने बताया था कि इस प्रकार की गोलीबारी से पाकिस्तान का अभिप्राय शायद इस भारतीय क्षेत्र को बलपूर्वक लेना समझा जाता है । मेरे विचार में यह ठीक नहीं है । लाठीटीला क्षेत्र एक विवादास्पद क्षेत्र है । यह सभी पुराने वक्तव्य हैं ।

परन्तु आज 1967 में हमें बताया जाता है ये दो ग्राम पाकिस्तान के कब्जे में हैं । उस समय जब हमने कहा था कि पाकिस्तान ने उस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है और वहां

अपना झण्डा लहराया है तो बहुत आपत्ति की गई थी। अध्यक्ष महोदय मैं आपका इस प्रश्न पर विनिर्णय चाहता हूँ कि क्या मन्त्री 1967 में वह तथ्य बता सकते है जिसे पहले के मंत्रियों ने छुपाया था। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि उनमें से किसने ठीक बात बताई है-पंडित नेहरू, श्री चव्हाण अथवा श्री चागला।

श्री अध्यक्ष महोदय : श्री बनर्जी द्वारा उठाये गये व्यवस्था के प्रश्न के सम्बन्ध में मैं उनका ध्यान अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेश संख्या 115 की ओर दिलाना चाहता हूँ जिसमें लिखा हुआ है :

"कोई सदस्य जो किसी मन्त्री या अन्य सदस्य द्वारा दिये गये वक्तव्य में किसी भूल या अशुद्धि की ओर ध्यान दिलाना चाहे, सभा में उस विषय का उल्लेख करने से पूर्व, अध्यक्ष को भूल या अशुद्धि का ब्यौरा लिखेगा और उस विषय को सभा में उठाने के लिये उसकी अनुमति मांगेगा।"

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : उस सीमा पर ऐसे कई मामले हैं जिनमें रैड-क्लिफ पंचार (अवार्ड) में दिखाये गये क्षेत्र तथा उसमें दिये गये ब्यौरों में अन्तर है। यदि सरकार ऐसे सभी मामलों में अन्तर को मानती है तो बहुत सा क्षेत्र पाकिस्तान को चला जायेगा तथा करीमगंज हमें मिलेगा। क्या सरकार, ऐसे मामलों में संसद को बताये बिना भारतीय क्षेत्र पाकिस्तान को दे सकती है।

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : माननीय मन्त्री ने इस सम्बन्ध में आसाम विधान सभा में आसाम के मुख्य मन्त्री द्वारा दिया गया वक्तव्य ही यहां पर रख दिया है और इस सम्बन्ध में अपनी ओर से कुछ नहीं बताया है। उन्हें यह बताना चाहिये कि पाकिस्तान ने जिस राज्य क्षेत्र पर अधिकार किया है, उस पर पुनः कब्जा करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है।

श्री जी० भा० कृपलानी (गुना) : उस क्षेत्र में रहने वाले लोग भारत को नागरिक हैं और अब उसके पाकिस्तान को चले जाने से उन्हें स्थायी अथवा अस्थायी रूप से पाकिस्तान का वफादार बनना होगा। क्या सरकार को इस बात का अधिकार है कि उन्हें भारत की राष्ट्रिकता से वंचित किया जाये और पाकिस्तान की तानाशाही की दया पर छोड़ दिया जाये।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : आपने इस मामले को अशुद्धि मात्र बता कर निदेश 115 की ओर निर्देश किया है। अशुद्धि तो अनायास हो जाती है परन्तु गुमराह जानबूझ कर किया जाता है। जब सरकार जानबूझ कर गलत वक्तव्य देती है तो इसे अशुद्धि नहीं कहा जा सकता है

राज्य क्षेत्र के बारे में उत्तर देते समय सरकार लापरवाही से काम लेती है, सभा में वक्तव्य देते समय मामलों पर उचित ध्यान नहीं दिया जाता। कई बार मन्त्री परस्पर विरोधी वक्तव्य दे देते हैं, आज मन्त्री महोदय के यह कहने से कि जिन क्षेत्रों को हम विवादास्पद मानते थे उस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है, सभी को बहुत दुख पहुँचा है। यदि यह गुमराह करना नहीं तो और क्या है।

अध्यक्ष महोदय : यदि मन्त्री महोदय ऐसी बात कहते हैं जिसे माननीय सदस्य ठीक नहीं समझते तो उसे उठाने के अन्य तरीके हैं। उसे एक घंटे की चर्चा अथवा किसी अन्य तरीके से उठाया जा सकता है। इसके लिये नियमों में उपबन्ध हैं। परन्तु व्यवस्था के प्रश्न के नाम पर ऐसी चर्चा नहीं उठाई जा सकती। यदि कोई गम्भीर बात हो तो मैं चर्चा की अनुमति देने के लिये तैयार हूँ। मैं महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की अनुमति देता रहा हूँ।

श्री हेम बरुआ ने पूछा कि मैं किस आधार पर ध्यान दिलाने की सूचना की अनुमति दे रहा हूँ। एक वरिष्ठ सदस्य के लिये ऐसा करना उचित नहीं है।

श्री हेम बरुआ : मेरा यह मामला उठाने का अभिप्राय आपका किसी प्रकार भी अनादर करना नहीं है।

Shri Kanwar Lal Gupta : Mr. Speaker, Sir, this Government has always been indifferent to the problem of the borders of the country. What Shri Chagla has disclosed now, is a betrayal of the Nation. It is also betrayal of the Parliament. This Government do not know the boundries of the country. They wake up when the other country occupies our territory. After this our Government try to conceal the matter.

Therefore I would like to know, from the hon. Minister, the date on which this territory was occupied by Pakistan and the date on which this fact was first disclosed to Parliament ? Did they ever assure this Parliament of recovering the territory from Pakistan ? I would also like to know whether there is any other such disputed territory which has been occupied by Pakistan. I would also like to know the details of action being taken by the Government to recover such territory. Whether an assurance to that effect will be given and whether any other steps will be taken if we fail to get them back peacefully.

श्री मु० क० चागला : सबसे पहले मैं सभा को यह आश्वासन देता हूं कि जहां तक इस सरकार का सम्बन्ध है, हम अपने राज्यक्षेत्र का एक इंच भी पाकिस्तान को नहीं देंगे. न ही हमने ऐसा किया हैं (**अन्तर्बाधायें**)।

सभी विवादग्रस्त क्षेत्रों की सूची का प्रश्न इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता है। जनवरी, 1962 से पाकिस्तानी नागरिकों ने पूर्वी पाकिस्तान राइफल्स की सहायता से यथापूर्व स्थिति के करारों का उल्लंघन शुरू कर दिया था। उन्होंने लाठीटीला ग्राम के लोगों को विभिन्न तरीकों से तंग करना शुरू कर दिया और वहां उनका रहना इतना कठिन कर दिया कि उन्हें नवम्बर, 1962 में वह क्षेत्र छोड़ना पड़ा। पाकिस्तान ने अपने नागरिक भेज कर तथा बाद में पूर्वी पाकिस्तान राइफल्स के सैनिकों को भेज कर यही तरीका अपनाते हुए अब तक समूचा लाठीटीला तथा दुमाबाड़ी, बारपुतनी और करखना ग्रामों के कुछ भागों पर कब्जा कर लिया है।

मैं बता सकता हूं कि वहां पर विवाद का कोई प्रश्न नहीं है। वे पांचों ग्राम हमारे हैं।

Shri Madhu Limaye : He says that the land belongs to us but we have given this land to them.

Shri M. C. Chagla : We have not given this land to them.

श्री हनुमन्तैया (बंगलौर) : आप कर क्या रहे थे ?

Shri Kanwar Lal Gupta : The hon. Minister should resingng on this issue.

अध्यक्ष महोदय : यह उत्तर न तो विरोधी दलों को और न ही कांग्रेस दल के सदस्यों को संतुष्ट कर सका है। यदि ऐसा है तो वैदेशिक कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर वाद-विवाद के समय इस प्रश्न को उठाया जा सकता है। यदि उसके पश्चात् भी संतोषजनक उत्तर न मिले तो और आगे चर्चा करने के बारे में सोचा जा सकता है। इस प्रश्न पर न केवल विरोधी दलों के बल्कि कांग्रेस दल के सदस्य भी क्षुब्ध हैं। यदि माननीय मंत्री कुछ और कहना चाहते हैं तो वह कह सकते हैं।

श्री मु० क० चागला : मैं इस बारे में पहले ही बता चुका हूँ कि पाकिस्तान ने कब इस क्षेत्र पर गैर-कानूनी तौर से कब्जा किया। मैंने अपने वक्तव्य में इस क्षेत्र को वापिस लेने के लिये की कई कार्यवाही के बारे में भी बताया है। 1965 के संघर्ष के पश्चात अस्थायी रूप से एक सैनिक समझौता किया गया था। इससे इस पर हमारे क्षेत्राधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैंने अपने वक्तव्य के अन्तिम पैरा में यह भी बताया है कि आसाम तथा पूर्वी पाकिस्तान के भूमि रिकार्ड तथा सर्वेक्षण सम्बन्धी निदेशक समय समय पर आसाम-पूर्वी पाकिस्तान सीमा के निर्धारण के लिए आपस में मिल रहे हैं। इस क्षेत्र की सीमा का अभी तक संयुक्त रूप से निर्धारण नहीं किया गया है। ऐसा करते समय इन गांवों के बारे में भी निर्णय दिया जाएगा और सम्बन्धित राज्य को यह क्षेत्र दे दिया जायेगा।

श्री बलराज मधोक : आपने इन क्षेत्रों पर पाकिस्तान के वास्तविक नियंत्रण को स्वीकार कर लिया है। इसके बाद उनका कानूनी नियंत्रण भी हो जायेगा।

श्री मु० क० चागला : नहीं, नहीं।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : The question is not of five villages or five hundred villages. The question is whether it is not a fact that that land belongs to India and whether it is not the responsibility of the Central Government to protect it ? I would like to know the level i.e. cabinet or military where a decision to reoccupy this land from the Pakistane possession has been taken and the time when this decision was taken ? I would also like to know why this House was not apprised of this matter ?

श्री मु० क० चागला : मैं अपने माननीय मित्र की इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि भारत के क्षेत्र को भारत में ही रहना चाहिए चाहे वह क्षेत्र एक मील हो चाहे एक बीघा।

श्री हेम बरुआ : आप पाकिस्तान को वहां से निकाल क्यों नहीं देते ?

श्री मु० क० चागला : रैडक्लिफ पंचाट के अनुसार हम सीमा का निर्धारण करने का प्रयत्न कर रहे हैं। यदि हम इसमें सफल नहीं होते तो फिर हमें देखना है कि आगे क्या कार्यवाही की जाये।

अध्यक्ष महोदय : श्री प्र० के० देव विशेषाधिकार का प्रश्न उठायें ।

Shri Kanwar Lal Gupta : He has not replied that when did he inform the House, this is very important.

अध्यक्ष महोदय : मध्यान्ह भोजन के लिए सभा दो बजे तक के लिये स्थगित की जाती है ।

इसके पश्चात लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिये दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till Fourteen of the clock.

लोक सभा मध्यान्ह भोजन के पश्चात दो बजे म० प० पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha reassembled at Fourteen of the clock after lunch.

{ उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker *in the Chair* }

ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में
RE. CALLING ATTENTION NOTICE

उपाध्यक्ष महोदय : श्री प्र० के० देव कुछ कहना चाहते हैं ।

Shri Kanwar Lal Gupta : The discussion on the Calling Attention was going on when the House adjourned for lunch.

उपाध्यक्ष महोदय : जब अध्यक्ष महोदय सभा से गये तो उन्होंने श्री देव को बुलाया था । वह विशेषाधिकार प्रश्न के बारे में कुछ कहना चाहते हैं । ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि इस मामले को वैदेशिक कार्य मंत्रालय की मांगों के दौरान अथवा किसी अन्य समय यदि सभा चाहेगी, तो उठाया जा सकता है । उन्होंने यह भी कहा था कि नियमों के उपबन्धों के अन्तर्गत वह इस प्रश्न पर विचार करने को तैयार है । अतः इस मामले को समाप्त कर दिया गया था ।

Shri Kanwar Lal Gupta : Please listen to me just for a minute. Shri Prakash Vir Shastris' question i. e. who took the decision to recover the land, has not been answered. It is a serious matter concerning the defence of the country.

उप ध्यक्ष महोदय : मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि यह एक गम्भीर मामला है परन्तु इसको उठाने का यह समय नहीं है ।

Shri Prakash Vir Shastri : Shri Chagla has not answered my question i. e. whether the decision was taken at Cabinet or military level. The discussion on the item was not closed. The House was simply adjounred for lunch.

उपाध्यक्ष महोदय : जब अध्यक्ष महोदय सभा से गये थे तो यह मामला समाप्त हो चुका था और वास्तव में उन्होंने श्री प्र० के देव को बुलाया भी था। उन्होंने यह विनिर्णय भी दिया था कि इस मामले को वैदेशिक कार्य मंत्रालय की मांगों पर चर्चा के दौरान उठाया जा सकता है। आप इस बारे में रिकार्ड देख सकते हैं।

Shri Prakash Vir Shastri This is a very important question and if you will try to protect the government like that then we will lose our whole territory.

उपाध्यक्ष महोदय : यह गलत है। पीठासीन व्यक्ति का काम किसी को बचाना नहीं है। प्रश्न तो एक प्रक्रिया का अनुसरण करने का है।

विशेषाधिकार का प्रश्न
QUESTION OF PRIVILEGE

उड़िया के समाचार पत्र द्वारा लोक-सभा की कार्यवाही को गलत रूप में प्रकाशित करना

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : 5 जुलाई, 1967 को कटक से प्रकाशित होने वाले 'कालिंगा पेपर' में गृह-कार्य मंत्रालय की मांगों सम्बन्धी मेरे 3 जुलाई, 1967 के भाषण को तोड़मोड़ कर प्रकाशित किया गया है। और इस प्रकार विशेषाधिकार का भंग हुआ है। इस बारे में नियम 225 के अन्तर्गत में सभा को ध्यान दिलाना चाहता हूं; क्योंकि उस समाचार पत्र ने ऐसा जानबूझकर तथा बुरे उद्देश्यों से किया है। उसमें यह बताया गया है कि स्वतंत्रपार्टी के नेता श्री प्रताप केसरी देव ने लोक-सभा में कहा कि उस ज्ञापन का समर्थन करते हैं जो कांग्रेसी संसद सदस्यों तथा विधायकों ने राष्ट्रपति को दिया था। उस ज्ञापन में कहा गया था कि उड़ीसा की संयुक्त सरकार के सदस्यों के विरुद्ध आरोपों की जांच के लिए आयोग नियुक्त किया जाये। यह बात बिल्कुल गलत है। मैंने इस ज्ञापन का कभी समर्थन नहीं किया। मैंने तो यह कहा था कि इस मामले को नियुक्त किये जाने वाले 'लोकपाल' को सौंपा जाये। जैसा कि मैंने पहले कहा है, इस समाचार पत्र ने मुझे अपने राज्य में जनता की नजरों से गिराने के लिए जानबूझकर ऐसा किया है। यह एक गम्भीर मामला है और प्रत्यक्ष-रूप से विशेषाधिकार भग का मामला है। इसलिए मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। मेरा निवेदन है कि इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाये जिससे इसकी निष्पक्ष रूप से जांच हो सके। पहले भी ऐसे कई मामले विशेषाधिकार समिति को सौंपे गये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : हम इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते कि प्रत्यक्षरूप से यह विशेषाधिकार भग का मामला है। इसके लिए हम समाचार पत्र को लिख कर स्थिति का पता

लगायेंगे और तत्पश्चात इस मामले को लिया जायेगा। हम इसका अनुवाद भी उनसे मंगायेंगे।

श्री स० कुण्डू (बालासौर) : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस सदस्य के भाषण का गलत उद्धरण दिया गया हो वह ही अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को यह विश्वास दिला सकता है कि प्रत्यक्षरूप से समाचारपत्र के विरुद्ध मामला बनता है और स्वयं अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष उनके समक्ष रखे गये रिकार्ड से इस बारे में पता लगा सकता है तथा अपने को संतुष्ट कर सकता है कि विशेषाधिकार का मामला बनता है अथवा नहीं। यह समाचार पत्र श्री बिजू पटनायक से सम्बन्धित है और माननीय सदस्य को बदनाम करने के लिये जानबूझ कर ऐसा किया गया है। समाचारपत्र में कहा गया है कि माननीय सदस्य उन सदस्यों में से एक हैं जिन्होंने जांच आयोग नियुक्त करने के लिए जोर दिया है। · · · · · **(अन्तर्बाधा)**

उपाध्यक्ष महोदय : हम तथ्य जानने के लिए समाचारपत्र को लिख सकते हैं · · · ·

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : यह काम विशेषाधिकार समिति का है न कि अध्यक्ष का।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि हम पहले समाचारपत्र वालों से तथ्य मंगा कर पूरा मामला सभा के समक्ष रखते हैं तो सभा उस पर निर्णय ले सकेगी।

श्री स० कुण्डू : सम्बन्धित सदस्य और आप मिलकर यह निर्णय कर सकते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से यह विशेषाधिकार का मामला है अथवा नहीं। सम्बन्धित सदस्य सभी साक्ष्य आपके समक्ष रख सकते हैं और यदि आप संतुष्ट हो जायें कि प्रत्यक्षरूप से मामला है तो आप इसको विशेषाधिकार समिति को सौंप सकते हैं। जब आप यह कहते हैं कि आप रिकार्ड मंगायेंगे तो इसका अर्थ यह है कि आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि प्रत्यक्षरूप से मामला है और आप और साक्ष्य मांग रहे हैं। इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाना चाहिये क्योंकि प्रत्यक्षरूप से यह विशेषाधिकार का मामला है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने किसी बात को स्वीकार नहीं किया। मैं तो केवल तथ्य जानना चाहता हूँ।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : It has been the covention of this House that whenever question of privilege of this kinds arose in this House and the Speaker or Deputy Speaker has felt that there has been a breach of privilege of the Member of this House according to the Constitution or Rules of Procedure of this House he has allowed then question at one. It has never been the convention of this House to consult the newspapers of question of breach of privilege has been raised against them. Therefore I would like to submit that the question raised by Shri P. K. Deo should be accepted and referred to the Committee of Privileges.

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Sir I would like to submit two things. One is that you may consult the authenticated report of Shri P. K. Deo's and secondly you may consult the newspaper and get its translation checked up. In this manner by comparing the two you may come to the conclusion whether the case is **prima facie** or not. Sir, the decision in this case should be taken by you and there is no need to write anything to

the newspaper at all. If in your opinion it is a **prima facie** case then it may be referred to the committee of Privileges or you may say that there is no case at all.

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कुंटे ।

श्री दत्तात्रय कुंटे (कोलाबा) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने नियम 222 के अन्तर्गत माननीय सदस्य को प्रश्न उठाने की अनुमति दे दी है । अब आपने अनुमति दे दी है तो अब आप नहीं कह सकते हैं कि आप जांच करेंगे । जांच करने की बात तो प्रश्न की अनुमति दिये जाने से पहले आनी थी । अब आप अपने ही निर्णय को चुनौती दे रहे हैं। इसके बारे में नियम बहुत स्पष्ट है । मैं उसे पढ़ कर सुनाता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ दिन पहले श्री भट्टाचार्य ने विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया था । यह प्रश्न किसी शुद्धि के बारे में था । उस समय यह निर्णय किया गया था कि यदि यह प्रश्न संवाददाता द्वारा गलत रिपोर्टिंग के बारे में है तो हम सम्बन्धित मन्त्रालय को इस बारे में लिखेंगे । यही निर्णय उस ससय किया गया था परन्तु साथ साथ इस प्रश्न को यहां उठाने की अनुमति नहीं दी गई थी । उस समय भी आपको इस नियम का पता था परन्तु आपने इस नियम को तब नहीं पढ़ा । इसलिये मेरा सुझाव तो यह है कि यदि अनुचित टिप्पणी की गई हो तो हमें इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये परन्तु यदि कोई साधारण गलती हो तो ऐसा नहीं करना चाहिये ।

श्री दत्तात्रय कुंटे : श्री भट्टाचार्य के मामले का इस मामले से कोई सम्बन्ध नहीं है इस लिये मैं इसमें नहीं जाना चाहता । चाहे कोई भी कारण हो माननीय सदस्य को प्रश्न को उठाने की अनुमति दी गई है । जब प्रश्न उठाने की अनुमति दी गई है तो यह स्पस्ट ही है कि अध्यक्ष महोदय ने नियम 222 के अन्तर्गत अनुमति दी है । मैं सहमत हूं कि इस सभा के प्रत्येक सदस्य को यह पता है कि श्री प्र. के. देव को प्रश्न उठाने की अनुमति दी गई है और यह अनुमान लगाया जाता है कि ऐसा अध्यक्षपीठ की अनुमति से हुआ है । इसलिये मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि आपको इस सभा के नियमानुसार इस मामले को निपटाना चाहिये ।

Shri Randhir Singh (Rohtak) : Sir, it is not a question of the privilege of Shri P, K. Deo, it is a question of the dignity of the House. If anything has been said which is derogatory to his position we must take action.

I think we should not oppose the motion moved by Shri P. K. Deo and should refer it to the Committee of Privileges. I would also requast the Committee of Privileges to take a serious notice of such matters so that we may not have to face such difficulties here every now and then.

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चिन्तामणि पाणिग्रही ।

श्री प्र० के० देव (कालाहाँडी) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । सभी संसदों में यह सुस्थापित प्रथा है कि जिस व्यक्ति ने कभी धन का लाभ उठाया हो

वह चर्चा में भाग नहीं ले सकता। इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान 'मेज पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस' के 17 वें संस्करण के पृष्ठ 116 की ओर दिलाना चाहता हूँ ।

उपाध्यक्ष महोदय : परन्तु आपको सिद्ध करना होगा कि अमुक सदस्य ने धन का लाभ उठाया है ।

श्री प्र० के० देव : इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि अब (श्री पाणिग्रही) साम्यवादी दल को छोड़कर कांग्रेस में आये थे तो उनका नाम श्री बीजू पटनायक की वेतन पंजी में दर्ज था ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : यह आप पहले भी कह चुके हैं ।

श्री प्र० के० देव : दूसरे, वह उड़ीसा विधान सभा में 'कलिंग' समाचार पत्र के प्रतिनिधि थे और अब भी वह उस क्वाटर में रह रहे हैं जो उड़ीसा सरकार ने 'कलिंग' समाचार पत्र को दिया हुआ है । अतः उन्हें अब तक भी इस समाचार पत्र से धन मिल रहा है । इसलिये उन्हें इस मामले में, जिसका उस समाचार पत्र का सम्बन्ध है, भाग लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें अपनी स्थिति स्पष्ट करने दीजिये । 'कलिंग' एक बड़ी संस्था है परन्तु प्रश्न केवल समाचार पत्र के सम्बन्ध में है । हमारा सम्बन्ध केवल समाचार पत्र से ही है ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : इस सभा के सदस्यों के विशेषाधिकार के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं से मैं सहमत हूँ। जैसा आपने कहा है यह प्रश्न किसी दल का प्रश्न नहीं बनना चाहिये परन्तु आप देख रहे हैं कि इसे कैसा रुख दिया जा रहा है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप यह बताइये कि क्या आपको इससे कोई धन मिल रहा है ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही - मेरा कोई धन सम्बन्धी स्वार्थ नहीं है ।

कुछ माननीय सदस्य : क्वाटर के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : इस सम्बन्ध में मैं आपके ध्यान में तीन बातें लाना चाहता हूँ । एक इस सभा की कार्यवाही की रिपोर्टिंग के बारे में है ।

श्री स० कंडप्पन (मैंदूर) : क्या वह इस तरह अपनी स्थिति स्पष्ट कर रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको स्पष्ट रूप से बताना होगा कि क्या आपने कोई वित्तीय स्वार्थ उसमें हैं ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : जी, नहीं ।

कुछ माननीय सदस्य : क्वाटर के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : मैं तीन बातें बताना चाहता हूं ।

श्री स० कुण्डू : हम सीमित प्रश्न पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाना चाहिये, अथवा नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : सीधे अथवा सम्पादक से स्पष्टीकरण प्राप्त होने के बाद ।

श्री स० कुण्डू : हम किसी मामले के गुणों पर चर्चा नहीं कर सकते । इससे विशेषाधिकार समिति के अधिकारों का उल्लंघन होता है । कांग्रेस का कोई सदस्य मामले के गुणों पर बोल रहा था ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने उसे चुप करवा दिया है ।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपूर) : इस मामले पर तीन प्रकार के विचार व्यक्त किये गए हैं । एक तो यह है कि इसे तुरन्त विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाना जाय । दूसरा यह है कि मूल भाषण और उसके अनुवाद की तुलना करके उस पर निर्णय किया जाना चाहिये और तीसरा धिचार यह था कि प्रक्रिया नियमों के अन्तर्गत इसे विशेषाधिकार समिति को सौंपना ही पड़ेगा ।

मेरा यह विचार है कि मामले को किसी दल का मामला नहीं समझना चाहिये । यह सभा के सम्मान का प्रश्न है । इस मामले को टालना भी नहीं चाहिये । हमारे देश की पत्रकारिता में जो खतरनाक प्रवृत्तियां घुस आई हैं उन्हें समाप्त करना ही होगा । मेरा यह मत है कि इस विशेषाधिकार समिति को सौपा जाना चाहिये ।

श्री उमानाथ (पुट्टकोटै) : आपने एक पूर्वोदाहरण पेश करते हुए कहा है कि ऐसे प्रस्तावों को सीधा नहीं भेजा जाता है तथा समाचारपत्रों से स्पष्टीकरण मांगा जाता है और तब उस पर निर्णय किया जाता है । इस सम्बन्ध में मैं दो पूर्वोदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं । एक पूर्वोदाहरण तो यह है कि पिछली संसद में जब मैंने श्री कामराज के समाचारपत्र के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया था और अध्यक्ष महोदय को नोटिस देना था तो उन्होंने उस मामले को सभा में उठाने की अनुमति नहीं दी थी । उन्होंने उस पर स्पष्टीकरण मांगा था और तब दोनों रिपोर्टों के आधार पर यहां पर अपना निर्णय दिया था । दूसरा उदाहरण यह है । उसी संसद में जब काश्मीर के एक समाचारपत्र में, अब आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी तो श्री प्रकाशवीर शास्त्री को उस प्रश्न को सभा में उठाने की अनुमति दी गई थी और उसके बाद उसे विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया गया था । अतः एक मामले में अनुमति दी गई थी तथा दूसरे में नहीं । इसलिये हमें लोगों के मन में ऐसी भावना नहीं उत्पन्न होने देनी चाहिये कि सरकार विभिन्न विभिन्न व्यक्तियों के लिये भिन्न भिन्न नीति अपनाती है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं भी दस वर्षों से इस संसद् का सदस्य हूं। जब श्री भट्टाचार्य ने प्रश्न उठाया था तो....

Shri Prakash Vir Shastri : Sir, I rise to a point of order. As far as Shri Bhattacharya's case is concerned, Shri Bhattacharya had put his motion for breach of privilege against 'Indian Express'. Then you had referred the matter to the Editor of that newspaper. You had read out that thing in this House only when the explemation had been recieved from their Editor. As far as this matter is concerned after coming in this House this matter has become the property of the House. Zow the House has to take a decision on it. You yourself cannot ask for explanation from Orissa newspaper. There are many lawyer Members in this House. If you want good legal advice this may sought from Shri Sheo Narain.

श्री शिव नारायण (बाटी) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये।

श्री शिव नारायण : जब मेरा व्यवस्था का प्रश्न है तो आपको मुझे सुनना चाहिये। श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने जो व्यंग किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपने स्थान पर बैठ जाइये।

श्री शिव नारायण : क्या इस सभा में मेरा कोई विशेषाधिकार नहीं है।

संसद कार्य तथा संचार मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : श्री प्रकाशवीर शास्त्री द्वारा की गई टिप्पणी वास्तव में आपत्तिजनक थी। उनके लिये ऐसी टिप्पणी करना मुनासिब नहीं था।

Shri Prakash Vir Shastri : I observed this in admiration of Shri Sheo Narain. I had no other object in saying so.

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने भी सभी स्थिति स्पष्ट कर दी है।

Shri Sheo Narain : You kindly let me clear the position. I have been attacked. Shall I not reply to that. When all sections of the House have agreed that the matter should be referred to the Committee of Privileges then why the time of the House is being wasted.

उपाध्यक्ष महोदय : वह पहले ही अपना स्पष्टीकर कर चुके हैं।

श्री जी० भा० कृपलानी (गुना) : मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूं। अध्यक्षपीठ निर्णायक के समान होता है और जब तक हम निर्णायक के निर्णयों को नहीं मानते काम कैसे चल सकता है इसलिये मैं दोनों ओर से सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि हमें बिना रुकावट पैदा किये मुख्य कार्यवाही पर आ जाना चाहिये।

श्री कृष्णमूर्ति (कड्डलूर) : मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप इस मामले पर मतदान करके उसे विशेषाधिकार समिति को सौंप दें।

उपाध्यक्ष महोदय : आप मुझे आदेश नहीं दे सकते ।

श्री कृष्णमूर्ति : मैं तो प्रार्थना कर रहा था ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब अपना निर्णय दे रहा हूं । मैं श्री भट्टाचार्य के मामले का इस लिये उल्लेख कर रहा था क्योंकि यदि मामले को समिति को सौंप भी दिया जाये तो भी हमारी परम्परा यह रही है कि हम सम्बन्धित सम्पादक को लिखते हैं । जहाँ तक नियमों के विवेचन का सम्बन्ध है मैं उनसे पूर्णतया सहमत हूं ।

एक माननीय सदस्य : हमें उनका अनुसरण करना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह सभा जुलाई, 67 को बिना किसी संकोच के विनिर्णय से सहमत हो गई थी । अतः क्या उस प्रक्रिया पर चलना गलती है ।

श्री हो० ना० मुकर्जी (कलकत्ता–उत्तर पूर्व) : जब किसी मामले को नियम 222 के अन्तर्गत सभा में उठाने की अनुमति दी गई है तो हमें परम्परा को नहीं देखना चाहिये । दूसरे सम्पादक को लिखना इस सभा का काम नहीं है । अतः इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाना चाहिये जो सम्पादक को लिख सकती है।

श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य (रायगंज) : श्री उमानाथ ने पूर्वोदाहरणों का उल्लेख किया है । अब श्री मुकर्जी बोल रहे थे । उनके सम्बन्ध में भी एक पूर्वोदाहरण है । एक बार उनका भाषण अच्छी तरह से छापा नहीं गया था । उस मामले में भी उसे विशेषाधिकार समिति को सौंपने की बजाय अध्यक्ष महोदय, सरदार हुक्म सिंह, ने स्वयं सम्पादक को लिखा था । सम्पादक द्वारा क्षमायाचना किये जाने पर मामला समाप्त कर दिया गया था ।

उपाध्यक्ष महोदय : जैसा आप ने कहा है मैं नियमों का पालन कर रहा हूँ । श्री प्र० के० देव !

श्री प्र० के० देव : मै निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये सभा की अनुमति चाहता हूं:

"कि इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाये" ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या किसी सदस्य को कोई आपत्ति है ।

कुछ माननीय सदस्य : जी, नहीं ।

श्री प्र० के० देव : मैं प्रस्ताव करता हूँ :–

„कि इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाये" ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :–

"कि इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाये । "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE :

मैसूर सरकार बचत बैंक नियम, 1967

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : श्री मोरारजी देसाई की ओर से, मैं सरकारी बचत बैंक अधिनियम 1873 की धारा 15 की उपधारा (3) के अन्तर्गत मैसूर सरकार बचत बैंक नियम, 1967 की एक प्रति, जो दिनांक 30 जून, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एम० आर० 990 में प्रकाशित हुए थे। सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1017/67]**

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और लवण, अधिनियम 1944 आदि के अन्तर्गत अधि-सूचनायें।

(श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : श्री कृ० चं० पंत की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :–

(1) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधि-सूचनाओं की एक–एक प्रति :—

(एक) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 43वां संशोधन नियम, 1967 जो दिनांक 1 जुलाई, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 984 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 44वां संशोधन नियम, 1967 जो दिनांक 1 जुलाई, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 985 में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1018/67]**

(2) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 986 की एक प्रति जो दिनांक 1 जुलाई, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1019/67]**

(3) आपात जोखिम (माल) बीमा अधिनियम, 1962 की धारा 5 की उपधारा (6) के अन्तर्गत आपात जोखिम (माल) बीमा (दूसरा संशोधन) योजना, 1967 की एक प्रति जो दिनांक 27 जून. 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2228; प्रकाशित हुई थी ?

(4) आपात जोखिम (कारखाने) बीमा अधिनियम, 1962 की धारा 3 की उपधारा (7) के अन्तर्गत आयात जोखिम (कारखाने) बीमा (दूसरा संशोधन) योजना, 1967 की एक प्रति जो दिनांक 27 जून, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2229 प्रकाशित हुई थी । **[पुस्कालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 1020/67]**

तारांकित प्रश्न संख्या 813 के उत्तर में शुद्धि

CORRECTION OF ANSWER TO STARRED QUESTION NO 813

पैट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघु रामैया : 29–7–67 को लोक सभा में जेट विमान के इंधन के बारे में पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 813 के अपूरकों (Supplementaries) के उत्तर के दौरान श्री जार्ज फरनेन्डीज ने पूंछा था कि विमानन टरबाइन ईंधन (A. T. F.) का वितरण क्या भारतीय तेल निगम करता है या शोधनशाला करती हैं जो इसे बनाती हैं । श्री फरनेन्डीज तथा डा० रानेन सेन दोनों ने पूंछा था कि भारतीम बन्दरगाहों पर आने वाले विदेशी विमानों को कौन सी कम्पनियां उक्त ईंधन की सप्लाई करती हैं । उसके उत्तर में मैंने कहा था कि हमारी वितरण पद्धति एक समाकलित (integrated) पद्धति है और तुरन्त यह नहीं बता सकता कि किस यूनिट को कौन सप्लाई करता है । डा० रानेन सेन को उत्तर देते हुए मैंने कहा था कि यह विशेष स्थान पर,जहां सप्लाई होना हैं, निर्भर है । उस प्रश्न के अन्य अनुपूरक के उत्तर में मैंने बताया था कोचीन के अतिरिक्त सारी शोधनशालाओं में जेट–विमान का ईंधन बनाया जाता है ।

स्पष्टीकरण एवं प्रवर्धन के लिये और यदि कोई भ्रान्त धारणा हुई हो तो उसे भी दूर करने के लिये मैं भारत में विमानन टरबाइन ईंधन के उत्पादन, वितरण तथा विक्रय की स्थिति के बारे में बताना चाहूँगा ।

कोचीन और दिग्बोई के अतिरिक्त भारत में सभी शोधनशालाओं में विमानन टरब इन ईंधन या जेट विमान ईंधन तैयार किया जाता है । क्षेत्रिय आधार पर उत्पादन आयोजित है अर्थात प्रत्येक क्षेत्र की कुल आवश्यकताएं समीपतम शोधनशाला । शोधनशालाओं के उत्पादन से पूरी की जाती हैं । शोधनषालाएं उत्पादकों का वितरण नहीं करती हैं । वास्ताविक वितरण उन से सम्बद्ध मार्किटिंग कम्पनियों के अपने साधनों एवं अन्य मार्किटिंग कम्पनियों के साथ किये गये विनिमय प्रबन्धों द्वारा होता है । हवाई कम्पनियों को उत्पादकों का वास्ताविक विक्रय विभिन्न तेल कम्पनियों द्वारा समय समय पर किये गये विक्रय समझौतों के अनुसार

किया जाता है। भारतीय हवाई अड्डों पर विदेशी हवाई कम्पनियों को विमानन टरबाइन ईंधन का विक्रय विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा होता है किन्तु भारतीय तेल निगम एक विदेशी हवाई कम्पनी अर्थात् ब्रिटिश ईग्ल को जेट विमान का ईंधन बेचता है।

सभा का कार्य
BUSINESS OF THE HOUSE

संसद-कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : आपकी अनुमति से मैं अनुदानों की मांगों पर चर्चा के कार्यक्रम में एक परिवर्तन की घोषणा करना चाहता हूँ। खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान पूर्ण हो जाने के बाद श्रम, रोज़गार तथा पुनर्वास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों से पहले वैदेशिक कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा की जाये।

अनुदानों की मांगें-जारी
DEMANDS FOR GRANTS-Contd.

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय-जारी

Shrimati Laxmi Bai (Medak) : I congratulate the Central Government and the ministry for the landable performance in handling the situation in Bihar. 110 kitchens have been opened there and 7 lakhs people are being given free food daily. Six Thousand people have been provided with employment: The Corporation has also done good work there. They are impressing upon the people to change their food habits. We must take to substitutes for careels. It takes 6 months for wheat and 4 months for rice to grow but there are other thing which take 1--2months only. We should lay stress on these things so that the food requirements of the Country may be met. The highgrade **bajra** popularised by Agriculture Institute, Hyderabad set up your ministry and it has benefited the farmers very much.

You would be appreciating certain good steps taken by my State, Andhra Pradesh, In view of the conditions in Bihar and other States we had to supply more rice this year. We have built up a stock of fertilisers work Rs. 12 crores required for the purpose. Out of the plan expenditure of Rs. 74 crores for this year, our State allocated Rs. 62 crores for agriculture, community development and irrigation. Other States should follow this example. I would suggest award of cash prizes, etc. to States in appreciation of their outstanding production of cotton, sugar, jute and paddy. Rs. 10--12 crores project should be allotted to them. There should be a discretionary grant at your disposal for conducting such works.

As regards kitchen gardens, I would appeal more facilties should be p such as quality seeds, for quick-growing vegetables. I think that Mr. Jagjivar will acquit himself very well like the great Bhagiratha. We ensure you our best ation.

Shri Ram Sewak Yadav (Barabanki) : Mr. Deputy Speaker, Sir before speaking on the Demands for Grants of the Ministry of Food, Agriculture and Community Development. I would like to draw the attention of the hon. Minister to the sugar famine in Bombay since 26th june. I thank him that now he has taken some action in this matter.

Sir, the three Five year Plans have been completed but the much expected self sufficiency in Food has drifted farther away. The obvious reason have been that we have confined ourselves to raising slogans only and attributing our defects and failures, to nature A slogan of utilising a available space in Bangalows and roofs for agriculture. Then people were ask- ed to change food habits to fruits and milk. When one finds it difficult to afford foodgrains, how can he afford the luxury of milk and fruits. Now we are advised to take to meat eating and the food Minister of U. P. has even advised to start eating mice. The late Shri Lal Bahadur Shastri suggested a remedy of missing a meal every week. Now we import 1.30 crore tonnes of foodgrains and there is further shortage we may be asked to miss two meals in a week, What a remedy ? On these lines India can never achieve self sufficiency in foodgrains.

Mr. Deputy Speaker, our ministers who have so far held the food prortfolio had nothing to do with agriculture. As regared burcancrats, they are never the representatives of the whole country either socially or economically. No plan will succeed in this manner. Of course, our present Food Minister might have been connected with agriculture and I hope, he will feel concerned with hunger ravaging the country. I may point out to him that on the existing line he cannot make the country self-reliant in food.

An increase of 30 per cent in food production was envisaged in the Third Plan but the figures speak of a sorry tale.

Year	Increase
1961–62	Negligible
1962–63	5% decrease.
1963–64	3.7% increase.
1964–65	10.5% "

As regards 1965–66 the position is miserable, the target, however, was 10 crore tonnes. The annual food imports went on swelling from 24 lakh tonnes every year during the first Plan period to 31 lakh tonnes during the Second Plan and 50 lakh tonnes in the Third Plan and 60 lakh tonnes in 1964–65 and 1.30 crore tonnes in 1966, the value being Rs. 523 crores. Where will it lead us ?

The targets fixed under the Third Plan have not been achieved. In case of irrigation an additional area of 75 lakh acres have been brought under irrigation as against the target of 128 lakh acres. As regards improved seed, against the envisaged supply for 1480 lakh acres of land, the supply was restricted to 470 lakh acres of land. The target for production of nitrogenous fertiliser was 690,000 tonnes but actual production was 190,000 tonnes. The work soil conservation has also been unsatisfactory, Of course some progress was recorded in Maharashtra, Gujarat and Madras. The blame for all these failures is thrown on monsoon.

At present 36 crore acres of land is under cultivation. The acreage of land under irrigation is about a crores and even after completion of the Fourth Plan it is expected to be only 12 crore acres. Thus it will take 70–80 years. Have you ever thought the shape of world after this period ? If you can fame and tap the irrigation potential property,

the Gangetic Plain alone can make the country self-sufficient in food. According a circular issued by Shri Rama Reddy, who was secretary of Congress Parliamentary Party, there are 1,35,313 tubewells in Madras as against only 5937 and 11377 in Bihar and Uttar Pradesh respectively. The Eastern U. P, has been neglected badly. When this issue was raised here in the House, a commission was set up, a committee was appointed but nothing happened thereafter. Similar is the cass with Bundelkhand. There the land is in abundance as compared to the population. Proper attention has not been paid for utilisation of the land there. Then, we talk of chemical fertilisers but the compost and sewage water can serve the purpose very well.

Our agriculture section has been badly suffering from the dearth of capital. According to a survey conducted by Reserve Bank in 1961-62, the credit liabilities of the farmers amounted to Rs. 2400 crores. Rs. 131 crores were provided by Government and Rs. 236 crores were provided by cooperative banks, which altogether comes to 15 per cent. Thus how can we become self-dependent in food. The blame is thrown on cultivation of commercial crops. which in fact cover only 19 per cent of land and moreover cotton textiles, tea, sugar etc. are valuable foreign exchange earner.

It is said that there is too much pressure on land but it is not correct. In comparison to Japan per capita land in India is six times more but production is twelve times less. As regards land reforms, Prof. V.K.R.V. Rao, who is now a minister, as member of the Planning Commission has stated these have not served the desired purpose of distribution of land among the landless agriculturists. Even now in Bihar there are farmers who own 5-6 thousand to 23-24 thousand acres of land. Same is the position in U. P. The land covered by gardens even though the area may be 1,000 acres or 10,000 acres, is exempted from the provisions of Consolidation of Land Holdings Act. In Delhi also the people want food and vegetables but the land is being acquired for construction of houses for the rich. I want the faithful implementation of land reform acts in letter and spirit.

A comprehensive five or seven year plan regarding irrigation should be drawn up. Such a plan can only be implemented if all extravagant expenditure is stopped and no body is allowed to spend more than Rs. 1500. The money thus saved can be utilised for the implementation of this plan. The officers responsible for failures in the fields of irrigation and agriculture should be suspended or dismissed, if we want to achieve good results in these fields.

Due regard is not paid to farmers and labourers. They are not even treated courteously and listened properly by the dealing authorities. Farmers, agricultural experts and labourers should be given more wages than the persons working in offices. Only by creating such an atmosphere, we can achieve self-sufficiency in food production.

Community development blocks have become centres of corruption. They have spread this evil in the villages. Jeeps provided by the Government are misused by the staff. They practically do nothing and submit wrong statements. These blocks should be abolished. So far as 'cooperation' is concerned, a commission should be set up to go into it. If such an inquiry is held it would reveal misappropriation of thousands of crores of rupees. How can this cooperation succeed in India where there is so much disparity in the incomes of the people. No where in the world there is so much disparity between the poorest and the richest person.

Government have fixed prices of foodgrains and cloth. But these things cannot be bad at the controlled prices. This si uation should be remedied.

श्री जी० भा० कृपालानी (गुना) : सरकार के आंकड़ों के अनुसार अनाज का उत्पादन 1960–62 में 880 लाख मीट्रिक टन हो गया जबकि 1951 में यह 550 लाख मीट्रिक टन था। इसका अर्थ यह हुआ कि इस अवधि में उत्पादन में 55 प्रतिशत वृद्धि हुई। इसके विपरीत यह रट लगाई जाती है कि भारत में आबादी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। परन्तु सरकार के अपने आंकड़ों के आधार पर मैं कह सकता हूं कि इन वर्षों में जनसंख्या की तुलना में अनाज के उत्पादन में अधिक वृद्धि हुई है। जनसंख्या में लगभग 30 प्रतिशत वृद्धि हुई है, जबकि सरकार के आंकड़ों के अनुसार उत्पादन 55 प्रतिशत बढ़ा है। यदि माननीय राज्य-मंत्री आंकड़ों के प्रेमी हैं तो मैं भी उन्हें कुछ आंकड़े दे सकता हूं। जनवरी में यहां से 175,000 मीट्रिक टन अनाज भेजा गया जबकि बिहार में जाकर वह 174,000 मीट्रिक टन रह गया। अप्रैल में 191,000 मीट्रिक टन भेजा गया जबकि वहां 175,000 मीट्रिक टन अनाज ही पहुँचा। इसी प्रकार मई के आंकड़े क्रमशः 218,000 मीट्रिक टन और 188,000 मीट्रिक टन तथा जून के क्रमशः 201,000 मीट्रिक टन तथा 132,000 मीट्रिक टन हैं। हो सकता है कि इन आंकड़ों को लिखने में मुझसे गलती हो गई हो। मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये आंकड़े सही हैं या गलत। यह अन्तर नहीं होना चाहिये। इसके लिये जो भी जिम्मेदार है उसे कड़ा दण्ड दिया जाना चाहिये; क्योंकि उस क्षेत्र में अकाल पड़ा हुआ है और लोग भूख से मर रहे हैं।

यदि सरकार के आंकड़े सही हैं तो फिर हमारे देश में अनाज की कमी ही अनुभव नहीं की जानी चाहिये। जब हम कोई आंकड़े देते हैं तो सरकार कह देती है कि ये गलत हैं और उसके आंकड़े बिल्कुल सही हैं।

सूखा पड़ने पर ही सरकार को छोटी सिंचाई योजनाओं का महत्व मालूम होता है। सरकार इन बीस वर्षों में क्या करती रही है ? वह बाहर से अनाज आयात करती रही है और छोटी सिंचाई योजनाओं का ख्याल इसे सूखा पड़ने पर ही आता है और वह भी अपने आलोचकों को सन्तुष्ट करने के लिये कि सरकार आखिर कुछ कर रही है। यदि कृषि के बारे में गम्भीरता से कार्य किया गया होता तो अब तक यह कमी दूर हो गई होती।

रासायनिक खाद की बजाय आर्गेनिक खाद अधिक जरूरी है। उसे ईंधन के रूप में प्रयोग होने से बचाने के लिये ग्रामवासियों को सस्ता ईंधन उपलब्ध किया जाना चाहिये।

सहकारी समितियां सार्वजनिक संस्थाएं हैं और उनमें जनता का धन लगा हुआ है। परन्तु उनमें राजनीतिज्ञ प्रवेश कर गये हैं। ये समितियां मंत्रियों के जन्म दिवस समारोहों के लिये 50,000 रु० से 75,000 रुपये दे देती हैं। खादी भण्डार में किसी को आध इंच कपड़ा भी मुफ्त नहीं मिलेगा चाहे वह कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों न हो। गांधीजी ने कहा है कि जनता के धन को अपना धन समझना चाहिये। परन्तु इस सरकार ने उनका शाब्दिक अर्थ ले लिया है और वह जनता के धन को अपने धन के रूप में खर्च करती है।

राज्य मंत्री ने आश्वासन दिया है कि अन्न के मामले में देश 1971 तक आत्मनिर्भर हो जायेगा। परन्तु यह आश्वासन तो बहुत पहले से दिया जाता रहा है। श्री नेहरू ने भी यह

आश्वासन दिया था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के बाद हम अनाज के मामले में आत्मनिर्भर ही नहीं हो जायेंगे अपितु अनाज का निर्यात भी करने लगेंगे। इस तरह के आश्वासन का कोई अर्थ नहीं है।

हमें अपने विशेषज्ञों को विदेशों में भेजना चाहिये ताकि हम उनसे कुछ सीख सकें। मैं इसराइल गया हूँ, परन्तु खाद्य मंत्रालय किसी को इसराइल नहीं भेजेगा। मुझे पता नहीं क्यों। इसराइल जहाँ पर बसा है पहले वह एक बंजर भूमि थी। परन्तु इसराइल ने उसे एक बाग में बदल दिया है। वहां पर किसी के पास 7-8 एकड़ से अधिक भूमि नहीं है। वहां पर हर प्रकार की सहकारी समितियां हैं। उनकी एक सहकारी दुकान (कॉआपरेटिव शाप) है। वह केवल ऋण ही नहीं देती अपितु उसके पास ट्रैक्टर, अच्छे बीज आदि सभी चीजें होती हैं और वह किसानों को परामर्श भी देती है। फसल तैयार होने पर वह उसे ले लेती है और किसानों की ओर से उसे मण्डी में बेच देती है। उन लोगों के पास रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन, मोटर कार आदि सभी चीजें हैं और वे अपने बच्चों को उच्च शिक्षा के लिये भेज रहे हैं। केवल 7-8 एकड़ से वे इतने खुशहाल हैं। यदि सरकार इसराइल से सम्बन्ध स्थापित नहीं करना चाहती तो न सही परन्तु कृषि के तरीकों के अध्ययन के लिये तो वह अपने विशेषज्ञों को वहां भेज सकती है जिससे कि हम उनसे कुछ सीख सकें।

मैं पिछले वर्ष फारमूसा गया था। वह संयुक्त राष्ट्र संगठन को स्थापित करने वाले देशों में से एक है। हमारे दुश्मन का दुश्मन होने के नाते भी हमने उससे सम्बन्ध स्थापित करने के बारे में नहीं सोचा है। मैंने वहां के लोगों से उनकी खुशहाली का कारण पूछा तो मुझे बताया गया है कि उन्होंने सर्वप्रथम कृषि की ओर तथा उन चीजों के उत्पादन की ओर ध्यान दिया जिनकी लोगों को रोजाना आवश्यकता थी। वह एक छोटासा द्वीप है और वहां से बहुत अधिक मात्रा में केला तथा चीनी बाहर भेजी जाती है। वहां जाने वाले पर्यटकों की संख्या भी हमसे बहुत अधिक है। वहां पर ताजमहल आदि जैसी कोई चीज नहीं है; फिर भी इतने अधिक विदेशी लोग उसे देखने जाते हैं। वहां के निवासियों की खुशहाली के कारणों का पता लगाने के लिये ही लोग वहां जाते हैं। वहां पर सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र का प्रश्न नहीं उत्पन्न होता। वहां पर तो राष्ट्र का हित ही सामने रखा जाता है।

यदि हम इन देशों से कुछ सीखने की कोशिश करेंगे तो हमें इटली जैसे गरीब देश के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री गुरुपादस्वामी।

श्री नायनार (पोलाची) **:** मंत्रियों को अब बोलने की अनुमति क्यों दी जा रही है ? उन्हें किसी समय भी बोलने का अधिकार है जबकि सदस्यों को यह अधिकार नहीं है। आप हमें समय नहीं दे रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्रियों को नीतियां स्पष्ट करने तथा विरोधी पक्ष की कुछ आपत्तियों का उत्तर देने के लिये हस्तक्षेप करना पड़ता है। मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं। मैं

माननीय सदस्यों की इस भावना को संसद् कार्य मंत्री तक पहुंचा दूंगा। मैं समय बढ़ाने की कोशिश करूंगा।

श्री दत्तात्रय कुन्टे (कोलाबा) : आपने कहा है कि समय बढ़ा दिया जायेगा। 21 जुलाई अन्तिम तिथि निश्चित की गई है। क्या इस तिथि को बढ़ाया जायेगा ? हमें वर्ष में केवल एक बार देश के बजट पर बहस करने का अवसर मिलता है। मंत्रियों को इतना अधिक समय देकर सदस्यों को अपने विचार प्रकट करने से वंचित किया जा रहा है। आपको सदस्यों को धोखे में नहीं रखना चाहिये। आपको यह देखना चाहिये कि सदस्यों को बजट पर अच्छी तरह चर्चा करने का अवसर मिले। आप कह रहे हैं कि समय बढ़ा दिया जायेगा। इसका अर्थ केवल यही होगा कि 21 जुलाई को 'मुख बन्द' लागू किया जायेगा और हमें बोलने का अवसर नहीं मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस बात से पूर्णतया सहमत हूँ कि बजट अधिवेशन में माननीय सदस्यों को, जहां तक सम्भव हो, प्रत्येक मंत्रालय पर बोलने का अवसर मिलना चाहिये। कार्य मंत्रणा समिति के ध्यान में यह सब बातें थीं।

{ **अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair* }

अध्यक्ष महोदय : कल माननीय मंत्री 2.30 या 3 बजे उत्तर देंगे। इसके लिये 10 घंटे निर्धारित किये गये हैं। कल का एक घण्टा मिलाकर 10 घण्टे हो जायेंगे। मैं कहता हूं कि समय नहीं बढ़ाया जाना चाहिये क्योंकि अभी हमने वैदेशिक कार्य मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालयों की मांगों पर चर्चा करनी है। इस शनिवार तथा अगले शनिवार को भी सभा की बैठक होनी है ताकि अधिक से अधिक मांगों पर चर्चा हो सके। यदि समय बढ़ाने की मांग की जाती रहेगी तो इससे माननीय सदस्य ही घाटे में रहेंगे और देश का समय भी बर्बाद होगा। इसलिये मेरा सुझाव है कि हमें 10 घण्टे तक ही सीमित रहना चाहिये। 10 घण्टे पूरे होने के पश्चात् मंत्री महोदय उत्तर देंगे। राज्य मंत्री अपने भाषण को दस, पन्द्रह मिनट में समाप्त करदें क्योंकि नीति-विषयक मामलों पर तो मंत्रिमंडलीय मंत्री बोलेंगे।

श्री काशीनाथ पांडे (पदरौना) : हम कुछ क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और हमें कुछ बातें सभा के समक्ष रखने का मौका मिलना चाहिये। यदि कुछ मांगों पर चर्चा नहीं हो सकेगी तो न सही, इस मंत्रालय के लिये समय बढ़ा दिया जाना चाहिये ताकि हमें बोलने का अवसर मिल सके।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। मंत्री महोदय अपना भाषण शुरू करें।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : कुछ लोगों का यह विचार है कि सामुदायिक विकास तथा पंचायती राज से सम्बन्धित संस्थाओं का कार्य सन्तोषजनक नहीं है और इन्हें समाप्त कर दिया जाना चाहिये। इस सम्बन्ध में 14 कटौती प्रस्ताव आये हैं जिनमें से कई परस्पर विरोधी भी हैं।

परन्तु वस्तु स्थिति यह है कि इन्हें बनाए रखने के लिये ठोस आधार हैं। सामुदायिक विकास के लिये सामुदायिक दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। ग्रामीण समाज को नवीन आर्थिक एवं सामाजिक रूप प्रदान करने के लिये स्थानीय जनता में उत्साह जागृत करने तथा स्थानीय संसाधनों को जुटाने की आवश्यकता है। इस बारे में कार्यक्रम बनाना तथा उसे कार्यान्वित करना इन सामुदायिक विकास तथा पंचायती राज संस्थाओं का काम है। इन संस्थाओं ने इस बारे में आवश्यक कार्यक्रम प्रस्तुत किये हैं। हमने एक तजुर्बा किया है और देश के विभिन्न भागों में ऐसी संस्थाएं स्थापित करने में सफलता प्राप्त करली हैं। अब 16 वर्ष गुजरने के बाद इन्हें बेकार बताना मेरी राय में सही नहीं है। इन्हें समाप्त करने का अर्थ प्रजातंत्र को समाप्त करना होगा।

श्री जी० भा० कृपालानी : क्या कुछ राज्यों में सामुदायिक विकास अधिकारियों को बेकार समझ कर हटा नहीं दिया गया है ?

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : सामुदायिक विकास अधिकारियों को हटाने का प्रश्न संस्था के ढ़ांचे से सम्बन्ध रखता है इस कार्यक्रम से नहीं। कुछ राज्य सामुदायिक विकास अधिकारी का पद समाप्त करने के बारे में विचार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में उनका काम सब-डिवीजनल अधिकारी करते हैं। केवल कर्मचारी–ढांचे के बारे में पुनर्विचार हो रहा है, मूल सिद्धान्त के बारे में नहीं। यदि इन संस्थाओं को समाप्त कर दिया जायेगा तो ग्रामीण क्षेत्रों में परम्परागत शक्तियां तथा प्रतिक्रियावादी लोग पुनः हावी हो जायेंगे। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का कोई विकल्प नहीं है और मेरी राय में इसे सही प्रकार से बढ़ावा दिया जाना चाहिये।

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी)। श्री लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि इन खण्डों से जीपें हटा ली जायेंगी। क्या इस आश्वासन को पूरा किया जा रहा है ?

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं इस बात से सहमत हूँ कि जीपों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिये। उन्हें हटाया नहीं जाना चाहिये। मैं यह नहीं कहता कि इन संस्थाओं का कार्य पूर्णतया संतोषजनक रहा है। यह हमारा कर्तव्य है कि इनमें जो भी कमियां नजर आएं उन्हें दूर करके इन संस्थाओं को शक्तिशाली बनाया जाये।

हाल ही में केन्द्रीय सामुदायिक विकास संस्था द्वारा किये गये सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण जनता को सामुदायिक विकास तथा इसके कार्यक्रम और कार्यकलाप की पर्याप्त जानकारी हो गई है। जो सर्वेक्षण किये गये हैं उनसे पता चलता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम से ग्रामीण क्षेत्रों में वास्तव में कुछ प्रभाव पड़ा है। यह पूछा गया है कि इससे कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा है। सामुदायिक विकास खण्डों की सहायता से किसानों को अच्छे बीज, उर्वरक, कीटनाशी दवाइयों तथा बहुत से अन्य उन्नत तरीकों के महत्व का पता लग गया है।

{ **श्री बलराज मधोक पीठासीन हुए**
Shri Bal Raj Madhok *in the Chair.* }

सामाजिक सेवा के क्षेत्र में गांवों का समुदाय का रूप प्रदान करना ही सामुदायिक विकास कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण कार्य है। उदाहरण के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी वाले 4,42,000 कुओं का निर्माण किया गया। लगभग 3,75,000 किलोमीटर सम्पर्क सड़कें बनाई गई हैं और 10 लाख से अधिक शौचालय, बनाए गये हैं। लगभग 4800 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना से ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं का विस्तार करने में पर्याप्त सहायता मिली है। प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम पर विशेष जोर दिया गया है।

हमने इस बात की ओर भी ध्यान देने की कोशिश की है कि हमारे समाज के कमजोर वर्गों को सामुदायिक विकास कार्यक्रम से काफी सहायता मिले। हमने राज्य सरकारों को सुझाव दिया है कि 'समाज के कमजोर वर्गों' की परिभाषा की व्याख्या फिर से की जाये और इस परिभाषा में अनुसूचित जातियां, अनुसूचित आदिम जातियां, कृषि श्रमिक, भूमिहीन श्रमिक, खानाबदोश कबीले, परम्परागत शिल्पकार आदि शामिल किये जायें। राज्य सरकारें इस सुझाव के आधार पर कदम उठा रही हैं।

पंचायती राज संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण को कानूनी दर्जा दिया गया है और काफी पंचायती राज संस्थाओं ने कमजोर वर्गों के कल्याण पर नजर रखने के लिये विशेष समितियां बनाई हैं।

सामुदायिक विकास क्षेत्रों के अन्तर्गत हमने चुने हुए क्षेत्रों में व्यावहारिक पोषाहार कार्यक्रम, देहाती निर्माण-कार्य कार्यक्रम और पेय जल कार्यक्रम जैसे विशेष कार्यक्रम आरम्भ किये हैं; जिनसे समाज के कमजोर वर्गों को काफी सहायता मिलती है। विशेष सहकारी कार्यक्रम भी बनाए गये हैं। श्रमिक सहकारी समितियां, धोबी सहकारी समितियां और बहुत सी अन्य सहकारी समितियां ग्रामीण क्षेत्रों में समाज के कमजोर वर्गों की सहायता के लिये स्थापित की जा रही हैं।

इसमें कोई सन्देह नहीं है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में कुछ त्रुटियां हैं। हम भविष्य में इन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे। इस दृष्टिकोण से गत वर्ष हमने राज्यों के मुख्य मंत्रियों और सामुदायिक विकास तथा पंचायती राज मंत्रियों की एक बैठक बुलाई थी और उनके सुझावों पर हमने विचार किया है। विभिन्न विशेषज्ञों के साथ भी हमने कई बार विचार विमर्श किया है और अब हमने पंचायती राज तथा सामुदायिक विकास के लिये एक नई नीति बनाई है। नई नीति की विशेषता यह है कि सामुदायिक विकास कार्य में अनावश्यक कार्यकलाप शामिल न किये जायें, प्रशासन में सुधार किया जाय और उन मामलों को जो महत्वपूर्ण हैं महत्व दिया जाये। हमने कहा है कि कृषि तथा परिवार नियोजन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाये। हमने राज्य सरकारों से यह भी कहा है कि सामुदायिक विकास तथा पंचायती राज संस्थाओं की कार्य-प्रणाली में सुधार करने के उद्देश्य से सभी राज्यों में पंचायती राज की तीन-स्तरीय प्रणाली जल्दी से जल्दी लागू कर दी जाये। इस नीति का मसौदा टीका-टिप्पणी के लिये राज्य सरकारों को भेज दिया गया है। उनके तथा माननीय सदस्यों के विचार जानने के बाद ही हम इस नीति को भारत सरकार की नई नीति का रूप दे सकेंगे।

यह कहना गलत है कि भारत सरकार सहकारी सहायता के मामले में गैर-कांग्रेसी राज्यों के साथ भेदभाव करती है। इस सम्बन्ध में 15 कटौती प्रस्ताव आये हैं। भारत सरकार जो सहायता देती है उसका सम्बन्ध इस बात से है कि सहकारिता के क्षेत्र में प्रत्येक राज्य ने क्या प्रगति की है और अपने साधन जुटाने में उसकी क्या क्षमता है। 1967–68 में अब तक चार राज्यों को केन्द्रीय सहायता दी गई है जिनमें से दो अर्थात उत्तर प्रदेश तथा बिहार गैर-कांग्रेसी राज्य हैं।

जहां तक सहकारी समितियों द्वारा किसानों से लिये जाने वाले ब्याज का सम्बन्ध है, स्थिति यह है कि रिजर्व बैंक इन संस्थाओं को 40 प्रतिशत तक ऋण देता है और शेष 60 प्रतिशत उन्हें स्वयं जुटाना पड़ता है जिस पर उन्हें 4 से 6½ प्रतिशत तक ब्याज देना पड़ता है। किसान से ली गई ब्याज दर में यह दर भी शामिल होती है। फिर भी हमने राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि वे इन संस्थाओं के कार्य को ध्यान में रखते हुए इस दर को कम करने की कोशिश करें।

हम सहायता की पद्धति तथा सहकारी संस्थाओं की कार्यकुशलता में सुधार करने के लिये काफी उपाय करते हैं। 1965–66 से विभिन्न राज्यों में उत्तरोत्तर फसल-ऋण प्रणाली लागू की गई है।

श्री लोबो प्रभू (उदीपी) : यह कहां तक सच है कि ऐसे कृषकों को, जिनकी आस्तियां 1000 रुपये से कम की हैं, सहकारी समितियों के केवल तीन प्रतिशत ऋण प्राप्त होते हैं ? वस्तुतः सहकारिता आन्दोलन केवल धनाढ्य भू-स्वामियों और सत्तारूढ़ दल के राजनीतिक समर्थकों के लिये ही है।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं इस आक्षेप का खण्डन करता हूं।

श्री लोबो प्रभू : यह तो रिजर्व बैंक का वक्तव्य है।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : अपने प्रश्न के बाद के भाग में माननीय सदस्य ने जो आक्षेप लगाया है, मैं उसका खण्डन करता हूँ।

जहां तक प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है, यह कुछ हद तक ठीक है। सहकारी ऋण संस्थाओं से सबसे अधिक लाभ गांवों के धनाढ्य लोगों को पहुंचा है और हमें इसकी चिन्ता है। इसीलिये हमने सहायता की प्रणाली में परिवर्तन कर दिया है। अब फसल के आधार पर ऋण दिया जायेगा, न कि भूमि की जमानत पर। हमारा प्रयास यह होगा कि 1968 तक यह प्रणाली प्रत्येक गांव में लागू कर दी जाये।

हमारा उद्देश्य यह है कि ये सामुदायिक विकास संस्थाएं, पंचायती राज संस्थाएं तथा अन्य सहकारी संस्थाएं मिलजुल कर काम करें और उनके कार्यों में तालमेल स्थापित हो। इससे इन संस्थाओं को शक्ति मिलेगी और वे गांवों की अर्थ-व्यवस्था को सुदृढ़ बना सकें।

इन संस्थाओं की आलोचना करते समय हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि अभी इन संस्थाओं को स्थापित हुए बहुत समय नहीं हुआ है। 16 वर्ष का समय बहुत अधिक नहीं है। यह कहना बहुत ही अनुचित है कि इन संस्थाओं की अब कोई आवश्यकता नहीं रही है।

श्री मं० रं० कृष्ण (पेद्दपल्लि) : मंत्री महोदय ने सदस्यों के मन में यह धारणा उत्पन्न कर दी है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम से कमजोर वर्गों को फायदा पहुंचा है। परन्तु सामुदायिक विकास परियोजनाओं की अच्छी तरह जांच करके कितने भी प्रतिवेदन पेश किये गये हैं उनमें कहा गया है कि सामुदायिक विकास प्रशासन में जाति प्रथा पुनः सर उठा रही है इतना ही नहीं अधिकतर विकास खण्डों में इससे जाति प्रथा को बल मिला है। मंत्री महोदय इसकी अच्छी तरह जांच करके सभा के सामने अपना विचार व्यक्त करें।

श्री जी० भा० कृपलानी : सामुदायिक विकास खण्डों के अधिकारी धनाढ्य जमींदारों के यहां ही ठहरते हैं। वे उन्हीं के यहां खाते पीते हैं और उन्हीं का काम करते हैं। कमजोर वर्गों का नहीं।

श्री नायनार (पालघाट) : आजादी मिलने के 20 वर्ष बाद तथा तीन पंचवर्षीय योजनाओं की कार्यान्विति के पश्चात् भी स्थिति यह है कि हमारी कृषि समस्या उग्र रूप धारण करती जा रही है। छः राज्यों में अकाल की स्थिति मौजूद है। भू-स्वामी, चोरबाजारिए और जमाखोर गरीब किसानों तथा कृषि श्रमिकों का शोषण कर रहे हैं। जब तक इन पर रोक नहीं लगाई जायेगी स्थिति में सुधार नहीं हो सकता।

कृषि के सम्बन्ध में सरकार ने नई नीति की घोषणा की है। यह नीति यह है कि कृषि में खाद, अच्छे बीज आदि प्रयोग में लाए जाएं और उत्पादन के लिये प्रतीक्षा की जाये। परन्तु वास्तव में यह पुरानी रट है और सामाजिक तथा आर्थिक ढांचे में किसी आमूल परिवर्तन की कल्पना नहीं की गई है।

तीन योजनाओं के दौरान हमने कृषि के विकास पर लगभग 2,000 करोड़ रुपये और इसके अतिरिक्त 1431 करोड़ रुपये सिंचाई कार्यों पर खर्च किये। इसके बावजूद हमें अधिकाधिक मात्रा में अनाज आयात करना पड़ा और तीन योजनाओं के दौरान अनाज के आयात पर लगभग 2500 करोड़ रुपये खर्च हुए।

यह दावा किया जाता है कि वर्ष 1950–51 और 1962–63 के बीच अनाज के उत्पादन में 35.9 प्रतिशत वृद्धि हुई है। इसके बावजूद भी कुछ राज्यों में राशन की मात्रा 10 से 15 औंस तक है और केरल में वह केवल 4 से 5 औंस ही है, तथा देश के बहुत से भागों में कमी की स्थिति बनी हुई है। राशन और सस्ते मूल्यों की दुकानों की आवश्यकता आयातित अनाज से पूरी की जा रही है।

इतनी बड़ी धनराशि खर्च करने के बावजूद हम पर्याप्त अनाज पैदा करने तथा एक राष्ट्रीय खाद्य नीति बनाने में असफल रहे हैं। जो कुछ यहां पैदा हुआ है या आयात किया गया है उसका वितरण भी हम समान रूप से नहीं कर पाये जिसके परिणामस्वरूप कमी वाले

क्षेत्रों के लोग भूखे मरते रहे हैं। यहां तक कि हम इतने मूल्यवान अनाज को गोदामों में ठीक से रख भी नहीं सके।

हमारे देश में लगभग 750 लाख एकड़ भूमि बेकार पड़ी हुई है। सरकार इस भूमि के सर्वेक्षण का काम भी पूरा नहीं कर सकी है, जिससे यह पता लग सके कि कितनी भूमि में तत्काल खेती की जा सकती है। अब तक जो सर्वेक्षण किया गया है उससे पता चलता है कि 53 लाख एकड़ भूमि में तत्काल खेती की जा सकती है। शेष के बारे में अभी सर्वेक्षण पूरा नहीं हुआ है।

हम भूमि सुधार के सम्बन्ध में इतनी बातें करते हैं परन्तु भूमि सुधारों की कार्यान्विति के बारे में योजना आयोग द्वारा हाल में ही तैयार किये गये प्रतिवेदन से पता चलता है कि अभी तक मौलिक भूमि सुधार भी पूरी तरह लागू नहीं किये गये हैं। बहुत से राज्यों में अभी तक जमींदार वर्ग को समाप्त नहीं किया गया है। बहुत से स्थानों पर उचित लगान नहीं लिया जाता है और शायद किसी राज्य में भी अभी तक पट्टे की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकी है। भूमि सम्बन्धी लेखा-जोखा ठीक ढंग से नहीं रखा गया है। इस दिशा में कुछ ठोस कार्यवाही करने का यही उपयुक्त अवसर है।

केरल में खाद्य-स्थिति बहुत खराब हैं। मंत्री महोदय ने हमें विश्वास दिलाया है कि वे केरल को हर महीने 70,000 टन चावल भेजेंगे। परन्तु जून के महीने में उसमें से 24,000 टन कम कर दिया गया और जुलाई में 35,000 टन कम किये जाने के समाचार मिल रहे हैं। यदि यही स्थिति बनी रही तो लोग भूखे मरने के लिये तैयार नहीं होंगे। वे अपने अधिकार के लिये लड़ेंगे और वीरता की मौत मरेंगे।

श्री राजशेखरन (कनकपुरा) : राष्ट्रीय खाद्य नीति का होना अनिवार्य है। मंत्री महोदय को इस ओर उचित ध्यान देना चाहिये ताकि किसानों के कल्याण और देश की खाद्य समस्या हल करने के लिये एक उचित नीति निर्धारित की जा सके। लोगों को खाने की आदतें बदलनी चाहिये। चावल की कमी भारत में ही नहीं अपितु उन देशों में भी है जहां बड़े पैमाने पर चावल पैदा किया जाता है। अतः हमें दूसरे अनाज भी प्रयोग में लाने चाहिये।

{ **अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair* }

जहां तक उर्वरकों का सम्बन्ध है, इनके मूल्य निरन्तर बढ़ रहे हैं। अवमूल्यन के कारण उर्वरकों के मूल्य में 57.5 प्रतिशत वृद्धि हो गई है। सरकार ने किसानों को राज सहायता देने का जो आश्वासन दिया था उसे पूरा किया जाना चाहिये।

हमारे वैज्ञानिकों ने जो अनुसंधान कार्य किया है उसके लिये हम उनके आभारी हैं। यह उनके प्रयत्नों का परिणाम है कि कुछ राज्यों में संकर बीजों का प्रयोग किया जा रहा है। किन्तु यह दुर्भाग्य की बात है कि सरकार इस ओर उचित ध्यान नहीं दे रही है। सरकार को कृषि अनुसंधान के लिये और अधिक सहायता देने के प्रश्न पर विचार करना चाहिये।

हमने देश में कृषि शिक्षा के विकास के लिये मरसक प्रयत्न नहीं किया गया है। सरकार को विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक सुविधाएं देनी चाहिये तथा और अधिक संख्या में कृषि कालेज एवं स्कूल खोलने चाहिये।

खेती के लिये सिंचाई का अत्यधिक महत्व है। हमें और अधिक सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था करनी चाहिये। छोटी और बड़ी सिंचाई योजनाओं पर ही हम पूर्णतया निर्भर नहीं कर सकते। अतः हमें सिंचाई के लिये भूमिगत पानी के स्रोतों का पता लगाना चाहिये।

देशी रियासतों के भतपूर्व शासकों के विशेषाधिकारों और निजी थैलियों को समाप्त करने के बारे में चर्चा

DISCUSSION REGARDING ABOLITION OF SPECIAL PRIVILGES AND PRIVY PURSES OF FORMER RULERS

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : To day we are not going to discuss definition of law, as it is done in the court of Class III Magistrate. To-day our discussion relate to the principles. directions and values of life.

श्री रा० धो० भण्डारे (बम्बई-मध्य) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं श्री मधु लिमये की भावनाओं से पूर्णतया सहमत हूं। श्री मधु लिमये के नाम में एक कटौती प्रस्ताव था; जो इस प्रकार है :

"देशी रियासतों के भूतपूर्व शासकों के विशेषाधिकारों को समाप्त करने सम्बन्धी विधेयक पुरःस्थापित न कर सकना।"

यह चर्चा नियम 193 के अन्तर्गत होनी थी। मैं केवल प्रक्रिया की बात कह रहा हूं। या तो यह कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया या नहीं किया गया होगा। यदि यह प्रस्तुत नहीं किया गया तो इसका तात्पर्य यह है कि यह अनावश्यक समझा गया होगा। यदि इसको प्रस्तुत किया गया है तो वह पहले ही अस्वीकृत हो चुका है। जब एक सदस्य कटौती प्रस्ताव रख कर उसे प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं समझता, तो मेरे विचार में सभा को उस मामले पर चर्चा नहीं करनी चाहिये जिस पर एक सप्ताह पूर्व चर्चा हो चुकी है। इसलिये नियम 338 के अन्तर्गत इस मामले पर चर्चा नहीं होनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही अनुमति दे दी है।

Shri Madhu Limaye : I prevently hope that if the special privileges and privy purses of the former rulers are abolished, they would feel themselves more free and in the line with other people. They will than support people like me to abolish rights and special privileges of others also. The discussion that has taken place so far was confined to the money being given to the former rulers. The number of rulers getting privy purses of more than Rs. I lakh comes to 102 and those who are getting more than Rs. 10 lakahs is 6. The privy Purses are free from all taxes. One can very well imagine that how much

one should earn if he has to pay all the taxes and then save this huge sum This is one special privilege being enjoyed by these former rulers. No individule can have so much income after paying the taxes.

There are other privileges also just as special rights in respect, free water and electricity etc. These facilities are meant for their personal use but I know that these are being misused by them. In this context I can quote the name of Nawab of Rampur who is using these facilities of water and electricity to run offices and hotels and matintenance of gardens in his premises.

Another privilege is that when these former rulers come back from abroad, their belohgings are not checked and they are given special honours Just as salutes of 10 guns or fifteen guns etc. Excise duty on petrol in their case is also exempted. Similarly there are several other special privileges being enjoyed by them. These rulers cannot be prosecuted without permission as in the cases of Minsters and bureaucrats. I want to ask whether there is any democratic set up in the world in which such special privileges are given to selecteded number of people. All are equal according to our constitution. The constitution had given special privileges only to backward people, The rulers do fall in that category. Therefore their privileges are unconstiutional.

I know there are certain other pepole belonging to ruling party, capitalists and others who enjioy simliar privileges.

अध्यक्ष महोदय : उन्हें निजी थैलियां नहीं मिलतीं । यह विषयान्तर है । यह चर्चा निजी थैलियों के बारे में हो रही है ।

Shri Madhu Limaye : I am Just quoting an example. The basic princple is that every one should be equal, before law and no special privilege should be given to a selected number of people. I am not against the former rulers but I am criticising special privileges enjoyed by them. There showld be no misunderstanding and I take this opportunity that action should be taken to abolish the special privileges enjoyed by others be longing to the ruling party and in my opinion this may be the first step in that direction.

It has time and again been argued that promises given to the former rulers should be honoured. Our friend Shri Karni Singhji has quoted Ramayana in support of this argument. In fact these promised were given to the former rulers under certain special set of circumstances. Now we have to see whether or not there is any impropriety in this matter.

Sardar Patel had stated the background under which these promises were given. He has stated that "we accepted in because we had no option to act otherwise." It was done because of compulsion of the circumstances at that time. It was due to the weakness of certain leaders that Congress was compelled to accept these conditions. As these promises were given under compulsion and I therefore do not consider that they must be fulfilled.

It has been argued that the princes had given up sovereignty of their states and they got these privy purses in return. May I know the number of these rulers who were sovereign. All of them were subservient either to Moghuls or Britishers. Once Nizam, one of the former rulers wrote to the British Government that they were sovereign except foreign affairs and therefore negotiations with British Government should take place on equal footing. The reply sent to Nizam by the British Government was that the sovereignty of the British Crown is supreme in India and there fore, no ruler of an Indian State can justifiable claim to negotiate with the British Government on an equal footing. They meant that they had established their sovereignty by force. The sovereignty of

Moghuls was also based on the strength of power. But to-day in our country people are sovereign and every one will have to bow to their wishes.

We have done great injustice to Sardar Patel for the work done by him. At that time we were angry which was quite natural because we wanted to bring change very soon. We were anxious to build the society based on equality and democratic princip'es. Therefore we were not satisfied with the pace at which the work of integration and democracy in country was being done. But keeping in view the historical facts I congratulate Sardar Patel who had accomplished this task with great determination and in short possible time.

But that does not mean that we should continue to maintain some position even now. Times have changed and one Mr. Coopland had said about the treaties that "certainly things no longer stand in India as they stood when most of the treaties were made." A new situation has emerged. We should change with the times. In the interest of the country we should not talk about the promises given to the ex-rulers.

The better course would be that the former rulers should themselves give up their privy purses and privileges. It was because of their privy purses and privileges that they feel indebted to the Government. They should become free persons. If the ex-rulers do not agree to give up these privileges voluntarily, the people of the country will adopt their own course. This may be a start only. I want to administer a warning to other "rajas" setting in put benches about this. Their privileges should also be abolished. This may be a step in that direction.

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : मैं श्री मधु लिमये के प्रस्ताव से पूर्णतया सहमत हूं। क्योंकि प्रत्येक समाज को भविष्य की बात सोचनी चाहिये, भूतकाल की नहीं। यदि हम ऐसा नहीं करते तो निश्चय ही मानव की प्रगति रुक जायेगी।

जब हमारे संविधान का निर्माण किया गया था और भारत स्वतन्त्र हुआ था, उस समय देश की परिस्थितियां भिन्न थीं। उस समय हम अपने भारतीय समाज के साथ भूतपूर्व शासकों को मिलाना चाहते थे। हम भारतीय जनसंख्या के साथ समाज के कुछ अन्य वर्ग भी मिलाना च हते थे। इन्हीं कारणों से भूतपूर्व शासकों को ये आश्वासन दिये गये थे। उन्हें ये अधिकार, निजी थैलियां, तथा अन्य रियायतें कुछ समय के लिये दी गई थीं। भारत को स्वतन्त्र हुए 20 वर्ष हो गये हैं। वर्ष 1947 में जो कुछ उचित था किया गया। उस समय की स्थिति को देखते हुए ऐसा किया गया। परन्तु अब स्थिति बिल्कुल भिन्न है। अब उनके पास विशेषाधिकार हैं और हम उन्हें समाप्त करना चाहते हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या हम इन विशेषाधिकारों को बनाये रखें जो उपनिवेशवाद का अवशेष मात्र है ? इन राजाओं ने भारत के लिये किया क्या है ? उन्होंने कुछ बड़े बड़े होटल और बड़ी बड़ी कम्पनियां बनाई हैं जो भारत में बेकार का खर्च है, जहां गरीबी है और जहां जनता भूखी मर रही है। मेरे विचार में वे निजी थैलियों और विशेषाधिकारों को छोड़ने के लिये तैयार है। भारत में हमारा लक्ष्य समाजवादी समाज का निर्माण करना है। भारत के एक महान नेता ने यह लक्ष्य निर्धारित किया था जिसका नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू था। हमें समाजवादी समाज में इन विक्षेषाधिकारों को समाप्त करना ही होगा। उनको किसी प्रकार का विशेषाधिकार नहीं देना चाहिये। उन्हें भी हमारे जैसा ही होना चाहिये।

कुछ समय पूर्व मैंने सभा में एक विधेयक प्रस्तुत किया था और उसका ध्येय यह था कि चुनाव लड़ने से पूर्व इन्हें अपने विशेषाधिकारों का परित्याग कर देना चाहिये, जिससे वे सब हम जैसे लोगों में सम्मिलित हो जायें। वे विशेषाधिकार त्याग कर ही ऐसा कर सकते हैं।

इसलिये अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने यह संकल्प पास किया है कि निजी थैलियां समाप्त की जानी चाहिये। मेरा यह विश्वास है कि अखिल भारतीय कांग्रेस समिति भारत की समस्त जनता के अन्तःकरण का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिये मैं यह चाहता हूं कि निजी थैलियां तथा अन्य सभी विशेष रियायतें समाप्त कर देनी चाहिये जिससे भूतपूर्व सभी राजा हम जैसे बन जायें।

श्री चं० चु० देसाई (साबरकंठा) : सभा के आज के वातावरण को देखकर मेरे जैसे व्यक्ति के लिये निजी थैलियों और भूतपूर्व शासकों के उन विशेषाधिकारों की रक्षा करना कठिन हो गया है जो उन्हें संविधान के अन्तर्गत प्राप्त हैं। श्री मधु लिमये ने कहा है कि सरदार पटेल ने जब ये दिये थे तो उस समय की स्थिति बिल्कुल भिन्न थी। परन्तु इससे क्या होता है ? यह एक निश्चित रूप से समझौता है। इसलिये मेरे विचार में नारेबाजी के इन दिनों में इनकी रक्षा करना कुछ कठिन है। एक माननीय सदस्य ने कहा है कि 1967 के वर्ष में यह अराजकतावाद है और किसी और एक सदस्य ने कहा था कि यह बात लोकतन्त्रीय व्यवस्था के विरुद्ध है और समाजवादी समाज के अनुकूल नहीं है। वे सब नारे हैं (व्यवधान) मेरे ऊपर ऐसी बातों का कोई प्रभाव नही पड़ता क्योंकि मैं सच्चाई में विश्वास रखता हूं।

यदि भूतपूर्व शासक स्वेच्छा से निजी थैलियां और अपने विशेषाधिकार छोड़ देते हैं तो यह एक अलग बात है। सरकार उनसे यह बात कहे। परन्तु सरकार को इस समझौते का इकतरफा उल्लंघन नहीं करना चाहिये। यदि सरकार ऐसा करती है तो होगा क्या ? आज ये लोग उन राजाओं की बात कर रहे हैं जो लोकप्रिय नहीं हैं। परन्तु उन अल्पसंख्यकों का क्या हाल होगा जिनका प्रतिनिधित्व हमारे मित्र फ्रेंक एन्थनी करते हैं। भाषा के मामले का क्या होगा जिसके बारे में द्रविड़ मुन्नेत्र कड़घम के हमारे मित्र कह रहे हैं ? (व्यवधान) फिर सिक्कम, भूतान और नेपाल का क्या होगा ? यदि हमारे विरोधी मित्र समझौते को कागज का पुर्जा समझते हैं तो संसार में उन पर विश्वास कौन करेगा। कल ही प्रतिरक्षा मन्त्री ने कहा था कि हम भूतान की रक्षा के लिये दृढ़प्रतिज्ञ हैं क्योंकि उनके साथ हमारा समझौता है। परन्तु यहां तो समझौते के मूल्य को समझा ही नहीं जाता। इसलिये यह प्रश्न 3 करोड़, 4 करोड़ या 5 करोड़ रुपये का नहीं है बल्कि इस समय भारत सरकार के वचन या भारत सरकार की साख के महत्व का प्रश्न है।

यदि सरकार निजी थैलियों को समाप्त करना चाहती है तो उसे राजाओं से कहना चाहिये और उनको इस बात के लिये सहमत कर लेना चाहिये। परन्तु वह एकतरफा यह कार्यवाही नहीं कर सकती।

दूसरी बात यह कही गई थी कि आय कर की धन-राशि मिला कर निजी थैलियों की धन-राशि बहुत बड़ी बन जाती है। मैं भी इस सम्बन्ध में सरदार पटेल की बात कहता हूं।

Sbri Bibhuti Mishra (Motihari) : These people wanted that Britishers should not leave India. These I. C. S. Officers never wanted that Britishers should leave India.

अध्यक्ष महोदय : प्रत्येक सदस्य को अपनी बात कहने और दूसरों की बात सुनने का अधिकार है। चाहे दूसरे लोग इससे सहमत हों या न हों, उन्हें वक्ता की बात सुननी ही होगी। इस प्रकार बाधा डालना उचित नहीं है।

श्री चं० चु० देसाई : यदि सरदार पटेल आज जीवित होते तो क्या उस ओर के सदस्यों में से किसी को यह कहने का साहस होता कि निजी थैलियों को समाप्त कर दिया जाये। उन्होंने कहा था कि मध्य भारत के राजप्रमुख ने ही हमें इतना धन दे दिया है जिससे अधिकांश राजाओं महाराजाओं को निजी थैलियां दी जा सकती हैं। 1947 में यह स्थिति थी। आज आप को यह कहने का इसलिये साहस हो गया है क्योंकि उन्होंने अपनी रियासतें आपको दे दी हैं। और आपके फंदे में आ गये हैं।

मैं राजाओं महाराजों को भी, जो कांग्रेस में चले गये हैं, यह कहना चाहता हूँ कि उन्हें भी कांग्रेस छोड़ देनी चाहिये केवल तभी हम भी उनके लिये लड़ सकते हैं, वरना मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त वाली बात हो जायेगी। दूसरी बात यह है कि जो कुछ भी उन्हें अपने पूर्वजों से मिला उसे उन्हें उत्तराधिकारियों को अवश्य दे देना चाहिये। उन्हें उस माल को अपने सहयोगियों के हस्तक्षेप से दूर रखना चाहिये।

मेरा एक और प्रश्न भी है। यदि सरकार संविधान में संशोधन किये बिना निजी थैलियों को समाप्त नहीं कर सकती तो वह रियासतों को भी समाप्त नहीं कर सकते। परन्तु गृह मन्त्रालय ने कम से कम दो रियासतों को बिना संविधान में संशोधन किये समाप्त किया है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इन मामलों पर पुनर्विचार किया जाना चाहिये और उन्हें पुरानी स्थिति में लाया जाना चाहिये।

यदि सरकार इस समझौते को रद्द कर देती है तो अन्य देशों के साथ जो समझौते हुए हैं उनका क्या होगा। यह चार करोड़ अथवा पांच करोड़ रुपये की बात नहीं है। प्रश्न भारत सरकार के वचन का है। सभा में लोकतन्त्र के नारों से ही काम नहीं चलाया जाना चाहिये परन्तु उसे भारत के प्रतिरूप पर ध्यान दिया जाना चाहिये और इस बात को ध्यान में रखना चाहिये कि इससे हमारे पड़ौसी देशों, अल्पसंख्यकों और अन्य लोगों पर क्या असर पड़ेगा ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी (बिल्हार) : ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकांश सदस्य भूतपूर्व शासकों की निजी थैलियों को समाप्त करना चाहते हैं। वास्तव में है भी ठीक। पुरानी चीजों के स्थान पर नई चीजें आनी ही चाहिये। राजाओं महाराजाओं की व्यवस्था समाप्त होनी ही चाहिये। एक ओर तो राजे महाराजे हैं और दूसरी ओर लाखों निर्धन लोग भूख से मर रहे हैं। इस प्रकार का आर्थिक असंतुलन समाप्त होना ही चाहिये। इसमें कोई तुक नहीं है कि भारत अपनी योजनायें चलाने के लिये देश देश से धन मांगता फिरे। भारत को उन सब लोगों से धन ले लेना चाहिये जो उसे देने की स्थिति में है ताकि उससे योजनायें कार्यान्वित करके जनसाधारण को लाभ पहुंचाया जा सके। इसके लिये सरकार को राजाओं महाराजाओं को

अपने विश्वास में लेना चाहिये था और उन्हें कहना चाहिये था कि वह इस सम्बन्ध में सरकार का साथ दें। तब वे अपनी इच्छा से सरकार को अपना सहयोग दे देते।

कुछ दिन हुए श्री डांगे कह रहे थे कि ये शासक देश के गद्दार हैं। मैं इस बात का खण्डन करती हूँ। जब भारत को स्वतन्त्रता मिली थी तो उन्होंने देशभक्तों का जैसा काम किया था। अतः यह कहना भूल है कि वे देशद्रोही थे।

अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने कोई ऐतिहासिक निर्णय नहीं किया है। वह लगातार लोकतन्त्रात्मक समाजवाद के लिये काम करती रही है। जब आठ व नौ वर्ष पहले स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरु ने इन शासकों को अपनी इच्छानुसार अपनी निजी थैलियों में से कुछ धन देने के लिये कहा था तो उन्होंने उनकी बात पर अमल किया था और राष्ट्रीय रक्षा प्रमाणपत्रों आदि के रूप में अपना सहयोग दिया था। इसलिये मैं यह कहना चाहती हूं कि यह कोई नया संकल्प नहीं है।

इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि कोई भी क्रान्ति एक दम नहीं लाई जा सकती। जब उन्होंने शासन शक्ति त्याग दी थी, जब उन्होंने अपनी रियासतें समाप्त कर दी थी और उन्हें स्वतन्त्र भारत का अंग बना दिया था तो उनके लिये भी एक शपथ ग्रहण की गई थी, जिसका आदर किया जाना भी आवश्यक है। यह दो व्यक्तियों के बीच समझौता नहीं हुआ था, यह समझौता सरकार और राजाओं के बीच हुआ था। इसे एक तरफा निर्णय से समाप्त नहीं किया जा सकता। सरकार को इस बात को ध्यान में रखना चाहिये। सरकार ऐसे ही इसे समाप्त नहीं कर सकती। ऐसा करने से सरकार का विश्वास खोया जायेगा।

मैं ये शब्द कह कर अपना भाषण समाप्त कर दूंगी कि यदि सरकार यह महसूस करती है कि शासकों ने अपनी निजी थैलियों का उपयोग राजनैतिक कामों में किया है तो उसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन करके निजी थैलियों को लाभ पद घोषित कर देना चाहिये।

Shri Bal Raj Madhok (South-Delhi) Sir, the question of abolition of special privileges and privy purses of former princes is not a basic issue before us. It is a reflection of the internal dispute of the Congress Party.

As far as the question of privy purses is concerned it involves an expenditure of Rs. 5 crores a year only. Even that amount will be decreasing as and when the rulers die. When we compare this problem with other problems which the country is facing, we find that this is no problem at all. The fact is that at this issue has been raised only to divert the attention of the people from other pressing problems.

The decision to give privy purses to the princes was taken at the time of integration, persons like me who were then putting up in the Princely States and were doing their level best to get these States integrated into Independent India, know what was the state of affair then ? Had the late lamented Sardar Patel been not there the shape of India would have been different now. Those persons who are raising the question of abolition they are trying to undo the work done by Sardar Patel and jeopardise the unity of the country.

As far as the question of special privileges is concerned I feel that there is no place for them in an eva of democracy. There is justification to abolish them. But the way that has been adopted to abolish them is not the correct way. The hon. Minister of Home Affairs should go on the footsteps of Sardar Patel. He should take to the Princes and persuade them.

श्री स० कंडप्पन (मैटूर) : अध्यक्ष महोदय, मैं पहले ही यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जब हम यह मांग करते हैं कि इन विशेषाधिकारों और निजी थैलियों को समाप्त कर दिया जाये, तो हमारे मन में उन शासकों के प्रति कोई द्वेष नहीं है। वास्तव में मैं यह चाहता था कि मैं श्री देसाई का समर्थन करता परन्तु उन्होंने द्रविड़ मुनेत्र कडगम और भाषा के मसले को इस मामले में लाकर इसे कमजोर कर दिया है। हमारे देश में लाखों व्यक्तियों को अपना खून पसीना एक करना पड़ता है और दूसरी ओर इतने विशेषाधिकार दिये गये हैं जिनकी सूची को पढ़ कर बहुत हैरानी महसूस होती है। उन्हें आय-कर, सम्पत्ति कर, धन कर आदि से छूट तो दी ही गई है और साथ ही साथ उन्हें निःशुल्क बिजली, पानी आदि की भी सुविधायें दी जाती है। इनके अलावा और अनेकों विशेषाधिकार भी दिये गये हैं। यह लोकतन्त्र की भावना के बिल्कुल विपरीत है। अतः हम चाहते हैं कि विशेषाधिकारों और निजी थैलियों को समाप्त करने के लिये संविधान में संशोधन करना चाहिये।

यह कहा गया है कि शासकों को निजी थैलियां देने पर बहुत कम राशि खर्च होती है। परन्तु मेरे विचार से यह राशि कम नहीं है। गत 15 वर्षों में हमने इस तरह 90 करोड़ रुपये खर्च किये हैं। अतः यह कम राशि नहीं है।

ये समझौता किसी दूसरे देश के साथ तो नहीं हुआ था। परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय कानून में भी समझौतों के कई मामलों पर पुनर्विचार किया गया है। इस मामले में भी शासकों को निजी थैलियां अपनी इच्छा से दी गई थी न कि किसी कारणवश। इसलिये इन समझौतों पर पुनर्विचार किया जा सकता है।

श्री चं० चु० देसाई ने तो यह कहा है कि चूंकि इन शासकों ने इतना अधिक धन हमारी सरकार को दिया है इसलिये उन्हें निजी थैलियां देना हमारा कर्तव्य बन जाता है। मेरे विचार से यह बड़ा विचित्र तर्क प्रस्तुत किया गया है। इतिहास को सभी छात्र जानते होंगे कि ये शाही परिवार कैसे बने और उन्होंने धन कैसे इकट्ठा किया। हमें यह याद रखना चाहिये कि उन्होंने लोगों का शोषण करके धन इकट्ठा किया था। मेरा तो विचार है कि सरदार पटेल ने रियासतों को समाप्त करके वहां के शासकों को लोगों के गुस्से से बचा दिया था वरना यहां की जनता ही उनका तख्त उलट देती। अतः ऐसे लोगों को गलत आधार पर इस मामले को बड़ा नहीं बना देना चाहिये।

एक यह भी सुझाव दिया गया था कि शासकों से आग्रह किया जाना चाहिये कि वे अपनी थैलियों में कुछ कमी कर दें परन्तु सरकार ने कई बार ऐसा प्रयास किया है। और वे इस पर राजी नहीं हुये हैं। 1953 में स्वर्गीय प्रधान मन्त्री जवाहरलाल नेहरू ने स्वयं इन शासकों को निजी थैलियों में कमी करने के लिये लिखा था परन्तु उसका कोई खास असर नहीं हुआ था। इसलिये उस रास्ते को पुनः अपनाने की आवश्यकता नहीं है।

Shri Shasibhushan Bajpai (Khargone): Sir, the question we are discussing today is a question of his tonic importance. So, I would like to say something about the past history of these Rulers. They had committed cruelties on the freedom fighters. The freedom fighters were trampled under the hooves of horses in 1942. All that we have been able to do during these twenty years is to forget those cruelties. But those memories are again becoming fresh today.

Sir, the queen of England cannot fight election. Her husband cannot fight election though they too have got privileges. Those persons who get money direct by Government should not be allowed to fight elections. The privy purses and pensions paid by Government should be declared offices of profit. If these rulers and pensioners want to fight election they should be asked first to surrender their privy purses and pensions.

The privileges enjoyed by these rulers are being used to subvert democracy The amount which they have saved by way of exemption of excise duty uas been made use of in elections. The greater the traitor, the greater amount of pension he has received. But the time has now come when we should reconsidered the question of privy purses and the special privileges enjoyed by the rulers. We support the resolution passed by the A I. C. C. and welcome the members on the other side who support it.

श्री ही० ना मुकर्जी (कलकत्ता–उत्तर–पूर्व) निजी थैलियों और विशेषाधिकारों को समाप्त करने के बारे में श्री मधु लिमये द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव का मैं अपने दल की ओर से पूरा समर्थन करता हूँ । चूंकि अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने इस विषय पर हाल में एक संकल्प पास किया है इस लिये इस सभा को यह जानने का अधिकार है कि क्या सरकार इस मामले को गम्भीरता पूर्वक लेगी अथवा राजाओं महाराजाओं को, जिनके समर्थन से विभिन्न राज्यों में कुछ कांग्रेस सरकारें निर्भर करती हैं, कुछ ऐसे आश्वासन दे दिये गये हैं कि इस संकल्प को इलाहाबाद, भुवनेश्वर अथवा जयपुर में पहले पास किये गये संकल्पों की तरह बाद में बदल दिया जायेगा । यह सभा इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहती है ।

भूतपूर्व नरेशों की निजि थैलियों तथा विशेषाधिकारों को बहुत पहले ही समाप्त किया जाना चाहिए था । परन्तु अब जबकि अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने इस आशय का प्रस्ताव पास कर दिया है तो इनको समाप्त कर दिया जाना चाहिए ।

निजी थैलियों तथा विशेषाधिकारों के पक्ष में यह तर्क दिया जाता है कि संविधान में इस बारे में नरेशों को वचन, आश्वासन तथा गारंटी दी गई है । परन्तु संविधान के अनुच्छेद 14 के अन्तर्गत कानून के प्रति सबको समान समझने की गारंटी दी गई है । इस प्रकार नरेशों के विशेषाधिकारों से इस अनुच्छेद का उल्लंघन होता है । अतः नरेशों को अधिकार नहीं दें कि न्याय, समानता तथा सत्य निष्ठा की दृष्टि से इन विशेषाधिकारों का उपभोग करें ।

संविधान के अनुच्छेद 314 के अन्तर्गत भारतीय सिविल सेवा के लिए रखे गये अधिकारों तथा विशेषाधिकारों को भी समाप्त किया जाना चाहिए । इसके अतिरिक्त उन 75 व्यापारिक गृहों को भी समाप्त करना चाहिए जिनका हमारी अर्थव्यवस्था पर एकाधिपत्य

है। फ्रान्स में दूसरे महा युद्ध से पहले हमारे जैसी ही हालत थी। वहां की अर्थव्यवस्था पर 200 व्यापारिक गृहों का एकाधिकार था। उसको वहां पर समाप्त कर दिया गया है। मै चाहता हूं की उसी प्रकार यहां भी इस प्रकार से एकाधिकार वाले सभी विशेषाधिकारों को समाप्त किया जाना चाहिए।

श्री रमानी (कोयम्बत्तूर) : सरकार के लिए संविधान के अनुच्छेद 291 में संशोधन करने तथा नरेशों के विशेषाधिकारों तथा उनकी निजी थैलियों को समाप्त करने का यह अच्छा अवसर है। कुछ सदस्यों को छोड़कर विरोधी पक्ष पूर्णतः तथा कांग्रेसी मिल मिल कर नरेशों के विशेषाधिकारों तथा निजी थैलियों को समाप्त करने के लिये संविधान में संशोधन कर सकते हैं।

यद्यपि राजस्थान, उड़ीसा, मध्यप्रदेश तथा कुछ अन्य राज्यों के मुख्य मंत्रियों और कुछ संसद सदस्यों द्वारा इस बात का विरोध किया जा रहा है तथापि इन विशेषाधिकारों तथा निजी थैलियों को समाप्त करने हेतु संविधान में संशोधन करने के लिये प्रधान मंत्री को भेजे गये ज्ञापन पर कांग्रेस दल के आम सदस्यों तथा विरोधी दलों के अधिक सदस्यों ने भी हस्ताक्षर किये हैं। इसलिए मैं सभी से, कांग्रेस दल तथा सरकार से अपील करूंगा कि वे ऐसा करने में समय नष्ट न करें।

15 मार्च,48 को एक भाषण मैं श्री वी० पी० मेनन ने कहा था कि यद्यपि लोगों का बहुमत नरेशों को समाप्त करने के पक्ष में है तथापि गांधीजी के विचारों से प्रेरणा लेकर सरदार पटेल के अधीन राज्यों सम्बन्धी मंत्रालय राजाओं को यह रूतबा देने को सहमत हुआ है।

इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि लोग साम्राज्यवाद के विरुद्ध उठ खड़े हुए थे। यदि उस समय नरेशों को विशेष मतबा देकर उनकी समस्या को हल न किया जाता तो लोग उनको भी गद्दियों से हटा देते। अतः यदि हमें देश भक्ति की दृष्टि से देखना है तो उन लोगों को भी याद रखना होगा जिनकी दो पीढ़िया अंग्रेजों से लड़ती रही है तथा अन्ततः स्वतंत्रता प्राप्त की।

इस समय भारत में दो प्रकार के लोग हैं। एक वे जिनको प्रत्येक प्रकार की सुविधा तथा विशेषाधिकार प्राप्त है तथा दूसरे वे जिनको मुफ्त बिजली, पानी, मोटर लाइसैंस आदि भी प्राप्त नहीं है। क्या स्वतन्त्रता प्राप्ति के 20 वर्ष बाद भी इस प्रकार के भेदभाव को बनाये रखना आवश्यक है ? मेरे विचार में नहीं। यह उचित समय है जबकि सरकार को इन विशेषाधिकारों को समाप्त कर देना चाहिये।

श्री दशरथ राय रेड्डी (कावली) : यह एक महत्वपूर्णप्रश्न है। उसकी भूमिका तथा जिन परीस्थितियों में करार हुए थे उनको ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिए। इस स्थिति को हमारे राष्ट्रीय नेताओं द्वारा स्वीकार किया गया है कि अंग्रेजी शासन की समाप्ति के पश्चात सभी देशी रियासतें स्वतन्त्र हो गई थी।

सरदार पटेल ने नरेशों के साथ समझौते कर उनकी रियासतों को भारत संघ के साथ मिलाया था। देश के विभाजन के पश्चात कुछ नरेशों ने अपनी रियासतों को स्वतन्त्र बनाये रखने का यत्न भी किया था। इन परिस्थितियों में समझौते कर रियासतों को भारत संघ में मिलाया गया तथा उस समय यह महसूस किया गया था कि नरेशों को दी जाने वाली राशि उनसे ली जाने वाली सम्पत्ति की तुलना में बहुत कम है। इन समझौतों को महात्मा गांधी का अनुमोदन भी प्राप्त था सम्पूर्ण देश का प्रतिनिधित्व करने वाली संविधान सभा ने अच्छी तरह विचार करने के बाद ही संविधान के अनुच्छेद 291 और 362 में इसकी व्यवस्था की थी। अतः मेरा अपना मत यह है कि राष्ट्रीय हितों को देखते हुए हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने जिस बात की गारंटी दी थी हमें उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

श्री स० कण्डू (बालासौर) : इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों को राजनीतिज्ञो के विवाद का विषय नहीं बनने दिया जाना चाहिए। इस प्रश्न पर निर्णय करने का यही उचित समय है।

आम जनता की यह कभी भी इच्छा नहीं रही कि राजाओं को साधारण व्यक्ति से अधिक विशेषाधिकार प्राप्त हो। मैं यह महसूस करता हूँ कि जो बात लोगों की इच्छाओं के विरुद्ध हो उसको कुछ लोगों का विशेषाधिकार नहीं बनने दिया जाना चाहिए। यह संविधान की भावना के भी प्रतिकूल है। इसका अर्थ दो प्रकार की नागरिकता देने के समान है।

गत बीस वर्षों से कांग्रेस पार्टी इस मामले को टाल रही है। यदि लोकतन्त्र को बचाना है तो इन विशेषाधिकारों को समाप्त करने का यही उचित समय है।

टीपू सुल्तान की मृत्यु के पश्चात भारतीय राजाओं ने अंग्रेजों के सामने हथियार डाल दिये और अंग्रेजों ने उनका स्वतन्त्रता आन्दोलनों का दमन करने के लिए प्रयोग किया।

1958 में स्वयं महारानी विक्टोरिया ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में यह घोषणा की थी कि इन राजाओं ने युद्ध में अंग्रेजों का समर्थन किया था। इसलिए सनद के रूप में उनको विशेषाधिकार दिये गये हैं। अंग्रेजों के शासन की समाप्ति पर ये सभी विशेषाधिकार तथा उनके साथ इन राजाओं के करारों को समाप्त समझा जाना चाहिए था।

यदि सरकार यह समझती है कि इन विशेषाधिकारों को समाप्त करने में संविधान के उपबन्ध बाधा है तो सरकार को उस विधेयक को स्वीकार कर लेना चाहिए जिसमें इन उपबन्धों को समाप्त करने की व्यवस्था की गई है मैंने संविधान के अनुछेद 661, 361 और 362 को समाप्त करने के लिए एक विधेयक प्रस्तुत किया है। आशा है कि प्रगतिशील दलों के सभी सदस्य उसका समर्थन करेंगे। मेरे विचार में अब समय आ गया है जब हमें संविधान की विरुद्ध भावना के विरुद्ध इन विशेषधिकारों को समाप्त करने के लिए शपथ ग्रहण करनी चाहिए।

श्री फ्रैंक एन्थनी (नामनिर्देशित आंग्ल भारतीय) : मैं इस प्रश्न के कानूनी पहलू के बारे में संक्षेप में कुछ कहना चाहता हूं। मैं अपने माननीय मित्र श्री नि० चं० चटर्जी से

इस बात में सहमत नहीं हूं कि संविधान में संशोधन किये बिना नरेशों के इन विशेषाधिकारों को समाप्त किया जा सकता है।

संविधान के अनुच्छेद 363 में यह स्पष्टरूप से बताया गया है कि ये समझौते दो प्रभुसत्ता सम्पन्न राज्यों के बीच हुए समझौते हैं। इसमें इस सिद्धान्त को भी स्वीकार किया गया है कि प्रभुसत्ता सम्पन्न राज्यों के अधिनियम न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नहीं आते। ऐसा जानबूझ कर किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 143 के अन्तर्गत राष्ट्रपति इन करारों सम्बन्धी झगड़ों को उच्चतम न्यायालय को सौंप सकता है। ऐसा उपबन्ध इसी लिए रखा गया है क्योंकि इन समझौतों को दो प्रभुसत्ता सम्पन्न राज्यों के बीच समझौता समझा गया है। गलत अथवा ठीक इस बात को स्वीकार किया गया था कि वे प्रभुसत्ता सम्पन्न राज्य थे।

यह विलय संधिया तथा समझौते संविधान बनने से पहले हुए थे। संविधान में उन्हें और भी मान्यता दी गई थी। यह समझौते सम्पूर्ण सत्ता सम्पन्न पक्षों के बीच थे। इनको समाप्त करने का अन्तर्राष्ट्रीय परिणाम क्या होगा।

भूटान तथा सिक्किम की स्थिति भी बिलकुल वैसी ही थी जैसी विलय सन्धि पर हस्ताक्षर करने वाली अन्य देशी रियासतों की थी, परन्तु उन्होंने केवल तीन मामलों पर विलय किया है।

काश्मीर के मामले में हमारा पक्ष विलय संविदा पर आधारित है। यदि इस प्रकार यह संविदायें तोड़ी जा सकती हैं तो काश्मीर के मामले में हमारा पक्ष कमजोर होगा। इस मामले में बुद्धिमत्ता से काम लिया जाना चाहिये, सरदार पटेल ने एक बैठक में, जिसमें मैं भी उपस्थित था, कहा था कि मैंने इन राजाओं को वचन दिया है और उसके बदले में हमें बहुत कुछ मिलेगा।

Shri Amrit Nahata (Barmer) : Those who were greatest critics of Sardar Vallabh Bhai Patel, are now trying to take shelter behind him. I remember that Sardar Patel had said in Jodhpur that the princes claim soverignty, but they were never sovereign under the britishers. It is only the people of India, who are sovereign.

The agreements entered into with the princes are not such that they cannot be altered. In fact we have already altered them by abolishing Rajpramukhs, Uprajpramukhs. and Maharaj pramukhs Income Tax was also not changed from them. It means that there is no sanctity in those document. The circumstances are changing.

It is being objected to on the grounds of morality and breach of agreement but the luxurious life being led by the princes at a time when millions of people are suffering from hunger and starvation, is not moral. It is a social crime. The only way to stop such a crime is to discontinue the privy purses. If we have given any promise to the maharajas, we have also given promises to common men to provide food, clothing, education and madical aid and to fulfil those promises it is incubment to break the promises given to the princes. If we want to bring a revolutionary spirit a nong the people, if we want to create incentive and confidence among them, we must put an end to those promises and privy purses.

श्री नि० चं० चटर्जी (बर्दवान) : श्री फ्रैंक एन्थनी का अनुच्छेद 362 तथा 363 का निर्वचन बिलकुल गलत है। उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा है कि अनुच्छेद 362 के अन्तर्गत नरेशों को अपने मुकदमे लाने का अधिकार नहीं मिलता है। अनुच्छेद 362 में संसद तथा राज्य विधान मण्डलों से यह सिफारिश की गई है कि संविधान के बाद विधियां बनाते समय किसी संविदा अथवा समझौते के अन्तर्गत दी गई प्रत्याभूतियां अथवा आश्वासनों का उचित ध्यान रखा जाने। यद्यपि यह अनुच्छेद निजी थैलियों सम्बन्धी करारों तक सीमित नहीं है तथापि इसके अन्तर्गत कोई ऐसी कानूनी जिम्मेदारियां नहीं है, जिन्हें भूतपूर्व नरेशों की प्रार्थना पर लागू किया जाये। यदि इसके बावजूद संसद नरेशों के अधिकारों आदि से असगंत कोई कानून बनाये तो इस पर न्यायालय में आपत्ति नहीं की जा सकती और यह अनुच्छेद 363 में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है।

इण्डियन नेशनल कांग्रेस ने अब इस सम्बन्ध में जो कुछ कहा है, वह ठीक दशा में एक कदम है यद्यपि ऐसा देर से किया गया है। इसके लिये कांग्रेस बधाई की पात्र है। सविधान में भी ऐसे ही उपबन्ध हैं और ऐसा करना संविधान के उपबन्धों के विरुद्ध नहीं है। यह संविधान की भाषा तथा भावना के अनुकूल है।

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश श्री शाह ने न्यायालय का सर्व सम्मत निर्णय सुनाते हुए कहा है कि यदि संसद अथवा किसी राज्य की विधान सभा देशी रियासतों के नरेशों के व्यक्तिगत अधिकारों, विशेषाधिकारों तथा उनकी प्रतिष्ठा से असंगत कोई विधि बनाती है तो उसे न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकती।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur): we owe our gratitude to the late Sardar Vallabh Bhai Patel who integrated 550 princely states with the rest of India without any bloodshed As a matter of principal, he was not in favour of continuing the privy purses of the princes for a very long period. That is why he evolved a formula of gradual reduction of the amount of privy with every succeding generation of the princes.

It is really very surprising that for the last twenty years the Congress has been patronising these exrulers by offering them ministerial and gubernatorial posts but now they have passed a resolution for discontinuing their privy purses. It appears that the Congress has become so unpopular during the last twenty years amongst these ex-rulers that they ware badly defeated by them in ellctions.

There ware some princes who did not care for their privy purses but they were more particular about the interest of their subjects. The Maharaja of Kotah preferred free education upto M.A. for the girls belonging to his state instead of privy purse. Similarly, the princes of Madhya Bharat set up universitien and Colleges in their states. Such Maharajas cannot easily be condenned, but there are such other rulers also who are suspected of transferring their wealth to other countries. Such things are suspected in the case of the former rulers of Hyderabad and Bhopal. If the privy purses of such rulers indulging in antinational activities are confiscated. I will certainly have no objection. They should also be severely punished But the privy purses of all the princes should not be stopped in such a way. The matter should be left to them and they should themselves decide about this.

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : सरकार को इस मामले के सभी राजनैतिक तथा संवैधानिक मामलों पर विचार करने के बाद ही निर्णय करना होगा। इस सम्बन्ध में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का संकल्प एक ऐतिहासिक निर्णय है।

इस मामले का सम्बन्ध नरेशों को राष्ट्र विरोधी सिद्ध करने से नहीं है। 1942 में स्वतन्त्रता संग्राम के दौरान कुछ नरेशों ने हमें संरक्षण दिया था। उनमें से बहुत से देश भक्ति, अच्छे तथा बुद्धिमान व्यक्ति हैं। इसमें बदला लेने का कोई प्रश्न नहीं है।

यह सिद्धांत का प्रश्न है। उसमें संदेह नहीं है कि ये विशेषाधिकार तथा निजी थैलियां समय के अनुकूल नहीं है। प्रभुसत्ता का प्रश्न एक राजनैतिक वास्तविकता है जो इस देश के 50 करोड़ लोगों पर आधारित है। इस मामले में हमें क्या करना है तथा किस दिशा में जाना है, इन प्रश्नों पर विस्तारपूर्वक विचार करना होगा।

यह प्रश्न किसी की पसंद अथवा नापसंद का नहीं है, न ही उसमें बदला लेने का कोई प्रश्न है हमें सरदार पटेल पर गर्व है। उन्होंने देश की बहुत सेवा की है परन्तु जब हम नहीं चाहते कि देश वहीं रहे जहां वह 1947 अथवा 1950 में था। हम चाहते हैं कि देश आगे बढ़े।

जनसंघ के नेता ने प्रधान मंत्री के बारे में जो कहा है, वह उचित नहीं है। वह उस दल की नेता हैं जिसे देश पर शासन करने का अधिकार प्राप्त है और इस प्रकार वह देश की नेता हैं तथा इस सदन की देन हैं।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा स्थगित होती है।

इसके पश्चात लोक सभा शुक्रवार 14 जुलाई 1967/23 आषाढ़, 1889 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on friday, the 14th July, 1967 Asadha 23, 1889 (Saka)